jktLFkku fo/kku lHkk pqukoks esa ernku O;ogkj

¼dkVk fo/kku lHkk pqukoo "k 2003 o 2008 dk तुलनात्मक अध्ययन)

शोध–प्रबन्ध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की

पीएच. डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

राजनीति विज्ञान

(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोधार्थी

गुलाम रसूल खान

'kks/k funs'kd

डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर

ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय,
कोटा (राजस्थान)

कोटा fo'ofo|ky य, कोटा (राज.)

2018

डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर
ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

Áek.k i=

मुझे यह प्रमाणित करते हुए प्रसन्नता है कि शोध प्रबन्ध “राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार” (कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन) शोधार्थी गुलाम रसूल खान ने कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पीएच. डी. के नियमों के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ पूर्ण किया है–

1. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार के अनुसार कोर्स वर्क किया है।
2. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के 200 दिन के आवासीय आवश्यकता नियम को पूरा किया है।
3. शोधार्थी ने नियमित रुप से अपना कार्य प्रगति प्रतिवेदन दिया है।
4. शोधार्थी ने विभाग एवं संस्था प्रधान के समक्ष अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है।
5. शोधार्थी का बताई गई शोध पत्रिका में शोध पत्र का प्रकाशन हुआ है।

मैं इस शोध प्रबन्ध को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पीएच. डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु मूल्यांकनार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूँ।

डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर

दिनांक : (शोध पर्यवेक्षक)

घोषणा–पत्र (शोधार्थी)

मैं घोषणा करता हूँ कि शोध–प्रबन्ध "राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार" (कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन) जो शोधकार्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह पीएच. डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि के लिये आवश्यक है मैंने यह शोध कार्य डॉ॰ फूल सिंह गुर्जर, ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ (राजस्थान) के निर्देशन में पूर्ण किया है और जहाँ दूसरे विचारों और शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे मेरे द्वारा विभिन्न मान्य स्त्रोतों से लिये गये हैं। अपरिहार्य स्थिति में ली गई ऐसी हर सामग्री का यथास्थान सन्दर्भ एवं आभार व्यक्त कर दिया गया है जो कार्य इस शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक नियमों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन किया है तथा किया तथ्य को गलत नहीं प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी नियम के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है और मेरे खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि मैंने किसी स्रोत से बिना, उसका नाम दर्शाये या जिस स्रोत से अनुमति की आवश्यकता हो, बिना अनुमति के लिया हो।

दिनांक

गुलाम रसूल खान
(शोधार्थी)

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी गुलाम रसूल खान (RES/UOK/2011/13503) द्वारा उपर्युक्त सभी सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर

दिनांक :

(शोध पर्यवेक्षक)

ABSTRACT
(शोध सार)

लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए स्थापित शासन प्रक्रिया है इसमें लोकतंत्र को गतिशील एवं सशक्त बनाने में समयबद्व चुनाव प्रक्रिया का होना तथा इसमें मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता होना बहुत अनिवार्य है परन्तु लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान एवं मतदाताओं के मतदान व्यवहार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिनमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के कारक शामिल होते हैं।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त, प्रभावशाली, स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने के लिये एवं मतदाताओं की अधिकमत सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कारकों को जो कि लोकतंत्र को कमजोर करते हैं उसकी भावना को दूषित करते हैं व अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव में बाधा बनते हैं उनको दूर करना अनिवार्य है। जैसे जातिवाद, गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अपराधीकरण एवं कमजोर नेतृत्व क्षमता आदि जिससे कि हमारा लोकतंत्र सशक्त, गत्यात्मक एवं विकासोन्मुख बन सके।

भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतत्रों में से एक है भारतीय लोकतंत्र को स्वरूप देने व गत्यात्मक बनाने में आम चुनाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में से समयबद्व चुनाव प्रक्रिया को निकाल दिया जाये तो सारी व्यवस्था निर्जीव बनकर रह जायेगी। क्योंकि भारतीय मतदाताओं की सांसों में प्रजातंत्र का वास है। वह थोड़ी सी भी तानाशाही सहन नहीं कर सकते और तुरंत आगामी चुनाव में इसके विरोध की अभिव्यक्ति कर देते हैं। मतदाताओं का यह व्यवहार इनकी राजनीतिक परिपक्वता का घोतक है।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शों को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है उन्हें

यथार्थ के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का होता है जो निर्वाचन के फलस्वरूप पदासीन होती है।

भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें संघात्मक गणतंत्र में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार को स्थापिन करने की पहली शर्त होती है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान व्यवहार का कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 के परिपेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तथा इसमें समस्त विषयवस्तु को आठ अध्यायों में विभाजित कर चुनाव व्यवस्था, मतदान, सरकारों का गठन एवं मतदान व्यवहार की प्रक्रिया को स्पष्ट समझाने का प्रयत्न किया गया है कि चुनाव में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को कौन–कौन सी परिस्थितियाँ एवं कारक प्रभावित करते हैं।

प्रथम अध्याय परिचयात्मक है जिसमें अध्ययन की प्रस्तावनाऐं, प्रकृति एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इसी अध्याय में पूर्व में किये गये शोध कार्य की समीक्षा की गई है।

दूसरा अध्याय लोकतंत्र में निर्वाचन, उसकी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन से सम्बन्धित आयोग, चुनाव सुधार तथा आचार संहिता आदि को स्पष्ट किया गया है।

तीसरा अध्याय राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीतिक के ऐतिहासिक परिचय से संबंधित है। इसमें राज्य में प्रथम आम चुनाव से लेकर वर्तमान आम चुनाव तक विधानसभाओं एवं सरकारों के गठन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

चतुर्थ अध्याय कोटा जिले के परिचय से सम्बन्धित है अतः उसकी स्थिति को ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिपेक्ष्य में स्पष्ट किया गया है।

पंचम अध्याय कोटा विधानसभा चुनाव 2003 और इसमें मतदाताओं का मतदान व्यवहार सम्बन्धित है क्योंकि इस चुनाव में एक दल से दूसरे दल के हाथों में सत्ता का हस्तानान्तरण हुआ।

छठे अध्याय में कोटा विधानसभा चुनाव 2008 एवं मतदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। क्योंकि यहाँ आते आते पुनः सत्ता में आने वाला दल बदल गया है।

सप्तम् अध्याय में राजस्थान के संदर्भ में कोटा विधानसभा क्षैत्र में चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन करके मतदान व्यवहार का रूझान एवं दलीय स्वरूप को स्पष्ट किया गया है।

अष्ठम् अध्याय एक तरह से शोध प्रबंध का निचोड़ है जिसमें यही निष्कर्ष सामने आया है कि जनता के प्रेरक तत्व भी अनेक हैं और उनको भ्रमित करने वाले साधनों की भी कोई कमी नहीं है अतः मतदाताओं को समझदारी पूर्वक व्यवहार करके ही आगे बढ़ना चाहिये ताकि स्थायी स्वरूप और सुदृढ सरकार का निर्माण हो सके।

लोकतंत्र में मतदान व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ से लेकर वतमान तक प्रासंगिक रहा है इससे मतदाताओं की भावनाओं का उनकी आशाओं का अपेक्षाओं का एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों का पता चलता है तथा इससे भावी राजनीति को एक नई दिशा मिलती है जो कि लोकतंत्र को गतिशील एवं सशक्त बनाती है। व राजनीतिक समाजीकरण का सशक्त माध्यम बनती है।

****

प्राक्कथन

भारतीय लोकतंत्र 66–67 की आयु में उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ छोटे से छोटे गाँव, ढाणी, बड़े से बड़े शहर का मतदाता अपने मत के मूल्य को समझने लग गया है और अब जनमत केवल Expert का Openion नहीं रह गया है बल्कि सामान्य जन का मत हो गया है। और उस मत की अभिव्यक्ति भी वह सोच समझकर करने लगा है कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है किस अवसर का किस प्रकार लाभ उठाना है और अपनी आकांक्षाओं को जन प्रतिनिधियों तक कैसे पहुँचाना है लोकतंत्रिय शासन प्रणाली के वास्तविक मायने क्या हैं इसकी मूल अवधारण क्या है इसके प्रमुख मूल्य क्या हैं मतदाता की पसंद की क्या भूमिका है लोकतंत्र के पीछे कौनसी शक्ति काम करती है मतदाता इन सवालों के उत्तर अपने आप खोजता है और वह प्रक्रिया ढूँढता है जिसमें इनका उत्तर प्राप्त करके उसे लागू किया जा सके और लोकप्रिय सम्प्रभुता प्रकट हो सके।

मतदाताओं की जागरूकता के कारण जनतांत्रिक सरकारों को मतदाता की इच्छानुरूप ही चलना पड़ता है महात्मा गाँधी ने स्वीकार किया है कि लोकमत का अर्थ है जिस समाज की राय हमें चाहिए उसका मत। यह मत नीति विरूद्ध न हो तब तक उसका आदर हमारा धर्म है ऐसा होने पर ही आजादी का मतलब बनता है लोकराज का अर्थ है कि हर शक्स को शासन में साझेदारी पाने का मौका मिले इसके साथ ही लोकलाज भी लगी रहती है। अतः सरकार के बारे में लोगों के मंथन और उक्तियाँ उसे औचित्यपूर्ण बनाने में सहयोग देती हैं। अतः स्पष्ट है कि लोकमत की अभिव्यक्ति जो मतदान द्वारा होती है उसी से लोकतंत्र औचित्यपूर्ण, सारवान और सुदृढ बनता है।

यदि जनतांत्रिक सरकारें मतदाता की इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो मतदाता तत्काल बिना अगले चुनाव का इन्तजार किये सरकार के विरूद्ध लामबंद होकर सरकार को झुकाने पर उतारू हो जाते हैं, वर्तमान में प्रचलित सभी जन आन्दोलनों को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए, भारतीय चुनावों के बारे में टिप्पणियों और आलोचनाओं द्वारा राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, साहित्यकार, पत्रकार, मीडिया के अन्य साधन बुद्धिजीवी एवं अन्य जन सामान्य अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं तथा आँकड़ों की सहायता से मतदान के रूझान, मत प्रतिशत और प्राप्त स्थानों के मध्य बढ़ता असंतुलन,

दलीय स्थिति एवं महिला मतदान इत्यादि पर प्रकाश डालते रहते हैं और इस दृष्टि से सभी मतदाता समान हैं क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही पसन्द प्रकट करनी होती है इससे अधिक करने का अधिकार उसे लोकतंत्र में नहीं दिया गया है।

चूँकि यह शोध–प्रबन्ध स्थान विशेष में मतदान व्यवहार से संबंधित है। अतः मतदाता के सम्मुख अनेक प्रश्न उठते हैं जैसे किसी एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सम्पन्न होने वाले विविध चुनावों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आता है ? क्यों आता है ? उन्हें प्रत्याशी और दलीय कार्यकर्ता किस प्रकार भ्रमित करते हैं ? अनेक बार स्थानीय विकास के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के सम्मुख गौण/मुखरित क्यों हो जाते हैं। किसी दल विशेष के पक्ष में चुनावी लहर प्रान्तीय एवं स्थानीय मुद्दों को कैसे बहा ले जाती हैं ? आदि प्रश्नों को केन्द्रिकृत कर बहुत ही कम अध्ययन हुए हैं और राजस्थान में तो प्रायः न के बराबर हैं।

अतः शोधार्थी ने पी॰एच॰डी॰ शोध हेतु राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार (कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन) शीर्षक से अपना शोध प्रबन्ध स्वयं की पसन्द अपने गुरूजनों मित्रों और भारतीय लोकतंत्र के विद्धानों के सहयोग से इस विषय का चयन किया, यह शोध प्रबन्ध राजस्थान विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कोटा में सम्पन्न होने वाले मतदान व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास है इसी लिऐ शोधार्थी ने इस विषय पर एक सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए इसकी विषय सामग्री को आठ अध्यायों में वर्गीकृत किया इसमें प्रथम अध्याय एक तरह से परिचयात्मक है। जिसमें अध्ययन की प्रस्तावनाऐं और प्रकृति को स्पष्ट किया गया है, इसके निम्न उद्देश्य स्पष्ट किये गये हैं –

1. सैद्धान्तिक आधार पर चुनावों से सम्बन्धित विविध आयामों का विश्लेषण करना।

2. चुनाव प्रक्रियण के विषय में मतदाताओं की सोच तथा मतदान व्यवहार का परीक्षण करना।

3. यह ज्ञात करना कि बदली हुई परिस्थितियों के साथ मतदाताओं के व्यवहार में क्या परिवर्तन आये हैं।

4. यह ज्ञात करना कि मतदान पूर्व मतदाता के व्यवहार को कौन कौनसी बातें अत्यधिक प्रभावित करती हैं।

5. यह ज्ञात करना कि कोटा विधानसभा क्षैत्र में महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के विषय में मतदाताओं के क्या विचार हैं।

6. यह ज्ञात करना कि मतदाता पर प्रत्याशी के व्यक्तिगत, जातिगत, साम्प्रदायिक एवं धर्मगत आधारों का क्या प्रभाव पड़ता है।

7. यह ज्ञात करना कि मतदाता अपने प्रत्याशियों से अपने क्षेत्रिय विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान की कितनी अपेक्षा रखते हैं।

8. यह ज्ञात करना कि यदि कोई प्रत्याशी मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो अगले चुनाव में उसके प्रति मतदाता क्या प्रतिक्रियाऐं करते हैं।

9. यह ज्ञात करना कि मतदाता क्या दलों और प्रत्याशियों के प्रचार में सीधे भाग लेते हैं।

10. यह ज्ञात करना कि क्या मतदाताओं को अपने क्षैत्र के विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं की जानकारी होती है और यह उनके मतदान व्यवहार पर क्या प्रभाव डालती हैं।

11. मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता का पता लगाना।

12. राजनीतिक समाजीकरण की स्थिति को ज्ञात करना।

13. सब तरह से यही जानने का लक्ष्य होता है कि मतदाताओं के प्रेरक तत्व क्या है ?

इसी अध्याय में पूर्व में किये गये शोध कार्य की समीक्षा की गई है और अध्ययन पद्धति को स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रियात्मक मुद्दा है एवं मानव स्वभाव और व्यवहार से जुड़ा हुआ है अतः मानव व्यवहार को समझाने के लिए तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक, वैज्ञानिक

और आधुनिक शोध विधि विज्ञान की जितनी भी शोध प्रणालियाँ हैं उन सबका सहयोग लिया गया है अतः इसकी अध्ययन पद्धति एक मिश्रित पद्धति है।

दूसरा अध्याय लोकतंत्र में निर्वाचन उसकी संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन से सम्बन्धित आयोग, चुनाव सुधार तथा आचार संहिता आदि को स्पष्ट किया गया है और यह निष्कर्ष है कि हमारे देश के राजनीतिक विकास में निर्वाचन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

तीसरा अध्याय राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीतिक के ऐतिहासिक परिचय से संबंधित है चूँकि स्वतंत्रता से पूर्व इसमें अनेक देसी रियासतें थीं विभिन्न चरणों में उनका एकीकरण हुआ। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाने लगा और 1 नवम्बर, 1956 से राजस्थान जिस रूप में अब है उस रूप में अस्तित्व में आया और 1952 से होने वाले सामयिक चुनावों के माध्यम से वर्तमान स्थिति तक ही पहुँचा।

चतुर्थ अध्याय कोटा जिले के परिचय से सम्बन्धित है अतः उसकी स्थिति को ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिपेक्ष्य में स्पष्ट किया गया है।

पंचम अध्याय कोटा विधानसभा चुनाव 2003 और इसमें मतदाताओं का मतदान व्यवहार सम्बन्धित है क्योंकि इस चुनाव में एक दल से दूसरे दल के हाथों में सत्ता का हस्तानान्तरण हुआ।

छठे अध्याय में कोटा विधानसभा चुनाव 2008 एवं मतदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। क्योंकि यहाँ आते आते पुनः सत्ता में आने वाला दल बदल गया है।

सप्तम् अध्याय में राजस्थान के संदर्भ में कोटा विधानसभा क्षैत्र में चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन करके मतदान व्यवहार का रूझान एवं दलीय स्वरूप को स्पष्ट किया गया है।

अष्ठम् अध्याय एक तरह से शोध प्रबंध का निचोड़ है जिसमें यही निष्कर्ष सामने आया है कि जनता के प्रेरक तत्व भी अनेक हैं और उनको भ्रमित करने वाले साधनों की भी कोई कमी नहीं है अतः मतदाताओं को समझदारी पूर्वक व्यवहार करके ही आगे बढ़ना

चाहिये ताकि स्थायी स्वरूप और सुदृढ सरकार का निर्माण हो सके। तथा कोटा के इस अध्ययन से जो निर्णायक बिन्दु सामने आये हैं उन पर ध्यान देकर प्रदेश और देश के लोकतंत्र को सुदृढ बनाया जा सके और उसकी सुदृढ़ता और सफलता पर हम गर्व कर सके इसके लिऐ शोधार्थी ने सुझाव भी दिऐ हैं और यह माना है कि इस दृष्टि से शोध सामयिक, प्रासंगिक और लाभकारी है। इससे भावी अध्ययन कर प्रेरणा ले सकते हैं तथा साधारण और प्रबुद्ध मतदाता भी ऐसी जानकारी ले सकते हैं जिससे वे अनभिज्ञ हैं। अतः इस दृष्टि से यह शोध अध्ययन सार्थक सिद्ध होगा और राजनीतिक विज्ञान के साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण योगदान भी।

प्रस्तुत पीएच.डी. शोध–प्रबंध के दौरान शोधार्थी को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा उसके आधार पर शोधार्थी का यह मानना है कि किसी भी कार्य व उसके उद्देश्य और उसकी पूर्णता की प्राप्ति में दो बातें सहायक होती हैं। एक अपना कर्म ओर दूसरा दैविय योजना या अनुग्रह दोनों में किसका महत्त्व अधिक है कहा नहीं जा सकता है, कर्म पर व्यक्ति का अधिकार होता है जो शोधार्थी ने निरन्तर किया है। दैविय अनुग्रह के लिऐ जिससे यह शोध–प्रबंध पूर्ण हो सका उसके लिऐ मैं उस विधाता को नमन करता हूँ जिसकी असीम अनुकम्पा से शोधार्थी द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ।

पीएच.डी. शोध–प्रबंध हेतु जब शोध प्रबंध प्रस्ताव तैयार करने के लिऐ शोध पर्यवेक्षक (Supervisor) निश्चित करने की बात आई तब शोधार्थी ने जिस शोध पर्यवेक्षक के साथ शोध कार्य करने की इच्छा व्यक्त की सौभाग्य से विश्वविद्यालय के द्वारा वही मेरे शोध निर्देशक बनाये गये। परम् आदरणीय डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर मेरे शोध निर्देशक बने मैं उनके प्रति ह्रदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ एवं विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सह्रदय मेरा सहयोग करने की अनुमति दी और उन्हीं के साथ मेंने शोध–प्रबंध पूरा किया मैं उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ और ह्रदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने विषय पर पूर्ण विचार विमर्श किया और शोध करने का कार्य भी आपने अपनी जागरूकता, कर्मठता, साहस, रचनात्मकता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय एवं नई मानवता की गहरी समझ, उच्चतर बौद्धिकता, अन्तर्बोध, ज्ञान के विषय में परिपक्वता, प्राणी मात्र के प्रति करूणा एवं असीम स्नेह के साथ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ मेरा मार्गदर्शन किया और अपनी विशिष्टता का नाम देकर अध्ययन को सही अर्थों में पूर्ण एवं समयावधि

के अन्दर ही प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि निरन्तर साथ बैठकर कार्य किया इस दृष्टि से उनका अतुलनीय मार्गदर्शन, अपनत्व और स्नेहशील सहयोग में अपने जीवन की एक अमूल्य निधि मानता हूँ और एक विशिष्ट उपलब्धि भी इस दृष्टि से मैं सदा आपका ऋणी ही रहूँगा उऋण नहीं हो पाऊँगा। आपसे जो जीवन दृष्टि, विषय की गहरी समझ, विश्लेषण की उत्कृष्ठाता और अवधारणाओं की स्पष्टता जो मैंने प्राप्त की वे सब मेरे भावी जीवन में अविस्मरणीय रहेगी। बौद्ध लामाओं की तरह मैंने हमेशा ही उनको ज्ञान के समुद्र की तरह पाया आपसे ही मेरे ज्ञान का उन्नयन भी हुआ और व्यक्तित्व का विकास भी। यह मेरे लिऐ और मेरे भावी जीवन के लिऐ अत्यन्त उपयोगी साबित होगा।

इस क्रम में मैं परम् आदरणीय डॉ० डी.एस. यादव पूर्व उपाचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्रति हृदय से आभार एवं कृतज्ञता प्रकट करना अपना पवित्र कर्त्तव्य समझता हूँ। जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य को अंतिम परिणाम तक पहुँचाने में अत्यन्त महत्तवपूर्ण सहयोग एवं मार्ग दर्शन प्रदान किया तथा अपना अमूल्य समय प्रदान किया।

चूँकि परिवार जो कि हमारे जीवन और संस्कारों की आधारशिला होती है उसके सदस्यों के सहयोग एवं आर्शिवाद के बिना भी कोई कार्य सफल एवं सार्थक होना असंभव सा होता है। अतः इस क्रम में मैं अपने श्रद्धेय पिता श्री कमरूद्दीन एवं माता श्रीमती जेनब, भ्राता एवं बहिनें व अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके आर्शिवाद, प्रेरणा एवं निरन्तर सहयोग से यह कार्य पूरा कर पाया।

चूँकि मै विवाहित हूँ इस दृष्टि से अपने ससुराल पक्ष एवं अन्य संबंधियों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस अध्ययन के दौरान मेरे शोध के प्रति चाव बनाये रखा और हर संभव सहायता स्वतः ही प्रदान की।

इस क्रम में मैं अपनी पत्नि श्रीमती रेशमा को किसी भी रूप में न ही भुला सकता हूँ और न ही नज़र अन्दाज़ कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर स्थिति में सकारात्मक सहयोग प्रदान किया है। मैं उनका आभार मानता हूँ कि वे मेरे प्रति इतनी समर्पित रहीं। मैं अपनी प्रिय पुत्री उजमा व अति प्रिय पुत्र अयान को भी किसी भी रूप में नहीं भुला सकता

हूँ और उनके प्रति अपना प्रेम सद्भाव और पितृ सुलभ ममता व्यक्त करता हूँ जिनकी बाल सुलभ चेष्टाऐं मुझे ताजा व प्रफुल्लित रखने में सदा ही सहयोगी साबित हुई।

इस क्रम में मैं राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा की विभागाध्यक्ष श्रीमती डॉ॰ रेणु शर्मा एवं मेरे सभी विद्वान साथियों डॉ॰ सरिता शर्मा, डॉ॰ कल्पना शर्मा, डॉ॰ रमा शर्मा, डॉ॰ अकीला आज़ाद, डॉ॰ जया शर्मा, डॉ॰ नरेन्द्र नाथ, डॉ॰ सुनीता गुप्ता, डॉ॰ संध्या गुप्ता, डॉ॰ प्रीतम राज आदि के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं सतत् सहयोग मुझे शोध कार्य में प्राप्त हुआ।

इस क्रम में मैं राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा के अपने अग्रज एवं मित्रों प्रो॰ जागेराम, डॉ॰ एम॰जेड॰ए॰ खान, डॉ॰ राजकुमार गर्ग, डॉ॰ अनिल पारीक एवं डॉ॰ मनोरंजन सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी प्रेरणा एवं सतत् सहयोग मुझे सदैव प्राप्त हुआ है।

इस शोध के दौरान कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का मेरे प्रति जो सहयोगात्मक रूख रहा उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रो॰ श्री पी.के. दशोरा, शोध निदेशक प्रो॰ ओ.पी. ऋषि एवं शोध निदेशालय में कार्यरत श्री चमन तिवारी व अन्य सभी कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उनके सहयोग से निरन्तर मेरा रास्ता सरल होता गया।

प्रस्तुत शोध प्रबंध के लिऐ अध्ययन सामग्री एकत्रित करने की दृष्टि से मैं कोटा के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, के विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के पुस्तकालय प्रभारियों तथा सहयोगी कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

इस शोध प्रबन्ध के कलात्मक एवं त्रुटि रहित मुद्रण कार्य के लिए मैं कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री अरविन्द सक्सेना संचालक चित्रांश ग्राफिक्स, कोटा (राजस्थान) मो॰नं॰ 9461420977 को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी व्यस्तता और व्यक्तिगत कार्यों की

मजबूरी के बाद भी अथक सहयोग प्रदान किया उनके सहयोग से ही अपने शोध–प्रबंध को इच्छित समय में प्रस्तुत करने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।

शोध–प्रबंध में जिन लेखकों, विद्वानों, विचारकों आदि की रचनाओं और कार्यों का जो सहयोग मैंने प्राप्त किया है इसके लिए मैं उन सबके प्रति भी आदर और सम्मान प्रकट करता हूँ सभी विद्धवत जनों को प्रणाम करता हूँ और अंत मैं यह स्वीकार करता हूँ –

Philosophy comes out of questioning Religion, out of non questioning, consciousnes, Logic is the method of Philosphy. and Meditation the method of Religion and Politics is always in search of Ideal State.

इसी के साथ समाप्त करता हूँ कि मैं ज्ञान के प्रकाश में सब तरह से अन्धकार से बाहर आ सकूँ और जब तक जीवन है अंधकार में डूबे प्राणियों को कुछ दिशा देने में समर्थ रह सकूँ।

साभार

गुलाम रसूल खान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
01	प्रमाण पत्र	
02	प्राक्कथन	i –viii
03	अध्याय प्रथम : परिचयात्मक (प्रकृति, उद्देश्य, शोध पद्यति, शोध साहित्य की समीक्षा)	01—35
04	अध्याय द्वितीय : लोकतंत्र में निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार एवं आचार संहिता।	36—70
05	अध्याय तृतीय : राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीति का ऐतिहासिक परिचय।	71—113
06	अध्याय चतुर्थ : कोटा जिले का परिचय ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिपेक्ष्य।	114—133
07	अध्याय पंचम : कोटा विधानसभा चुनाव 2003 एवं मतदाताओं का मतदान व्यवहार।	134—161
08	अध्याय षष्ठम् : कोटा विधानसभा चुनाव 2008 एवं मतदाताओं का मतदान व्यवहार।	162—207
09	अध्याय सप्तम् : कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन, मतदान व्यवहार, रूझान व दलीय स्वरूप।	208—227
10	अध्याय अष्ठम् : समग्र मूल्यांकन।	228—241
11	शोध संक्षिप्तीकरण	242—253
12	संदर्भ ग्रंथ सूची	254—267
13	साक्षात्कार अनुसूची	
14	शोध पत्र	

अध्याय प्रथम

परिचयात्मक

अध्ययन की प्रकृति, उद्देश्य,
शोध पद्यति,
शोध साहित्य की समीक्षा

अध्याय प्रथम

लोकतंत्र का मुख्य आधार चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है इससे यह सिद्ध होता है कि आधुनिक लोकतंत्र गतिशील, निरंतर एवं सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत ही राजनीतिक प्रक्रिया को सम्पन्न करता है ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र को जीवन–दर्शन, जीवन–शैली, आस्था व जीवन के प्रति विश्वास का प्रतीक मान सकते हैं इस प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र में जीवन के आदर्शो एवं मूल्यों का नवीनतम व अनवरत रूप से विकास होता रहता है। इसके माध्यम से नवीन परिवर्तन व रूपान्तरण की स्थिति के माध्यम से लोकतंत्र को सर्वोच्चता की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति जनता की मूल भावनाओं के आधार पर एकीकृत होकर का करती है।

भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को स्वरूप देने व गत्यात्मक बनाने में आम चुनावों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में से समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया को निकाल दिया जाये तो सारी व्यवस्था निर्जीव बनकर रह जायेगी क्योंकि भारतीय मतदाताओं की जीवन–शैली प्रजातंत्र बन चुका है वह थोड़ी सी भी तानाशाही सहन नहीं कर सकते और तुरन्त आगामी चुनावों में इसके विरोध को अभिव्यक्त कर देते हैं मतदाताओं का यह व्यवहार उनकी राजनीतिक परिपक्वता का द्योतक है।

आधुनिक लोकतंत्र की गत्यात्मकता व निरंतरता चुनावों पर निर्भर करती है निर्वाचन रूसों के द्वारा परिभाषित सामान्य इच्छा का परिमापक है। राजनीतिक इच्छा का एक मात्र साकार रूप मतदाता होता है सामान्य इच्छा सभी मतदाताओं की स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शों को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है उन्हें यथार्थता के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का होता है जो निर्वाचन के फलस्वरूप पदासीन

होती है भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें संघात्मक गणतंत्र में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार को स्थापित करने की पहली शर्त होती है।

लोकतंत्र में जनता अपने मत के माध्यम से जो इच्छा प्रकट करती है उसके इस राजनीतिक व्यवहार को ही साधारण अर्थों मे मतदान व्यवहार कहा जाता है। प्रस्तुत शोध राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार से संबंधित है। अतः इसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मतदान व्यवहार क्या है? इसके अध्ययन की प्रकृति क्या है? इस शोध प्रबंध का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? इस शोध से संबंधित किस प्रकार का साहित्य उपलब्ध है? क्यों इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन नहीं हुए हैं या नये अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? इसकी शोध पद्धति क्या है? इसमें किन विभिन्न परिकल्पनाओं को परखने का प्रयास किया गया है? इसमें किन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया है? आदि।

उक्त क्रम में लोकतंत्र में यदि मतदान व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करें तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्रों के पर्याप्त विस्तृत होने के कारण जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग लेना संभव न होने के कारण चुनाव और मतदान व्यवहार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है और ज्यों ज्यों भारत में लोकतंत्र लोक लुभावन नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणाओं से लोकप्रिय हुआ है उसके साथ ही निर्वाचन और मतदान व्यवहार का अध्ययन भी व्यापक समर्थन प्राप्त करने में लगा है अतः एक तरह से इसको समझना लोकतंत्र के आधार को समझना है साधारणतः इसका अभिप्रायः यही है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं और कौनसे तत्व उसे इस संबंध मे निरुत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव से पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी। इस शोध

प्रबंध में मतदान व्यवहार का अध्ययन 2003 और 2008 के चुनाव के बाद ही किया गया है।

20 वीं सदी की यह एक विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया इसके बाद अमेरिका में दो विश्वयुद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्धों के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया और अभी हाल ही के वर्षों में भारत में इस विषय पर प्रचुर मात्रा में साहित्य प्रकाशित हुआ है जो आनुभाविक ओर वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित है।[1]

वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को निर्वाचकों के मतदान व्यवहार के आधार पर ही स्पश्ट करना संभव है इस कारण मतदान आचरण का अध्ययन न केवल भारत मे बल्कि सभी देषो में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय होने लगा हैं इसी लिए जिला स्तर पर यह अध्ययन किया गया है।[2]

वास्तव में मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वो से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वो से प्रभावित होती है। स्वभाविक रुप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाईयाँ भी आती है जैसे : –

1. एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नही होता विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृतियों के लम्बे समय तक अवलोकन के आधार पर ही इस संबंध में किन्ही परिणामों पर पहुँचने की आशा की जा सकती है।

2. भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित शीर्षकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता अतः यह कठिनाई आतीहै कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाये और किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाये।

3. इस संबंध में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है उनमें से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते है वे भी जान बूझकर ठीक–ठीक उत्तर नहीं देते। उनके मन में सदैव ही यह आशंका रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधि है या किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर से उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।

4. कई बार भाषा सम्बन्धी दूसरी कठिनाईयाँ भी सामने आती है जिनको पूर्ण रुप से दूर किया जाना संभव नहीं है। यह तभी दूर हो सकती है जबकि अध्ययनकर्ता लम्बे समय तक किये गये अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले और उस क्षैत्र की राजनीतिक सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो अतः मतदान व्यवहार का अध्ययन बहुत समय धन और परिश्रम की मांग करता है।[3]

इसी कारण जैसा कि डॉ॰ एस॰ एल॰ वर्मा ने माना है कि शोध समस्या या विषय का निर्धारण, प्राकल्पना तथा अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया आसान नहीं है तथा तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार और निश्चित परिणाम तक पहुँचाना भी आसान नहीं है।[4]

वैसे तो विचारधारा और राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता प्राप्ति की लालसा आदि महत्त्वपूर्ण है परन्तु भारत, राजस्थान और कोटा के संबंध में जातिवाद, आर्थिक स्थिति, नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र या प्रदेश में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा, दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियां, क्षेत्रवादी निष्ठाएँ, भाषायी स्थिति, प्रशासनिक सफलता–असफलता, युद्ध में सफलता– असफलता, सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव, किसी आन्दोलन विशेष में दलों की भूमिका, आर्थिक साधन, ज्ञान, जानकारी, राजनीतिक समझ तथा कोई लहर विशेष भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व रहे हैं तथा राजस्थान व कोटा की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है।

सम्पूर्ण भारत के सदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष भी प्रमुख हो जाता है जैसे सोनिया गाँधी और उनके विदेशी मूल का मुद्दा तथा बहुमत प्राप्त

न होने की स्थिति में गठबंधन के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की लालसा आदि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और मतदान का प्रतिशत कम या अधिक हो जाता है।[5]

अनेक बार मतदान व्यवहार इस बात से भी निश्चित होता है की कोई दल कितना बढ़ा है, क्षेत्रिय दलों की क्या स्थिति है? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों का मतदाताओं द्वारा मूल्यांकन करना इसी कारण 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी परन्तु केन्द्र में 2004 में काँग्रेस की सरकार बनी अर्थात् राज्य (क्षेत्र) में भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र में काँग्रेस नीत गठबंधन को सफलता मिली।

इस क्रम में अभय कुमार दुबे की दूसरी पुस्तक का अध्ययन किया जाना भी आवश्यक है जो भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बताती है कि सैद्धांतिक दृष्टि से भारत के लिऐ आदर्श राजनीति क्या है?[6]

इस क्रम में इसी लेखक की दूसरी पुस्तक भारत में राजनीति कल और आज का अध्ययन भी महत्त्वपूर्ण रहेगा।

अतः स्पष्ट है कि मतदान के समय भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होने के कारण यह भी समझना आवश्यक है कि भारत का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह देखना पड़ता है कि किस प्रकार मताधिकार प्राप्त नागरिक अपने शासको के चयन हेतु निर्णय लेते है और निश्चित प्रक्रिया और विधि द्वारा अपने उम्मीदवार की पसंद स्पष्ट करते है इसलिए राजनीति में चुनाव विशेषकर लोकतंत्र में उसकी आत्मा का काम करते है और मतदाता के लिऐ भूमि तैयार करते है जहाँ वह मतदान द्वारा सरकार रूपी पौधे का रोपण कर सके अतः जहाँ लोकतंत्र है वहाँ निर्वाचन अनिवार्य है और उसी से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं व निम्न वर्गो तक किस प्रकार राजनीतिक समझ पहुचती है तथा उनके मतदान व्यवहार औरसहभागिता में प्रतिशत कम या अधिक होता रहता है इसलिए राजनीतिक दलों का और निर्वाचनों का भी विधिवत स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि दल ही वर्तमान में लोकतंत्र की जीवन रेखा है इसी कारण अनेक बार लोकतंत्र को दलीय तंत्र भी कहा

जाता है अतः निर्वाचन और मतदान व्यवहार का वास्तविक अध्ययन होना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया गया है कि मतदान व्यवहार का आशय क्या है और इसमें जो भी दुविधाऐं है उनको कैसे दूर किया जा सकता है।

मतदान व्यवहार पर अनेक देशों की राजनीति में अनेक प्रकार के अध्ययन किये गये है प्रो॰ एलन बॉल ने इस व्यवहार और तत्सम्बंधी अध्ययनों के अधिकार पर मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का आंकलन प्रस्तुत किया है उनके मत को मतदान व्यवहार के संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे–राजनीतिक पद्धति में चुनावों की जटिल तथा संश्लिष्ट भूमिका को निर्वाचन समूहों के मतदान आचरण के परीक्षण से समझा जाता है।

शास्त्रीय उदारवादी दृष्टि से देखा जाये तो बुद्धि से काम लेने वाले किसी निर्वाचक को आर्थिक हितों की दृष्टि से तथा जिसे वह राष्ट्रीय हित मानता है उसके आधार पर अथवा अपने विश्वास के अनुसार अपने राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए तथा उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियोगी कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करना पड़ता है इसके विपरीत मुख्य रुप से ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गये शोध कार्य से यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि निर्वाचक के मत प्रयोग पर नीति सम्बंधी मुद्दो का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतदाता दल निष्ठाएँ अपने परिवार से विरासत में पाते है निष्ठाएँ सामाजिक वर्ग जैसे घटकों से निर्धारित होती है इससे संदेह होता है कि क्या निर्वाचकों में परम्परागत परिभाषिक शब्दावली के अनुसार वामपंथी एवं दक्षिण पंथी दलों के बीच भेद स्पष्ट करने की समझ होती है।

ब्रिटेन में किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि निर्वाचकों में किसी दल की नितियों के बारे में ज्ञान और उनको स्वीकृति देने का स्तर निम्न कोटी का होता है सर्वेक्षण करने वाले विद्वानों ने मूल्यांकन किया है कि निर्वाचक समूहो में से केवल 10 प्रतिशत ने ही नीति सम्बंधी मुद्दों के आधार पर मतदान किया।

दलीय निष्ठा के संदर्भ में मतदान आचरण की अधिक सफलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह निष्ठा सामाजिक वर्ग और धर्म इत्यादि कई घटकों से निर्धारित होती है सामाजिक वर्ग चुनाव सम्बंधी आचरण में एक स्पष्ट कारक होता है। इस सम्बंध

में पीटर कुल्जर ने दृढता पूर्वक दावा किया है कि ब्रिटिश दलीय राजनीति का आधार वर्ग है बाकी सब कुछ मात्र दिखावा है अमेरिकी चुनाव में पश्चिमी यूरोप की तुलना में सामाजिक वर्ग का महत्व कम है। तथा कम आमदनी वाले लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की प्रवृति अधिक होती है।

यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक वर्ग को परिभाषित करने में कठिनाई आती है। व्यवसाय (धंधा), आमदनी और शिक्षा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण मापदण्ड़ होता है। लेकिन निर्वाचकों की चुनावी प्राथमिकता और वर्ग को एक विश्वसनीय पथ प्रदर्शक मानने के लिए हमें बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनों को दृष्टि में रखना चाहिए, साथ ही मतदान में वर्ग प्रतिरुप से होने वाली भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ब्रिटेन में मतदान आचरण में सामाजिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो भी अनुदारवादी दल के चुनावी समर्थन का आधा भाग मजदूर वर्ग के मतदाताओं से प्राप्त होता है।

निर्वाचकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी निम्न होती है वह निर्वाचक उतना ही उन दलों की ओर झुकता है जो क्रांति और परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध होते है। अतः यह तथ्य उदारवादी प्रजातंत्रों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले मतदाताओं को Social Democratic तथा कम्युनिस्ट पार्टी जैसे अपेक्षाकृत साधनहीन दलों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।

कुछ राजनीति पद्धतियों में धार्मिक सहसम्बंध तथा प्रजाति जैसी बातें मतदान आचरण के अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक के रूप में होती है जैसे उत्तरी–आयरलेण्ड़ में यूनियनिस्ट पार्टी सामाजिक वर्गों की ओर ध्यान दिये बिना ही प्रोटेस्टेट मतों का भारी बहुमत जीत लेती है। अमेरिकी सहजातीय अल्प– संख्यकों में डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन देने की प्रवृति है और कनाड़ा, बेल्जियम तथा दक्षिण अफ्रिका में मतदान अधिकांशतः धार्मिक सहजातीय विभाजनों पर आधारित होता हैं।

मतदान प्रतिरूपों में लिंगभेद (Sex) की तरह उम्र को प्रभावित करने वाले कारक उम्र के अंकन में कठिनाई पैदा करते हैं सिर्फ यह बात ही नहीं है कि ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं में अनुदारवादी दलों को अपना मत देने की प्रवृति होती है यह भी सत्य है कि उम्र उस ऐतिहासिक अवधि को प्रतिबिम्बित करती है जिसमें उस निर्वाचक की मतदान

करने की आदतें बन रही होती है यह भी एक तथ्य है कि उम्र का किसी दल के लिए उस निर्वाचक के लगाव की अपेक्षा कम असर पड़ता है और जैसे–जैसे यह उम्र बढ़ती जाती है यह लगाव और मजबूत होता जाता है।

इन महत्वपूर्ण कारकों के अतिरिक्त चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक सहायक और गोण कारक हो सकते है वास्तविकता यह है कि मतदान आचरण स्थिर नहीं होता यह समय परिस्थिति और मनोदशा के अनुसार बदलता रहता है।

चूँकि अध्ययन का क्षेत्र भारत के राजस्थान राज्य का कोटा विधानसभा क्षेत्र है फिर भी भारत में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को जो परिस्थितियाँ प्रभावित करती है उनको भी निम्नानुसार समझा जा सकता है –

(1) भारत में जातिवाद का तथ्य सभी राज्यों में प्रभावी है परन्तु बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा केरल में इसका प्रभाव अधिक है मतदान व्यवहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव उन जातियों में अधिक पाया जाता है जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुसंख्यक है और जो अपने मतों के बल पर अपनी जाति के उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है जनवरी 1980 के लोक सभा चुनाव में अनेक बड़े दलों द्वारा जातीय आधार पर अनेक उम्मीदवार खड़े किये गये 1984, 1989 व 1991 के संसदीय चुनावो में भी यह प्रवृति देखने को मिली 1996 के चुनावो में तो यह स्थिति निर्णायक सी लगी और उसके बाद ऐसी ही प्रवृति अभी तक देखने में आती है।

(2) लोगों की आर्थिक स्थिति मतदान को प्रभावित करती है प्रवृत्ति यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उसके विरुद्ध जाता है जहाँ तक भारत का प्रश्न है अभी भी यह एक कृषि प्रधान देश है इसलिए शासक दल की चेष्टा

रहती है कि चुनाव अच्छी उपज के वर्ष में हो, जनवरी 1980 के लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी की पराजय का मुख्य कारण यह था कि लोग आर्थिक कठिनाइयों से परेशान हो चुके थे और मोरारजी देसाई तथा चौधरी चरणसिंह के समय देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई थी मतदाताओं को विश्वास था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी देश को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दुश्चक्र के भंवर से निकाल सकती है अतः 1980 के चुनावों में इंदिरा गाँधी को ही सफलता मिली तथा दिसम्बर 1984 के चुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस (ई) को इसलिए सत्तारुढ़ किया कि वे केन्द्र में शक्तिशाली और स्थिर सरकार के पक्ष में थे। 1989 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं देने का कारण आर्थिक परेशानियाँ थी, 1991 के चुनावों में आर्थिक मुद्दे तो नगण्य थे परन्तु स्थिति कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस कमजोर हो रही थी परन्तु फिर भी कांग्रेस ने सरकार बनाई परन्तु इसके बाद तो कांग्रेस कभी अपने बूते पर अपनी सरकार नहीं बना पायी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विविधता के पक्षधर गठबंधन सरकारों को ही महत्व देने लगे है।

(3) सत्तारुढ दल के आचरण एवं क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है चुनावों के समय सत्तारुढ दल यदि जनहित के कार्यो में अधिक रुचि लेता है लोगो की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की उचित व्यवस्था करता है और शांति व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में ही होता है मार्च 1977 के लोक सभा चुनाव के समय सत्तारुढ कांग्रेस की अथवा कांग्रेस सरकार की आपातकालीन ज्यादतियों से लोग परेशान हो चुके थे, अतः मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन के सिंहासन से दूर कर दिया। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों में शासक दल के क्रियाकलाप जनता को संतोष देने वाले नहीं थे अतः जनता पार्टी व लोकदल को सत्ता से हटना पड़ा 1989 में कांग्रेस की पराजय में बोफोर्स तोप जैसे मुद्दों का हाथ रहा, 1991 के चुनावों में मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी सरकारों की असफलताओं से नाराज होकर

कांग्रेस (आई) को सत्तारुढ़ किया 1996 के चुनाव अधिक जटिल और बहुआयामी दिखाई दिये तथा उसके बाद का परिदृश्य और भी भिन्न दिखाई दिया।

(4) मतदान को प्रभावित करने वाला एक प्रधान तत्व नेतृत्व है भारत में तो इस तत्व के आधार पर देश के अब तक के चुनावों की व्याख्या की जा सकती है प्रथम तीन आम चुनावों (1952, 1957 व 1962) मे मुख्यतः पण्डित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी को मत मिले, चौथे आम चुनावों में कांग्रेस की आंशिक पराजय इसलिए हुई कि कॉंग्रेस के पास पं॰ नेहरू जैसा कोई चमत्कारिक नेता नहीं था, 1971–72 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गॉंधी के आकर्षक एवं विलक्षण नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को कॉंग्रेस के पक्ष में किया तो 1977 में कॉंग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कुछ अरूचिकर कार्यों के कारण श्रीमती इंदिरा गॉंधी के व्यक्तित्व की छवि धूमिल हो चुकी थी बाद के समय सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व आपसी लड़ाई का शिकार रहा और जनता में अपना आकर्षण खो बैठा इसी बीच राजनीतिक कौशल, साहस और अपनी विलक्षण राजनीति के बल पर श्रीमती इंदिरा गॉंधी ने भारतीय जनता में अपनी खोई छवि को पुनः परिष्कृत किया और जनवरी 1980 में मुख्यतः श्रीमती इंदिरा गॉंधी के नेतृत्व के कारण कॉंग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ। दिसम्बर 1984 के चुनाव में राजीव गॉंधी के व्यक्तित्व से मतदाता प्रभावित हुए परन्तु 1989 में बोफोर्स दलाली के मामले में राजीव गॉंधी का व्यक्तित्व धूमिल हो गया और कॉंग्रेस पराजित हो गई। तब वी॰पी॰ सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, मई 1991 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व या व्यक्तित्व का कहीं देशव्यापी प्रभाव दिखाई नहीं दिया हाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ संभलती हुई अवश्य दिखाई दी और इसकी संभलती हुई स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही फिर भी 1991 में कॉंग्रेस (आई) की विजय में राजीव गॉंधी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई सहानुभूति लहर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 1998–99 के लोकसभा चुनाव में श्री अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व

के कारण बी.जे.पी. सरकार बना पाई तथा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व प्रभावी रहा।

(5) भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वे केन्द्र में ऐसी सरकार चाहते है जो स्थाई और सक्षम हो एक इकाई की भाँति काम कर सके, देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हुए उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर सके, 1977 के पूर्व तक के चुनावों में काँग्रेस के पक्ष में मतदान का यही एक प्रमुख कारण रहा कि मतदाताओं को विश्वास था कि देश में शासन संभालनें योग्य दल केवल काँग्रेस है और इस दल के पास सुयोग्य नेतृत्व है, जबकि विपक्षी दल आपसी फूट के शिकार हैं और काँग्रेस की तुलना में उनके पास सुयोग्य नेतृत्व नहीं है। जब 1977 में कुछ प्रमुख विरोधी दल जनता पार्टी के रूप में संयुक्त हो गये तो मतदाताओं को आशा बंधी कि काँग्रेस का शक्तिशाली विकल्प मौजूद है और उसे अवसर देना चाहिए, भारतीय जनता को कुछ ऐसा विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थाई और कुशल शासन दे सकती है। जनता पार्टी को सत्ता प्रदान की गई लेकिन जब जनता पार्टी की आपसी फूट, अक्षम नेतृत्व और वयोवृद्ध नेताओं के कारण यह पार्टी बिखर गई तो देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता छा गई तो मतदाताओं ने काँग्रेस को पुनः सत्ता में ला दिया, 1991 के लोकसभा चुनावों में सभी दलों के घोषणा–पत्रों में स्थायी सरकार का वादा किया गया मतदाताओं ने केन्द्र में स्थिर सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से ही काँग्रेस (आई) को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया संघवाद और राज्यों की अधिकार स्थिति को देखते हुए 1996 व उसके बाद के चुनावों में राजनीतिक स्थिरता पर पुनः प्रश्न चिह्न लग गया उसके बाद तो कुछ ऐसा ही कहा जाने लगा कि गठबंधन सरकारें भी स्थिर और स्थायी हो सकती है और देश का वास्तविक प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व भी कर सकती हैं, यह स्थिति 1999 से वर्तमान तक निरंतर देखी जा सकती है।

(6) युद्ध की सफलता–असफलता मतदान व्यवहार को गंभीर रुप से प्रभावित करती है 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय को मतदाता भूले नहीं और इस कारण 1967 के चुनावों में काँग्रेस पार्टी के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा 1971 में काँग्रेस सरकार की मौद्रिक असफलता ने 1972 के विधानसभायी चुनावों में काँग्रेस की सफलता को असंदिग्ध बना दिया था।

(7) भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद मतदान को प्रभावित करता रहा है जैसे कई अवसरों पर पंजाब में अकाली दल ने, तमिलनाडू में डी॰एम॰के॰ और ए॰आई॰ डी॰एम॰के॰, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी और वर्तमान में तृणमूल काँग्रेस तथा महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदि क्षेत्रवाद के आधार पर सफलता प्राप्त करते रहे है दक्षिण और उत्तर के राज्यों में यह प्रवृति स्पष्ट देखी जा सकती है।

(8) यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग अधिक राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रमों व नीतियों से प्रभावित होता है चुनाव से पूर्व विविध दलों के जो घोषणापत्र प्रकाशित होते है वे प्रायः जनसाधारण के समझने की वस्तु न होकर केवल पढ़े लिखे व प्रबुद्ध वर्ग के समझने की वस्तु होते है जैसे–विभिन्न दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित समाजवादी समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व समाज के प्रति आस्था, गाँधीवादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता, अर्थतंत्र व शासन का विकेन्द्रीकरण एवं अन्त्योदय जैसी शब्दावलियाँ या अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी संतान के सुरक्षित भविष्य के लिए ---------- दल को मत दीजिए, इस शब्दावली को प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समझ सकते है, इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि दलों की विचारधारा, नीति व उनके कार्यक्रम अधिकतम प्रबुद्ध वर्ग के मतदान व्यवहार को ही प्रभावित करते है तथा उनका प्रभाव जन साधरण के मतदान पर कोई खास नहीं पड़ता।

(9) भारत में भाषा का तत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है जैसे 1967 व 1981 के चुनावों में डी॰एम॰के॰ को जो भारी समर्थन मिला उसके मूल में हिंदी भाषा का विरोध था तथा वर्ष 1977 के लोकसभायी चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का एक मुख्य कारण यह रहा कि दक्षिण भारत के मतदाता जनता पार्टी की भाषा नीति के सम्बंध में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और उन्हें आशंका थी की कहीं उन पर हिन्दी थोपने का प्रयत्न नहीं किया जाये।

(10) मतदान व्यवहार पर सामंतशाही व्यवस्था का अथवा राजा–महाराजा और जागीरदारों का प्रभाव लम्बे अरसे तक रहा किन्तु अब यह क्रमशः कम होता जा रहा है जैसे वर्ष 1989 के लोकसभा चुनावों में जयपुर जैसे क्षेत्र से भूतपूर्व महाराजा भवानी सिंह काँग्रेस (आई) भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव से पराजित हो गये, वर्ष 1991 के संसदीय चुनावों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई दी और उसके बाद की सच्चाई तो यह है कि यह प्रवृत्ति लगभग समाप्त होती जा रही है।

(11) विभिन्न राजनीतिक दलों के अतीत के क्रियाकलाप मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है जैसे काँग्रेस को पहले तीन आम चुनावों में अधिक मत प्राप्ति का एक मुख्य कारण यह रहा कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा भारतीय जनसंघ को मतदान में एक मुख्य बाधा इस बात से रही कि उसकी नीति अखण्ड़ भारत की थी।

(12) आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है जनवरी 1980 के चुनावों में इंदिरा काँग्रेस को अधिक मतदान का एक कारण यह रहा कि यह दल विपक्ष की तुलना में अधिक साधन सम्पन्न था तथा सुसंगठित एवं व्यापक स्तर पर अपना चुनाव अभियान चला सकता था यहाँ यह टिप्पणी की जा सकती है कि कई बार आर्थिक साधन सम्पन्नता चुनावों को निर्णायक रुप से प्रभावित नहीं कर पाती, जैसे वर्ष 1977 में हुआ तथा वर्ष 1989 में भी काँग्रेस (आई) द्वारा चुनावों में भारी मात्रा में आर्थिक साधन

झोंकने के बाद भी पराजय का सामना करना पड़ा, अतः यह माना जा सकता है कि आर्थिक साधनों के होते हुए भी स्थिति कभी भी बदल सकती है।

(13) कौनसा राजनीतिक दल अथवा कौनसा प्रत्याशी चुनाव में विजयी होगा इसकी सम्भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1977 के चुनावों में काँग्रेस के विरुद्ध जनता लहर छा गई और जिसके पक्ष में चुनाव लहर चल रही हो उसको लोग मत देते हैं। ताकि उनका मत व्यर्थ न जाये। एक दल के पक्ष में लहर दूसरे दल के विरुद्ध एक प्रकार से एकतरफा है। 1980 व 1984 में काँग्रेस लहर ने चुनावों में विपक्षी दलों का सफाया कर दिया। 1989 में काँग्रेस (आई) के विरूद्ध चली जनता लहर ने उसे सत्ता से वंचित कर दिया। 1991 के चुनावों में दक्षिण भारत में काँग्रेस (आई) ने पक्ष में चलने वाली लहर ने इस दल को भारी विजय दिलाई। लहर में जो मतदान होता है उसे विभिन्न पर्यवेक्षक पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं और समय के साथ यह स्थिति सभी दलों के लिए अनुपयोगी बन चुकी है। राजनीतिक क्षेत्रों में यह भ्रामक धारणा भी रही है कि भारत की जनता अशिक्षा, गरीबी, जातिगत द्वेष, धर्मान्धता आदि की शिकार है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग विवेक के साथ नहीं कर पाती है। परन्तु इस धारणा की विभिन्न चुनावों में हुए मतदान से पुष्टि नहीं होती है क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर जनता ने अनुशासनप्रियता प्रदर्शित की है और अपने मताधिकार की कीमत भी समझी है।

मतदान व्यवहार से पिछले 30 वर्षो में जो परिणाम सामने आये हैं उनमें त्रिशंकु संसदों का जन्म हुआ है, छोटे गुटों की सामूहिक शक्ति में भारी वृद्धि हुई है अल्पमतीय एवं मिलीजुली सरकारें बनी हैं और राजनीतिक अस्थिरता के दौर को देखना पड़ा है यह दौर विशेषकर 90 के दशक में देखा गया है और जो भी नेतृत्व रहा उसे किसी तरह सहमति के पुल बाँधने हेतु निरंतर जूझना पड़ा, वर्ष 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व को स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला सन् 2004 में सोनिया गाँधी का विदेशी मूल का मुद्दा कोई खास नहीं रहा और काँग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी

और धीरे–धीरे स्थिरता को बढ़ावा मिला इसीलिए सन् 2009 में 15 वीं लोकसभा के मतदान परिणामों के बाद यह कहा गया कि यह स्थिरता के लिए जनादेश है 16 वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में जनादेश श्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में गया इसको सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हाशिए पर पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूकने का कार्य किया जाये।

यह भी देखने में आया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लुभावने नारे भी दिये जाते हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद "इंदिरा गाँधी की याद में राजीव गाँधी के साथ में" का नारा दिया गया। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में एन॰डी॰ए॰ के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले है का नारा दिया। इस प्रकार भारत में मतदान व्यवहार पर सरसरी नज़र ड़ालने से यही स्पष्ट होता है कि यहाँ कुल मिलाकर मतदान व्यवहार के विषय में निश्चित प्रवृत्तियाँ खोजना एक व्यावहारिक स्थिति नहीं है। प्रतिवर्ष देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि संरक्षण का यह प्रश्न मतदान को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मतदान के सभी समीकरण कुछ वर्ष भी नहीं चल पाते और कोई भी दल अपने एकाधिकार का दावा भी नहीं कर सकता। पंचायतीराज, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने निर्वाचन चुनावी राजनीति को झकझोरा है और ऐसी स्थिति में भारतीयों का मतदान व्यवहार किसी एक ढर्रे या भविष्यवाणी के योग्य नहीं कहा जा सकता।

उक्त विश्लेषण से इस अध्ययन की जो प्रकृति उभरती है उसके आधार पर निम्न बातें स्वीकार की जा सकती हैं –

1. यह अध्ययन आधुनिक शोध विधि विज्ञान की सर्वे प्रणाली का परिचायक है।
2. यह मुख्य रूप से अनुभवात्मक अध्ययन है।
3. यह तार्किक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है।
4. यह संस्थागत व व्यवहारगत प्रक्रियाओं पर आधारित अध्ययन है।

5. यह ऐतिहासिक व तुलनात्मक अध्ययन है।

6. यह अध्ययन राजनीतिक घटना क्रम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच एक आदर्श आचार संहिता ढूँढने का प्रयास है।

7. यह अध्ययन मतदान व्यवहार को लेकर जो भ्रांतियाँ एवं प्रश्न उत्पन्न होंते हैं उनके उत्तर तलाशने का प्रयास है।

प्रस्तुत शोध के उक्त परिचय के आधार पर इससे सम्बन्धित कुछ उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. यह जानकारी प्राप्त करना कि क्या मतदाता मतदान से पूर्व आपस में प्रत्याशियों की दलीय स्थिति, व्यक्तिगत चरित्र एवं जनसेवा के प्रति निष्ठा आदि पर चर्चा करते हैं।

2. चूँकि प्रस्तुत अध्ययन भारतीय राजनीति में कोटा जिले के विशेष संदर्भ में मतदान व्यवहार पर केन्द्रित है। अतः यह ज्ञात करना कि क्या महिला आरक्षण एक विवाद का विषय बना हुआ है? मतदाता के इस सम्बन्ध में क्या विचार है? क्या मतदाता महिला प्रत्याशियों को पुरूष प्रत्याशियों पर प्राथमिकता देते हैं?

3. यह जानकारी प्राप्त करना कि मतदाता मतदान के दौरान प्रत्याशी से व्यक्तिगत, जातिगत, सामाजिक अथवा अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा रखते हैं?

4 यह ज्ञात करना कि चुनावों के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं की अपेक्षाऐं पूर्ण नहीं किये जाने पर अगले चुनाव में वे उनके प्रति कैसी प्रतिक्रियाऐं व्यक्त करते हैं?

5 यह ज्ञात करना कि मतदाताओं की दल विशेष के साथ संलग्नता या निरपेक्षता उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

6 यह ज्ञात करना कि मतदाता प्रत्याशी विशेष के लिए स्वंय भी प्रचार कर उसके पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं?

7 यह ज्ञात करना कि क्या वैश्वीकरण के गुण दोष और उनके भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव का ज्ञान मतदाताओं को है? यदि है तो वे अपने प्रत्याशी से इस संबंध में क्या अपेक्षा रखते हैं?

8 यह जानना भी इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है कि मतदाता की राजनीतिक जागरूकता कितनी है।

9 इसके अतिरिक्त भी इनसे सम्बद्ध अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास प्रस्तुत शोध में किया गया है। सम्पूर्ण प्रयास यही है कि यह जान लिया जाये कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला वास्तविक सूत्र कौन सा है।

इसी क्रम में कुछ प्रकल्पनायें निर्धारित की गयी जिनका सत्यापन प्रस्तुत शोध कार्य में किया गया है –

1. क्या कोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र का मतदान व्यवहार वहाँ के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिपेक्ष्य से निर्धारित होता है?
2. कोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में क्या किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष जैसे – जनजातियों, युवाओं व महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है?
3. क्या कोटा विधानसभा मतदान क्षेत्र में कृषक और मजदूर प्रभावी दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं?
4. विभिन्न निर्वाचनों में एक ही मतदाता का व्यवहार कैसे बदल जाता है?
5. किस तरह मतदाता अलग–अलग स्तर पर अलग–अलग मतदान का निर्णय लेता है?

6. सत्ता परिवर्तन की लहर ने कोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अथवा स्थानीय निकायों के चुनावों को ही प्रभावित किया है या समग्र चुनावों को।

7. वस्तुस्थिति यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान केवल घटनाओं का अवलोकन या तथ्यों को एकत्रित करने से प्राप्त नहीं होता इसके लिए परिकल्पना, उपकल्पना या प्रकल्पना का सहारा लिया जाता है। इसमें जो कुछ भी होता है वह समस्याओं के अनुमानित समाधान या प्रश्नों के संभावित उत्तर होते हैं। जिसका बाद में विधिवत जाँच, विश्लेषण या परीक्षण किया जाता है।

वास्तव में अनुमान, प्रस्ताव करना, अपने सुझाव बताना, विचार, चिन्तन, अन्तर्दृष्टि और यदि कुछ ना कुछ आरम्भिक ज्ञान या सामान्य अनुभव भी नहीं हो तो शोध कार्य या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरूआत नहीं की जा सकती है। किसी भी समस्या के प्रतीत होते ही व्यक्ति का सामान्य अनुमान कुछ ना कुछ समाधान लेकर सामने आ जाता है। यह अनुमान ही प्रकल्पना कहलाता है। और अनुसंधान का आरम्भ बिन्दु या मार्ग –दर्शक, सहारा, दिशा सूचक आदि बन जाता है। इसी के आलोक/ प्रकाश के तथ्यों को एकत्रित किया जाता है एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रकल्पना के द्वारा शोधार्थी स्वेच्छा से अपने साधनों एवं क्षेत्र की सीमा को स्वीकार कर लेता है और समस्या के विशिष्ट पक्षों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करता है।[7]

वस्तुतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना का अर्थ समझने का प्रयास करें तो स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि Hypothesis शब्द ग्रीक भाषा के Hypo व Thesis शब्द से बना है Hypo का अर्थ नीचे तथा Thesis का अर्थ सिद्धान्त या मन्तव्य होता है अर्थात् परिकल्पना का अर्थ सिद्धान्त या सोच विचार कर निकाले गये निष्कर्ष, पूर्व की बात, सुझाव या प्रस्ताव होता है। अतः यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकल्पना किसी समस्या के समाधान के विषय में एक अग्रिम विचार है जो एक तरह से ऐसा प्रस्ताव है जिसकी जाँच करना बाकी है अर्थात् यह अस्थायी सामान्यीकरण है जिसकी प्रमाणिकता की जाँच करना शेष है। यह प्राकल्पनायें अनेक प्रकार की होती हैं। परन्तु

साधारण शब्दों में यही कहा जा सकता है कि प्राकल्पनायें निम्न कार्यों से जुड़ी होती है –

1. अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को स्पष्ट करना।
2. अनुसंधान को गति प्रदान करना।
3. अनुसंधान की विभिन्न व्यवस्थाओं को आधार प्रदान करते हुए निर्देशित करना।
4. प्रयोगात्मक विधियों के मूल्यांकन को कसौटियाँ प्रदान करना।
5. सिद्धान्त निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करना।
6. किसी पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने में सहायता करना।

अतः हम यह मान सकते हैं कि प्राकल्पना शोध के मार्ग दर्शन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तत्व है। लेकिन यह आवश्यक है कि सावधानी से ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए मतदान व्यवहार जो कोटा से सम्बन्धित है इसके लिए जो प्राक्कलनायें निर्धारित की गई हैं उनका सत्यापन ही प्रस्तुत शोध में किया गया है।

अध्ययन की उपयोगिता/औचित्य और महत्व –

यह स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र निरन्तर विकास और सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर है। मतदाताओं के परिपक्व निर्णय ने प्रत्येक आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति को नये आयाम प्रदान किये गये हैं।

प्रस्तुत शोध का महत्त्व यह है कि मतदाताओं के इस परिपक्व निर्णय के पीछे प्रच्छन्न उन कारकों का रहस्योद्घाटन करना है जिससे मतदाता गरीब एवं अशिक्षित होते हुए भी अच्छे–अच्छे चुनाव विश्लेषकों के आंकलन को गलत साबित कर देते हैं। कोटा को आधार मानकर यह जो अध्ययन किया गया है यह भावी शोध के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि यह कोटा के चुनाव क्षेत्र के चुनाव विश्लेषण को किसी एक कारक से नहीं आंकता बल्कि सतह के ऊपर और सतह के नीचे चल रही हलचलों पर भी निगाहें

रखता है और श्रंखला बद्ध कारकों के रुप में चुनाव क्षेत्र के मतदान व्यवहार को परिलक्षित करता है।

प्रस्तुत शोध इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह एक ही मतदाता के विभिन्न रुझानों की ओर भिन्न–भिन्न मतदान व्यवहार की गुत्थी को सुलझाने का हल प्रस्तुत करता है। अतः माना जा सकता है कि यह अध्ययन शिक्षित वर्ग, आमजन, विशेषज्ञों, राजनीतिक विश्लेषकों, राजनेताओं, नौकरशाहों सभी के लिए उपयोगी है और सभी को भावी मार्गदर्शन देने में इसका औचित्य है। क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन कोटा क्षेत्र के लिए प्रायः न के बराबर ही किये गये है।

'kks/k i)fr@izfof/k &

प्रस्तुत शोध आधुनिक शोध विधि विज्ञान की सर्वे अनुसंधान विधि पर आधारित है। वास्तव में अनुसंधान ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से की गई सावधानी पूर्ण तथा सर्वांगीण खोज है। यह किसी समस्या के सामान्य सिद्धान्तों की खोज हेतु किया गया वस्तुनिष्ठ प्रयास है। अतः इसे किसी भी समस्या के समाधान के लिए की गई व्यवस्थित जांच के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह जाँच एकत्रित सूचनाओं पर आधारित होती है। अनुसंधान की जो पद्धति है वह एक तरह से परिश्रमपूर्ण खोज है। यह ज्ञान की वृद्धि सत्यता एवं प्रमाणिकता के सामान्यीकरण के उद्देश्य से किया गया दक्षता पूर्ण कार्य है।

दूसरे शब्दों में सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन तथा प्राचीन तथ्यों की जाँच करना और उनकी क्रमबद्धताओं व उनके अन्तः सम्बन्धों की व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।

वास्तव में सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसमें तर्क प्रधान तथा क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। इससे कार्य–कारण का सम्बन्ध स्थापित होता है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है यह सामाजिक घटना या व्यवहार से सम्बन्धित रहता है यह मनुष्यों के व्यवहार एवं विभिन्न परिस्थितियों में उनकी मनोवृत्तियों एवं आदतों का बोध कराता है।

विभिन्न अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भौतिक घटनाओं की भाँति सामाजिक घटनाऐं भी निश्चित होती हैं और निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती हैं और इन सबमें सूक्ष्म छानबीन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।[8]

चूँकि आजकल वैज्ञानिक पद्धति का विशेष आग्रह रहता है और सभी विधाओं में यह प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि उसे विज्ञान का दर्जा कैसे मिले ? ऐसी स्थिति में को अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक शोध विधि विज्ञान के सभी तरीकों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे पर्यवेक्षण, वर्णमापन, स्वीकृति या अस्वीकृति, आगमनात्मक समीकरण, व्याख्या, तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण, परीक्षण व जाँच पूर्व कथन अधिस्वीकृति आदि।

संक्षेप में वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की किसी भी ईकाई को लिया जा सकता है और प्रारम्भ में उसके बारे में यह कामचलाऊ प्राक्कलन कर ली जाती है। उसके बाद उस ईकाई के तथ्यों का अवलोकन करके आँकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं। आँकड़ों की परिकल्पना को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करके उनके आधार पर समान्यीकरण किये जाते हैं। अगर अनेक ईकाईयों का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन संभव हो तो उसके आधार पर सिद्धाँत बनाये जाते हैं और भविष्यवाणी की जा सकती है।[9]

प्रस्तुत शोध में ऊपर बताये गये सभी आयामों का प्रयोग किया गया है कोटा के मतदाताओं के मतदान व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ग के मतदाताओं मे से सोद्देश्य प्रणाली द्वारा मतदाताओं का चयन किया गया है और एक पूर्व निर्धारित प्रश्नावली/अनुसूचीद्वारा मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं को सारणीबद्ध कर विश्लेषित किया गया है। जहाँ कहीं आवश्यकता हुई प्रमुख नेताओं से साक्षात्कार करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। सामग्री संकलन का यही प्राथमिक स्त्रोत रहा है।

द्वितीयक स्त्रोत में आँकड़े, सहायक सामग्री, उपलब्ध साहित्य का अनुसंधान, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, चुनाव परिणाम विश्लेषण, समाचार पत्रों के सम्पादकीय अन्य लेखों पुस्तकों, हेण्ड बिल, चुनाव घोषणा पत्रों इत्यादि का अध्ययन कर द्वितीयक आँकड़ों की मदद से शोध प्रबन्ध को मजबूत रूप में प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

चूँकि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भारत के राजस्थान राज्य की कोटा विधानसभा से सम्बन्ध रखता है और यह भारत की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ के राजनीतिक दलों की राजनीतिक प्रक्रिया, दलों के व्यवहार में आपसी उतार–चढ़ाव एवं उनकी बदलती हुई निष्ठाओं आदि से सम्बन्धित है। अतः इसमें किसी एक शोध पद्धति को अपनाने के स्थान पर अनेक पद्धतियों का सहारा लिया गया है। अतः व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि –

1. यह अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है।

2. इसमें काल विशेष का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

3. यह एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

4. यह व्यावहारिक अध्ययन है अतः यथार्थवादी पद्धति की इसमें प्रमुखता है। परन्तु आदर्श मतदान व्यवहार खोजने का भी प्रयास किया गया है और जब तक यह प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक व्यावहारिक स्थिति क्या रहेगी इसे चिन्हित करने का प्रयास किया गया है।

5. अध्ययन पद्धति के माध्यम से ही समीक्षात्मक आधार पर मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

6. प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त उत्तरों के माध्यम से विश्वसनीयता लाने का प्रयास किया गया है।

इस तरह यह शोध अनेक पद्धतियों को अपने में समाये हुए है। इस शोध के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि छोटे और स्थानीय स्तर पर जो निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं वे व्यापक स्तर पर भी स्वीकार्य हो सकते हैं।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा –

सम्बन्धित साहित्य का उल्लेख और उसकी समीक्षा इस शोध का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यदि सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा के बिना शोध कार्य किया जाये तो इससे सम्पूर्ण शोध प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है।

सम्बन्धित साहित्य में प्रलेख, लेख, पत्र, पुस्तकों, प्रतिवेदन, विषय से सम्बन्धित शोध ग्रंथ आदि का अध्ययन किया गया है इससे विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है और शोध कार्य की कठिनाइयों को समझने में सहायता मिलती है। इससे यह भी लाभ होता है कि किये गये शोध कार्य को पुनः दोहराने की भूल से छुटकारा मिल जाता है और शोध कार्य को सही दिशा में ले जाने में सहायता मिलती है।

श्रीमती यंग के अनुसार सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से निम्न लाभ मिलते है –

1. शोधकर्ता को अध्ययन विषय के विषय में ऐसी अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह आवश्यकतानुसार उचित प्रश्न करके सही सूचनाऐं एकत्रित कर सकता है।

2. शोध कार्य में उपयोगी पद्धति एवं प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है।

3. अवधारणाओं को समझने और परिकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायता मिलती है।

4 किसी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से बचा जाता है और शोध विषय से सम्बन्धित उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिन पर अन्य शोधकर्ताओं ने पूर्व में ध्यान नहीं दिया।

5. इससे शोध कार्य अधिक व्यवस्थित हो जाता है।[10]

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध में भी उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की गई है। यह स्वीकार कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति में मतदाताओं के व्यवहार का

अध्ययन अनेक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने किया है, क्योंकि भारतीय मतदाताओं के व्यवहार में अत्यधिक बदलाव व विरोधाभास गत चुनाव में दर्शाया है।

अतः इन अध्ययनों का दिग्दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन को संपुष्ट करने के लिए किया गया है।[11]

राणा एम॰एस॰ "इण्डिया वोट्स लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स" 1999–2000 (All analysis, election data and party manifesto), बी॰आर॰ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ने अपने अध्ययन में चुनाव की व्युत्पत्ति से लेकर गठजोड एवं राष्ट्रीय पार्टियों की चुनावों में उपलब्धियाँ आदि का विशेषकर राजस्थान के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन किया है तथा पार्टियों के घोषणा–पत्र और चुनाव प्रचार एवं चुनाव परिणामों का तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है परन्तु इसमें मतदान व्यवहार पर प्रकाश नहीं डाला गया है।[12]

राय रामाश्रय एवं पॉल वेगास "इण्डियन पॉलिटिक्स 1998 इलेक्शन्स रीजनलिज्म हिन्दुज्म एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स" सेंज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999 पुस्तक में विद्वान लेखकों ने अपने प्रस्तुत लेखो में भारतीय चुनाव से जुड़े अनेक आयामों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। आमुख ने पॉल वेलास ने 1999 में चुनाव के पूर्व वाजपेयी सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए तीन द्विग्गज राजनीतिज्ञ महिलाओं का हवाला दिया तथा कहा कि इनकी नज़रें इनायत न होने से एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैफुद्दीन सोज के विपक्ष में मतदान करने से वाजपेयी सरकार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बाद कुछ चुनावों में क्षैत्रियवाद, हिन्दुत्व तथा अन्य मुद्दों ने चुनावी मुद्दों का रूप धारण कर लिया तथा मतदाताओं ने अलग–अलग स्थानों पर पृथक–पृथक मतदान व्यवहार का परिचय देते हुए पुनः त्रिशंकु लोकसभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्तमान के अध्ययनों में एम॰ एल॰ आहुजा "इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया (1952–1998)" मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999 का अध्ययन भी विशेष महत्त्व रखता है इसमें 1952 से 1998 तक के चुनावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है तथा भाजपा के नेतृत्व में 13 पार्टियों के गठबंधन की सरकार के कठिन काल और उसके सम्मुख उत्पन्न समस्याओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है।[13]

यह पुस्तक 6 अनुभागों में विभाजित है जिसमें अन्वेषण के आधार पर विभिन्न पार्टियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। तथा लोकसभा के चुनावी वातावरण एवं चुनावी राजनीति को समझानें का प्रयास किया गया है। 1999 में प्रकाशित इस पुस्तक में 13 वीं लोकसभा चुनाव का विश्लेषण है।[14]

शर्मा, अशोक "भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन" अनुसंधान एवं विषद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984 नामक अपनी पुस्तक में भारतीय लोकतंत्र और निर्वाचन की पारम्परिकता के दार्शनिक व व्यावहारिक आयामों का तर्कसंगत परीक्षण करते हुए भारत में समस्त स्तरों पर निर्वाचन के संवैधानिक, सैद्धान्तिक और व्यवहारगत पक्षों का समीक्षात्मक विवेचन किया है।[15]

कश्यप सुभाष, "भारत में निर्वाचन–समस्याऐं और सुधार" रिसर्च, नई दिल्ली, 1972 पुस्तक में अपनी शोध को व्यापक बनाते हुए भारत में निर्वाचकों की समस्याओं के साथ उनमें अपेक्षित सुधारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं।[16]

कोठारी, रजनी "पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्सन स्टडीज बोम्बे 1967" में 1967 के जनरल इलेक्शन का सूक्ष्म अध्ययन किया तथा भारत में चुनाव क्षेत्रों के बदलाव के परिप्रेक्ष्य में चुनाव प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।[17]

नारायण, इकबाल ने "Rural Elite and Elections in An Indian States 1978" में राजस्थान के पंचायती राज में नेताओं की भूमिका तथा ग्रामीण प्रबुद्ध वर्ग और चुनाव प्रचार में उनके विशेष प्रभाव का विस्तृत विवरण किया है।

जैन, धर्मचन्द "भारतीय लोकतंत्र" प्रिंसवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 2000 में बताया कि लोकतंत्र की सार्थकता स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके लिए प्रतियोगी दलीय व्यवस्था को भी अपरिहार्य माना जाता है। इसमें 1952 से 1962 के बीच भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि तथा मुख्य प्रवृतियों का विवेचन है तथा निर्वाचन तंत्र, राजनीतिक दलों की सहभागिता, मतदान व्यवहार एवं रुझान तथा भविष्य की दिशा और दशा का विश्लेषण किया गया है। ऐसा करते हुए इसमें नेहरु युग की राजनीति की

उभरती प्रवृतियों का भी वर्णन तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन कर भारत में लोकतंत्र के भविष्य को उज्जवल बताया है।[18]

सिंह, प्रभा प्रसाद "Politics & Voilence in India" अमर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989 नामक पुस्तक में भारत में राजनीतिक अशान्ति को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। अपने अन्य अध्ययनों में राजनीतिक बिखराव की स्थिति के अध्ययन में राजनीतिक पार्टियों में आई टूट–फूट और बिखराव का विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया है।[19]

फिशमेन, पीटर सी "The theory of Social Choice" प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिका, 1976 में सामाजिक पसंदों के ऐतिहासिक पक्ष का निरूपण करते हुए बताया है कि क्यों व्यक्तियों की पसंद में भिन्नता उत्पन्न होती हैं।[20]

इसी क्रम में पनगडिया, बी॰एल॰ "स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया" नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 1988 में राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में किया है।[21]

इसी प्रकार जैन, सुमित्रा कुमार "Cast and politics in Bihar 1989" में चुनावों पर जातीय राजनीति के प्रभाव का अध्ययन किया।

इन्जिनियर, ए॰ए॰ "Communalism of Politics & 10th Lok Sabha elections" जनता पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1993 के शोध अध्ययन में बहुजन समाज पार्टी व भाजपा के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने एवं जाति व सम्प्रदाय के नाम पर लोकसभा चुनावों में वोट बटोरने के राजनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।[22]

सिंह, निशांत "महिला,राजनीति और आरक्षण" राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008 में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने तथा महिलाओं को आरक्षण देने तथा महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने आदि पर प्रकाश डाला है।[23]

कुमार, संजय एवं रॉय प्रवीन "Measuring Voting Behaviour in India" सेंज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2013 में मतदान व्यवहार के मापन एवं उसकी व्यवहारिक स्थिति एवं उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत विश्लेषण किया है।[24]

पलशिकर सुहास, कुमार संजय एवं लोधा संजय, "Electrol Politics in India : The Resurgence of the Bharatiya Janta Party" टेलर एण्ड फ्रैन्सिस पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017 में 2014 के 16 वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली लहर एवं काँग्रेस पार्टी की अप्रत्याशित पराजय के संदर्भ में मतदान व्यवहार का विस्तृत विश्लेषण किया है।[25]

इस प्रकार राजस्थान के मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर केवल आंशिक चिंतन और शोध कार्य ही हुए हैं। उनमें भी फोकस राजस्थान पर रहा न कि कोटा पर। अतः अध्ययन क्षेत्र कोटा के मतदाताओं का विधानसभा तथा स्थानीय स्वशासी निकायों के मतदान व्यवहार पर किसी प्रकार का अन्वेषण नहीं हुआ है। इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य निश्चित ही कोटा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मतदान व्यवहार, स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों व राजनीतिक आचार संहिता के पालन आदि पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। व्यवहार की राजनीति में अवसर, परिस्थितियों और सामाजिक समस्याओं को आधार माना जाता हैं यह अध्ययन इन प्रमुख कारकों पर ही मूल रूप से आधारित है।

चूँकि इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी लोगों के सामने एक समग्र रूप में अध्ययन आना चाहिए तभी वे लाभ प्राप्त कर सकें हैं। इसी कारण इस अध्ययन की उपयोगिता और उपादेयता की दृष्टि से इसे 8 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है –

प्रथम अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **प्रथम अध्याय** परिचयात्मक है जो विषय का परिचय देता है और इसका अर्थ व परिभाषा बताता है। यह भी स्पष्ट करता है कि मतदान व्यवहार की क्या परिकल्पनायें हैं और उनको परखने की क्या आवश्यकता है ? इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अध्ययन के उद्देश्य क्या है ? जिस समस्या को लेकर यह अध्ययन किया गया है उसका महत्त्व क्या है ? राजनीतिक व्यवहार के पदबंद्ध और उससे

संबंधित अन्य अवधारणाओं का अर्थ और परिभाषा क्या है। इसके साथ ही शोध प्रविधि अध्ययन का औचित्य एवं महत्त्व और उपयोगिता तथा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा इसी अध्याय में की गई है।

द्वितीय अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **द्वितीय अध्याय** लोकतंत्र में निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार एवं आचार संहिता के महत्त्व से संबंधित है। अतः इसमें निर्वाचन उसकी पद्धतियाँ, उद्देश्य, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में निर्वाचन, भारत में निर्वाचन व्यवस्था का विकास, निर्वाचन आयोग की भूमिका, निर्वाचन का प्रावधान, पदावधि एवं सेवा शर्तें, निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग के कार्य और जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी की निर्वाचन में भूमिका आदि को स्पष्ट किया जाता है।

तृतीय अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **तृतीय अध्याय** राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीति के ऐतिहासिक विकास से सम्बन्धित है क्योंकि यहाँ कई प्रकार की देशी रियासतें थीं और उन पर ब्रिटिश सरकार की सार्वभौमिकता थी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ वह किसी के अधीन नहीं रहकर स्वतंत्र हो गई अतः उनको भारतीय संघ में सम्मिलित करना तथा यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ी समस्या थी जिसमें जोधपुर रियासत का मामला काफी विकट था। इसी तरह एक–एक कर सभी देशी रियासतों को राजस्थान में लोकतंत्र की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया और अन्ततः यह एक प्रजातांत्रिक राज्य बन गया और केन्द्र के समान यहाँ पर भी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई। आदि विषयवस्तु को इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है।

चतुर्थ अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **चतुर्थ अध्याय** कोटा जिले के परिचय से संबंधित है इसमें कोटा जिले के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिपेक्ष्य का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सन् 1371 में कोट्या भील के नाम से कोटा नगर की नींव रखी गई थी। आज भी कोटा गढ़ पेलेस के नीचे लोक देवता के

रूप में कोट्या भील की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार जहाँगीर के समय बूंदी के राव रतन के छोटे पुत्र माधो सिंह को उनकी शूरवीरता के कारण अलग से कोटा राज्य बनाकर दिया गया। इस प्रकार कोटा सन् 1625 ई॰ में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ उल्लेखनीय है कि इतिहासकार डॉ॰ जगत नारायण इस बात को गलत बताते हैं कि कोट्या भील कोटा का शासक था या उसनें कोटा राज्य की नींव रखी थी या राव जेतसी ने उसका वध करने के बाद शापित होने के डर से उसे लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया था।[26]

कुछ भी हो कोटा का अपना इतिहास है। सामाजिक सरोकार है तथा राजनीतिक और आर्थिक आधार है। जिसके आलोक में ही इसका अस्तित्व रहा है। और इसने विकास किया है आदि बातों को इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है।

पंचम अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **पंचम अध्याय** कोटा विधानसभा चुनाव 2003 एवं मतदाताओं का मतदान व्यवहार से सरोकार रखता है। इसमें कोटा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों का एवं इन चुनावों में व्यक्त मतदान व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है तथा यह उल्लेखनीय है कि कोटा, लाड़पुरा, दीगोद, पीपल्दा, रामगंजमंण्डी आदि विधानसभा क्षेत्रों में 2003 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की और दीगोद विधानसभा क्षेत्र में कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने सफलता प्राप्त की तथा मतदाताओं का व्यवहार तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार के विपरीत रहा आदि का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है।

षष्ठम् अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **“k"Be v/;k;** कोटा विधानसभा चुनाव 2008 में मतदाताओं के मतदान व्यवहार से सरोकार रखता है। उल्लेखनीय है कि इस मतदान में कोटा शहर को परीसीमन के द्वारा दो विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया – कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों में कोटा उत्तर में कॉंग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने विजय प्राप्त की तथा कोटा दक्षिण में बीजेपी के उम्मीदवावर को सफलता

मिली और अन्य स्थानों पर भी एक निश्चित सीमा तक काँग्रेस प्रत्याशियों ने सफलता प्राप्त की। अतः स्पष्ट है कि इस चुनाव में 2003 के चुनावों के विपरीत जनादेश दिया गया। आदि का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है।

सप्तम अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **सप्तम् अध्याय** तुलनात्मक है इसमें कोटा विधानसभा चुनाव वर्ष 2003 व 2008 में हुए चुनावों एवं मतदान व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे कि यह जाना जा सके कि कौनसा चुनाव अधिक व्यवहार परक एवं लाभकारी था तथा जो सरकार अस्तित्व में थी उसके लिए आँखें खोलने वाला था। तथा इसमें मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तन एवं अन्य मुद्दों की तुलना करके श्रेष्ठ स्थिति की ओर संकेत किया गया है आदि महत्त्वपूर्ण बातों का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है।

अष्टम अध्याय –

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का **v"Ve व अन्तिम अध्याय** इस शोध का प्रारूप़ है इसमें इस विषय का समग्र मूल्यांकन किया गया है इसमें यह उभरकर सामने आया है कि राजस्थान और कोटा में सामान्य रूप से राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय चुनाव व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं रहा। इन चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तनशीलता को समय–समय पर राज्य और राष्ट्र की सामयिक आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है। हाँ यह आवश्यक है कि कुछ अवसरों पर राजस्थान के चुनाव परिणाम स्थानीय परिस्थितियों और मुद्दों से भी प्रभावित होकर भिन्न रहे हैं इस कारण कोटा जिले के मतदान व्यवहार के इस प्रस्तुत अध्ययन में भिन्न निष्कर्ष भी उभरकर सामनें आए हैं जिन्हें इस अन्तिम अध्याय में स्पष्ट किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अन्तिम अध्याय में मूल्यांकन, समस्या, समाधान और भविष्य हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

चूँकि ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्त्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक युग में नये विचार, नये तथ्य, नई घटनायें व नई व्यवस्थायें विकसित होती हैं और

समाज में उनकी उपयोगिता व प्रासंगिकता को परखना पड़ता है। त्रुटियों को सामने लाना पड़ता है।

अतः शोध अध्ययन द्वारा यह कार्य करके सामाजिक सेवा का अवसर मिलता है, बौद्धिक प्रसन्नता मिलती है, समाज में उपस्थित समस्याओं का हल ढूँढा जाता है और ज्ञान के क्षेत्र में समाज में कुछ आदान–प्रदान किया जाता है साथ ही शोधकर्ताओं को एक सम्मान एवं पहचान मिलती है क्योंकि यह उच्चतर ज्ञान से सम्बन्धित डिग्री प्राप्त करना है।

इस प्रकार ज्ञान का जो स्वभाव है। शोधार्थी ने राजस्थान के माध्यम से कोटा जिले में मतदान व्यवहार का अध्ययन अपनी रूचि से प्रेरित होकर यह शोध प्रस्तुत किया है और इसमें जो भी पुरानी और नवीन प्रवृत्तियाँ हैं उनका सर्वत्र प्रायः सभी अध्यायों में प्रकटीकरण किया है।

वास्तविकता यह है कि चुनावों की जटिल भूमिका को निर्वाचकों के मतदान आचरण के आधार पर ही स्पष्ट करना संभव होने के कारण मतदान आचरण के अध्ययन लोकप्रिय होने लगे हैं। इसलिए प्रायः सभी जगह यह समझने का प्रयास किया जाने लगा है कि व्यक्ति का मतदान आचरण कब क्यों और कैसे करने तथा भिन्न–भिन्न तथ्यों से प्रभावित रहता है अर्थात् इस सम्बन्ध में सभी अध्ययनों का केन्द्र बिन्दु तथा प्रमुख उद्देश्य यह जानना रहता है कि मतदाता वोट देते समय किन तथ्यों से सर्वाधिक प्रभावित रहता है वह कौनसी बातें है तथा मुद्दे हैं जो आम मतदाता को अपना मत इधर या उधर देने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत और राजस्थान के सन्दर्भ में इस अध्याय में इन्ही का अति संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

उदारवादी दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि बुद्धिमान निर्वाचक को अपने आर्थिक हित, राष्ट्रीय हित, अपने विश्वासों तथा राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। दूसरी तरफ यह दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया है कि मतदाता को वोट देते समय अपना हित ही नहीं देखना चाहिए बल्कि सम्पूर्ण समाज के सन्दर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। पारिवारिक और दलीय निष्ठाओं पर भी तार्किक विचार कर लेना चाहिए इसके साथ ही मतदान के जो अन्य घटक हैं जैसे जाति,

शिक्षा, लिंग, भाषा, धर्म, आर्थिक अवस्था तथा क्षेत्रीयता आदि पर भी तार्किक विचार करना चाहिए तभी वे कसौटी पर खरे उतर सकते हैं।

मतदान आचरण में आधारभूत बात मतदाताओं की जागरूकता है। वे कितनी राजनीतिक समझ रखते हैं राजनीति में कितनी रूचि लेते हैं और राजनीतिक सहभागिता के लिए कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं यह सब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक जागरूकता का राजनीतिक जानकारी या अभिज्ञान से सीधा सम्बन्ध है। तथा राजनीतिक जानकारी राजनीतिक संचार पर आश्रित है अतः यह जागरूकता ही उनको सजग बनाती है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक आचरण के जो अनेक नियामक हैं वे उनको समझने लगते हैं जैसे–सामाजिक वर्ग, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, उम्र, जागरूकता, समझ, जानकारी और दलीय निष्ठा कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्था व मतदाताओं का आचरण नियमित और प्रभावित रहता है इनमें से किसका कितना प्रभाव होगा यह सब निश्चित रूप से कहना कठिन है फिर भी यह भूमिका अवश्य निभाते हैं।

अनेक बार उम्मीदवार का व्यक्तित्व ही निर्णायक हो जाता है। ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चाहे किसी भी दल से क्यों ना खड़े हो चुनाव में विजयी अवश्य होते हैं और अन्य कारक प्रभावहीन हो जाते प्रतीत होते हैं। यदि निर्दलीय उम्मीदवार भी ऐसे हैं तो अपने व्यक्तित्व के कारण वे भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारत में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है फिर भी मतदान आचरण अधिकाधिक स्वतंत्र निर्णय बनता जा रहा है।

भारत और राजस्थान में उम्मीदवारों के पिछड़ने और आगे बढ़ने में मतदाता सर्वेक्षण भी चुनाव परिणामों की सही जानकारी लेने में सीमित उपयोगिता ही रखते हैं। वास्तव में प्रतिनिधि की सार्थकता इसी से स्पष्ट होती है कि मतदाता कितना जागरूक है निर्वाचन प्रणाली और मतदान के अध्ययन लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक व्यवहार व सहभागिता का मुख्य प्रेरक बनने लगे हैं प्रस्तुत अध्ययन में यही स्पष्ट किया गया है।

****

संदर्भ सूची

1. फडिया बी०एल० एवं जैन पुखराज "भारतीय शासन एवं राजनीति" साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010 पृ०सं० 596

2. गेना सी०बी० ''तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाऐं'' विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा०लि० नई दिल्ली 1977 पृ०सं० 983

3. फडिया बी०एल० एवं जैन पुखराज "भारतीय शासन एवं राजनीति" साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010 पृ०सं० 597

4. वर्मा एस०एल० "राजनीति विज्ञान में अनुसंधान" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2005 पृ०सं० 9, 11 और 12

5. दुबे अभय कुमार "लोकतंत्र के सात अध्याय" विकासशील समाज अध्ययन पीठ वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली 2005 पृ०सं० 82–88

6. दुबे अभय कुमार "राजनीति की किताब 2005" वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली पृ०सं० 92–93

7. रिचर्ड ऐल्कॉल "Introduction to Political Enquiry" मैक्मिलन लंदन 1980 उद्धत एस०एल० वर्मा "राजनीति विज्ञान में अनुसंधानँ " राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2005 पृ०सं० 276

8. जैन बी०एम० "रिसर्च मैथडोलॉजी" रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर 2010 पृ०सं० 4

9. फडिया बी०एल० "शोध पद्धतियाँ " साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010 पृ०सं० 4–5

10. वही, पृ०सं० 23

11. राणा एम०एस० "इण्डिया वोटस् लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999–2000 (All Analysis Election data and party manifesto)" बी०आर०पब्लिकेशन नई दिल्ली 2000 पृ०सं०115–120

12. राय रामाश्रय और पॉल वेलास "इण्डियन पॉलिटिक्स 1998 इलेक्शंस रीजनलीज्म हिन्दुत्व एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स" सेंज पब्लिकेशंस नई दिल्ली 1999 पृ॰सं॰ 27

13. आहुजा एम॰एल॰ "इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया 1952–1998" मित्तल पब्लिकेशंस नई दिल्ली 1998 पृ॰सं॰ 47

14. राय मीनू "इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इन इण्डिया" दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा॰ लि॰ नई दिल्ली 1999 पृ॰सं॰ 97

15. शर्मा अशोक "भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन" अनुसंधान व विषद् अध्ययन संस्थान जयपुर 1984 पृ॰सं॰ 197

16. कश्यप सुभाष "भारत में निर्वाचन : समस्याऐं और सुधार रिसर्च" नई दिल्ली 1972 पृ॰सं॰ 201

17. रजनी कोठारी "पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्सन स्टडीज" बोम्बे 1967 पृ॰सं॰ 145

18. धर्म चन्द जैन "भारतीय लोकतंत्र" प्रिंसवेल पब्लिशर्स जयपुर 2000 पृ॰सं॰ 80

19. सिंह प्रभा प्रसाद "Politics & Voilence in India" अमर प्रकाशन दिल्ली 1989 पृ॰सं॰ 92

20. फिशमेन पीटर सी "The theory of Social Choice" प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस अमेरिका 1976 पृ॰सं॰ 230

21. पनगडिया बी॰एल॰ "स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया" नेशनल पब्लिकेशन जयपुर 1988 पृ॰सं॰ 180

22. ए॰ए॰ इन्जिनियर "Communalism of Politics & 10th Lok Sabha elections" जनता पब्लिकेशन दिल्ली 1993 पृ॰सं॰ 152

23. सिंह निशांत "महिला राजनीति और आरक्षण" राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008 पृ॰सं॰ 86

24. कुमार संजय एवं रॉय प्रवीन "Measuring Voting Behaviour in India" सेंज पब्लिकेशंस नई दिल्ली 2013 पृ॰सं॰ 140

25. पलशिकर सुहास, कुमार संजय एवं लोधा संजय, "Electrol Politics in India : The Resurgence of the Bharatiya Janta Party" टेलर एण्ड फ्रैन्सिस पब्लिकेशन दिल्ली 2017 पृ॰सं॰ 108

26. "पत्रिका ईयर बुक" जयपुर 2008 पृ॰सं॰ 798

****

अध्याय द्वितीय

लोकतंत्र में निर्वाचन,
संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन आयोग,
चुनाव सुधार एवं आचार संहिता

अध्याय द्वितीय

वर्तमान विश्व में लोकतंत्र एक सर्वोत्तम एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सर्वमान्य है अतः यह स्थिति प्रश्न पैदा करती है कि लोकतंत्र क्या है? 20 वीं शताब्दी में हर तानाशाह ने लोकतंत्रिय नारे देते हुए अपने आप को लोकतंत्रवादी घोषित करने की कोशिश की इस कारण लोकतंत्र के सिद्धान्तों में कहीं कहीं उलझन भी पैदा हुई और इसके अनेक सिद्धान्त विकसित हो गये जैसे लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धान्त, लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धान्त, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त तथा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धान्त, कुछ भी हो लोकतंत्रीय विचारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना की राजनीतिक विचारों का इतिहास। ईसा से 422 साल पूर्व यूनानी दार्शनिक वलीयान ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्रीय शासन वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो एवं जनता के लिए हो इन्हीं शब्दों को आधुनिक युग में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम् लिंकन ने दोहराया और यह सर्वमान्य सा हो गया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किये जाने वाली शासन प्रणाली है। चूँकि यूनानी नगर राज्यों में इसका स्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का था परन्तु आज तो हमें अब्राहम् लिंकन की परिभाषा से भी आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि वर्तमान प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रीय शासन चुनाव का चुनाव के द्वारा और चुनाव के लिए स्थापित शासन हो गया है।

इस प्रकार निर्वाचन और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की पारस्परिकता अनिवार्य है। इस शासन में निर्वाचन के माध्यम से ही जनता शासकों को शासन चलाने या अपनी सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है। अतः निर्वाचन की व्यवस्था का निष्ठापूर्ण निर्वाह लोकतांत्रिक आस्था के लिए अत्यावश्यक है।

चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इन्हीं प्रतिनिधियों के हाथों में देश और लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित करते हुए उसकी निरंतरता बनाये रखने में समस्त समाज का विश्वास होता है और इसी में समष्टि का बौद्धिक विकास भी समाहित होता है। एक निर्वाचन की समीक्षा उसके बाद आने वाला निर्वाचन करता रहता

है जिससे विकास बाधित न हो और समय की आवश्यकता के अनुसार उसमे गत्यात्मकता बनी रहे और

लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित रहे। लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय को ही निकाय का निर्णय माना जाता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह सामूहिक निर्णय सारे देश की इच्छा की अभिव्यक्ति भी होता है। अतः राजनीतिक प्रतिनिधि के लिए जनप्रिय शब्द का प्रयोग उसके राजनीति व्यवहार और स्वरुप को व्यक्त करता है।

निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का प्रत्यक्ष तरीका है। इसके माध्यम से साधारण नागरिक को शासन से जोड़ने की आवश्यक कड़ी मिल जाती है तथा इसमें नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार भूत अंग बनाते हैं। इसलिए लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए निर्वाचन का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना आवश्यक होने के साथ उसका सत्तारुढ़ दल के प्रभाव से मुक्त होना भी आवश्यक है। इस क्रम में हृदयनाथ कुंजरु ने लिखा है – "यदि निर्वाचन मशीनरी त्रुटिपूर्ण हो या अकुशल हो तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाने वाली मशीनरी त्रुटिपूर्ण हो या अकुशल हो तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाने वाली मशीनरी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र अपने स्त्रोत के स्थान पर ही विषैला हो जायेगा।[1]

चुनाव का संबंध केवल प्रतिनिधियों के चयन तक ही सीमित नहीं है अपितु चुनाव जनता के लिए राजनीति में भाग लेने का एक मात्र माध्यम है इसी से जनता को न्यूनतम राजनीतिक सहभागिता निभाने का अवसर प्राप्त होता है। इसी से जनता में सरकार के प्रति एक सीमा तक अपनेपन और दायित्व की भावना बनी रहती है तथा वह शासकों के अधिकारों को वैद्यता भी प्रदान करते हैं। एडवर्ड शिल्स ने स्पष्ट किया है कि – "चुनाव क्रान्ति को अपने महत्त्व तथा अपनी भावुकता को सम्पूर्ण राष्ट्रों के प्रतीकों से जोड़ने में सहायक है।[2]

चुनावों के कारण ही जन प्रतिनिधि निर्वाचक समूहों की मांगों के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं। डायसी तथा हयूज के अनुसार – "चुनावों को शासितों द्वारा शासकों के कार्यों

को प्रभावित करने के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार के रूप में देखा जा सकता है अनेक प्रकार से संभव है जैसे कि व्यक्ति समूह द्वारा स्वयं अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करना तथा स्वयं शासक बनना पद प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को अपनी शिकायतों के प्रति सचेत करना तथा स्वयं प्रत्याशियों के द्वारा अपनी नीतियों को इन शिकायतों के सन्दर्भ में कोशिश करना आदि।[3]

आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य आधार चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है। इससे यह प्रतीत होता है कि आधुनिक लोकतंत्र गतिशीलता, निरन्तरता एवं सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत ही राजनीतिक प्रक्रियाओं को सम्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र को जीवन दर्शन, जीवन शैली, आस्था व जीवन के विश्वास का प्रतीक मान सकते हैं। इस तरह से आधुनिक लोकतंत्र में जीवन के आदर्श मूल्यों का नवीन रूप में अनवरत विकास होता रहता है। इसके माध्यम से नवीनतम परिवर्तन, रूपान्तरण की स्थिति, लोकतंत्र को गन्तव्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति जनता की मूल भावनाओं के आधार पर एक होकर कार्य करती है और फिर यह शैली विशिष्टता का स्थान प्राप्त कर लेती है।

भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। इसको स्वरूप देने में आम चुनाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया को निकाल दिया जाये तो सारी व्यवस्था निर्जीव बनकर रह जायेगी क्योंकि भारतीय मतदाताओं की सांसों में प्रजातंत्र का वास है (आंग्ल भाषा में इसे Thirst और Democracy कहते हैं।) वे तनिक सी भी तानाशाही सहन नहीं कर सकते और तुरन्त आगामी चुनाव में इसके विरोध की अभिव्यक्ति कर देते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा आरोपित आपात स्थिति के तुरन्त पश्चात् देख चुके हैं। अतः यह मानना उचित होगा कि भारतीय मतदाताओं का व्यवहार उनकी राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक है।

यदि लोकतंत्र के अर्थ पर जाये तो यह अंग्रेजी शब्द Democracy का हिन्दी अनुवाद है। लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस क्रेसिया (Demos & Cratia) यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है जनता और क्रेसिया का

अर्थ है शक्ति इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति से है। दूसरे शब्दों में शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। अरस्तू ने भी आरम्भ से ही इसी अर्थ को समझाने का प्रयास किया था।[4]

लोकतंत्र में जनता की व्यापक सहमति को भी स्वीकार किया जाता है इसीलिए आरम्भिक काल में इसे एक शासन पद्यति के रूप में समझा गया था लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र एक शासन पद्यति के साथ–साथ जीवन शैली के रूप में परिवर्तित हो चुका है।

राजतंत्रीय शासन प्रणाली में सदियों तक प्रजा का शोषण होता रहा इसके विरोध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों ने समय–समय पर अनेक बलिदान किये परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की स्थापना हुई। आधुनिक युग में लोकतंत्र व्यापक शासन प्रणाली के रूप में उभर कर कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब लोकतंत्र में जनता को व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एकता की भावना इसमें होती है। अलेक्जेण्डर पोप को उद्वत करते हुए स्वीकार किया गया है कि "शासन के लिए मूर्खों को लड़ने दो जो शासन ठीक से चले वही शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है।[5]

वर्तमान में अपनी सोच और समझ के आधार पर यदि लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर विचार करते हैं तो लोकतंत्र की निम्न विशेषताएं ध्यान में आती हैं –

(1) जनता की इच्छा की सर्वोच्चता।

(2) जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार।

(3) निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव।

(4) वयस्क मताधिकार।

(5) उत्तरदायी सरकार।

(6) सीमित तथा संवैधानिक सरकार।

(7) सरकार के हाथों में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में।

(8) सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत के द्वारा जनता का हिस्सा।

(9) जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना।

(10) निष्पक्ष न्यायपालिका

(11) कानून का शासन

(12) विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति।[6]

लोकतंत्र के निर्वाचन :

आधुनिक लोकतंत्र की गत्यात्मकता निर्वाचन पर निर्भर करती है। निर्वाचन रूसो द्वारा परिभाषित सामान्य इच्छा का परिमापक है। राजनीतिक इच्छा का एकमेव साक्षर रूप मतदाता होता है। सामान्य इच्छा सभी मतदाताओं की स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छाओं का समष्टिगत सम्मिलन है। अंततः सामान्य इच्छा के रूप में उभरने वाला निर्वाचन एक इकाई के रूप में एक मतदाता से प्रारम्भ कर देश की वास्तविक सरकार की व्यापक क्रियाशीलता को स्वयं में समाहित करता है। निर्वाचन द्वारा स्थापित सरकार मतदाताओं के एक संघ के रूप में राष्ट्र की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विधितः अधिकृत होती है।

सामान्य इच्छा की गतिमान धारा के विभिन्न स्तर तथा विभिन्न चरणों में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति एक विराट व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त होती है। इन समस्त चरणों का व्यापक अध्ययन मेकेन्जी ने किया हैं।[7]

इस तरह चुनाव स्वयं में पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती संबद्ध व्यवहार की धारा में घटित होने वाले सामूहिक निर्णय का औपचारिक कृत्य है।[8]

सामूहिक निर्णय राजनीतिक निकाय का निर्णय होता है। यह सरकार की इच्छा को भी अभिव्यक्त करता है। व्यवस्थित सुस्पष्ट जीवंत और संश्लिष्ट ईकाई के रूप में कार्यशील होने के लिए सामान्य इच्छा और शासन की इच्छा की एकता ही वस्तुतः निर्वाचन का मूल

कारण है। अतः स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव का चुनाव के द्वारा और चुनाव के लिए किया गया कृत्य ही जनप्रिय सरकार स्थापित करने का आधार है। निर्वाचन जनता ही इच्छा के संवाहक होते हैं और जनता की इच्छा' जनप्रिय सरकार की स्थापना करती है। अतः स्पष्ट है कि –

(1) जनता चुनावों से ही शासकों का चयन करती है।

(2) जनता शासकों पर नियंत्रण रखती है।

(3) चुनाव कई खास मुद्दों को लेकर लड़े जाते है।

(4) सरकार का वैधिकरण भी चुनाव से ही होता है।

(5) चुनाव ही सरकार के लोकतंत्रीय स्वरूप को प्रकट करते हैं।

(6) हिंसक क्रांति का भय कुछ कम हो जाता है।

(7) राजनीतिकरण की प्रक्रिया गति पकड़ लेती है।

वास्तव में जनप्रिय शब्द व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में स्तर और स्वरूप को व्यक्त करता है जनप्रिय क्या है इसका निर्धारण इस तथ्य पर आधारित है कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं अथवा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति लोगों की क्या अनुक्रिया होती है यह राजनीतिक जीवन में एक विशिष्ट प्रारूप की अभिव्यक्ति है। अतः जो जनप्रिय है वह वस्तुतः जनता की इच्छा है और जनता की इच्छा का निष्पादन शासन के द्वारा किया जाता है।

निर्वाचन न तो मूल्यों का सृजन करता है न ही नये लक्ष्य निर्धारित करता है यह नये आदर्शों की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता अपितु यह यह संवैधानिक विचारधारा में पूर्वतः सम्मिलित लक्ष्यों के अनुकूल जनता की इच्छा की क्रियाशीलता को अभ्यांकित करता है। निर्वाचन का कार्य मूल्यों की व्याख्या करना नहीं है। उनका कार्य केवल यह ज्ञात करना है कि संविधान द्वारा निर्धारित मन्तव्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में किसी सरकार का कार्य व्यवहार कैसा रहता है। यह सरकारों के परिवर्तन को निरन्तरता प्रदान करता है। इसके

अतिरिक्त यह इस तथ्य को सांख्यिकीय रूप से अभ्यांकित करता है कि मतदाताओं ने किसी विशिष्ट समय में सरकार के गठन के सन्दर्भ में ऐसा व्यवहार किया गया है।

संविधान के अन्तर्गत आयोजित प्रत्येक आम चुनाव में राजनीतिक निकाय द्वारा स्वीकृत सरकार का बोध होता है। निर्वाचन एक प्रकार से सरकारों की संदर्भिका है। यह वस्तुतः सरकारों का सारानुक्रम है। चुनावों के संदर्भ में यहाँ कुछ निर्वाचन पद्धतियों का उल्लेख करना समीचीन है।[9]

लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनाव की अनिवार्यता निर्वाचन प्रणाली को भी अनिवार्य बना देती है। राष्ट्रों द्वारा अपनी सरकारों को निर्वाचन के माध्यम से स्थापित करने के लिए अनेक पद्धतियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं परन्तु कुछ आधारभू बातों को लेकर निर्वाचन प्रणालियों में भारी समानताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं इन्हीं समानताओं के आधार पर विभिन्न निर्वाचन प्रणालियों को तीन प्रतिमानों में विभक्त किया जा सकता है –

(1) बहुमत प्रणालियाँ :

निर्वाचन की बहुमत प्रणालियों में निर्वाचन के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती इन प्रणालियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभी प्रत्याशियों में सर्वाधिक मत मिलना ही पर्याप्त होता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक है तो इनमें से निर्वाचित व्यक्ति बहुत कम मत प्रतिशत से ही निर्वाचित हो जाता है।

बहुमत प्रणालियाँ मुख्यतः निम्न तीन प्रकार की हैं –

(i) बहुल या सामान्य बहुमत प्रणाली :

इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से साधारण बहुमत से प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने वाले अनेक उम्मीदवारों में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित होता है इसमें विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का पूर्व या निरपेक्ष बहुमत मिलना आवश्यक नहीं है।

सामान्य बहुमत व्यवस्था में अधिकांश मतदाताओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पाता है परन्तु इस प्रणाली की सरलता के कारण यह अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, न्यूजीलेण्ड, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका व बांग्लादेश में प्रयोग में ली जाती है।

(ii) सीमित मत प्रणाली :

इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है तथा इसमें राजनीतिक दल को कुल स्थानों में से एक या दो स्थान कम पर उम्मीदवार खड़े करने होते हैं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने कि राजनीतिक दल को उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार होता है। इस प्रणाली द्वारा सुसंगठित अल्पमत दलों को कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकता दलों की बहुत अधिक संख्या होने पर इस प्रणाली से सभी को प्रतिनिधित्व दे सकना संभव नहीं है। इस प्रणाली का मेक्सिको को छोड़कर अन्य देशों में राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में प्रयोग नहीं किया जाता है।

(iii) एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली :

इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है तथा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों की संख्या दो या इससे अधिक होती है। एकल असंक्रमणीय प्रणाली में अल्पमत वाले दल का एक उम्मीदवार अनिवार्यतः हर निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग सफलतापूर्वक हो रहा है।

निर्वाचन की बहुमत प्रणालियों में सर्वाधिक प्रचलन बहुल या सामान्य बहुमत प्रणाली का है। हाँलाकि विद्वानों का मानना है कि सीमित मत प्रणाली तथा एकल असंक्रमणीय प्रणाली प्रतिनिधित्व की दृष्टि से श्रेष्ठतर है परन्तु इनकी पेचीदगी के कारण इनका व्यापक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है।

(2) पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ :

लोकतंत्र की भावना के अनुरूप प्रतिनिधि का निर्वाचन हो सके इसके लिए विजयी उम्मीदवार को पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त होना आवश्यक माना जाने लगा है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न दो प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है –

(i) द्वितीय मतदान प्रणाली :

इस मतदान प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से दो मतदान होते हैं, पहले मतदान में कई प्रत्याशी हो सकते हैं। प्रथम मतदान के परिणाम के बाद सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को छोड़कर शेष को निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया जाता है और इन दो के लिए दुबारा मतदान होता है और इस बार जो उम्मीदवार बहुमत प्राप्त कर लेता है उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस प्रकार इससे मतदान में विजयी घोषित उम्मीदवार निरपेक्ष बहुमत द्वारा ही निर्वाचित घोषित होता है।

(ii) वैकल्पिक मत प्रणाली :

इसका प्रयोग केवल एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत मतदाता जिस उम्मीदवार को चुनना चाहता है उसे अपनी पहली पसंद और अन्य उम्मीदवारों में दूसरी तीसरी पसंदों का उल्लेख करके अपने वैकल्पिक मत भी व्यक्त करता है। मतगणना के समय सबसे पहले पहली पसंदों की गणना की जाती है। और अगर किसी उम्मीदवार को पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। चूँकि इसमे निर्वाचित उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और इस कारण यह प्रणाली लोकतंत्र की भावना के अनुरुप प्रतिनिधित्व संभव बनाने वाली कही गई है। परन्तु व्यवहार में उक्त दोनों ही निर्वाचन प्रणालियाँ कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। इस कारण इसका राष्ट्रीय स्तर के आम चुनावों में साधारणतया प्रयोग नहीं किया जाता है।

(3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली :

इस प्रणाली में प्रतिनिधित्व को न केवल व्यापकतम बनाने का लक्ष्य होता है वरन् प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए सभी वर्गो, दलों, हितों तथा समूहो को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। इस प्रणाली का कोई प्रतिमान नहीं है। सामान्यतया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की निम्न प्रणालियों का अधिक प्रयोग होता है।

(i) एकत्रीभूत मत प्रणाली :

इस प्रणाली का उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है जहाँ अनेक स्थानों के लिए चुनाव करना हो। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है, जितने सदस्य किसी मतदान क्षेत्र से चुने जाने हो। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होता है कि यह मत वह उम्मीदवारों में बाँट दे अथवा किसी एक उम्मीदवार को सभी मत दे दे परन्तु इस प्रणाली से प्रतिनिधित्व का अनुपात शुद्ध नहीं होता है। तथा इसमे बहुत छोटे दलों को कभी–कभी अनुपात से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका व्यवहारिक प्रयोग सरल नहीं है। इसलिए इस प्रणाली का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है।

(ii) एकल संकमणीय मत प्रणाली :

इस प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितनी भी हो प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर दिये हुए उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी पसंद या वरियता अभिव्यक्त करता है। सब उम्मीदवारों में से जिसे वह सबसे अधिक उपयुक्त समझता है उसके नाम के आगे पहली पसंद अंकित कर देता है। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों की एक निश्चित संख्या (कोटा) प्राप्त करना होता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के चुनावों के लिए इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

(iii) सूची प्रणाली :

इस प्रणाली में उम्मीदवारं व्यक्तिगत रुप से चुनाव नहीं लड़ते वरन् राजनातिक दलों की सूचियाँ चुनाव में होती है। इसमे मतदाता विभिन्न सूचियों में से किसी एक सूची को ही मत देता है। सूची प्रणाली में स्थानों का विवरण सूचियों को मिले मतों के आधर पर किया जाता है। आनुपतिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों से प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण होता है। क्योंकि इनसे बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक मतों अथवा दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रणाली को कोरी व अब्राहम सही अर्थो में लोकतांत्रिक प्रणाली बताते है।[10]

परन्तु व्यवहार में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सभी प्रणालियाँ पैचिदा होने के कारण बढ़ी जनसंख्या वाले राज्यों में इनका प्रयोग वांछित होते हुए भी संभव दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन प्रणालियों की उपयोगिता आम चुनावों में बहुत कुछ सीमित ही कही जा सकती है। यह अवश्य है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में चुनाव प्रक्रियाओं की विशेष भूमिका रहती है। यह केवल प्रतिनिधियों के चुनाव का माध्यम मात्र नहीं है इसका राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों से सावयवी सम्बन्ध होता है।

कुछ भी हो लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य है अतः उनके उद्देश्य उनकी संवैधानिक व्यवस्था आदि के विषय में विचार करना आवश्यक है। इसलिए यह जानना भी आवश्यक है कि भारत में निर्वाचन व्यवस्था का विकास कैसे हुआ उसमे निर्वाचन आयोग की आवश्यकता और भूमिका क्या है। पदावधि और सेवा की शर्ते क्या है। निर्वाचन आयोग के अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य कौनसे है और विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका क्या है और हमारे देश में इसकी व्यवस्था में किन सुधारों की अनुशांसा की जा सकती है आदि का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है जिसे निम्नानुसार समझा जा सकता है –

fuokZpu dk mís'; %

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शो को राष्ट्रीय संकल्प के रुप में स्वीकार किया गया है उन्हें यर्थाथ के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का है जो निर्वाचन के फलस्वरुप पदासीन होती है या होगी। डॉ॰ बी आर अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारत में एकीकृत चुनाव व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसे संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। जनता के अनुसार प्राप्त जनादेश के माध्यम से जो दल अपनी सरकार बनायेगा वह उक्त मूल्यों में निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। लोकतांत्रिक सिद्धान्तों, मूल्यों व मान्यताओं को प्राप्त करने का प्रयास निरंतर किया जाता रहेगा।

निर्वाचन की स्वतंत्रता :

भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जिसमें संघात्मक गणतंत्र (गणराज्यों का समूह) में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार स्थापित करने की पूर्व शर्त है। भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया को दो प्रकार के निकाय सम्पन्न कराते है।

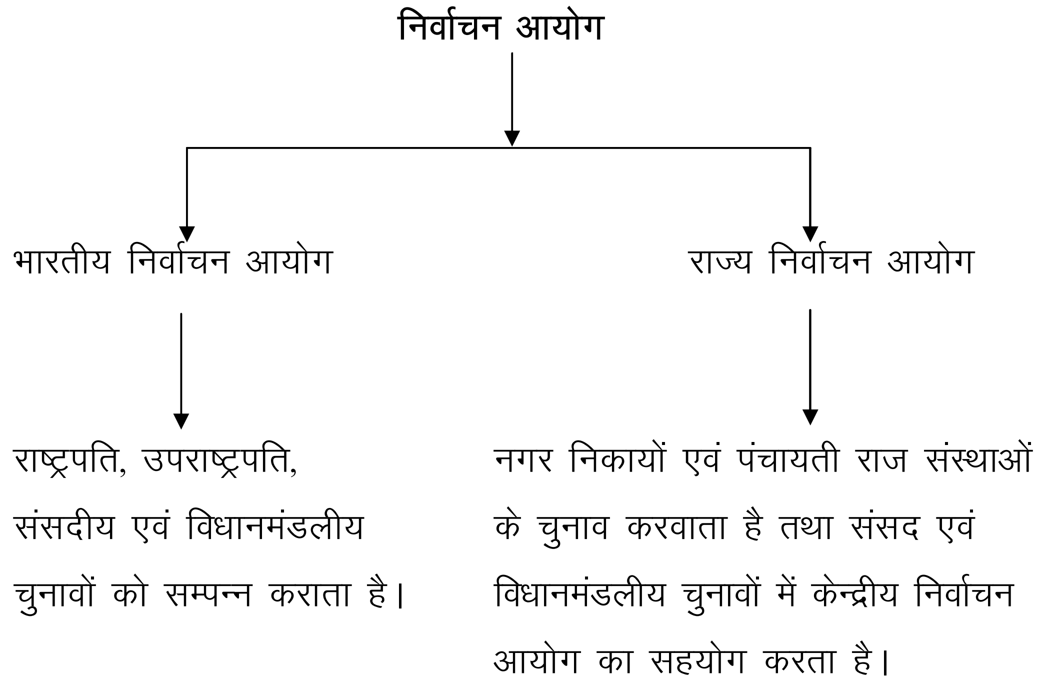

इस तरह प्रत्येक निर्वाचन के लिए संविधान द्वारा स्थापित निर्वाचन और निर्वाचन पूर्व की व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि निर्वाचन की स्वतंत्रता बरकरार रहे। भारत में

प्रति दस वर्ष के अंतराल में जनगणना करायी जाती है। जिसमे 18 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष को मतदान योग्य माना जाता है। चुनाव आयोग ही संसदीय व विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करता है। जनसंख्या का अनुपातिक निर्धारण और पुनः निर्धारण (परिसीमन) चुनाव आयोग ही करता है।

चूँकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। अतः चुनाव आयोग को स्वतंत्र निर्वाचन कराने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत के राज्यों की भौगोलिक स्थिति के कारण प्रशासनिक व्यवस्था को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में यह संभव नहीं है कि निर्वाचन एक निश्चित तिथि को सुनिश्चित स्थान पर जनता इकट्‌ठी होकर राजनीतिक तंत्र के लिए निर्णय ले सके। इसी समस्या से बचने के लिए संसदीय क्षैत्रों, राज्य विधानसभा के क्षैत्रों एवं स्थानीय निकायों के लिए अलग–अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है।

भारतीय निर्वाचन में जटिलता उस समय महसूस की जाती है जब बहुसदस्य निर्वाचन क्षैत्रों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार बहुसंख्यक हो जाते है। जैसे कि चुनाव में निम्न प्रकार के प्रत्याशी होते है –

(1) राजनीतिक दलों द्वारा घोषित उम्मीदवार जो पार्टी टिकट के आधार पर चुनाव लड़ते है।

(2) स्वतंत्र उम्मीदवार जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते है। वे भी निर्वाचन में उम्मीदवार होते है।

(3) विद्रोही एवं असंतुष्ट राजनेता भी दलों के उम्मीदवारं नहीं बनाये जाने से सीधे ही निर्वाचन में खड़े हो जाते है।

ऐसी स्थिति में चुनाव मतपत्र में उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह को मुद्रण करना, मत की गोपनीयता और उम्मीदवारों के नाम अंकित करना आदि के लिए इनसे संबंधित आंकड़ों, तथ्यों तथा सूचनाओं को संग्रहण करने में अनेक प्रकार की गहन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतदाता अपने–अपने क्षेत्र की मतदाता सूची के अन्तर्गत नाम होने पर ही मतदान करने का अधिकार रखता है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का

बार–बार पुनर्निरिक्षण प्रकाशित करता है। क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाता है। निर्वाचन की स्वतंत्रता को बनाये रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यह उस स्वतंत्रता को प्रतिबिम्बित करता है जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान निश्चित है। जो कि मौलिक अधिकार है।

यदि निर्वाचन को व्यक्ति की स्वतंत्रता की एक अभिव्यक्ति के रुप में ले तो यह कहा जा सकता है कि एक लोकप्रिय सरकार वस्तुतः एक प्राधिकृत सरकार होती है। संविधान के अन्तर्गत एक प्राधिकृत सरकार वह होती है जो नागरिकों के द्वारा निर्वाचित हो। नागरिक अपनी सरकार का निर्वाचन संविधान के अनु॰ 19 (i) द्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रभाव से करते है जो निम्न प्रकार है।[11]

(1) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने का अधिकार देता है।

(2) संविधान का अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है और इस आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(3) अनुच्छेद 326 के तहत संसदीय और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। (61 वे संविधान संशोधन 1989 के बाद वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है)

(4) अनुच्छेद 326 के तहत कोई नागरिक केवल अनिवास, चितविकृति, अपराध अथवा भ्रम या अवैध आचरण के आधार पर ही संविधान अथवा उपयुक्त विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि द्वारा मतदाता के रुप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

निर्वाचन शासन व शासित के मध्य अनुबंध की अभिव्यक्ति है अर्थात सामाजिक संविदा का संतुलन चक्र मतदान की स्वतंत्रता के रुप में परिलक्षित होता है। क्योंकि – "राज्य का संविधान एक लेख बद्ध संविदा ही होता है।[12]

संविदा का विचार संविदा के पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति की पूर्व अपेक्षा करता है। सहमत होने के लिए विक्षिप्त व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता साथ ही अवयस्क नागरिक को सामान्य संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त होते है परन्तु सरकार के निर्माण में मतदान का अधिकार नहीं होता।

अतः स्पष्ट है कि संविधान के अनु॰ 324 से 329 तक जो व्यवस्था की गई है वह सरकार निर्माण में व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतीक ही है।

निर्वाचन एक वैध सरकार के रुप में :

लोकतंत्र में एक वैध सरकार की स्थापना के लिए तीन तत्वों का समन्वय आवश्यक है–

(1) एक स्वतंत्र जनादेश।

(2) चुनाव प्रक्रिया में आम सहमति।

(3) स्वतंत्र निर्वाचन के लिए निष्पक्ष निर्वाचन तंत्र।

वैध सरकार वह है जो एक स्वतंत्र या निष्पक्ष मतादेश के आधार पर अस्तित्व में आती हो अतः वैध सरकार की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में तीन घटक आवश्यक है –

(1) निर्वाचक/मतदाता।

(2) मतों को अंकित व अधिलिखित करने वाला तंत्र।

(3) सामाजिक संदर्भ।

उल्लेखनीय है कि एन॰डी॰ पामर ने चतुर्थ घटक के रूप में उत्तरदेयता को भी इसमें शामिल किया है।[13]

यह सभी घटक राज्य के नागरिकों के प्रति उत्तरदेयता पर बल देते हैं। राज्य से नागरिक का यह अपृथक्करणीय संबंध सम्प्रभुता है। सम्प्रभुता लोकतंत्र को क्रियाशील करने की परिकल्पना है क्योंकि, यह राज्य तथा नागरिक दोनों के अधिकारों व दायित्वों

को परिभाषित करती है। राज्य के अधिकार और दायित्व जो कि व्यवहार में एक श्रेष्ठ शासन के अधिकार और दायित्व होते हैं तथा संवैधानिक प्रावधानों में निहित होते हैं। नागरिकों के अधिकार और दायित्व संविधान द्वारा निर्मित विधियों द्वारा निर्धारित होते हैं। राज्य नागरिकों के लिए कानून निर्माण करते समय सर्वोच्च हो जाता है। सर्वोच्च शब्द राज्य की विधि निर्माण की शक्ति का द्योतक है। संसद शासन की विधि निर्मात्री सत्ता का प्रतीक होती है। वैद्य सरकार के लिए संविधान व कानून बनाने का अधिकार आवश्यक है। जनता पहले संविधान को स्वीकार करती है इसी के तहत जनता कानून बनाने की शक्तियाँ मुख्य संस्था के रूप में संसद को दे देती है। यही उत्तरदायित्व लोकतंत्र की व्यापक उपदेयता को सिद्ध करता है।

चुनाव एक सम्प्रभुता के रूप में :

अर्थात् लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया द्वारा सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति संभव होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो प्रशासन निर्वाचन को सम्पन्न करवा रहा है वह निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि यह स्वयं के निष्पक्ष हुए बिना निष्पक्ष सरकार के गठन लिए मान्य नहीं होता है। निर्वाचन प्रशासन इस विषय में सक्रिय और सतर्क होता है कि मताधिकार का निष्कपट प्रयोग हो। निष्कपट मत देश के लिए एक सदाशय और सन्निष्ट सरकार को निश्चित करता है और निष्कपट मत वह है जिसका पंजीकरण और अभ्यांकन निष्कपट नीति से हुआ है। भारत में संविधान द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है कोई भी शक्ति इस अधिकार का उलंघन व अतिक्रमण करने में सक्षम नहीं है।

व्यक्ति को मत देने का अधिकार ही वह पद्धति है जिसके माध्यम से नागरिक राज्य की सम्प्रभु सरकार की स्थापना करता है। मतों के चमत्कार द्वारा ही व्यक्ति अपनी सरकार का प्रतिस्थापित संचालन करता है जिसके तीन तत्व प्रमुख हैं –

(1) मत सम्प्रभु शक्ति के व्यवहार का वास्तविक संवाहक है।

(2) मत के द्वारा सम्प्रभु सत्ता का गठन एक मौलिक अधिकार है।

(3) मत की अभिव्यक्ति व्यस्क मताधिकार के आधार पर होती है।

इन सभी तत्वों का समन्वित कार्यशील निष्पादन निर्वाचन प्रशासन के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण दायित्व है। निर्वाचन प्रशासन ही सम्प्रभु की सम्यक क्रियाशीलता को संभव बनाता है। निर्वाचन के कारण तथा निर्वाचन के द्वारा ही सम्प्रभु अपना कृत्य निष्पादित करता है तथा अपनी क्रियाशीलता को प्रकट करता है। मनुष्य कब कैसे क्या निर्णय लेता है इसके मस्तिष्क को प्रमाणित करने वाले कारण कौनसे हैं। इसकी शुद्धता की जाँच करने के लिए ही मताभिव्यक्ति को मुख्य माना जाता है। अतः मतदाता ही प्रथमतः सरकार का संभरणकर्ता होता है। सरकार मतदाता समुदाय की सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। इस सहमति का निष्कपट व निर्दोष अंकन निर्वाचन प्रशासन का दायित्व है।

निर्वाचन निष्पक्ष सरकार के रूप में :

लोकतंत्र निष्पक्ष व सदाशयी सरकारों की स्थापना के द्वारा सफल बनाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र एक संसदीय लोकतंत्र है जहाँ कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है कार्यपालिका का निर्वाचन मतदाता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते वरन् कार्यपालिका व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त दल की इच्छा से चयनित होती है संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका में मतदाता की पृथक सहमति होती है तथा कार्यपालिका में व्यवस्थापिका की सहमति निहित है यह द्विगुणित प्रतिस्थापन सरकार की निष्पक्षता व सदाशयता के अपरिहार्य व सुनिश्चित स्तर की अपेक्षा करता है। किसी सामान्य निर्वाचन में अभिव्यक्त सहमति केवल मतदाता की इच्छा को ही प्रमाणित नहीं करती, अपितु यह निवर्तमान सरकार के कार्य सम्पादन के मूल्यांकन के संदर्भ में उसके निर्णय को भी अभिव्यक्त करती है। मतदाता समुदाय की इच्छा तथा सरकार के विवेक के मध्य संतुलन अथवा असंतुलन सत्ता रूढ़ सरकार के सदाशय व निष्पक्ष होने का प्रतीक होता है। मतदाता समूह कुछ निश्चित व निर्धारित मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सरकार का गठन करता है एक निष्पक्ष व सदाशयी सरकार इन मूल्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादित करती है।

जिन देशों में लिखित संविधान है वहाँ मूलभूत मूल्यों को संविधान में ही अभिव्यक्त कर दिया जाता है। यह मूल्य मतदाताओं की आकांशाओं के अंश होते हैं तथा सरकार को अदिष्ट करते हैं कि, वह अपनी ऊर्जा क्षमता व संसाधनों का मतदाताओं के पक्ष में उन मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए विनियुक्त करें शासन रूपी पोत का परिचालन करने वाले

व्यक्तियों का मूर्त रूप सरकार की वास्तविक संरचना एक निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचन का ही परिणाम होती है इस तरह निर्वाचन से यह आशा की जाती है कि यह निष्पक्ष सरकार की स्थापना करे।

निर्वाचन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में :

लोकतंत्र व निर्वाचन अर्न्तसम्बंधित है क्योंकि निर्वाचन के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं रह सकता तथा जहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र एक राजनीतिक मूल्य है तथा यही सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक मूल्यों को स्थापित करने का स्त्रोत भी माना जाता है। इस कारण यह कहा जाता है कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति मात्र ही नहीं बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी है। क्योंकि निर्वाचन लोकतंत्र से अनिवार्य रूप से सम्बद्व है और लोकतंत्र सुनिश्चित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है अतः निर्वाचन पर मूल्यों की धारणा का स्वतः आरोपण हो जाता है। यही लगता है कि निर्वाचन लोकतंत्र व मूल्य एक ही प्रक्रिया के विशिष्ट चरण बन जाते हैं लोकतंत्र निर्वाचन का ही वरदान है तथा मूल्यों का महत्त्व तभी तक है जब तक कि लोकतंत्र का अस्तित्व है। बल्कि यह कहना उचित माना जाता है कि निर्वाचन बीज है लोकतंत्र भूमि है तथा मूल्य फल है।[14]

लोकतंत्र मूल्यों से अस्तित्व में आता है और निर्वाचन लोकतंत्र का प्रसव करता है निर्वाचन मूल्यों की सिद्धि का भी एक भाग है। निर्वाचन से मूल्य निर्धारण नहीं होते बल्कि यह उन मूल्यों की समस्त योजना में एक संयंत्र मात्र है। निर्वाचन ही लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करता है। निर्वाचन के साथ राज्य द्वारा अतिप्रिय मूल्यों को सार्थक नीति प्रदान करने की अपेक्षा स्वतः ही संयुक्त हो जाती है। यह स्थिति लोकतंत्र और निर्वाचन की अपृथकता की अभिव्यक्ति करती है। निर्वाचन मूल्यों का परिपोषक तो नहीं होता पर वह मूल्यों के अभिरक्षणकर्ता का सृजक अवश्य होता है। व्यक्ति ही लोकतंत्र में मूल्यों को गतिमान, स्फूर्ति, प्रेरणा व उत्सुकता प्रदान करता है। जो व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेता है वह सरकार नहीं चलाता है वह तो संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को निरंतरता प्रदान करने के लिए सरकार का निर्माण करता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार नागरिकों के मूल्यों का अभिरक्षण करे, इस कसौटी पर सरकार की औचित्यपूर्णता भी

सिद्ध करनी होती है। सरकार पर ही नागरिकों के प्रति निष्ठा पूर्वक कार्यो को निष्पादित करने का शासकीय दायित्व होता है। निर्वाचन का आधारभूत महत्त्व निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि –"संसद, विधानमण्डल, राष्ट्रपति, व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का आयोजन केन्द्रिय निर्वाचन आयोग करेगा इसे केन्द्रिय सूची के विषयों में रखा गया है ताकि निर्वाचन में एकरुपता बनी रहे।[15]

भारत में निर्वाचन व्यवस्था का विकास :

भारतीय राजनीति में निर्वाचन का प्रारम्भ 1892 के इण्डियन कोंसिल एक्ट में देखा जा सकता है। इस कानून द्वारा प्रान्तीय परिषद् और केन्द्रीय विधायी परिषद् की कुछ अशासकीय सीटों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान प्रथम बार किया गया।[16]

निर्वाचन के इस सूक्ष्म प्रावधान को मॉलै–मिन्टो कानून 1909 में स्पष्ट और व्यापकरूप से अंगीकार किया गया है और इसी समय निर्वाचन को साम्प्रदायिक आधार भी दिया गया।[17]

1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और निर्वाचन को प्रत्यक्ष भी बनाया गया। परन्तु, साम्प्रदायिक और वर्णों के आधार पर बहु आलोचित विशिष्ट निर्वाचन की व्यवस्था इस कानून द्वारा भी निरंतर जारी रखी गई, 1928 में साइमन कमीशन ने चुनाव को और अधिक व्यापक बनाने का सुझाव दिया है तथा इसमें वयस्क मताधिकार का प्रतिशत बढ़ाने और महिलाओं को भी मताधिकार देने की संतुति की।[18]

1935 के अधिनियम में भी साम्प्रदायिक निर्वाचन को विद्यमान रखा गया मताधिकार अभी भी प्रमुख रूप से शिक्षा, सम्पत्ति व आय की योग्यताओं पर आधारित था निर्वाचन भी इस बढ़ती लोकप्रियता से जन साधारण में सार्वजनिक मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ी और लोगों ने सरकार के काम काज में रूचि लेना प्रारम्भ किया जिससे नेतृत्व का भी विकास हुआ।

ब्रिटिश शासनकाल में भारत में एक तरह से प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का सूत्रपात हो चुका था परन्तु आम जनता तक इसकी पहुँच नहीं थी क्योंकि मताधिकार उस समय बहुत सीमित था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ और भारतीय जनता लोकतंत्र की प्रक्रिया में धीरे–धीरे सक्रिय होती गई। इस सन्दर्भ में के०एम०पन्निकर का कथन अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है – "लोकतंत्र की अद्वितीय विशेषता सार्वजनिक मताधिकार को अपनाना ही भारतीय संविधान का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है अपनी लोकतांत्रिक महत्ता के अलावा व्यस्क मताधिकार के सामाजिक संकेत भी हैं। क्योंकि कई ऐसे सामाजिक समूह जो अभी तक अपनी ताकत से अनभिज्ञ थे और और राजनीतिक परिवर्तन से अछूते थे यकायक पहचानने लगे कि वे भी कुछ शक्ति रखते है।[19]

संविधान सभा ने देश के लिए संसदीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति को स्वीकार किया देश के राष्ट्रपति, केन्द्रीय एवं राज्यों की व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुने जाकर सम्पूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे इस आशा को साकार किया गया। संसद के लोकतंत्रीय सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाये तथा प्रथम सदन का चुनाव एक व्यक्ति एक मत, एक निर्वाचन क्षेत्र एवं व्यस्क मताधिकार एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाये इसी प्रकार संघ की प्रान्तीय इकाईयों के विधान मण्डलों में लोकप्रिय सदन के लिए भी यह पद्धति स्वीकार की गई। केन्द्रीय एवं राज्य विधान मण्डलों के द्वितीय सदन तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष एवं आनुपातिक पद्धति से किया जाना निश्चित किया गया। राज्यों के संवैधानिक अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

इन समान निर्वाचनों को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शंका रहित बनाने के लिए संविधान के तहत एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्याख्या एवं व्यवस्था की गई जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहकर इन निर्वाचनों का संचालन करें।

संविधान सभा में भारतीय निर्वाचन की स्वतंत्रता के लिए निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिए गये –

(1) सार्वजनिक वयस्क मताधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(2) चुनावों का आयोजन स्वतंत्र व गोपनीय हो।

(3) चुनावों का आयोजन संघीय सरकार के कानून के अधीन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाये।[20]

संविधान सभा की प्रारुप उप समिति में निर्वाचन तंत्र पर बहस के समय यह संशोधन गोपालास्वामी आयंगर ने मान लिया था कि निर्वाचन आयोग को सिर्फ संघीय चुनावों का दायित्व दिया जाये इसी आधार पर प्रारुप समिति ने दोनों पृथक–पृथक तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया। 15 जून 1949 को B.R. अम्बेडकर ने उक्त प्रावधान में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसके परिणाम स्वरुप अनु॰ 324 के तहत निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया।[21]

अन्ततः संविधान में यह अंगीकार किया गया कि एक सदस्यीय स्थायी आयोग ही रहेगा। परन्तु इसमे यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार इसमे वृद्धि कर सकता है। प्रयास निर्वाचन आयोग को दोष रहित बनाना था इसीलिए हृदयनाथ कुँजरू ने कहा था कि "अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतंत्र अपने उदभवकाल में ही डगमगा जायेगा।[22]

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि– "जल्दी–जल्दी चुनाव होने और राजनीतिक दलों में विभाजन से देश का निर्वाचन आयोग एक ऐसे सत्ता केन्द्र के रुप में उभरना चाहिए जो चुनाव के पहले राजनीतिक दलों के आचरण और सरकार के काम काज पर कडी नजर रख सके।[23]

अन्ततः विशेष रुप से अनु॰ 324 में यह निर्दिष्ट किया गया कि संविधान के अन्तर्गत सृजित संसद, राज्यों के विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण चुनाव आयोग में ही निहित होगा इस अनु॰ के तहत निर्वाचन आयोग की सरंचना के निम्न प्रावधान किये गये है –

(1) संसद एवं राज्यों के विधानमण्डलों के चुनाव के लिए नामावली तैयार कराने एवं समस्त निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने की शक्ति निर्वाचन आयोग में ही निहित होगी।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त अथवा राष्ट्रपति जिन्हें समय–समय पर नियत करें के द्वारा निर्वाचन आयोग बनेगा। इसकी नियुक्ति संसद के द्वारा बनाये गए कानूनी उपबन्धों के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के मुख्य सभापति के रूप में कार्य करेगा।

(4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेगा।

(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(6) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही पद्धति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है।

(7) प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संतुति के बिना नहीं हटाया जायेगा।[24]

(8) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए तीन पद सचिव के रखे गए हैं।

(9) निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है इसे कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है जिससे वह निष्पक्षता से कार्य सम्पादित कर सके।

(10) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते समय मंत्रिमण्डल की सलाह एवं विरोधी दल के साथ सलाह करने के बाद ही राष्ट्रपति को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए।[25]

अनु॰ 324 के अतिरिक्त, अनु॰ 325, अनु॰ 326, अनु॰ 327, अनु॰ 328 व अनु॰ 329, में भी चुनाव आयोग के संबंध में ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं।

इस दृष्टि से निर्वाचन आयुक्त की पदावधि एवं सेवा शर्तों पर विचार किया जाये तो सर्वप्रथम यह स्वीकार किया जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त की पदावधि संसदीय विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई सेवा अवधि 5 वर्ष रखी गई थी। 1972 में यह प्रावधान कियास गया कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही वह पद पर रह सकता है। इसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

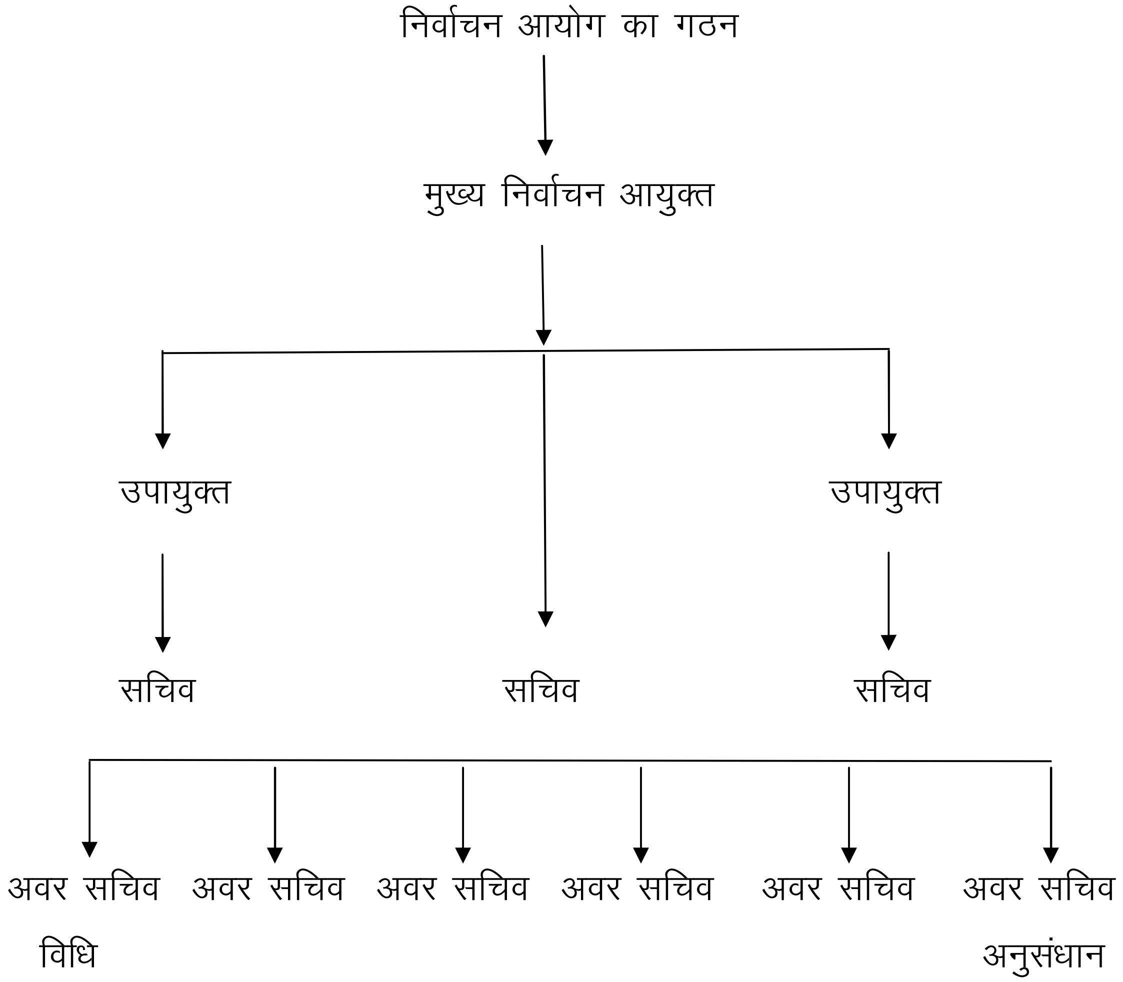

अनुभाग अधिकारी – 45 सहायक, 5 स्टेनो ग्राफर, 3 अनुसंधान सहायक, 7 हिन्दी अनुवादक, (3 वरिष्ठ व 4 कनिष्ठ) 29 वरिष्ठ लिपिक, 43 कनिष्ठ लिपिक, 58 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस प्रकार कर्मचारियों की व्यवस्था की गई।

चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य –

भारतीय अनु॰ 324 (i) के तहत देश के सभी चुनावों के आयोजन, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। चुनावों में शांतिमय और समुचित व्यवस्था के लिए यह समस्त प्रशासनिक तैयारियों की देख रेख एवं आंकलन करता है।

निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के परीसीमन से लेकर मतगणना और परिणामों की घोषणा तक की समस्त निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए संवैधानिक दायित्व सौपा गया है। इनमे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य निर्वाचन नामावली तैयार करना, इसमें समय–समय पर संशोधन एवं नवीनीकरण करना, प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व यह किया जाता है। इसके संबंध में संविधान में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन एवं राज्य विधानमण्डल के सदस्यों एवं अन्य प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचक नियमावली होगी।

मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही नागरिक को निर्वाचक नामावली में मतदाता के रुप में नाम दर्ज कराने का अधिकार था परन्तु 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

निर्वाचन आयोग संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति व राज्यपालों को परामर्श देता है। इसमे राष्ट्रपति व राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा लेकिन वे ऐसा करने से पूर्व निर्वाचन आयोग की अनिवार्य रूप से सहमति लेंगे।

प्रत्येक राज्य में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिलाधीश की नियुक्ति की जायेगी। इसमें निम्न अन्य अधिकारी होंगे –

(1) निर्वाचन पंजीयन अधिकारी
(2) सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी
(3) पीठासीन अधिकारी

इनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन तंत्र के द्वारा ही की जाती है। निर्वाचन आयोग संसद एवं विधानमण्डलों में रिक्त हुए स्थानों के लिए उप चुनाव का आयोजन करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों व कार्यक्रमों की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति व राज्यपाल से प्रार्थना करता है कि चुनावों में आयोजन के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराये।

निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं क्षैत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है एवं उनकी मान्यता समाप्त कर सकता है तथा इन मामले में उत्पन्न समस्त विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग ही करता है।

निर्वाचन आयोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित करता है व ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण भी करता है।

निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके सामान्य आचार संहिता को घोषित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है।

जन प्रतिनिधित्व अधि. 1950–51 के द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर चुनाव की घोषित तिथि तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं नामांकन पत्र प्रस्तुतिकरण के बाद जाँच के पश्चात् नाम वापस लेने की तिथि निश्चित होती है। इसके समाप्त हो जाने के पश्चात् जो नाम चुनावी मैदान में रह जाते हैं उनके नामों की घोषणा की जाती है।

प्रायः नाम वापस लेने की अवधि और मतदान की तिथि के मध्य राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए लगभग 20 दिन का ही समय मिलता है। इस अवधि में विभिन्न दल अपने–अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। चुनाव घोषणा पत्रों में मतदाता के लिए संकेत दिया जाता है कि उन्हें शासन का अधिकार प्रदान किया तो आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व वैदेशिक हित आदि में उनकी नीतियाँ इस प्रकार की होगी।

इस प्रकार निर्वाचन अभियान में मतदाता सक्रिय और सजग हो जाता है। सार्वजनिक सभाऐं, भाषणों, दूरदर्शन व आकाशवाणी आदि में प्रचार के माध्यम से मतदाता का ध्यान खींचने का प्रयास सभी प्रमुख दलों द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में मतदाता का राजनीतिकरण हो जाता है। मतदाता सभी विकल्पों में से एक विकल्प अपनाकर चयन की स्थिति तक पहुँचता है। **नार्मन डी पामर** ने इस अभियान के निम्न उद्देश्य बताये हैं।[26]

निर्वाचन अभियान का पहला चरण मतदान शुरू होने के समय से 40 घंटे पूर्व बंद हो जाता है इसके पश्चात् घर–घर जाकर सम्पर्क किया जाता है मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतपेटियाँ वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक स्थान पर एकत्रित की जाती है। मतगणना करके सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी की निर्वाचन में भूमिका :

भारत में प्रत्येक जिलाधीश को जो कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है उसे जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व वहन करना होता है इस क्रम में उसके कार्यों का विवरण निम्नानुसार है –

1. निर्वाचन के प्रबंध कार्यक्रमों का पूर्व निर्धारण करना।
2. निर्वाचन के काम में आने वाली सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करना।
3. मतदान केन्द्रों को निर्धारित करना।
4. मतदान दल का गठन करना तथा उनको प्रशिक्षण देना।
5 वाहनों का अधिग्रहण कर उपलब्ध कराना।
6 चुनाव की जन सूचना फार्म नं 2 में जारी करना।
7 नामांकन पर्चों के रद्द किये जाने पर उससे संबंधित कारण अंकित करना

8 चुनाव क्षेत्रों में प्रत्याशीयों का चुनाव चिन्ह जारी करना।

9 वैद्य नामांकन पत्र के आधार पर मत–पत्र तैयार करना व इनकी सूची प्रकाशित कराना।

10 चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्रों की व्यवस्था करना।

11 जिले में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों से सम्पर्क कर स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कराना।

12 नामांकन पत्रों की जमानत राशि जमा करना।

13 नामांकन के बाद प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराना।

14 नामांकन पत्रों की जाँच करना।

15 मतदान दलों को चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों पर पहुँचाना तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मतपेटियाँ इत्यादि उपलब्ध कराना।

16 निर्वाचन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण करना।

17 मतदान का स्थान निर्धारित करना वहाँ क्या करना है उसका प्रशिक्षण देना और संबंधित अन्य सभी आवश्यक तैयारियाँ करना।

18 निर्वाचन परिणामों की घोषणा करना।

19 मतदान के बाद समस्त सामग्री को सुरक्षित रखना।

20 चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आय–व्यय के विवरण को रखना।

21 राज्य व केन्द्र को चुनाव के विवरण को भेजना और निर्वाचन आयोग से आने वाले प्रपत्रों की पालना करना।

22 जिन मतदान केन्द्रों पर हिंसा तनाव उपद्रव व लूट–पाट जैसी स्थिति हो जाती है वहाँ पुनः मतदान कराये जाने का प्रबन्ध करना।

23 मृत्यु या अन्य घटना के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिए उप–चुनाव की व्यवस्था करवाना।[27]

चूँकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दण्ड संहिता में निम्नलिखित कृत्यों को चुनावी अपराध की संज्ञा दी गई है अतः यदि ऐसा होता है तो उन्हें रोकने और परिस्थिति अनुसार दण्ड की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। ये कृत्य है :–

1 चुनाव अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाना।

2 चुनाव अधिकारियों व मतदाताओं को रिश्वत देना।

3 धर्म जाति नस्ल भाषा आदि के आधार पर मतदाताओं के बीच परस्पर वैमनस्य पैदा करना।

4 धर्म जाति नस्ल भाषा आदि के नाम पर मतदाताओं से वोट देने की अपील करना।

5 चुनावी प्रचार में धार्मिक चिन्हों व धर्म गुरूओं का प्रयोग करना।

6 चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग करना।

7 चुनाव में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की अनावश्यक सहायता करना।

8 सरकारी मशीनरी वाहनों आदि का प्रयोग चुनाव कार्यों के लिए करना।

9 निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना और काले धन का उपयोग करना मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपहार आदि देना।

10 मतदान केन्द्रों तक आने व वापस जाने के लिए मतदाताओं को वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाना।

11 किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहना या प्रसारित/प्रकाशित करना

12 प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद आम सभा को सम्बोधित करना।

13 विरोधी उम्मीदवारों के पर्चे पोस्टर की छपाई में व्यवधान डालना।

14 विरोधी उम्मीदवारों के पर्चे पोस्टर व बैनरों को फाड़ना व उन्हें नष्ट करना।

15 मतदान की गोपनीयता का उलंघन करना। मतदान के समय मतदान केन्द्र के इर्द–गिर्द चुनाव प्रचार करना तथा मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करना।

16 सरकारी कर्मचारी का पोलिंग ऐजेन्ट के रूप में कार्य करना।

17 मतपत्रों व मतदान पेटियों को नुकचान पहुँचाना।

18 फर्जी मतदान करना और करवाना।

19 योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करना।

20 अयोग्य व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना।

21 विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना।

22 दोहरा पंजीकरण।

23 कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोकना।

24 कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना विरोधी प्रभावी वर्ग के क्षेत्रों में करना।

25 चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों का चुनाव घोषणा के बाद स्थानान्तरण करना।

26 चुनाव की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ दल द्वारा रियायतों की घोषणा।

27 विकास कार्यक्रमों की घोषणा और सार्वजनिक कार्यों का उद्‌घाटन व शिलान्यास करना।

28 नामांकन पत्रों पर प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर करना।

29 मतदाताओं को डराना धमकाना।

30 अनाधिकृत रूप से पोस्टर बेनर आदि लगाना।

यदि ये कृत्य बढ़ते जाते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में भी दोष आ जाते हैं जिनके कारण आम जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठने लगता है। इन दोषों को दूर करके या इन पर नियंत्रण रखकर ही हम अपने देश की जनता का भरोसा लोकतंत्र में कायम रख सकते हैं। भारत में सभी स्थितियाँ उचित और दोष रहित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता भी महसूस की गई है। इसमें तारकुंड़े समिति में सुझाव एवं मोहन धारिया के सुझाव जन प्रतिनिधित्व विधेयक 1996 आदि की अनुशंसाओं पर अनेंक सुधार लाने के प्रयास किये गये हैं फिर भी आवश्यक है कि भद्दे और अपशब्द न बोले जायें और न ही ऐसे नारे लगाये जाये। सरकारी भवनों पर भी पोस्टर आदि न लगाये जाये। दूसरे उम्मीदवार की सभा जुलूस आदि में बाधा न ड़ालें आचार संहिता ऐसे बनाये कि मतदाता जागरूक भी हो और उसे राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिले ऐसा होने पर ही मतदाता सच्चे अर्थों में अपने प्रतिनिधि चुन सकेगें। चुनाव आयोग ने भी इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये हैं और सुधार लाने का प्रयास भी किया है। अतः आवश्यक है कि चुनाव आयोग का पुनर्गठन और विस्तार हो मतदाताओं को अधिक जागरूक किया जाये चुनाव याचिकाओं का निस्तारण शीघ्र हो चुनाव व्यय सीमा का शांति से पालन कराया जाये। प्रचार की अवधि सीमित हो भुजबल व धन बल से पैदा हुए दोषों को दूर किया जाये। सरकारी तंत्र के दुरूपयोग को रोका जाये मतदाता सूचियों का आद्यतन संशोधन

होना चाहिए। सभी प्रकार के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाये।

अतः स्पष्ट है कि दोषों को दूर किया जा सकता है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक दलों की ईमानदार भावना से चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ व निष्पक्ष बनाया जा सकता है यदि ऐसा हो जाता है तो निर्वाचन लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय एकता की दिशा में असाधारण योगदान कर सकते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में दिये गये विवरण से यही स्पष्ट होता है कि चुनाव और चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है किन्तु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। अतः लोकतंत्र में चुनाव होते हैं यह भी महत्त्वपूर्ण है और इससे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भाँति होते हैं चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता व ईमानदारी पर कितना विश्वास होता है।

भारत देश एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर आये दिन चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों या जन प्रतिनिधियों का चयन करती है। जनता शासकों पर नियंत्रण रखती है सरकार को वैधता प्रदान करती है सम्प्रभुता सुनिश्चित करती है लोकतांत्रिक मूल्यों चुनाव और चुनाव प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करती है और सरकार को इस रूप में बदलने का प्रयास किया जाता है कि वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करे यह कहना निर्विवाद है कि भारत जैसे देश में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है। लोकमत का निर्माण उसकी अभिव्यक्ति और उसके अनुसार सरकार निर्माण हमारा अभिष्ट है। इसी कारण भारत में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की संस्थाऐं चुनाव की प्रक्रियणओं में बंधी हैं। संविधान चुनाव आयोग के माध्यम से ही अपनी व्यवस्थाओं को लागू करता है। अतः निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रायः राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनको महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से ही हटाया

जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। इनको वेतन भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। एक सुनिश्चित आचार संहिता को स्वीकार किया गया है फिर भी हम यह कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग को और सख्त रहना चाहिए क्योंकि अनेक बार क्षेत्रीय धार्मिक और जातिगत मुद्दे ज्यादा मुखर हो जाते हैं।[28]

अंततः यही स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे देश के राजनीतिक विकास में निर्वाचन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। यद्यपि प्रजातंत्रीय निर्वाचन में साधारण बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था द्वारा पूर्ण राष्ट्रीय सहमति तो प्राप्त नहीं की जा सकती तथापि राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय एकता की दिशा में समय– समय पर निर्वाचन असाधारण योगदान करने में सफल रहे हैं।

****

संदर्भ सूची

1. संघवीं डॉ॰ लक्ष्मी मल, "भारत के निर्वाचन और सुधार" ,रिसर्च पब्लिकेशन, दिल्ली, 1972 पृ॰सं॰ 8

2. शिल्स एडवर्ड, "पॉलिटिकल डवलपमेंन्ट इन दि न्यू स्टेटस", ग्रॉबन हेग मोंटो, 1969 पृ॰सं॰ 38

3. वही, पृ॰सं॰ 322

4. सिन्थलर Ward J.A. ,"अरस्तू दी पॉलिटिक्स", बुक III चेप्टर 1–11 Edit 1962, पृ॰सं॰ 15–127

5. शर्मा डॉ॰ पी॰डी॰,"प्रजातंत्र चुनौतियाँ और उत्तर", कॉलेज बुक डिपो जयपुर, 1996, पृ॰सं॰ 1

6. जैन एम॰पी॰ए॰, "राजनीति सिद्धान्त", सम्पादित ज्ञान सिंह सन्धु, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2000, पृ॰सं॰ 292

7. मेकेन्जी डब्लू॰जे॰एम॰,"फ्री इलेक्शन ऐलीमेन्ट्री",जोर्ज ऐलन एण्ड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1958

8. जूनियर वी ओ के, "ए थ्योरी ऑफ क्रिटिकल इलेक्शन एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेंट", विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1976, पृ॰सं॰ 2

9. गेना सी॰बी॰,"तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ", विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1978, पुनः मुद्रित संस्करण, पृ॰सं॰ 965–981

10. कोरी व अब्राहम, "ऐलीमैन्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेट", III न्यूयोरम आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1950, पृ॰सं॰ 171

11. शर्मा अशोक, "भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन", अनुसंधान व विशद अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984, पृ॰सं॰ 6–8

12. चतुर्वेदी आर जी, "स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मेन", मैट्रोलिटन बुक कम्पनी, दिल्ली, 1971, एक प्राक्कथन

13. वही, पृ॰सं॰ 10

14. शर्मा अशोक, वही, पृ॰सं॰ 17

15. "भारतीय संविधान, केन्द्रिय सूची", की 72 वीं प्रविष्ठि

16. "Report of the Indian staturary commission", Vol. I, पृ॰सं॰ 116

17. माहेश्वरी श्रीराम,"द जनरल इलेक्शन इन इण्डिया", चैतन्य प्रकाशन, इलाहाबाद, 1963, पृ॰सं॰ 41

18. वही, Vol. II, पृ॰ सं॰ 92

19. कौशिक सुशीला,"भारतीय शासन एवं राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1974, पृ॰सं॰ 55

20. बी शिवराय, "दि फ्रेमिंग ऑफ इण्डियाज कॉस्टीटयूशन", ए स्टडी, नई दिल्ली, 1968, पृ॰स॰ 460

21. "संविधान सभा का वाद विवाद", Vol. IV, 29 जुलाई 1947, पृ॰सं॰ 17

22. जैन पुखराज एवं फड़िया बी एल, "भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2015 पृ॰सं॰ 749

23. वही, पृ॰स॰ 749–750

24. "संविधान सभा का वाद विवाद" Vol. VIII, 15 जून 1949, पृ०सं० 905

25. भल्ला आर पी, "Election in India, S Chand & Company, नई दिल्ली, 1973, पृ०स० 11

26. चतुर्वेदी मधुकर श्याम, "दी कन्स्टीट्यूशन डायमेसन्स ऑफ दी ऑफिस ऑफ दी प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया", शोध प्रबन्ध, पृ०सं० 303–304

27. वही, पृ०सं० 83

28. "इण्डिया टुडे", सितम्बर 8, 1999, पृ०सं० 26–28

****

अध्याय तृतीय

राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीति का ऐतिहासिक परिचय

अध्याय तृतीय

राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व देसी रियासतों का क्षेत्र रहा है। सन् 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता के सूर्योदय तक के दशकों में राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम कई मोड़ो से गुजरा 1857 की क्रांति में अनेक राजस्थानियों ने नायकों की भूमिका अदा की फ्रांस के शहीद वेले ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है इसी कथन की अक्षरतः अनुपालनार्थ सशास्त्र क्राँति की योजनाऐं भी राजस्थान की भूमि पर बनी शोषण व अत्याचार के विरूद्ध जनाक्रोश का ज्वालामुखी भी इसी पावन धरा पर विस्फुटित हुआ। अन्नदाता किसानों ने शोषण के खिलाफ बिजोलिया में विद्रोह कर डाला 28 दिसम्बर, 1885 को राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना हुई जिसके मुख्य सदस्य रामगोपाल कायस्थ, फतह चंद खुबिया, हर विलास शारदा तथा जगदीश प्रसाद दीपेन्द्रा राजस्थान के ही निवासी थे।

क्राँग्रेस के नेतृत्व में कई जनांदोलन राजस्थान में हुए राजस्थान में प्रजामण्डलों एवं लोक परिषदों ने भरसक प्रयास किया कि राजस्थान की जनता को शोषण से मुक्ति मिले प्रखर ध्येय, निष्ठा, अतुलनीय कथन, असीम प्रयासों से लम्बे संघर्ष के परिणामस्वरूप हमें 15 अगस्त,1947 को पवित्र स्वाधीनता का सूरज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वाधीनता का यह यज्ञ अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा रणचंडी ने हमसे जो मांगा वह देशवासियों के साथ–साथ राजस्थान वासियों ने भी समर्पित किया।

प्रश्न उठता है कि यह उग्र साधना एवं हुतात्मा की धधकती हुई ज्वाला को उन्होंने क्यों गले लगाया? क्राँति की वेदी पर अर्पण करने के लिए हम अपना यौवन रूप लाये तो क्यों? यह समर्पण की भावना उसमें किसने जगाई? असंख्य विघ्न पग –पग पर सम्मुख होते हुए भी स्वंय के निश्चय से तिलभर भी न हटने की वज्र कठोरता उनमें किसने उत्पन्न की? रोम–रोम में किसने अदभुत साहस की भावना भरी? उत्तम उद्दात, उन्मूल महत्त्व और मधुर ऐसा कौनसा ध्येय उनके सम्मुख था? निश्चय ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में छिपे हुए हैं।

जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह के सामने जब यह बात आयी कि राजस्थान को कैसे वास्तविक रूप दिया जाये और वे अन्तर वेदना से भर गये महाराजा की जीवनी के लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक बार महाराजा ने स्वतंत्र रहने का भी सोचा था लेकिन खून खराबे का भय था।[1]

महाराजा ने अपने पुत्र को लिखा कि जो स्थिति अब राजपूताना की मेरे सामने है उसकी स्पष्ट तस्वीर तुम्हें दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ यह लिखते हुए मेरा ह्रदय फट रहा है परन्तु भय है कि राजपूताना पिघलाने या गलाने वाले बर्तन के समान हैं और देखता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। जब तक कि उसका राजा नेतृत्व करने तथा त्याग करने को तैयार नहीं हो इस अंश से स्पष्ट है कि महाराजा को इस बात का बहुत दुःख रहा कि राजपूताना की रियासतें समाप्त हो रही हैं जो वह नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि रियासतें व राजाशाही पूर्ववत ही बनी रहें लेकिन वह स्वयं अपने आपको इतना निर्बल समझते थे कि उन्हें बचाने,नेतृत्व एवं त्याग करने के लिए आगे आने में हिचक रहे थे उन्हें किसी अन्य के आगे आने तथा नेतृत्व करने की क्षमता भी अनुभव नहीं हो रही थी। अतः उन्होंने माना कि राजपूताना का भविष्य अब उज्जवल नहीं है।

राजस्थान के एक सेवानिवृत आई॰ए॰एस॰ अधिकारी श्री कोचर ने महाराजा मानसिंह के एक ऐसे प्रयास का जिक्र अपनी पुस्तक “रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान” में किया है उसके आमुख में उन्होंने लिखा है कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने भी सभी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रयास किया था उनका प्रस्ताव था कि रियासतें अपना अस्तित्व कायम रखते हुए केवल कुछ विषय यथा – उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा एवं पुलिस प्रस्तावित संघ को सोंप दे।[2]

उपरोक्त पत्र में आगे जयपुर महाराजा ने जोधपुर महाराजा को भी लिखा कि उनकी न केवल आर्थिक स्थिति खराब है बल्कि राजा ने यूरेशियन सामान्य लड़की से विवाह करके इतिहास बनाया है और अपनी रियासत के लोगों की निगाह में राज्य तथा स्वंय के कद को छोटा कर लिया है।

महाराजा मानसिंह ने बीकानेर के तात्कालीन महाराजा सार्दुल सिंह तथा उनके मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाये कि महाराजा बीकानेर जो अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं लेकिन पाकिस्तान से अपनी रियासत में माल की तस्कारी करके रियासत को बर्बाद कर दिया है वह तथा उनके मंत्रिगण व्यक्तिशः तस्करी में सम्मिलित हैं।

महाराजा मानसिंह ने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के बारे में भी लिखा कि उदयपुर ने स्वेच्छापूर्वक विलय कर लिया और आज वह संयुक्त राजस्थान का भाग है। यह पत्र वृहत् राजस्थान के निर्माण से पूर्व 18 अप्रेल 1948 के बाद लिखा गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्बल महाराणा अपंग हैं और उनके सलाहकार उनके प्रति निष्ठा से काफी दूर हैं और गलत राय देकर उनकी स्थिति का बेजा लाभ उठाया जा रहा है। अतः राजपूताना के राजपूतों का सिरमोर राज्य मेवाड़ भी ऐसा नहीं रहा। अपनी रियासत जयपुर के बारे में महाराजा मानसिंह ने लिखा – "जयपुर जिस रियासत का हमें होने का गौरव प्राप्त है सबसे अलग है भारत में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार का दोष निकाल सके या उसके राजा, प्रशासन या जनता को दोषी ठहराने के लिए उंगली उठा सके।

राजपूताना के प्रमुख राजवंश की ऐसी मनोस्थिति के दौरान ही जनवरी, 1948 से राजपूताना की तत्कालीन रियासतों के एकीकरण की दिशा में प्रयत्न शुरू हो गये थे। भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव वी॰पी॰ मेनन एकीकरण के लिए पूरी भाग दौड़ कर रहे थे राजाओं का मान भी रह जाये और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ती भी हो जाये क्योंकि सरदार पटेल तथा मेनन अच्छी तरह से समझते थे कि सदियों के दैविक अधिकार को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन भारत सरकार की शक्ति तथा राजाओं में एकता के अभाव को सभी पक्ष अच्छी तरह से समझते थे राजाओं ने समझ लिया था कि जब अंग्रेज जैसी महाशक्ति को भी जनता की आवाज के बाद सत्ता छोड़ने को विवश होना पड़ा है तो देश की छोटी बड़ी रियासतों की क्या शक्ति और हैसियत है ? यह भी उस स्थिति में जब जनता उनके साथ नहीं है। फिर कश्मीर में सन् 1948 में पाकिस्तान के कबाइली विद्रोह ने जिस प्रकार से उसे मुँह की खानी पड़ी थी उससे राजाओं को अपनी स्थिति का अहसास हो गया था इसलिए जयपुर महाराजा ने भविष्य की रेखाओं को पढ़कर सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में रखने की नीति अपनाई और यह सोचा

कि वह स्वंय राजप्रमुख बने तथा जयपुर को राजधानी बनाया जाये तथा राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री उनका व्यक्ति बन जाये तो कम से कम अपनी इच्छापूर्ति करा सकेगें या बेगानापन तो अनुभव नहीं करेंगे। जब राजाओं की ऐसी मनःस्थिति थी तब राजस्थान के निर्माण पर 30 मार्च, 1949 को दस्तख़त हुए और उसी दिन अन्ततः राजस्थान ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि आजादी के पूर्व राजपूताना तीन भागों में विभाजित था – रियासतें, चीफशिप एवं ब्रिटिश शासित प्रदेश, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश कीरियासतों को चार भागों में बाँट दिया था ये भाग थे –

1. पूर्वी राजपूताना स्टेट ऐजेंसी।

2. जयपुर ऐजेंसी।

3. मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना स्टेटस।

3. पश्चिमी राजपूताना स्टेटस ऐजेंसी।

राजपूताना में 19 सलामी रियासतें व 3 गैर सलामी रियासतें तथा 3 चीफशिप थीं। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर तथा सबसे छोटी लावा चीफशिप थी सबसे पुरानी मेवाड़ रियासत थी परन्तु अत्र–तत्र बिखरी रियासतों का शासन जनतांत्रिक व्यवस्था से करना संभव नहीं था और ना हीं अचानक रियासतों का एकीकरण करना संभव था राजपूताना एक सुदृढ़ और अभग्न राज परम्परा में आबद्ध था राजा महाराजा आपस में कठोर पदक्रम में बंधे हुए थे राजत्व की भावना गहरी पेठ जमा चुकी थी। पर्याप्त संख्या में जनता भी राजसत्ता के प्रति गहरी निष्ठा और राज भक्ति रखती थी राजा महाराजाओं को मालिक अन्नदाता कहकर संबोधित किया जाता था।

सरदार बल्लभ भाई पटेल के भागीरथ प्रयासों से राजपूताना की रियासतों का एकीकरण निम्न सात अवस्थाओं/चरणों में जाकर पूरा हुआ –

क्रम. सं.	निर्मित संघ का नाम	निर्माण तिथि	संघ में शामिल रियासतें
1.	मतस्य संघ	17 मार्च, 1948	अलवर,भरतपुर, धौलपुर, करौली
2.	राजस्थान संघ	25 मार्च, 1948	बांसवाड़ा, बुन्दी, डूँगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़,कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक।
3.	संयुक्त राजस्थान	18 अप्रेल, 1948	राजस्थानसंघ + उदयपुर।
4.	वृहद् राजस्थान	30 मार्च, 1949	संयुक्त राजस्थान+बीकानेर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर।
5.	संयुक्त विशाल राजस्थान	10 अप्रेल, 1949	वृहद् राजस्थान+मतस्य संघ।
6.	राजस्थान संघ	26 जन.,1949	वृहद् राजस्थान+मतस्य संघ।
7.	वर्तमान राजस्थान	01 नव.,1956	राजस्थान संघ + अजमेर – मेरवाड़ा, आबू व सुनेल।

इससे स्पष्ट है कि पहली अवस्था में पूर्वी राजपूताना में स्थित चार रियासतों अलवर, करौली, धौलपुर व भरतपुर का विलय पूरा हुआ अलवर और भरतपुर देश के विभाजन के पहले और पश्चात् साम्प्रदायिक उपद्रवों से काफी दहल चुके थे। भारत सरकार ने दोनों रियासतों तथा करोली व धौलपुर की समीपवर्ती रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का निर्णय लिया चूँकि महाभारत काल में इसका क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अतः के॰एम॰ मुंशी के सुझाव पर भारत सरकार में इसका नाम मत्स्य संघ रखा इस नये राज्य का उद्घाटन 18 मार्च, 1948 को केन्द्रीय मंत्री एम॰वी॰ गाडगिल ने किया। इसके राजप्रमुख धौलपुर के महाराजा तथा उप –राजप्रमुख करौली के महाराजा को बनाया गया। अलवर प्रजामण्डल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बनाये गये राजधानी अलवर रखी गई।[3]

भारत सरकार के एक ICS अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जिसे मंत्रिमण्डल की अनुमति के बिना आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। राजस्थान का यह पहला संघ था जिसका क्षैत्रफल लगभग 12,000 वर्ग कि॰मी॰, जनसंख्या 18 लाख व वार्षिक आय 2 करोड़ रूपये थी। मत्स्य संघ के निर्माण से धौलपुर व भरतपुर को मिलाकर ब्रज प्रदेश तथा अलवर व भरतपुर को मिलाकर मेव स्थान बनाने का जो स्वप्न था वह चकनाचूर हो गया।

एकीकरण का दूसरा चरण झालावाड़ तथा डूँगरपुर के शासकों के प्रगतिशील रूख के कारण काफी सुविधाजनक रहा कोटा, बुन्दी, डूँगरपुर, झालावाड, किशनगढ़, टोंक, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसका नाम राजस्थान संघ रखा गया। 25 मार्च, 1948 को गाडगिल ने इस संघ का उद्‌घाटन किया इसकी राजधानी कोटा रखी गई कोटा के महाराव राजप्रमुख तथा डूँगरपुर के महाराव उप राजप्रमुख बनाये गये।

इस संघ के निर्माण के कुछ दिनों बाद उदयपुर के महाराणा ने इसमें शामिल होने की इच्छा प्रकट की तथा भारत सरकार के रियासती मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा उदयपुर राजवंश से संबंध रखने वाली रियासतें भी संघ में शामिल होने के लिए राजी थीं।

अतः 18 अप्रेल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय होने पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ जिसका उद्‌घाटन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने किया। इस घटना के बाद कोटा के शासक ने प्रसन्नता के साथ राजप्रमुख का पद उदयपुर महाराणा के लिए खाली कर दिया और इस संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रखी गई वहाँ के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख कोटा महाराव भीमसिंह को उप राजप्रमुख तथा श्री माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया।[4]

तीसरे संघ के निर्माण के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर ये चारों रियासतें ही ऐसी बची थीं जो एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी लावा चीफशिप पहले ही जयपुर में तथा कुशलगढ़ चीफ शिप बांसवाड़ा में शामिल हो चुकी था। जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर रियासतें अभी भी स्वतंत्र राज्य का सपना देख रही थीं जबकि रियासती

मंत्रालय के अध्यक्ष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मंशा इन रियासतों को संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहत राजस्थान बनाने की थी। अन्ततः यह वृहत् राजस्थान बना और 30 मार्च, 1949 को इस वृहत् राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ। उस समय महाराज प्रमुख सवाई मानसिंह ने 31 मार्च, 1952 के अपने भाषण में स्वीकार किया है कि "राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और 7 अप्रेल को राज्य सत्ता नई सरकार ने संभाल ली 26 जनवरी, 1950 को भारतीय जनता द्वारा अपनाये गये संविधान के फलस्वरूप यह राज्य भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य का अभिन्न अंग बन गया।[5]

रियासती मंत्रालय ने अथक परिश्रम कर चारों रियासतों को राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया राजप्रमुख के चुनाव तथा राजधानी के स्थान को लेकर भारी सोदेबाजी हुई 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार पटेल ने जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के महा राजस्थान संघ (वृहत् राजस्थान) में शामिल होने की घोषणा की जोधपुर रियासत को भी वृहत राजस्थान में शामिल होने के लिए राजी कर लिया गया 30 मार्च, 1949 को सरदार बल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के ऐतिहासिक दरबार हॉल में महा राजस्थान संघ का उद्घाटन किया। जयनारायण व्यास, हीरा लाल शास्त्री, माणिक्य लाल वर्मा तथा गोकुल भाई भट्ट आदि लोकप्रिय नेताओं के परामर्श से यह तय किया कि उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख नियुक्त किया जाये तथा राजप्रमुख का पद जयपुर के महाराजा मानसिंह को दिया जाये जोधपुर और कोटा के शासक प्रवर उप राजप्रमुख तथा बुन्दी और डूँगरपुर के शासक अवर उप राजप्रमुख बनाये गये। पं. हीरा लाल शास्त्री को नये राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

30 मार्च, 1949 को महा राजस्थान का निर्माण होने के कारण 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में अन्तिम कदम मत्स्य संघ को महा राजस्थान में शामिल करना था मत्स्य संघ में शामिल 4 रियासतों में से अलवर व करौली ने तो राजस्थान में विलय करने का निर्णय कर लिया था परन्तु धौलपुर एवं भरतपुर भाषा की समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे बाद में भरतपुर के राजा राजस्थान में मिलने पर सहमत

हो गये परन्तु घौलपुर के राजा तैयार नहीं हुए हालाँकि वहाँ की जनता राजस्थान में रहना चाहती थी या निकटवर्ती उत्तर प्रदेश में इसको लेकर जनमत संग्रह करवाये जाने की बात चली अतः इस पर रिपोर्ट देने के लिए शंकर देव, आर॰ के॰ सिंधवा, प्रभु दयाल और हिम्मत सिंह की एक समिति बनाई गई इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर और धौलपुर सहित 15 मई, 1949 ई॰ को मत्स्य संघ का विलय महा राजस्थान में हो गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री डॉ॰ शोभाराम कुमावत को पं. हीरालाल शास्त्री मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया।

सिरोही के विलय को लेकर राजस्थान तथा गुजरात के नेताओं के मध्य काफी मतभेद थे। सिरोही परम्परा और संस्कृति से गुजरात से जुड़ा हुआ था इसलिए माँग की जा रही थी कि माउण्ट आबू को बम्बई से मिला दिया जाये परन्तु राजपूताना के सभी शासकों ने राजमहल माउण्ट आबू में थे और राजस्थान में मात्र एक हिल स्टेशन माउण्ट आबू ही था सिरोही की जनता से राय ली गई तथा सिरोही रियासत का 7 फरवरी, 1950 को विभाजन कर आबू रोड़ तथा दिलवाला बम्बई प्रांत में मिला दिये गये तथा शेष रियासत राजपूताना में मिला दी गई। अतः सिरोही विभाजन का भारी विरोध हुआ 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय आबू रोड़ तथा दिलवाड़ा राजस्थान में मिला दिये गये और नये संघ का नाम राजस्थान रखा गया जो अब तक बने समस्त रियासत संघों में सबसे बड़ा था। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया इसकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर, 1956 को तत्कालीन अजमेर–मेरवाड़ा राज्य को राजस्थान में विलीन कर दिया जो अब तक केन्द्र शासित C श्रेणी का राज्य था और इसकी अपनी पृथक मंत्रिपरिषद् और विधानसभा कार्यरत थी। इसी के साथ मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गाँव राजस्थान में शामिल किया गया जबकि राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज उप जिला मध्यप्रदेश को हस्तान्तरित कर दिया इस प्रकार 7 चरणों में वह 19 देसी रियासतों और 3 चीफ शिप वाले क्षेत्रों की जनता का एकीकरण हुआ। 30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक राजप्रमुख रहे सवाई श्रीमानसिंह अपने पद से हट गये तथा 1 नवम्बर, 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद की स्थापना करके राजस्थान में लोकतंत्र की मुख्य धारा शुरू हुई।

भारत में स्थापित लोकतंत्र की व्यवस्था में राजस्थान में वर्तमान तक अनेक राज्यपाल इस प्रदेश में अपनी सेवाऐं दे चुके हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है –

क्रम सं॰	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	श्री गुरुमुख निहाल सिंह	01. 11.1956 – 15.04.1962
2.	डॉ॰ सम्पूर्णानंद	16.04.1962 – 15.04.1967
3.	सरदार हुकुम सिंह	16.04.1967 – 30.06.1972
4.	सरदार जोगेन्द्र सिंह	01.07.1972 – 14.02.1977
5.	रघुकुल तिलक	12.05.1977 – 08.08.1981
6.	ओम प्रकाश मेहरा	06.0.1982 – 04.01.1985
7.	संत राव बाडू पाटिल	20.11.1985 – 14.10.1987
8.	सुखदेव प्रसाद	20.02.1988 – 02.02.1990
9.	प्रो॰ देवी प्रसाद चटोपाध्याय	14.02.1990 – 25.08.1991
10.	एम॰ चैन्ना रैड्डी	15.02.1992 – 30.05.1993
11.	बलीराम भगत	30.06.1993 – 01.05.1998
12.	दरबारा सिंह	01.05.1998 – 25.05.1998
13.	अशुमान सिंह	16.01.1999 – 13.05.2003
14.	निर्मल चंद जैन	14.05.2003 – 22.09.2003
15.	मदन लाल खुराना	14.01.2004 – 08.11.2004
16.	प्रतिभा पाटिल	08.11.2004 – 21.06.2007

17.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	06.09.2007 – 01.12.2009
18.	प्रभा राव	25.01.2010 – 26.04.2010
19.	शिवराज पाटिल	28.04.2010 – 11.05.2012
20.	मार्ग्रेट अल्वा	12.05.2012 – 07.08.2014
21.	राम नायक	08.08.2014 – 03.09.2014
22.	कल्याण सिंह	04.09.2014– निरंतर

इन सभी राज्यपालों ने संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं और व्यवस्थाओं के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन किया सन् 1967 में जरूर एक बार ऐसी स्थिति आई जब काँग्रेस को अपना बहुमत साबित करने के लिए जोड़–तोड़ करनी पड़ी एवं उस समय के राज्यपाल डॉ० सम्पूर्णानन्द ने सब तरह से काँग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रयास करते हुए अंततः श्री मोहन लाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद काँग्रेस की स्थिति ऐसी बनी रही कि किसी भी पार्टी का उसे अहसान नहीं लेना पड़ा।

चूँकि इस अध्याय का मुख्य केन्द्र राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीति का ऐतिहासिक परिचय देना है। अतः लोकतंत्र के आलोक में जो निर्वाचन हुए और उनके आधार पर लोकतंत्रिय व्यवस्था को जिस तरह से विकसित करने का प्रयास किया गया उस क्रम में राज्य के मुख्य मंत्रियों के विषय में भी एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाना आवश्यक है जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है –

क्र०सं०	मुख्यमंत्री	कार्यकाल
1.	श्री हीरा लाल शास्त्री विशेष विवरण –	07.04.1949 – 05.01.1951 प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री
2.	सी०एस० वेंकटाचारी विशेष विवरण –	05.01.1951 – 26.04.1951 दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री प्रथम ICS अधिकारी जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की गई थी।
3.	जयनारायण व्यास विशेष विवरण –	26.04.1951–03.03.1952 तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री
4.	टीकाराम पालीवाल विशेष विवरण –	03.03.1952–01.11.1952 प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री
5.	जयनारायण व्यास विशेष विवरण –	01.11.1952–13.11.1954 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही रूप में मुख्यमंत्री के पद का निर्वाहन किया।
6.	श्री मोहन लाल सुखाड़िया विशेष विवरण –	13.11.1954 – 11.04.1957 राजस्थान के एकीकरण के समय मुख्य मंत्री थे जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। (लगभग 17 वर्ष)
7.	श्री मोहन लाल सुखाड़िया विशेष विवरण –	11.04.1957 – 12.03.1962 इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है।
8.	श्री मोहन लाल सुखाड़िया विशेष विवरण –	12.03.1962 – 13.03.1967 इन्होने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था।
9.	श्री मोहन लाल सुखाड़िया विशेष विवरण –	26.04.1967 – 08.07.1971 इनके शासनकाल में राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा इन्होंने पहली बार मंत्रीमण्डल में किसी महिला मंत्री को शामिल किया (श्रीमती कमला बेनीवाल)

10.	श्री बरकततुल्ला खाँ 09.07.1971- 11.07.1973 विशेष विवरण – पहले व एक मात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री तथा राज्य के यही पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई।
11.	श्री हरिदेव जोशी 11.10.1973- 11.07.1973 विशेष विवरण – इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ किया। इनके कार्यकाल में राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
12.	श्री भेरोसिंह शेखावत 22.06.1977- 16.02.1980 विशेष विवरण – प्रथम गैर काँग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इनके कार्यकाल में राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तथा ये राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के समय मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे।
13.	श्री जगन्नाथ पहाडिया 06.06.1980 - 14.07.1981 विशेष विवरण – प्रथम दलित और अनुसूचित जाति वर्ग के मुख्यमंत्री थे।
14.	श्री शिवचरण माथुर 14.07.1981 - 23.02.1985 विशेष विवरण – राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री बने।
15	श्री हीरालाल देवपुरा 23.02.1985 - 10.03.1985 विशेष विवरण – राज्य के सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने।
16.	श्री हरिदेव जोशी 10.03.1985 - 20.01.1988 विशेष विवरण – सर्वाधिक बार लगातार विधानसभा सदस्य चुने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं।
17.	श्री शिवचरण माथुर 20.01.1988 - 04.12.1989 विशेष विवरण – दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।
18.	श्री हरिदेव जोशी 04.12.1989 - 04.03.1990 विशेष विवरण – तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री लेकिन एकबार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाये।

19.	श्री भेरोसिंह शेखावत 04.03.1990 - 14.12.1992 विशेष विवरण – इनके कार्यकाल में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ यह अन्त्योदय योजना के जनक रहे और सुखाडिया के बाद सर्वाधिक अवधि तक (3 बार) मुख्यमंत्री रहे।	
20.	श्री भेरोसिंह शेखावत 04.12.1993 - 30.11.1998	
21.	श्री अशोक गहलोत 13.12.2008 - 13.12.2013 विशेष विवरण – इन्हें मारवाड़ का युवा गाँधी कहा जाता है और इससे पहले के सभी मुख्यमंत्रियों से युवा मुख्यमंत्री थे।	
22.	श्रीमती वसुन्धरा राजे 08.12.2003 - 11.12.2008 विशेष विवरण – राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी।	
23.	श्री अशोक गहलोत 13.12.2008 - 13.12.2013 विशेष विवरण – इस दौरान इनके प्रयास व्यवस्थित रहे परन्तु इनके मंत्रियों पर लगे आरोपों से इनकी छवि को धक्का लगा।	
24.	श्रीमती वसुन्धरा राजे 13.12.2013 - से निरन्तर कार्यरत। विशेष विवरण – राज्य की दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनी।	

उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राजनीति में 1967 तक काँग्रेस का वर्चस्व रहा बाद में जोड़–तोड़ की राजनीति चली कहीं–कहीं स्पष्ट बहुमत का अभाव रहा परन्तु 1998 से राजस्थान में इधर या उधर स्पष्ट बहुमत का काल रहा है।

इस प्रकार प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक राजस्थान की राजनीति के विकास में जो प्रवृत्तियाँ उभरी या स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। उन्हें निम्नानुसार गिनाया जा सकता है –

1. राजनीतिक अस्थिरता का चरण – 1949 से 1954 तक।
   (काँग्रेस में गृहयुद्ध का युग)
2. एक दलीय प्रभुत्व का चरण – 1954 से 1977 तक।
3. विपक्ष का युग (संविद सरकार) – 1977 से 1980 तक।

4. गुटबंदी से ग्रसित पुनः काँग्रेसवाद – 1980 से 1990 तक।

5. त्रिशंकु बहुमत का भाजपावाद – 1990 से 1998 तक।

6. स्पष्ट बहुमत का युग – 1998 से वर्तमान तक।

1998 से 2003 तक काँग्रेस का स्पष्ट बहुमत रहा परन्तु जब 2008 में काँग्रेस सत्ता में आयी तब यह अल्पमत में ही रही तथा अन्य दलों के सहारे से सरकार बनी दूसरी तरफ 2003 में तथा 2013 में भाजपा को 120 तथा 163 सीटें मिलीं और यह उसका स्पष्ट और भारी बहुमत रहा।

(1) राजनीतिक अस्थिरता का चरण (1949 से 1954) :

यह चरण काँग्रेस में भीतरी गृहयुद्ध कहा जा सकता है। राजस्थान के निर्माण के साथ ही सरदार पटेल ने राजस्थान की बागडोर पं. हीरालाल शास्त्री को सौंपी हीरालाल शास्त्री के मुख्यमंत्री बनते ही जयनारायण व्यास तथा माणिक्यलाल वर्मा ने गुट बनाकर मुख्यमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री तथा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट के विरूद्ध जबरदस्त मुहिम छेड़ दी जिसके परिणाम स्वरूप भट्ट को पद छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने काँग्रेस अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास पारित कर दिया।

जयनारायण व्यास प्रदेश काँग्रेस के नये अध्यक्ष बने व्यास–वर्मा गुट यह पद पाकर भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। इधर अखिल भारतीय काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर पं. नेहरू समर्थित जे॰बी॰ कृपलानी तथा सरदार पटेल समर्थित पुरूषोत्तम लाल टंडन में मुकाबला हुआ हीरालाल शास्त्री ने कृपलानी का समर्थन किया इस घटना से सियासी मंत्रालय के प्रभारी पटेल नाराज हो गये वह उनसे मुख्यमंत्री पद छीनना चाहते थे इस बीच पटेल की मृत्यु हो गई नेहरू जी ने बाद में शास्त्री जी से त्यागपत्र मांग लिया व जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया।[6]

जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्रित्व में प्रथम विधानसभा चुनाव मार्च, 1952 में हुए तथा प्रथम लोकसभा चुनाव अप्रेल, 1952 में हुए इनमें प्रदेश की 22 सीटों में

से 11 स्थान काँग्रेस जी तोड़ संघर्ष करके प्राप्त कर सकी और विधानसभा में 160 स्थानों में से 82 स्थान ही काँग्रेस प्राप्त कर सकी। लोकसभा चुनावों में गोकुल भाई भट्ट एवं माणिक्यलाल वर्मा तथा विधानसभा चुनावों में जयनारायण व्यास एवं गोकुल लाल असावा जैसे दिग्गज काँग्रेस नेता चुनाव हार गये। नेतृत्व का हल उस समय लिटिल मेन कहे जाने वाले टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री चुनकर निकाला गया। जयनारायण व्यास ने बाद में उप चुनाव में जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया एक गुट के विरोध के बावजूद जयनारायण व्यास को नेता चुन लिया गया तथा पालीवाल को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री बनाया गया।

इसके पश्चात् मोहन लाल सुखाड़िया के नेतृत्व में काँग्रेस के एक गुट ने जयनारायण व्यास के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तथा मोहन लाल सुखाडिया को नया नेता चुन लिया गया।

प्रथम विधानसभा में काँग्रेस को त्रिशंकु या अस्पष्ट बहुमत मिला था इसलिए नेतृत्व को भय था कि सरकार कभी भी गिर सकती है। जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री बनते ही 23 विपक्षी विधायकों को काँग्रेस में शामिल कर प्रदेश काँग्रेस सरकार को मजबूती दी सुखाडिया को नेता चुनने तथा जयनारायण व्यास को पदच्युत करवाने में जाट नेता कुम्भाराम आर्य ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन् 1949 से 1954 तक की 5 वर्ष की अवधि में चार मुख्यमंत्री बदल गये –

क्रम.सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल	अवधि
1.	पं. हीरालाल शास्त्री	1949 – 1951	1 वर्ष 8 माह
2.	जयनारायण व्यास	1951 – 1952	10 माह 5 दिन
3.	टीकाराम पालीवाल	1952 – 1952	7 माह 29 दिन
4.	जयनारायण व्यास	1952 – 1954	2 वर्ष 12 दिन
5.	मोहनलाल सुखाडिया	1954 – 1973	17 वर्ष

यही कहा जा सकता है कि इस प्रथम चरण में काँग्रेस में जबरदस्त गुटबंदी रही जिसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्रित्व अस्थिर रहा दल बदल की शुरूआत हुई केन्द्रीय राजनीति ने प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप किया। केन्द्रीय गृहमंत्री पटेल तथा नेहरू ने मुख्यमंत्री के चुनाव व पद मुक्ति में हस्तक्षेप किया विपक्ष में फूट हावी रही तो काँग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति।

(2) एक दलीय प्रभुत्व का चरण (1954–1977) :

13 नवम्बर, 1954 को मोहनलाल सुखाडिया ने नेतृत्व संभाला विशेषज्ञों का मानना है कि सुखाडिया प्रदेश राजनीति के सिद्धहस्त खिलाड़ी थे साथ ही आधुनिकता की पहचान करने वाले वास्तुकार भी इसीलिए उन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में जाना जाता है।[7]

उन्होंने सबसे लम्बी राजनीतिक पारी खेली 1957–1962 तथा 1967 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गये। 1967 में प्रदेश में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला संयुक्त विपक्षी मोर्चे की लाख कोशिशों के बावजूद दल बदलुओं के सहयोग से सुखाड़िया ने सरकार बनाई, प्रदेश में 45 दिन राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा, 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गाँधी समर्थित उम्मीदवार वी॰वी॰ गिरी के पक्ष में सुखाडिया व उसके गुट ने मतदान नहीं किया वरन् मोरारजी देसाई समर्थित उम्मीदवार संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान किया फिर भी चुनाव में वी॰वी॰ गिरी की जीत हुई।

गिरी का समर्थन करने वाले पूनम चंद विश्नोई, बरकतुल्ला खान तथा शिचरण माथुर श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रिय बन गये तथा सुखाडिया पर भृकुटी तन गई। सुखाडिया की लम्बी बेटिंग से प्रदेश काँग्रेस विधायक दल तथा चुनिन्दा क्षत्रपो ने आला कमान से सुखाडिया को पद से हटाने की माँग कर डाली 1971 में लोकसभा चुनावों में प्रदेश में उदयपुर हल्के की तीन सीटों पर काँग्रेस हार भी गई और इससे प्रदेश के नवोदित नायकों को और धारदार मुद्दा मिल गया। केन्द्रीय

नेतृत्व की तो पहले ही सुखाड़िया पर हाँक दृष्टि थी ही। सुखाडिया ने यथार्थ परिस्थितियों को भांपते हुए तत्काल त्याग पत्र दे दिया। सुखाडिया मंत्रिमण्डल के त्याग पत्र देते ही बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में नये मंत्रिमण्डल का गठन आला कमान के इशारे पर हुआ बरकतुल्ला खान द्वारा वी॰वी॰ गिरि के समर्थन में दिये गये समर्थन का यह मुख्यमंत्री पद पारितोषिक स्वरूप था। बरकतुल्ला खान सवा 2 वर्ष ही शासन कर सके और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। 5 वीं विधानसभा के चुनाव बरकतुल्ला खान के नेतृत्व में ही सम्पन्न हुए तथा काँग्रेस को शानदार सफलता प्राप्त हुई।

बरकतुल्ला खान के देहान्त के पश्चात् उनके मंत्रिमण्डल में उद्योग मंत्री हरिदेव जोशी नये नेता चुने गये। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की दृष्टि से 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, राज्य विधानसभा में जोशी और विपक्ष के मध्य जबरदस्त बहस हुई। इंदिरा इज इन्डिया या इन्डिया इज इन्दिरा का जुमला आम हो गया। विपक्ष ने आपात को फासिस्ट कहा आपातकाल की ज्यादतियों से पीड़ित विभिन्न दलों ने मिलकर नये दल जनता पार्टी का गठन किया। 1977 में लोकसभा के चुनावों में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर काँग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। प्रदेश की हरिदेव जोशी नेतृत्व वाली काँग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया इस प्रकार प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

(3) विपक्ष का युग (प्रथम संविद सरकार) (1977–1980) :

सन् 1977 में हुये छठी विधानसभा के चुनाव प्रदेश काँग्रेस के लिए वाटर लू सिद्ध हुए। जनता पार्टी को प्रदेश में भारी बहुमत मिला उसे प्रदेश की 200 सीटों में से 151 सीटों पर सफलता हाँसिल हुई भैरोसिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनी परन्तु इनके मुख्यमंत्रित्व से भारतीय लोकदल घटक के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह और दौलतराम सारण सन्तुष्ट नहीं थे महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा 25 सितम्बर, 1977 को मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हो सका भारतीय लोकदल और जनसंघ घटक के बीच सत्ता की प्रतिस्पर्धा चलने लगी लोकदल के गठन के बाद महारावल लक्ष्मण सिंह, मास्टर आदित्येन्द्र, प्रो॰ केदार आदि ने जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर इसकी सरकार को अल्पमत में लाने का प्रयास किया परन्तु जनसंघ घटक की बड़ी संख्या होने से उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए।

निजि महत्त्वाकाँक्षा तथा कुर्सी की होड़ के प्रयास में केन्द्र सरकार गिर गई। सन् 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें काँग्रेस को शानदार सफलता मिली केन्द्र में काँग्रेस ने सत्तारूढ़ होते ही 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया उसमें से राजस्थान भी एक था अतः प्रथम गैर काँग्रेसी सरकार का पतन मात्र ढाई वर्ष में हो गया और काँग्रेस ने प्रदेश में 25 वर्ष तक शासन करने के बाद ढाई वर्ष विपक्ष में बैठने का अनुभव लिया।

(4) गुटबंदी से ग्रसित पुनः काँग्रेसवाद का काल (1980–1990) :

सन् 1980 से 1990 के मध्य राज्य का नेतृत्व काँग्रेस के हाथों में रहा 1980 में काँग्रेस आलाकमान में निर्देशानुसार प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया चुने गये, पहाड़िया प्रदेश की राजनीति से अपरिचत थे वे प्रदेश से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे थे। अतः राज्य विधायक दल को पहाड़िया रास नहीं आये पहाड़िया अपना समय अधिकतर दिल्ली में ही बिताते थे लगभग 13 माह बाद पहाड़िया को हटाकर 14 जुलाई, 1981 को शिवचरण माथुर को प्रदेश की बागडोर सोंपी गई इससे स्पष्ट था कि माथुर को यह पद 1969 में श्रीमती इंदिरा गाँधी समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी॰वी॰ गिरि के समर्थन में मतदान करने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ।[8]

माथुर ने लगभग 17 वर्षो के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाये नरेन्द्र सिंह भाटी को मंत्री पद से हटाने के कारण माथुर को आलाकमान की नाराजगी भी झेलनी पड़ी सन् 1984 में हुए लोकसभा चुनावों में प्रदेश में काँग्रेस का प्रभारी शिवचरण माथुर को न बनाकर हरिदेव जोशी तथा पंडित नवल किशोर

शर्मा को बनाया। सन् 1985 में राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीग के प्रत्याशी राजा मानसिंह की गोलीकांड में मृत्यु की घटना को लेकर पार्टी आलाकमान ने माथुर को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया, फरवरी, 1985 में हीरा लाल देवपुरा को अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया गया 1985 में हुए आठवीं विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 200 में से 114 सीटें काँग्रेस को प्राप्त हुई।

10 मार्च, 1985 को हरिदेव जोशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 1985, 1986 में प्रदेश में अकाल की विभिषिका रही जोशी ने खाद्यान, पेयजल तथा चारे की पर्याप्त व्यवस्था की 1987 में देवराला में सती होने की घटना तथा अलवर के सरिस्का वन्य अभ्यारणय में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में वैभवपूर्ण व्यवस्था के कारण पार्टी आलाकमान प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की भृकुटी जोशी पर तन गई केन्द्रीय गृह मंत्री बूटासिंह ने जोशी को प्रधानमंत्री की नाराजगी से अवगत करवा दिया जोशी ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और राजस्थान का नेतृत्व दूसरी बार शिवचरण माथुर के हाथों में आ गया। माथुर के नेतृत्व का हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाडिया तथा सांसद नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में गठित असंतुष्ट विधायक दल ने विरोध किया तथा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत को हटाने की माँग की, काँग्रेस आलाकमान ने इस समस्या का समाधान हरिदेव जोशी को असम व मेघालय का राज्यपाल, पहाडिया को बिहार का राज्यपाल, हीरालाल देवपुरा को प्रदेश काँग्रेस (आई) का अध्यक्ष तथा अशोक गहलोत को राज्य मंत्रिमण्डल में गृहमंत्री बनाकर किया। नवम्बर, 1989 में हुए नवीं लोकसभा के चुनाव में प्रदेश की 25 सीटों में से काँग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, काँग्रेस (आई) उच्च सत्ता ने प्रदेश में फिर नेतृत्व परिवर्तन का मानस बना लिया और 4 दिसम्बर 1989 को हरिदेव जोशी को पुनः प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया। इस प्रकार सन् 1980 से 1990 तक जो नेतृत्व परिवर्तन होता रहा उसकी एक सामान्य तालिका निम्नानुसार है –

क्र.सं.	नेतृत्व	कार्यकाल	अवधि ठहराव
1.	जगन्नाथ पहाडिया	05.06.1980 – 14.07.1981	1 वर्ष 1 माह 9 दिन
2.	शिवचरण माथुर	14.07.1981 – 23.02.1985	3 वर्ष 7 माह 9 दिन
3.	हीरालाल देवपुरा	23.02.1985 – 10.03.1985	15 दिन
4.	हरिदेव जोशी	10.03.1985 – 20.01.1988	2वर्ष 10माह 10 दिन
5.	शिवचरण माथुर	20.01.1988 – 10.12.1989	1वर्ष 10माह 14 दिन
6.	हरिदेव जोशी	04.12.1989 – 03.03.1990	2 माह 27 दिन

इस कालावधि में प्रदेश काँग्रेस विधायक दल अनुशासित सिपाही बनकर रह गया और काँग्रेस आलाकमान प्रदेश राजनीति का कमांडिंग आफिसर रहा तथा कपड़े बदलाने की भाँति केन्द्र ने हस्तक्षेप कर प्रदेश में नेतृत्व बदला यह उक्त तालिका से स्पष्ट है यह भी सत्य है कि प्रदेश विधायक दल कई खेमों और धड़ों में विभाजित होकर रह गया।

¼5½ in’k jktuhfr e f=’kd cger dk Hkktikokn ¼1990&1998½ ½

प्रदेश राजनीति में 1990 से 1998 तक की कालावधि संविद सरकारों की रही मुख्यमंत्री पद का हास हुआ मंत्रिमण्डल को अनावश्यक विस्तार देना पड़ा दल बदल की घटनाऐं हुई चौखी ढाणी विद्रेह हुआ और प्याज तथा मँहगाई के कारण प्रदेश की भाजपा सरकार 11 वीं विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई।

(6) yxHkx Li"V cger dh ljdkj ¼1998 l orleku rd½ ½

11 वीं विधानसभा में काँग्रेस को ऐतिहासिक जीत हाँसिल हुई उसे 200 सीटों में से 153 सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई। पूर्व भाजपा सरकार को बहुत ही कम स्थानों पर संतोष करना पड़ा। युवा नेतृत्व अशोक गहलोत के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार का निर्माण हुआ 31 सदस्य मंत्रिपरिषद् में 18 केबिनेट और 12 राज्यमंत्री शामिल किये गये, गहलोत सरकार ने सत्ता संभालते ही राज्य कर्मचारियों का सेवाकाल 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया कच्ची बस्ती के नियमन तथा

बिजली की दरों में भारी वृद्धि कर दी। 13 वीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश में काँग्रेस को मुँह की खानी पड़ी 25 सीटों में से काँग्रेस मात्र 9 सीटों पर विजय रही तथा भाजपा ने 16 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हाँसिल की, 12 वीं विधानसभा 2003 में भाजपा ने 120 स्थान प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और अशोक गहलोत के लिए यही कहा गया कि हर गलती कीमत माँगती है।[9]

हम यही कह सकते हैं कि काँग्रेसियों का सपना रहा है कि राजस्थान खुशहाल बने, हर हाथ को रोजगार मिले, शोषित और पीड़ित की आँखों में आँसू न हो गरीब को गौरव मिले, किसान को उपज का लाभ मिले, विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर बने, ग्राम विकास की योजनाऐं गाँव के लोग तय करें, सड़कों का जाल बिछे, सब साक्षर हो, सब स्वस्थ हो चाहे इसके लिए मुफ्त दवा की व्यवस्था ही क्यों न करनी पड़ी .... और इस प्रकार हम देश में अग्रिम पंक्ति में खड़े हो।[10]

यह कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया है दूसरी तरफ वसुन्धरा राजे राजघराने से संबंध रखती है परन्तु मध्यप्रदेश में सफल न होने के कारण राजस्थान को अपने राजनीतिक जीवन का आधार बनाया उनका भी सपना यही है कि वह सब तरह से जनआकांशाओं को पूरा करें और राजस्थान प्रदेश की नई पहचान बनाये। 2003 से बारी–बारी वसुन्धरा–गहलोत–वसुंधरा का प्रभुत्व चल रहा है भविष्य में भी यह बदलाव संभव हो।

राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है उससे हम यह मान सकते हैं कि राजस्थान में आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के बावजूद राजनीतिक सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त राजनीतिक मोहपास देखने को मिलता है स्थानीय स्तर के चुनावों एवं राज्य विधानसभा में चुनावों को जनता एक पक्ष के रूप में स्वीकार करती है। सारटोरी का कथन है कि–“चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है”।[11]

यह कथन यथार्थ में खरा साबित हो रहा है जनता में संसदीय चुनावों में तो उदानसीनता कभी कभी दिखाई देती है लेकिन राज्य विधानसभा के चुनाव या पंचायतों के चुनाव में जो गहरी दिलचस्पी रहती है वो लोकतंत्र के लिए शुभकारी ही है।

उक्त विश्लेषणात्मक विवरण के आधार पर स्पष्ट है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक यात्रा 1952 से प्रारम्भ हुई तब से लेकर अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। स्वतंत्रोपरान्त के वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की राजनीति ने अनेक आयामों को छुआ है राजनीतिक विकास यात्रा में अनेंक प्रवृतियाँ सामने आई हैं प्रदेश की राजनीति में जो प्रमुख प्रवृतियाँ या लक्षण दिखाई दिये हैं उन्हें निम्नानुसार चिह्नित किया जा सकता है –

(1) **जाति प्रधान राजनीति :**

मोजूदा तथा प्रारम्भिक प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसका यह परिणाम सामने आया कि छोटी छोटी जातियों ने भी समय की नजाकत को पहचानते हुए अपने–अपने जातिय नेताओं के झंडे तले एकत्रित होकर दबाव बनाने की मैराथन शुरू कर दी और अपने राजनीतिक हितों के लिए सौदेबाजी करने का प्रयास अभी भी कर रही है।

प्रथम विधानसभा निर्वाचन में जहाँ राजपूतों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया था और अधिकतर राजा, महाराजा, सामंत, जागीरदार, जमींदार आदि राम राज्य परिषद् के टिकिट पर या निर्दलीय रूप में जीतकर आये थे वे कांग्रेस दल को अपने हितों के खिलाफ मानते थे वहीं दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया और जयनारायण व्यास ने कई राजा महाराजाओं तथा जमींदारों को काँग्रेस में शामिल कर लिया मोहनलाल सुखाडिया के दोनों राजनीतिक प्रतिस्पन्द्धी जातियों (राजपूत + जाट) का समर्थन प्राप्त करने के लिए झालावाड़ महाराजा हरिशचन्द्र को कांग्रेस में शामिल किया तथा दो प्रभुद्ध जाट नेताओं कुम्भाराम आर्य व परसराम मदेरणा को मंत्रिमण्डल में शामिल किया परन्तु 1967 तक आते आते यह जातिय समीकरण बदल गया क्योंकि मंत्रिमण्डल में

राजपूतों को प्रतिनिधित्व नाम मात्र का दिया गया इन दोनों मार्शल कोमों के संघर्ष का लाभ ब्राह्मणों को मिला।

प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक मुख्यमंत्रियों व मंत्रिमण्डलों के सदस्यों का जीवन वृतांत और भूमिका का विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री का चयन, उम्मीदवारों को टिकटों का बंटवारा, मत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व का मुख्य आधार जाति ही है। प्रायः देखा गया है कि जातिय सांख्यिकी का विश्लेषण कर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। यह पारदर्शी सच्चाई है कि जाति की राजनीति सभी नेता करने लगे हैं। यह राजनीति दबाव और हिस्सेदारी की राजनीति है न कि सिद्धान्तों की राजनीति।

प्रदेश की राजनीति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की भी निर्णायक भूमिका बन चुकी है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गुर्जर, मीणा, विश्नोई, मेव, सिक्ख, कालवी आदि जातियाँ प्रायः कांग्रेस के पक्ष में तथा राजपूत, महाजन, कायस्थ तथा ब्राह्मण भाजपा के पक्ष में एवं अन्य पिछडा वर्ग में आने वाली अधिकतर जातियाँ अवसरवादिता के आधार पर मतदान करती रही हैं।

(2) बहुदलीय राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था :

प्रदेश में 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें लगभग 11 दलों ने भाग लिया लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस, रामराज्य परिषद् तथा जनसंघ के मध्य हुआ। द्वितीय विधानसभा के चुनाव 1957 में हुए इसमें लगभग 7 दलों ने भाग लिया इसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जनसंघ के मध्य हुआ। तीसरे विधानसभा के चुनाव 1962 में हुए जिसमें लगभग 10 दलों ने भाग लिया मुख्य मुकाबला कांग्रेस व जनसंघ के मध्य हुआ। चतुर्थ विधानसभा चुनाव 1967 में सम्पन्न हुए जिसमें भी लगभग 10 दलों ने भाग लिया परन्तु मुख्य मुकाबला कांग्रेस व जनसंघ के मध्य ही हुआ। महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विपक्षी मोर्चों का गठन हुआ जिसमें सभी विपक्षी घटकों तथा कुछ निर्दलियों को शामिल किया गया।

पॉचवीं विधानसभा चुनाव 1972 में सम्पन्न हुए जिसमें भी लगभग 10 दलों ने अपना भाग्य आजमाया जिसमें मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी तथा जनसंघ के मध्य हुई। छठी विधानसभा के चुनाव जून, 1967 में सम्पन्न हुए जिसमें लगभग 9–10 दलों ने भाग लिया परन्तु मुख्य प्रतिद्वंद्विता जनता पार्टी तथा कॉंग्रेस के मध्य हुई। सातवीं विधानसभा के मध्यावधि चुनाव मई, 1980 में सम्पन्न हुए जिसमें 7–8 दलों ने अपना भाग्य आजमाया जिसमें कॉंग्रेस आई तथा नवोदय भाजपा के मध्य मुकाबला हुआ। आठवीं विधानसभा के चुनाव मार्च, 1985 में हुए मुख्य मुकाबला कॉंग्रेस आई तथा भाजपा के मध्य हुआ। दसवीं विधानसभा के चुनाव राष्ट्रपति शासन के बाद नवम्बर, 1993 में हुए इसमें मुख्य मुकाबला भाजपा तथा कॉंग्रेस आई के मध्य हुआ। 11 वीं विधानसभा का चुनाव 1998 में सम्पन्न हुए इसमें मुख्य मुकाबला कॉंग्रेस आई (44.9%) तथा भाजपा (33.2%) के मध्य हुआ अर्थात् कॉंग्रेस आई की ऐतिहासिक जीत हुई 153 सीटों पर विजय हॉसिल कर अशोक गहलोत ने सरकार का निर्माण किया और भाजपा ने प्रतिपक्ष की भूमिका अदा की।

12 वीं विधानसभा का चुनाव दिसम्बर 2003 में हुआ जिसमें भाजपा को 120 सीटों तथा कॉंग्रेस को 70 सीटों पर विजय प्राप्त हुई भाजपा को (39.2%) तथा कॉंग्रेस को (35.6%) मत प्राप्त हुए तीसरी किसी भी शक्ति को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, 2008 और 2013 में भी प्रायः द्विदलीय प्रतिस्पर्धा रही। 2008 में कॉंग्रेस को जैसे तैसे काम चलाऊ बहुमत मिला जबकि 2013 में भाजपा को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ। कुछ विश्लेषकों का मत है कि राजस्थान की दलीय व्यवस्था में ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्विदलीय प्रतिस्पर्धा ही अधिक रही है। यदि इससे संबंधित कम से कम 2013 तक की तालिका भी शामिल की जाये तो वह तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार हो सकती है –

तालिका संख्या – 3.1

प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 14 वीं विधानसभा चुनाव 2013 तक काँग्रेस व भाजपा को प्राप्त सीटें एवं मत प्रतिशत की तुलनात्मक स्थिति

क्रम.सं.	विधानसभा	कुल स्थान	काँग्रेस को प्राप्त स्थान	मत प्रतिशत	जनसंघ/जनता पार्टी को प्राप्त स्थान	मत प्रतिशत	सरकार
1	पहली	160	82	39.71%	11	6.35%	काँग्रेस
2	दूसरी	176	119	45.13%	6	5.55%	काँग्रेस
3	तीसरी	176	88	39.98%	15	8.68%	काँग्रेस
4	चौथी	184	89	41.41%	22	11.70%	काँग्रेस
5	पाँचवीं	200	145	51.14%	8	12.20%	काँग्रेस
6	छठी	200	41	31.41%	150	50.41%	भाजप
7	7 वीं	200	133	42.69%	32	18.60%	काँग्रेस
8	8 वीं	200	114	46.69%	38	21.16%	काँग्रेस
9	9 वीं	200	51	38.45%	85	29.41%	भाजपा
10	10 वीं	200	-	-	-	-	भाजपा
11	11 वीं	200	153	44.90%	33	33.20%	काँग्रेस
12	12 वीं	200	56	35.60%	120	39.20%	भाजपा
13	13 वीं	200	97	38.20%	78	37.40%	काँग्रेस
14	14 वीं	200	21	12.20%	163	47.14%	भाजपा

स्पष्ट है कि राजस्थान में अधिकतर द्विदलीय शासन की स्थिति रही है जो अभी भी बरकरार है अन्य दल राजस्थान में दबाव बनाने में सक्षम हैं सत्ता हाँसिल करने में नहीं।

(3) गुटबंदी का विस्तारवाद :

प्रदेश की राजनीति प्रारम्भ से ही गुटबंदी तथा गुट संघर्ष का शिकार रही है गुटबंदी प्रदेश के प्रायः सभी दलों में व्याप्त है हाँ अनुपात का जरूर अंतर है प्रदेश में गुटबंदी का मुख्य आधार नेतृत्व के प्रति असंतुष्टि और निजि महत्त्वाकांक्षा रही है काँग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, सभी में कम या अधिक मात्रा में गुटबंदी हावी रही है अधिकतर गुटबंदी वे सदस्य करते हैं जिन्हें राजनीतिक शब्दावली में पश्चासीन सदस्य कहा जाता है या फिर अति महत्त्वाकाँक्षाओं की पूर्ति अथवा राजनीतिक स्वार्थों और हितों की पूर्ति नहीं होती वे गुटबंदी करते हैं। कभी–कभी तो गुटबंदी इतनी हावी हो जाती है कि नेतृत्व का सिंघासन हिल उठता है।

7 अप्रेल, 1949 को हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ था कि प्रदेश काँग्रेस के नेताओं ने प्रदेश काँग्रेसाध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट तथा मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के विरूद्ध मुहिम छेड़ दी प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने काँग्रेसाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया अतः भट्ट ने अध्यक्ष पद से इस्तिफा दे दिया और असंतुष्ट गुट के किरदार जयनारायण व्यास को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जयनारायण व्यास ने मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री के विरूद्ध अविश्वास पारित करने की सूचना रियासती मंत्रालय के प्रभारी मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल को भेज दी सरदार पटेल ने प्रत्युत्तर में व्यास को सूचित किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री प्रदेश काँग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। प्रदेश काँग्रेस कोई विधानसभा नहीं है आपका निरन्तर अनुचित और घातक गतिविधियों में लगे रहना आपके लिए ही कंटि का कीर्ण होगा।

मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के विरूद्ध इस मुहिम का मुख्य कारण यह माना जाता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर जयपुर प्रशासन द्वारा सामंतों और आला अफसरों को अग्रिम पंक्ति में तथा काँग्रेस के नेताओं और जोधपुर के जयनारायण व्यास को द्वितीय पंक्ति में बिठाये जाने के

कारण काँग्रेस नेता नाराज हो गये और शास्त्री विरोधी खेमे में इस घटना ने आग में घी का काम किया। रियासत मंत्रालय ने जयनारायण व्यास के खिलाफ अमानत में खयानत के मामलों को लेकर जाँच शुरू करवा दी। उधर अखिल भारतीय काँग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जे॰बी॰ कृपलानी तथा पुरूषोत्तम दास टण्डन ने लड़ा प्रधानमंत्री नेहरु ने कृपलानी का तथा उप प्रधानमंत्री पटेल ने टण्डन का समर्थन किया। इधर राजस्थान में जयनारायण व्यास तथा माणिक्य लाल वर्मा ने टण्डन का समर्थन किया। तथा शास्त्री ने जे॰बी॰ कृपलानी का समर्थन किया। इस घटना से पटेल का विश्वास शास्त्री पर से उठ गया। और उन्होंने शास्त्री से त्याग पत्र मांग लिया।

शास्त्री के त्याग पत्र देने के बाद अप्रैल, 1951 में जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में वे हार गये बाद में उप चुनाव जीतकर वे टीकाराम पालीवाल को हटाकर मुख्यमंत्री बने। वेदपाल त्यागी के नेतृत्व में कुछ काँग्रेसी विधायकों ने गुट बनाकर व्यास का विरोध किया। उधर टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाये जाने का भी विरोध किया। यह घटनाऐं 1950 से 1953 तक चलती रही। 6 नवम्बर 1954 को मोहन लाल सुखाड़िया गुट ने मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को पराजित कर दिया। 17 वर्ष तक राजस्थान का नेतृत्व करने वाले सुखाड़िया को पदच्युत कराने में सुखाड़िया मंत्रिमण्डल के दो सदस्य शिवचरण माथुर तथा बरकत उल्लाह खां एवं अन्य सदस्यों की गुटबंदी का प्रमुख हाथ रहा। जगन्नाथ पहाड़िया व शिवचरण माथुर दोनों के कार्यकाल में हीरा लाल शास्त्री व हरिदेव जोशी आदि काँग्रेसी मुख्यमंत्रियों को पदारुढ़ और पदच्युत करने में गुटबंदी ही प्रमुख रही।

1977 में प्रदेश में सत्तारुढ़ जनता पार्टी में इतनी गुटबंदी हावी रही जिसका मुख्य कारण यही माना गया कि जनता पार्टी विभिन्न घटकों का परिणाम थी। 1990 में भाजपा तथा जनता दल की साझा सरकार बनी। जनता दल में गुटबंदी पनपी तथा जनता दल का विभाजन दो धड़ों में हो गया। इससे प्रदेश की साझा सरकार अल्पमत में आ गयी और जनता दल के अभिनव गुट जनतादल

(दिग्विजय) के समर्थन से सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया। 1993 में भाजपा ने निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनायी प्रदेश में जनता दल से एक गुट पृथक हो गया जो सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए आतुर था। इस गुट को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया और यह गुट व भाजपा एक हो गये दूसरी तरफ निर्दलीय सदस्यों ने गुट बनाकर प्रदेश की भाजपा सरकार को चुनौती दी लेकिन भाजपा नेता एवं मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने असंतुष्ट गुट को चोखी ढाणी में संतुष्ट कर अपने साथ मिला लिया।[12]

गुटबंदी के कारण जगन्नाथ पहाड़िया 13 माह, देवपुरा 15 दिन व हरिदेव जोशी ने तीन किस्तों में मुख्यमंत्रित्व किया, जनता पार्टी गुट बंदी के कारण मात्र पोने तीन साल में ही धरासायी हो गई जनता दल गुटीय संघर्षों के कारण कुछ ही समय में जमीदोज हो गया। प्रदेश भाजपा भी गुटबंदी की शिकार रही इसके कारण अस्थिरता को बढ़ावा मिला। राज्य का विकास अवरुद् हुआ और सरकार का सफलता पूर्वक संचालन करना कठिन रहा। सोदेबाजी को बढावा मिला असंतुष्टों को खैरात देने के लिए मंत्रिमण्डल का विस्तार करना पड़ा इसके कारण दलों में फूट को बढावा मिला और व्यक्ति आधारित दल पनपने लगे जिसके कारण लोकतांत्रिक दलीय राजनीति प्रदुषित हुई।

प्रदेश में गुटबंदी के कारण कई मुख्यमंत्री अपना कार्य सुचारु रुप से पूरा नहीं कर सके। उन्हें गुटबंदी को समाप्त करने में अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना पड़ा। अभी भी स्थिति यह है कि गुटबंदी क्षैत्र तथा जाति के आधार पर की जाने लगी है। जब श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती है तो ब्राह्मण जाति के विधायक असंतुष्ट रहते है। इस क्रम में वर्तमान में घनश्याम तिवाड़ी का नाम उल्लेखित किया जा सकता है। दूसरी तरफ जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते है तो जाट नेता असंतुष्टि जाहिर करते है और उनकी यह शिकायत रहती है कि उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जा रहा और वे असंतुष्ट गुट के प्रतिनिधि बन जाते है।

(4) क्षैत्रियतावाद की धारणा से प्रभावित राजनीति :

प्रदेश की राजनीति में क्षैत्रियतावाद की भावना की झलक भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। प्रदेश के राजनेताओं को कार्य एवं भूमिका से नहीं क्षैत्रों के नाम से जाना जाता रहा है। जैसे जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर, बरकत उल्लाह खान, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरणा, अशोक गहलोत, जसवंत सिंह विश्नोई, नरपत राय बरवड़ तथा राजेन्द्र गहलोत को जोधपुर ग्रुप के नाम से राम किशोर व्यास, दामोदर लाल व्यास, राम करण जोशी, हीरा लाल शास्त्री, रामदास अग्रवाल, गिरधरी लाल भार्गव, भैरो सिंह शेखावत आदि को जयपुर ग्रुप (राजधानी ग्रुप) मोहन लाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, मामा बालेश्वर दयाल, शांतिलाल चपलोत, तारा भण्डारी तथा गिरिजा व्यास उदयपुर ग्रुप (मेवाड़ क्षैत्र) जगन्नाथ पहाड़िया, नटवर सिंह, शिवचरण माथुर, कृष्णेन्द्र कौर दीपा भरतपुर ग्रुप के सशक्त किरदार है। स्व॰ कुमाराम आर्य, देवी सिंह भाटी, शंकर पन्नू, निहाल चंद, शशि दत्ता तथा महेन्द्र सिंह बीकानेर श्री गंगानगर ग्रुप (बीकाणा क्षैत्र), नवल किशोर शर्मा, महारानी महेन्द्रा कुमारी समर्थ लाल मीणा, मंगला राम आदि अलवर ग्रुप (मतस्य क्षैत्र) का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। क्षैत्रिय आकांक्षाओं का राजनीतिक भविष्य निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्भर करता है इसलिए वे समय समय पर क्षैत्र विशेष की समस्याओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि जब से रैलियों और थैलियों का बजट बढ़ा है तब से क्षैत्रिय नायकों की विशेष भूमिका उभरने लगी है संबंधित क्षैत्र में सम्मेलन, सभा या रैली की जिम्मेदारी क्षैत्रिय प्रभावशाली नायक को सौंपी जाती है। क्षैत्रिय समस्या समाधान शिवर जन शिकायतों आदि को निपटाने के लिए भी क्षैत्रिय विधायक या मंत्री को प्रभारी बनाया जाता है। प्रधानमंत्री, केन्द्रिय मंत्री, मुख्यमंत्री या विशिष्ट नेताओं के क्षेत्र में दौरे के समय क्षैत्रिय प्रतिनिधित्व की उपस्थिति व भागीदारी लगभग परम्परा बन चुकी है। यह क्षैत्रियवाद का ही मिथक है कि एक ही प्रदेश में निर्वाचन क्षैत्रों के अनुसार राजनीति के स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है यह कहने

में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि राज्य मंत्रिमण्डल में भी क्षैत्रिय प्रतिनिधित्व को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है।

(5) दल बदल एवं जोड़ तोड़ की राजनीति :

प्रदेश की राजनीति का दल बदल और संयुक्त मंत्रिमण्डल अभिन्न अंग रहा है। सन् 1952 से हमें प्रतिनिधात्मक राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला अनेक चुनावों में काँग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला दल बदलुओं के सहयोग से सरकार बनी। सन् 1985 में दल बदल कानून के बावजूद भी दल बदल की घटनाऐं जारी रही और से घटनाऐं सत्तान्मुख रही और ये लम्बे समय तक चलती रही विधायकों की निष्ठा में परिवर्तन आता रहा गैर काँग्रेसवाद का एक समय में बड़ा जोर रहा फिर भाजपा ने भी गठबंधन करना शुरू कर दिया। इस कारण अनेक मुख्यमंत्री पूरे पाँच साल अपने पद पर नहीं रह पाये हाँ 21 वीं सदी में यह अवश्य हुआ कि एक बार निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि दल बदल और जोड़ तोड़ से अनेक बार अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती रही है।

(6) निर्दलियों की निर्णायक स्थिति :

प्रदेश की राजनीति में निर्दलियों की न केवल चुनावी सफलता अच्छी रही है वरन् अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में उन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की है प्रथम विधानसभा में काँग्रेस को सत्तारूढ़ करवाने में निर्दलियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सन् 1967 के राज्य विधानसभा के चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ उस समय सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों की निर्णायक भूमिका बन गई। जोड़ तोड़ की राजनीति के सिद्धहस्थ खिलाड़ी मोहन लाल सुखाडिया ने स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ तथा निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में कर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। सन् 1990 के दशक में भैरोसिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व का दूसरा कार्यकाल राम लहर के वातावरण में चला और उसमें ही केन्द्रिय सरकार ने उसे समाप्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

अयोध्या के बावरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा के नेतृत्व में रथ यात्रा प्रारम्भ हुई। खड़ाऊ पूजन शिला पूजन ईंट पूजन आदि के बाद 6 दिसम्बर 1992 को कार सेवा से सम्पन्न हुआ देशभर के हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए राजस्थान का जत्था भी बहुत बड़ा था उसमें जिलों के नेता तथा पूर्व मंत्री भी थे धार्मिक मिश्रित राजनीतिक भावना से सारा वातावरण राममय हो रहा था। विवादग्रस्त ढ़ाचे की सुरक्षा के लिए अयोध्या में भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस जमा थी फिर भी भाजपा के राष्ट्रीय तथा शिव सेना के नेताओं की उपस्थिति में बाबरी मज्जिद का विवादग्रस्त ढाँचा ढहा दिया गया। इस समाचार के संकलन के लिए विश्व प्रेस/मिडिया एकत्रित हुआ विश्व भर में इसकी घोर प्रतिक्रिया हुई थी। भारत में जगह–जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए इससे राजस्थान भी अछुता नहीं रहा। राजस्थान में विशेषकर जयपुर तथा टोंक जिलों में दंगे हुए। पुलिस तथा दंगाइयों ने राजस्थान में करीब 55 लोगों को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया। कितने ही घायल हुए तथा आगजनी में अकूत नुकसान हुआ।[13]

भारत सरकार ने 15 दिसम्बर, 1992 को भाजपा सरकारों वाले राज्यों उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू का दिया विधान सभाऐं भंग कर दी गई।[14]

इस प्रकार भाजपा नीत जनता दल (दिग्विजय) संयुक्त सरकार दूसरी बार भी अपना कार्यकाल पूरा किये बिना अपदस्थ कर दी गई राष्ट्रपति शासन लगभग 1 वर्ष तक रहा और सन् 1993 में दसवीं विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार बनी और पुनः एक बार निर्दलियों की किस्मत जाग उठी। चुनाव जीतकर आये 21 निर्दलीय विधायकों की (अधिकतर बागी काँग्रेसी) निर्णायक तथा संतुलनकारी स्थिति बन गई। भाजपा तथा काँग्रेस (आई) ने निर्दलियों को अपने अपने पक्ष में करने की भारी कवायद की लेकिन बाजी भाजपा ने जीत ली उन्होंने 21 में से 10 निर्दलियों को अपने पक्ष में कर सरकार बनाने में सफलता हाँसिल की।

उल्लेखनीय है कि निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल नहीं होते तब तक दल बदल कानून लागू नहीं होता जिसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि निर्दलीय सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के लिए गुरूत्वाकर्षण बन जाते हैं। सन् 1967 में निर्दलियों को पद का प्रलोभन देने के लिए मुख्यमंत्री सुखाडिया ने हरिसिंह (निर्दलीय) को उपमंत्री बनाया था भैरोसिंह शेखावत ने सन् 1990 में राजस्थान की विधायिका के इतिहास में पहली बार दो निर्दलियों मदन मोहन सिंघल को राज्य मंत्री तथा राम प्रताप कासनिया को उपमंत्री बनाया, सन् 1993 में शेखावत ने अपनी सरकार का समर्थन करने वाले 10 निर्दलियों में से 8 को मंत्रिपद से पुरस्कृत किया इनमें सुजान सिंह यादव तथा गंगाराम चौधरी को केबिनेट मंत्री, रोहिताश कुमार, ज्ञान सिंह, श्रीमती नरेन्द्र कँवर, श्रीमती शशि दत्ता को राज्यमंत्री तथा गुरुजंट सिंह व मंगलाराम कोली को उपमंत्री बनाया गया।

राज्य राजनीति में सन् 1952 से 2003 तक निर्दलियों की सफलता का विवेचन एक तालिका में स्पष्ट है –

तालिका संख्या – 3.2

प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 तक निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलनात्मक स्थिति[15]

क्र.सं.	वर्ष	कुल उम्मीदवार	निर्दलीय उम्मीदवार	प्रत्याशी जीते
1.	1952	757	308	39
2.	1957	653	325	32
3.	1962	890	390	22
4.	1967	892	436	15
5.	1972	875	355	11

6.	1977	1146	723	06
7.	1980	1406	755	12
8.	1985	1485	977	09
9.	1990	3088	2498	09
10	1993	2451	1884	21
11	1998	1768	605	07
12	2003	1541	556	13

ókr& jktLFkku if=dk tukn'k, 17 vxLr, 2003

¼7½ jkT; jktuhfr e ins'kkÙkj ckgjh rRok dk gLr{ki ½

प्रादेशिक राजनीति में बाह्य तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा प्रदेशोत्तर व्यक्तित्व राज्य राजनीति में तीव्रगति से प्रवेश करते रहे हैं जैसे – कॉंग्रेस (ई) की राजनीति में राज्य के बाहरी कॉंग्रेसजनों बलराम जाखड़ (फजिल्का, फिरोजपुर, पंजाब), बूटासिंह (मुस्तफापुर, जालंधर, पंजाब), स्व० राजेश पायलट (बैदपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। नवम्बर, 1993 में राज्य विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कॉंग्रेस (आई) की राजनीति निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि कॉंग्रेस आला कमान ने प्रदेश में कॉंग्रेस (आई) की सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए भजनलाल को भेजा उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किये लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सन् 1989 में नवोदित जनता दल ने भी चौधरी देवीलाल एवं सहयोगियों के एक सदस्य को प्रदेश राजनीति में उतारा अन्य राजनीतिक दलों ने इतना अधिक बाहरी हस्तक्षेप नहीं है।

प्रदेश में मतदाता भी बाहरी प्रत्याशी को प्रायः स्वीकार नहीं करता क्योंकि स्थानीयतावाद की प्रवृति जन्म घुटी से जुड़ी हुई है। सन् 1999 में लोकसभा के

चुनाव में लक्ष्मण बंगारू (भाजपा) को जालौर से चुनाव लड़वाया वे प्रदेश के निवासी नहीं थे। जिसे प्रदेश के मतदाताओं ने स्वीकार नहीं किया।

(8) l'kDr izfri{k ,oa foi{kh jktuhfr %

राजस्थान राज्य की राजनीति में एकल सुदृढ़ विपक्ष लम्बे समय तक उभर नहीं सका संख्यात्मक दृष्टि से प्रतिपक्ष की स्थिति कमजोर रही लेकिन गुणात्मक दृष्टि से प्रारम्भ से ही विपक्ष प्रभावशाली रहा जिसने सत्ता पक्ष को भयभीत तो किया लेकिन प्रताड़ित नहीं किया। परन्तु 1977, 1990 और 1993 में स्थिति बदल गई क्योंकि एकल सुदृढ़ प्रतिपक्ष उभरा विपक्ष की राजनीति करने वाली भाजपा सत्ता में आई उसके सम्मुख विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्रियों की लम्बी पंक्ति थी लगभग 45 वर्षो तक सत्तारूढ़ रहने वाली काँग्रेस के विपक्ष में बैठने से भाजपा को अत्यधिक सावधान और सचेत रहकर कार्य करना होता था। ब्रिटेन की तरह राजस्थान में छाया मंत्रिमण्डल की स्थिति थी काँग्रेस ने विपक्षी दल के गलियारों में प्रभाव ड़ाला अपने आप को जनता से जोड़े रखने के लिए उनकी समस्याओं में अपने को भागीदार बनाकर धरने, घेराव, आन्दोलन, प्रदर्शन, रेलियों आदि में नेतृत्व का झंडा थामा। बढ़ती मंहगाई बिजली पानी की दरों तथा बस किराया वृद्धि अधिभार कर, शिवानी देवी छात्रावास काण्ड, नीलू राणा काण्ड, भीनमाल प्रकरण, चुरू और ब्यावर में पानी की राजनीति आदि मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया। तीसरी शक्ति की प्रभावी उपस्थिति के अभाव में राज्य में सत्ता पक्ष के सम्मुख विपक्ष सशक्त व सुदृढ़ ही रहा वर्तमान में विपक्ष की सदस्य संख्या कम होने के बावजूद भी विपक्ष उत्साही है और उसके हौसले बुलंद हैं।

(9) सामंती तत्वों की प्रभावी भूमिका :

राजस्थान को पूर्व में राजपूताना कहे जाने का कारण यह था कि यह क्षैत्र राजपूत बहुल तथा शासित क्षैत्र था। देशी रियासतों तथा चीफशिपों को राजस्थान में शामिल होने के बाद जमीदारी व जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। राजा–महाराजा, सामंतों, ठाकुर, जमीदारों तथा जागीरदारों की हैसियत सामान्य

प्रजा जैसी हो गई। 1952 में प्रतिनिधात्मक राजनीति की शुरुआत से यह समझा गया कि सामंति तत्व अब मिट्टी के माधव बन गये है। सामंती तत्वों ने लोकतंत्र में हिस्सेदारी निभानी शुरु की तथा प्रभावशाली भूमिका एवं सफलता भी प्राप्त की प्रदेश के राजनीतिक दल राज परिवारों का समर्थन पाने का भरसक प्रयत्न करते है। इस दृष्टि से राजघरानों की राजनीति का अध्ययन किया जाये तो पर्याप्त सत्य उजागर होते है।[16]

प्रथम से तीसरी विधानसभा के गठन तक जागीरदारों तथा भूतपूर्व नरेशों की संख्या 8% थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा ठिकानों का आर्शिवाद दोनों दल प्राप्त करने के लिए लालायित रहे हैं। अलवर की युवरानी महिन्द्रा कुमारी के कॉंग्रेस में शामिल होने पर यह माना गया कि इसका अलवर की राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कॉंग्रेस ने भरतपुर तथा मेवाड़ घराने का समर्थन प्राप्त करने की भी कसरत की उधर, जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी और डीग की कृष्णेन्द्र कौर को भी भाजपा के लिए उपयोगी माना गया। हॉंलाकि समय के साथ रजवाड़ों का प्रभाव न्यून से न्यूनतम होता गया है फिर भी उनकी एक धाक अवश्य है जो मतदाता में नवस्फूर्ति का संचार करती है।

(10) अभाव के बावजूद बढ़ती राजनीतिक सहभागिता :

प्रदेश तमाम अभावों से ग्रसित रहा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़ी मुश्किल से होती है प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है। पर्याप्त मात्रा में गॉंव और ढ़ाणियों में आजादी के लम्बे समय के बावजूद भी पीने का पानी ठीक से उपलब्ध नहीं है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है अखिल भारतीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। सन् 1992–1993 की प्रति व्यक्ति आय से उसका दसवॉं भाग ही है। अकाल का राजस्थान में लगभग स्थायी आवास बन चुका है। कभी अनावृष्टि से तो कभी अतिवृष्टि से इन्फ्रास्ट्रक्चर में 13 वॉं, सड़कों में 14 वां तथा रेलों में 12

वां, गाँवों में विद्युतिकरण में 11 वां, साक्षरता में 14 वां, महिलाओं में साक्षरता में 15 वां स्थान है।

यह मान सकते हैं कि 1993 से राज्य ने तेजी से आर्थिक विकास किया है प्रदेश को विकसित राज्यों में गिना जाने लगा है। वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि में राज्य देश में दूसरा तथा खाद्य उर्वरक की खपत की वृद्धि में प्रथम स्थान को छूने लगा है। खाद्यान उत्पादन में प्रदेश 9 वें स्थान पर तथा राई और सरसों के उत्पादन में अच्छी स्थिति में है जनता को सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य है महिलाओं की साक्षरता प्रदेश में 52.12 प्रतिशत है। महिलाओं को राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटा विशाल जनसंख्या वाला प्रदेश तमाम असुविधाओं और समस्याओं से जूझता प्रदेश शिक्षा और आर्थिक विकास से पिछड़ा प्रदेश होते हुए भी राजस्थान का मतदाता राजनीतिक रूप से सचेत और जागरूक है उसमें राजनीतिक उदासीनता नहीं है राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की है और राष्ट्रीय राजनीति अथवा पंचायती राज की राजनीति या ठेठ ग्रामीण क्षैत्रों में राजनीति का विषय हो सभी जगह मतदाताओं ने अधिक राजनीतिक सहभागिता का परिचय दिया है।

यदि राजस्थान में मतदान प्रतिशत को अब तक हुऐ विधानसभाओं के चुनावों में देखा जाये तो निम्नानुसार मतदान प्रतिशत की झलक मिलती है –

तालिका संख्या – 3.3

प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 14 वीं विधानसभा चुनाव 2013 तक राज्य में हुआ मतदान प्रतिशत की स्थिति

क्रम.सं.	विधानसभा	वर्ष	मतदान प्रतिशत
1	प्रथम	1952	37.42
2	द्वितीय	1957	40.29
3	तृतीय	1962	52.66
4	चतुर्थ	1967	58.22
5	पंचम	1972	58.13
6	छठी	1977	52.29
7	सातवीं	1980	52.29
8	आठवीं	1985	55.14
9	नवीं	1990	57.26
10	दसवीं	1993	60.59
11	ग्यारहवीं	1998	63.39
12	बारहवीं	2003	67.02
13	तेरहवीं	2008	66.03
14	चौदहवीं	2013	68.34

इससे यही स्पष्ट होता है कि चुनाव में जनता की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है और इस बात को साबित कर रही है कि "Internal Vigilence is the price of democracy"आन्तरिक चेतना ही लोकतंत्र का मूल्य है।"

¼11½ izns'k jktuhfr esa efgyk,¡ ½

प्रदेश की राजनीति में सन् 1952 से लेकर अब तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ग्राफ काफी उतार चढ़ाव का रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत के आस–पास रही है और निम्नतम 3.4 प्रतिशत 1977 में रही जबकि राजस्थान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत के आस–पास तथा निम्नतम 1.25 प्रतिशत रहा यह भी तब जब दो महिलाऐं उप चुनाव जीत कर आयी। श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती मदन कौर, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती किरण माहेश्वरी संसदीय सचिव और केबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। श्रीमती कमला एवं श्रीमती जकिया इमाम गहलोत सरकार ने केबिनेट मंत्री रहीं, श्रीमती तारा भण्डारी विधानसभा की उपाध्यक्ष रहीं, श्रीमती वसुन्धरा राजे प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी तथा श्रीमती सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गईं। इस दृष्टि से श्रीमती बीना काक के नाम का भी उल्लेख किया जा सकता है जो मंत्री रहीं।

संसद से महिला प्रतिनिधित्व की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि राजस्थान में महिला प्रतिनिधित्व की आवृत्ति में उतार–चढ़ाव अधिक आया है परन्तु सन् 1957, 1972, 1977 और 1985 में तो अखिल भारतीय स्तर के प्रतिनिधित्व से अधिक महिला प्रतिनिधित्व राजस्थान विधानसभा में था। चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की तुलना सफलता की दृष्टि से पुरूषों से करते हैं तो महिलाओं की सफलता उल्लेखनीय है, लेकिन मानद राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त टिकिट नहीं देते और देते भी हैं तो भीतर घात कर उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं।

यही कारण है कि अधिकतर महिलाएँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतने के बावजूद महिलाओं की भूमिका प्रतीकात्मक अधिक और रचनात्मक कम रहती है। फिर भी विशेषकर सन् 1952 से लेकर 2014 तक महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है और यह उल्लेखनीय है कि 12 वीं विधानसभा चुनावों में तो राजस्थान में प्रथम बार महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में

(वसुन्धरा राजे) ने पद ग्रहण किया। वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री हैं। इस क्रम में संक्षिप्त तालिका निम्नानुसार प्रस्तुत की जा सकती है –

तालिका संख्या – 3.4

प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 14 वीं विधानसभा चुनाव 2013 तक राज्य में निर्वाचित महिला उम्मीदवावरों की स्थिति

क्रम.सं.	विधानसभा	काँग्रेस पार्टी	जनता (भाजपा)	जनसंघ	लोकदल	जनतादल एवं अन्य	निर्दलीय	योग
01.	प्रथम	01	–	–	–	–	01	02
02.	दूसरी	08	–	–	–	–	01	08
03	तीसरी	08	–	–	–	–	–	08
04	चौथी	06	–	01	–	–	–	07
05	पाँचवीं	13	–	–	–	–	–	13
06	छठी	02	06	–	–	–	–	08
07	सातवीं	07	–	03	–	–	–	10
08.	आठवीं	10	–	05	01	–	01	17
09.	नवीं	02	–	05	–	04	–	11
10.	दसवीं	03	–	05	–	–	02	10
11.	ग्यारहवीं	14	–	–	–	–	01	15
12.	बारहवीं	01	–	09	–	–	02	12
13.	तेरहवीं	04	–	03	–	–	01	08
14.	चौदहवीं	03	–	20	–	–	05	28

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान की महिलाएं ग्रामीण स्तर से लेकर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी रूचि और सहभागिता का पर्याप्त प्रदर्शन करती रही हैं।

¼12½ lkekftd U;k; dh fn'kk esa iz;kl ½

सदियों से पद दलित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित (सुरक्षित) किये गये हैं लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति के आरम्भ सन् 1952 से 1993 तक तथा उसके बाद अब तक 297 अनुसूचित जाति तथा 196 अनुसूचित जनजाति के सदस्य चुने गये। चुने गये उन सदस्यों का प्रतिशत क्रमशः15.79 प्रतिशत तथा 10.42 प्रतिशत है। यह राजस्थान जैसे सामंतवादी तथा परम्परावादी समाज में सामाजिक समरसता और सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की जीती जागती मिसाल है। इससे संबंधित मंत्रालय भी स्थापित किया गया है और इस दिशा में निरंतर सजगता बरती जा रही है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में भिन्न भिन्न सोच तथा समस्याओं के बावजूद समरसता को बढ़ावा दिया गया है और राजनीतिक सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हुई है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि भारत और इसकी ईकाईयों में महान लोकतंत्र को नैतिक मूल्यों पर स्थापित करना राजनेताओं सामान्य जनता मतदाताओं तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है जिसमें राष्ट्रीयता और मानवता की भावना हो तथा लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था हो वर्तमान स्थितियों में भारी बदलाव की व लोकतंत्र के उच्च आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता है तभी हम विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में गर्व से खड़े हो सकेंगे।

भारत राज्यों का एक संघ कहा जाता है भारतीय राजनीति में राज्यों का विशेष महत्त्व है इसी दृष्टि से राजस्थान का भी कम महत्त्व नहीं है। भारतीय राजनीति त्रिस्तरीय है –राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय, राज्य राजनीति जमीनी हकीकत से

जुड़ी होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। निरन्तर बढ़ती क्षैत्रीय आवश्यकताओं और अभिलाषाओं ने राज्य राजनीति के नवीन स्वरूप को उभारा है क्षैत्रीय राजनीतिक दलों के क्षत्रप निरन्तर विस्तार पाते रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा करते रहे हैं। समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय केडर के सभी दलों में बिखराव राज्य राजनीति को महत्त्वपूर्ण बनाते जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रभावों और स्थानीय दबावों के मध्य संचालित होने वाली राज्य राजनीति यथार्थ परक राजनीति है।

इस अध्याय में इसी यथार्थता को स्पष्ट किया गया है। इसलिए राज्य राजनीति के सभी महत्त्वपूर्ण आयामों प्रवृतियों और विकास की समीक्षा की गई है। वास्तविकता यह है कि भारतीय मानचित्र पर एक पृथक ईकाई के रूप में राजस्थान का उदय 30 मार्च, 1949 से माना जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है परन्तु राज्य पुर्नगठन आयोग द्वारा वर्तमान राजस्थान को पूर्ण लोकतांत्रिक स्वरूप 1 नवम्बर, 1956 से दिया गया तब से लेकर अब तक विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं उनमें कभी कभार ऐसा लगा कि राजस्थान में लोकतंत्र डगमगा रहा है परन्तु लोकतंत्र के टूटने की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हुई।

सन् 1998 से जो स्थिति है उसमें श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया और श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। वसुन्धरा राजे जी धौलपुर राजघराने से संबंधित हैं और अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से संबंधित हैं। दलों में कॉंग्रेस और भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है राजघरानों की बजाय साधारण नागरिकों के हाथ में सत्ता देने का मोह बढ़ा है। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और आम नागरिक मतदाता की हैसियत से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रबुद्ध जनों की तरह वह भी जान गया है कि लोकतंत्र में चाहे कितनी भी कमियाँ हो परन्तु वह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसलिए वे सारटोरी के इस वाक्य को हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं कि – O my disrespected democracy I love you "अनाहत लोकतंत्र मुझे तुमसे प्रेम है।"

****

संदर्भ सूची

1. "The last Maharaja : Quentin crew", पृ॰सं॰ 180–181

2. कोचर के॰एल॰, "रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान", प्रिंसवेल पब्लिशर्स जयपुर, पृ॰सं॰ 15

3. हाड़ा राजेन्द्र लाल, "देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास", नेशनल पब्लिकेशन जयपुर, पृ॰सं॰ 272–273

4. इन्दा उम्मेदसिंह, "भारत में राज्य राजनीति", आर॰बी॰एस॰ए॰ पब्लिशर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2005 पृ॰सं॰ 25

5. "राज प्रमुख सवाई मानसिंह का अभिभाषण", राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर, जुलाई, 2001, पृ॰सं॰ 1

6. इन्दा उम्मेदसिंह, "भारत में राज्य राजनीति", ए.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2005, पृ॰सं॰ 47

7. वही, पृ॰सं॰ 481

8. वही, पृ॰सं॰ 49

9. भण्डारी विजय, "राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2007, पृ॰सं॰ 371

10. वही, पृ॰सं॰ 377

11. इंदा उम्मेद सिंह, उद्धत", पृ॰सं॰ 46

12. Pangariya BL Pahariya NC, “Rajasthan Polity Economy and Society”, नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 1995, पृ०स० 67

13. सैनी ओम, “माया पक्षिक”, 15 जनवरी, 1993

14. Pangariya BL Pahariya NC, “Rajasthan Polity Economy and Society”, नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 1995, पृ०स० 120

15. राजस्थान पत्रिका जनादेश, 17 अगस्त, 2003

16. इन्दा उम्मेद सिंह,“भारत में राज्यों की राजनीति”, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2005 पृ०सं० 227–234

****

अध्याय चतुर्थ

कोटा जिले का परिचय
ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिपेक्ष्य

अध्याय चतुर्थ

प्रस्तुत शोध प्रबंध राजस्थान राज्य की कोटा विधानसभा क्षेत्र चुनावों में मतदान व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। अतः यहाँ पर कोटा जिले का एक संक्षिप्त परिचय का अवलोकन करना अनिवार्य है। इस अध्याय में कोटा जिले का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिपेक्ष्य का अध्ययन किया गया है।

(1) ऐतिहासिक परिचय :

जिला मुख्यालय कोटा का नाम भीलों की कोटिया शाखा के नाम पर पड़ा। इस संबंध में दो मान्यताऐं हैं। पहली मान्यता के अनुसार बुन्दी के राजा रावदेवा के पुत्र जेतसिंह ने भीलों की कोटिया शाखा के गाँव कोटिया पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया बाद में यह स्थान कोटा के नाम से विख्यात हुआ तथा कोटा राज्य की राजधानी बना। दूसरी मान्यता के अनुसार 1264 ई० में जेतसिह नें चम्बल नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित अकेलगढ़ पर अधिकार करके वहाँ के भील शासक कोटिया को मार दिया उसी भील शासक कोटिया के नाम पर यह स्थान कोटा कहलाया।[1]

कोटा क्षेत्र में आदिम युगीन बस्तियों का प्रसार चम्बल अथवा चर्मण्यवती नदी के किनारे–किनारे हुआ। तथा यह क्षेत्र मालवा गणराज्य के अधीन था। 13 वीं शताब्दी में चम्बल नदी के उस पार मालवा में परमारों एवं इस पार चौहानों का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को परास्त कर दिया। इसके बाद यहाँ अराजकता व्याप्त हो गई जिसके कारण अकेलगढ़ के कोटिया भील के नेतृत्व में भीलों ने भी एक बड़ा दल बनाकर लूटपाट प्रारम्भ कर दी। बूंदी के संस्थापक राव देवा के पुत्र शम्सी (समर सिंह) ने कोट्या भील को मारने की कोशिश की तो वह चम्बल नदी में कूदकर भाग गया। उसके बाद शम्सी के पुत्र जेतसी ने व्यूह रचना बनाकर चम्बल नदी के किनारे अकेलगढ़ के निकट कोट्या भील को घेरा तो वह ऊँचे स्थान पर चढ़ गया और वहीं जेतसी ने उसका वध कर दिया, जिस जगह कोटया भील को मारा गया उसी जगह गढ़ का निर्माण प्रारम्भ किया गया

और सन् 1371 में कोट्या भील के नाम से कोटा नगर की नींव रखी गई। आज भी गढ़ के नीचे लोक देवता के रुप में कोट्या भील की पूजा अर्चना की जाती है। पहले कोटा बूंदी का ही एक परगना था। लेकिन जहाँगीर के समय बूंदी के राव रतनसिंह के छोटे पुत्र माधोसिंह को उसकी शूरवीरता के कारण अलग से राज्य बनाकर दिया गया। इस प्रकार कोटा सन् 1625 ई० में अलग राज्य के रुप में अस्तित्व में आया।

जहाँगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने कोटा के राजा माधोसिंह को बूंदी के राजा से स्वतंत्र करके सीधे मुगल बादशाह के अधीन राजा का दर्जा दिया और 2500 का मनसबदार तथा 2500 सवारों का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया इस प्रकार कोटा राज्य अस्तित्व में आया। तथा माधोसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र मुकंद सिंह कोटा का राजा बना इसे शाहजहाँ ने 3000 का मनसबदार तथा 2000 सवारों का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। मुकंद सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जगतसिंह मात्र 14 वर्ष की आयु में कोटा का शासक बना तथा 1684 ईं० में औरंगजेब के साथ दक्षिण में लड़ाई लड़ते हुए मारा गया। इसके पश्चात् किशोर सिंह कोटा के शासक बने। परन्तु यह भी दक्षिण में लड़ाई लड़ते हुए मारे गये। इनके पश्चात् इनके पुत्र बिशनसिंह ने कोटा तख्त पर अधिकार कर लिया बाद में रामसिंह ने बिशनसिंह को हराकर कोटा पर अपना अधिकार स्थापित किया।

रामसिंह के शासनकाल में रामपुरा बाज़ार बसा, रामपुरा का कोर्ट व दरवाजा बना तथा सूरजपोल का निर्माण हुआ, कोटा नगर का परकोटा बना व किशोर सागर का निर्माण शुरू हुआ। रामसिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र भीमसिंह कोटा का राजा बना। भीमसिंह ने 1713 ई० में बुंदी पर चढ़ाई करके अपना अधिकार जमा लिया। भीमसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अर्जुन सिंह कोटा का शासक बना। अर्जुन सिंह के कोई सतान नहीं थी अतः उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई दुर्जनशाल को कोटा का महाराव बनाया गया। दुर्जनशाल भी निसंतान थे अतः उनकी मुत्यु के बाद उनके निकटतम बान्धव अजीतसिंह को कोटा का राजा बनाया गया। इनके समय कोटा का राजकोष खाली होता जा रहा

था। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र शत्रुसाल कोटा का महाराव बना इनके भी कोई पुत्र नहीं था अतः इनकी मृत्यु के बाद भाई गुमानसिंह को कोटा का महाराव बनाया गया। वर्ष 1771 ई॰ में गुमानसिंह की मृत्यु हो गई इसके पश्चात् उनके 10 वर्षीय पुत्र उम्मेद सिंह को कोटा की गद्दी पर बिठाया गया।

सन् 1804 ई॰ में अंग्रेजी सेना ने प्रथम बार कोटा राज्य में प्रवेश किया। 1819 ई॰ में महाराव उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किशोर सिंह कोटा के शासक बने। 1828 ईं॰ में उनकी मृत्यु के बाद रामसिंह द्वितीय कोटा के महाराव हुए। 1857 ई॰ की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 1863 ई॰ में इनका देहान्त हो गया तथा पुत्र शत्रुसाल द्वितीय कोटा का महाराव हुआ। इनके कोई पुत्र नहीं था अतः इनकी मृत्यु के बाद 1888 ई॰ में कोटड़ा के उदयसिंह द्वितीय को कोटा की गद्दी पर बैठाया गया इनके बाद महाराव उम्मेदसिंह कोटा के शासक बने 1940 ई॰ में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भीमसिंह द्वितीय कोटा के महाराव बने।

1947 ई॰ में देश की स्वतंत्रता के पश्चात् महाराव भीमसिंह ने 3 मार्च 1948 को कोटा को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया। 1949 ईं॰ में कोटा जिला अस्तित्व में आया।[2]

(2) भौगलिक परिदृश्य :

कोटा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में 24.25 से 25.51 उत्तरी अक्षांशों तथा 75.37 से 77.26 दक्षिणी अक्षांशों व पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके पश्चिम में बुंदी तथा चित्तौड़गढ जिले, दक्षिण में झालावाड़ जिला व मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, पूर्व में बांरा जिला तथा उत्तर में सवाईमाधोपुर, टोंक तथा बुन्दी जिले स्थित हैं।

कोटा जिले का कुल क्षैत्रफल 5217 वर्ग किमी. है इसमें नगरीय क्षेत्रफल 310 वर्ग किमी तथा ग्रामीण 4907 वर्ग किलोमीटर है। जो प्रदेश के क्षेत्र का 1.68 प्रतिशत है। कोटा जिले की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहने वाली चम्बल नदी इस

जिले को सवाईमाधोपुर व बुन्दी जिलों से अलग करती है चम्बल के अतिरिक्त कालीसिंध, पार्वती, परवन, बाणगंगा, उजाड, सूकड़ी आदि छोटी बड़ी नदियाँ इस जिले में बहती हैं। जिले की जलवायु सघन एवं शुष्क है तथा वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 76.24 से.मी. रहता है।[3]

कोटा जिले का वन क्षैत्रफल 1391.15 वर्ग किमी है। आरक्षित वन क्षैत्र 434 वर्ग किमी, रक्षित वन क्षैत्र 874 वर्ग किमी, अवर्गीकृत वन क्षैत्र 83.15 वर्ग किमी है।

कोटा जिले में मुकन्दराहील राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है इसका कुल क्षेत्रफल 265.80 वर्ग किमी है। इसके अलावा जवाहर सागर अभ्यारण्य (क्षैत्रफल 100 वर्ग किमी), नेशनल चम्बल अभ्यारण्य (क्षैत्रफल 280 वर्ग किमी) स्थित है।

कोटा जिले की प्रमुख नदियाँ चम्बल, कालीसिंध व पार्वती है। बाँध व झीलों में– जवाहर सागर बाँध, कोटा डेम, कोटा बैराज, सावन भादों और अलनिया डेम आदि है।

जिले के विकास की दृष्टि से यदि अव्वल और पिछड़ेपन का जायजा लिया जाये तो राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ साक्षरता 76.6 प्रतिशत है जो कि राज्य में सर्वाधिक है। महिला साक्षरता में यह स्थिति 65.9 प्रतिशत है। इस दृष्टि से यह राज्य में प्रथम स्थान पर है। पुरुष साक्षरता 86.3 प्रतिशत है। इस लिहाज से यह प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है। (झुंझुनु प्रथम स्थान पर)।

(3) आर्थिक परिदृश्य :

आर्थिक दृष्टि से कोटा एक पूर्ण सिंचित उपजाऊ भूमि वाला जिला है। यहाँ फसलों में धनिया, सोयाबीन, लहसून, सरसों, गेहूँ, चावल, संतरा भरपूर मात्रा में पैदा होते है।

कोटा में संतरा उत्पादक के लिए संतरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपनाया गया है और इसकी स्थापना इजराइल सरकार के सहयोग से कोटा में किया जाना है।

राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना 35 करोड की लागत से कोटा के एग्रोफूड़ पार्क के II फेज में लगाया स्थापित किया गया है। तथा कोटा के रानपुर में राज्य का पहला ऐग्रोफूड़ पार्क स्थापित किया गया।

मंगलम सीमेंट –

कोटा जिले के मोड़क कस्बे के समीप चूना पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है। यहाँ मंगलम सीमेंट की फैक्ट्री स्थित है।

रेड स्टोन –

बूंदी जिले के ड़ाबी व धनेश्वर में इसकी खानें है लेकिन इसे निर्यात करने वाली अधिकांश इकाइयाँ कोटा में स्थापित है। यह खुरदरा मजबूत पत्थर लाल के साथ नीले रंग में भी मिलता है। पहले इसकी पट्टियों से छतें बनाई जाती थी और फर्श में भी लगाया जाता था। लेकिन सीमेंट कंक्रीट की छतों और कोटा स्टोन संगमरमर और सिरेमिक टाइल्सों ने इस पत्थर को एक तरीके से बेकार कर दिया था। वैश्वीकरण के बाद यूरोप और मध्यपूर्व के देशों में इस पत्थर की इस कदर मांग पैदा हुई है कि आज पाँच सौ करोड़ रुपये से भी अधिक का रेड स्टोन विदेशों में निर्यात किया जाता है।

कोटा स्टोन –

कोटा जिले के रामगंजमंडी व सुकेत में इसकी खाने हैं यहाँ यह पत्थर बहुतायत में निकलता है तथा पूरे देश में इसका निर्यात होता है पत्थर उद्योग हाडोती की अर्थ व्यवस्था की धुरी माना जाता है। परन्तु वर्तमान में स्टोन पार्क नहीं होने व जी.एस.टी. की दरें अधिक होने के कारण यह समस्याओं से जूझ रहा है।[4]

कोटा ताप बिजली घर –

कोटा बिजली घर की सातवीं इकाई को 30 मई 2009 को सिंक्रोनाइज कर राज्य के विद्युत तंत्र से जोड़ दिया गया। 195 मेगावाट की इस इकाई पर कुल 880 करोड़ रुपये की लागत आई। सातवीं इकाई ने बिना व्यवधान के विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया इस इकाई ने दिसम्बर 2012 से मई 2013 तक बिना व्यवधान के लगातार 150 दिन तक विद्युत उत्पादन किया।

चम्बल पर तीन नये पनबिजलीघर –

कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम चम्बल नदी क्षेत्र में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त साझेदारी में तीन पन बिजलीघर लगायेगा इसके लिए राजस्थान सीमा के राहुका गाँव और मध्यप्रदेश के ऊझापुरा व देवीपुरा गाँव का चयन किया गया। प्रथम चरण में राहुका गाँव में 120 मेगावाट का पन बिजलीघर बनाया जायेगा और शेष दो बाद में।[5]

कोटा डेरिया –

आर्थिक स्थिति की दृष्टि से ही कोटा डोरिया के नाम से मशहूर साड़ियाँ दरअसल कोटा जिले के कैथून कस्बे में बनाई जाती हैं यहाँ मुस्लिम बुनकर परिवारों की बड़ी बस्ती है जो कोटा डोरिया का निर्माण करती है। इस साड़ी को अपनी प्रसिद्धि की कीमत चुकानी पड़ रही है। डोरिया के नाम से बनारस के पावरलूम पर बनी साड़ियाँ बाजार में अटी पड़ी है। परन्तु कैथून के बुनकर परिवार आज भी हाथों से इस साड़ी का निर्माण करते है।

कोटा पहले औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था परन्तु अब इसके साथ शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है और शिक्षा का व्यवसाय यहाँ खूब फल फूल रहा है और पूरे देश के लिए भी आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। पूरे देश से लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पी.एम.टी. एवं आई.आई.टी. की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ विसंगतियाँ

आई है दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिला है परन्तु इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है।

कोटा शहर की आबादी 10.1 लाख है। आबादी की दृष्टि से कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा का शहर है। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता रहा है। कानपुर में जैसे उद्योग धन्धें फले–फूले वैसे ही 60 के दशक में कई बड़े उद्योग कोटा में स्थापित हुये इसीलिए कोटा को पहले ओद्यौगिक नगरी कहा जाता था। लेकिन अब आई.आई.टी. इंजिनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग संस्थानों के कारण इसे शिक्षा नगरी और नये दौर का नालंदा भी कहा जाता है। यह कहना भी असंगत न होगा कि कोटा की कचौरी, कोटा डौरिया की साड़ी और कोटा स्टोन के साथ अब कोटा के कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र देश के तमाम राज्यों के साथ विदेश से भी आते है। अतः कोटा अनेक क्षैत्रों में विकास की दिशा में प्रवाहमान है।

(4) राजनीतिक परिदृश्य –

कोटा जिले में कोटा, दीगोद, इटावा, सांगोद व रामगंजमंडी में उपखंड कार्यालय हैं तथा लाड़पुरा, सुल्तानपुर, दीगोद, इटावा, सांगोद व रामगंजमंडी में तहसील कार्यालय है तथा लाड़पुरा, सुल्तानपुर, इटावा, सांगोद व खैराबाद में पंचायत समितियाँ हैं।

नगरीय स्थानीय शासन की दृष्टि से कोटा शहर में नगर निगम है तथा कैथून, रामगंजमंडी व सांगोद में नगरपालिकाऐं हैं।

उपखण्ड	–	05
तहसील	–	06
गिरदावरी सर्किल	–	21
पटवार सर्किल	–	190
कुल राजस्व गाँव	–	897

नवीन घोषित गाँव	–	05
ग्राम पंचायत	–	155
विद्युतिकृत ग्राम	–	874
पुलिस थाने	–	29
चौकियाँ	–	35
कारागृह	–	03
शहरी निकाय	–	04
पंचायत समिति	–	05
विधानसभा क्षैत्र	–	06

वर्तमान में कोटा जिले में 6 विधानसभा क्षैत्र एवं उनसे निर्वाचित विधायक निम्न हैं–

क्र.सं.	विधानसभा क्षैत्र	विधानसभा सदस्य	दल
1	पीपल्दा	विद्या शंकर नंदवाना	भाजपा
2	सांगोद	हीरालाल नागर	भाजपा
3	कोटा उत्तर	प्रहलाद गुंजल	भाजपा
4	कोटा दक्षिण	संदीप शर्मा	भाजपा
5	लाड़पुरा	भवानी सिंह राजावत	भाजपा
6	रामगंज मण्डी	चन्द्रकान्ता मेघवाल	भाजपा

ऐसा मना जाता है कि 2012–13 के बाद राजनीतिक क्षैत्र में स्थितियाँ कुछ इस तरह से बदली की भाजपा की लोकप्रियता बढ़ गई उसी का परिणाम यह है कि कोटा विधानसभा क्षैत्र के सभी विधायक भाजपा से है।

वर्तमान में कोटा जिले में 5 पंचायत समितियाँ व उनके प्रधान निम्न हैं –

क्र.सं.	पंचायत समिति	प्रधान	दल
1	लाड़पुरा	राजेन्द्र	काँग्रेस
2	सुल्तानपुर	भूपेन्द्र	काँग्रेस
3	इटावा	सरोज मीणा	काँग्रेस
4	सांगोद	सावित्री	भाजपा
5	खैराबाद	भगवान सिंह	भाजपा

(5) सामाजिक एवं सांस्कृतिक ifjn'; –

कोटा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है अपने तीज त्योहारों और चित्र शैली के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। कोटा की चित्र शैली पर पुष्टि मार्गीय भक्ति भावनाओं का गहरा असर पड़ा है।

चित्रशैली –

कोटा व बूंदी के राजनीतिक व सांस्कृतिक सम्बंधों के कारण कोटा चित्रकला का उद्‌भव हुआ। कोटा चित्र शैली के चित्रों के विषय है – राग रागीनी, बारहमासा, विलास, शिकार और नारी आकृति का आलेखन।[7]

प्रमुख तीज त्योहार –

बसंत पंचमी, महाशिवरात्री, होली, रामनवमी, बैसाखी, देव शयनी एकादशी, गणगौर पूजा, दीपावली, गणेश चतुर्थी, अक्षया तृतीया, कजली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्राद्ध, अनंत चतुदर्शी, नवरात्रा, दुर्गापूजा, गोवर्धन पूजा, दशहरा, देवोत्थान एकादशी, भैयादोज, कृष्ण जन्माष्टमी, शीतला अष्टमी, करवाचौथ, लोहडी, मकर संक्राति, डोल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आदि।

चूँकि ये सभी पर्व या तीज त्योहार हिन्दु धर्म से सम्बन्धित है परन्तु मुस्लिम, सिक्ख, इसाई भी अपने–अपने उत्सवों को उत्साह से मनाते है और अपने पर्वो का आनंद उठाते हैं। उक्त में से कुछ का विशेष विवरण निम्नानुसार है –

बसंत पंचमी –

माघ शुक्ल पंचमी को आती है। इस दिन से मौसम में कुछ परिवर्तन होने लगता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा भी की जाती है। होली के चंग बजने लगते हैं प्रायः कहा जाता है कि बसंत पंचमी रा बाजा बाजिया सांप बिच्छु जागिया अर्थात् सर्दी कम हो जाने से जीव जन्तु अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं।

महाशिवरात्री –

यह फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनायी जाती है। मनाने के दो मत प्रचलित हैं – प्रथम इस दिन भगवान शंकर ने हलाहल (विषपान) किया था। दूसरा शंकर भगवान और उसकी अर्द्धांग्नी पार्वती के विवाहोत्सव की याद में मनाया जाता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं मन्दिरों में सजावट होती है रात्रि जागरण होता है और शिवपुराण का पाठ किया जाता है। बेलपत्र, बेर, मोगरी, गाजर और जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।

होली –

फाल्गुन मास के अन्तिम दिन होलिका दहन के रूप में और अगले दिन अर्थात् चैत्र मास की प्रथम तिथि को प्रेम मस्ती एवं रंगों का त्योहार धुलेण्डी मनाई जाती है। हिन्दु परम्पराओं के अनुसार इसे बुराई पर अच्छाई के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि होलिका बुराई तथा प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है। जहाँ तक कोटा का प्रश्न है जो जानकार है या जिन्होंने इस पर शोध आदि किया है उनका मानना है कि रजवाड़ों के समय में कोटा में नौ दिन रहती थी होली की हुड़दंग।

प्रायः यह माना जाने लगा है कि आज तो लोग धुलेण्डी के दिन ही रंगों से सराबोर नज़र आते हैं। परन्तु कोटा रियासत के दौरान यह पर्व होली के दिन प्रारम्भ होता था और नौ दिन तक धमाल चलती रहती थी। हर दिन महाराव व जनता अलग–अलग रंग कलेवर परम्परा के साथ होली पर्व मनाते थे। किसी दिन धूल की होली तो किसी दिन गुलाल व रंग की होली, किसी दिन प्रजा की होली तो किसी दिन रानी महारानी बड़ारन की होली होती थी।

रियासत काल के होली उत्सव को लोग सालभर याद रखते थे। होली के इस उत्सव के कारण ही महाराव उम्मेद सिंह की ख्याति उस जमाने में अन्य रियासतों तक फैली। होली के दिन से पहले ही पर्व शुरू हो जाता था। जो नौ दिन तक चलता था शाम चार बजे उम्मेद भवन से जनानी सवारी शुरू होती थी जिसमें रानी जी महाराज कुमार बग्गी में सवार होकर रवाना होते थे। रास्ते में दूसरी प्रमुख स्त्रियाँ शामिल होती थीं। शाम 7 बजे गढ़ के चौक में होलिका दहन होता था।

इस दौरान मनोरंजन के लिए हाड़ोती के गीत गाये जाते थे दूसरे दिन लोग राख से होली खेलते थे और यह राख होली दहन स्थल से लायी जाती थी। अधिकांश लोग धूल से भी होली खेलते थे। कीचड़ धूल गोबर आदि से होली खेली जाती थी। धुलेण्डी के दिन यह चलता रहता था तीसरे दिन महाराव किराना भण्डार में दवात पूजन करते थे। चौथे दिन नावड़ा की होली पाँचवें दिन हाथियों की होली खेली जाती थी। जिसमें महाराव हाथियों पर सवार होकर लोगों से होली खेलने निकलते थे प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था छठे दिन परत रहती थी सातवें दिन नहाण खेला जाता था। यह सुबह शाम दरीखाने में होता था। महाराज नई पौशाक पहनकर सिंहासन पर बैठते थे नृतकियाँ नृत्य करती थीं। महाराव गुलाल अबीर का गोटा आदि फेंकते थे। फिर वहाँ उपस्थित सभी आपस में रंग लगाते थे। फिर महाराव राजमहल में पहुँचकर राणी जी महाराणी जी व बडारन के साथ पचरंगी गुलाल से होली खेलते थे। इसी दिन अखाडा लगता था। पहलवानों की कुश्ती होती थी। नगाड खाने के दरवाजे के बाहर झण्ड़ा गाडा जाता था जिसे उखाड़ने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं द्वारा प्रयास किया जाता था।

इसी वर्ग की महिलाएँ कोडे मारकर युवकों को भगाने का प्रयास करती थी। युवक कोडे खाकर भी झण्ड़े को उखाड़ लाते थे। महाराज ऐसे युवकों को गुड़ की भेली नकदी टका लाल सफेद कपड़े के थान का पुरस्कार देते थे। आठवाँ दिन पुनः पड़त रहता था। नवें दिन दरी खाने में कचहरी व फौज के हलकारों के बीच अखाड़ा होता था। इसके साथ ही होली पर्व का समापन हो जाता था।[8]

इस प्रकार सभी त्योहार प्रायः भारत देश में जिस प्रकार मनाये जाते है उसी तर्ज पर कोटा में भी मनाये जाते थे और अभी भी मनाये जाते है।

दशहरा –

कोटा का दषहरा मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है यह मेला करीबन 1 महिने चलता है। विजय दशमी से पहले ही रामलीला प्रारम्भ हो जाती है। सन् 1579 में कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परम्परा इतने वर्षो के बाद आज भी चली आ रही है।

वर्तमान में कोटा के पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराजा इज्यराज सिंह रावण की नाभी में तीर चलाकर उसका वध करते है और रावण दहन के साथ ही मेला शुरु हो जाता है और दीपावली के दो दिन पहले तक चलता है। इसके साथ पशु मेला भी भरता है। पूरे माह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रहती है। जिनमे राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते है।

कोटा दशहरा मेला का राजनीतिक महत्त्व भी है जिस दल की सरकार होती है तथा नगर निगम में जिस दल का बोर्ड होता है यदि वह मैले का आयोजन भव्य रूप में करता है तो इस क्षेत्र की जनता का मतदान व्यवहार उनके पक्ष में प्रभावित होता है और यदि जनता मेले की व्यवस्थाओं एवं आयोजनों से संतुष्ट नहीं होती है तो उसका नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ता है।

¼6½ izeq[k ‘kS{kf.kd laLFkku &

कोटा खुला fo’ofo|ky; –

कोटा में इसका प्रारम्भ 1987 में हुआ बाद में एक समय की गहलोत सरकार ने इसका नाम बदलकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कर दिया। यह राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय है जो पत्राचार के माध्यम से अनेक विषयों का अध्ययन करवाता है। पत्राचार शिक्षा को इस क्रम में दूरस्त शिक्षा माध्यम कहा जाता है इसमें दूरस्थ साधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजना है।

dkVk fo’ofo|ky; &

इसका आरम्भ 2003 से हुआ इसमें कोटा झालावाड़ बूंदी बाँरा सवाई – माधोपुर और करौली जिलों के समस्त कॉलेज शामिल है।

jktLFkku rduhdh fo’ofo|ky; &

पूर्व में प्रारम्भ किये गये कोटा अभियांत्रिकी राजकीय महाविद्यालय को अब राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है।

dfj;j ikbaV fo’ofo|ky; &

कोटा में अभी एक निजि विश्वविद्यालय भी प्रारम्भ हो गया है। जिसे केरियर पाइंट विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। यहाँ से भी छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं रिसर्च आदि करने की सुविधा है।

ट्रिपल आईटी –

कोटा में ट्रिपल आईटी (IIIT) के लिए 128 करोड़ रुपये की लागत से इसकी स्थापना के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की स्टेयरिंग कमेटी ने 14 मार्च 2012 को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बजट 2011

में इस संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने 100 एकड़ जमीन कोटा के पास रानपुर में चिन्हित की।

इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर के अनेक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। उनकी और वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था की तथा शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण और सम्मान जनक भूमिका है। अधिकतम छात्र यहीं से अपने सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार होते है और भविष्य में राजनीतिक पद भी प्राप्त करते है।

इसके साथ ही अनेक निजि पब्लिक स्कूल, महाविद्यालय और अनेक सुविख्यात कोचिंग सेंटर शिक्षा देने का और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने का काम करते है। ये संस्थान अपनी गुणवत्ता और अपने परीणामों की प्रतिशत के कारण लोकप्रिय है। प्रायः हर उस छात्र का जो शैक्षणिक और अन्य प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर की सफलता चाहता है। उनका ध्यान इस ओर है और यहाँ उनकी खासी उपस्थिति भी है।[9]

(7) मानव संसाधन –

वर्तमान में कोटा जिले की कुल जनसंख्या 19 लाख 51 हजार चौदह है पुरुष जनसंख्या 1021161 है तथा स्त्री जनसंख्या 929853 है। कोटा जिले की दसकीय वृद्धि दर 24.4 प्रतिशत है।

लिंगानुपात	–	911
जनसंख्या घनत्व	–	374
लिंगानुपात (0 – 6 वर्ष)	–	899
साक्षरता दर	–	76.6 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	–	86.3 प्रतिशत
महिला साक्षरता	–	65.9 प्रतिशत

स्रोत – जनगणना सांख्यिकी 2011 ।[10]

प्रमुख स्थान एवं पर्यटन स्थल –

1 गडेपान –

कोटा बाँरा मार्ग पर स्थिति एक गाँव को विशाल चट्टान की वजह से गडेपान कहा जाता है। यहाँ चम्बल फर्टीलाइजर्स और केमिकल इण्डस्ट्री स्थापित है।

2 सांगोद –

कोटा से 60 किलोमीटर दूर स्थित सांगोद कस्बा होली के बाद आयोजित होने वाले न्हाण लाकोत्सव की वजह से प्रसिद्ध है। एक खाड़े का न्हाण तो दूसरा बाजार का न्हाण आयोजित किया जाता है। खाड़े का न्हाण जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है खाड़े में ही आयोजित किया जाता है और बीच में खुले मंच पर बिना किसी स्क्रिप्ट के हाड़ौती बोली में लोक नाटक आयोजित किये जाते है। बादशाह की सवारी और स्वांगो का आयोजन होता है।[11]

3 सुरेला –

दीगोद तहसील के सुरेला गाँव के आस–पास तेल और गैस के भण्डार होने के संकेत मिले है। हाड़ौती में सुरेला पहला गाँव है जहाँ तेल व गैस की खोज के लिए कुंआ खोदा जायेगा।

4 चम्बल गार्डन –

कोटा में चम्बल नदी के तट पर 10 एकड़ भूमि में वह उद्यान राजस्थान के श्रेष्ठ उद्यानों में से एक है जो 1976 में चट्टानी भूमि को समतल करके प्राकृतिक एवं मौलिक रुप देकर विकसित किया है। उद्यान में एक बड़ा फव्वारा व कई आकर्षक फव्वारों से बनी मूर्तियाँ है। इसके पड़ौस में ही गाँधी उद्यान और हाड़ौती बालोद्यान भी स्थित है तथा ट्रेफ्रिक पार्क भी विकसित हो गया है। चूँकि यह नदी किनारे है इसलिए नदी में नौका विहार की सुविधा भी

उपलब्ध है। यह उद्यान सभी आयु वर्ग के दर्शनार्थियों को आकर्षित करता है। बच्चों के लिए विद्युत चालित टॉय ट्रेन, मेरिगो राउण्ड, लक्ष्मण झूला व अन्य झूलों तथा भारी भरकम काया वाले मगरमच्छ आगन्तुकों को आकर्षित करते है।

5 हाड़ोती यातायात प्रशिक्षण पार्क –

चम्बल उद्यान के निकट 12 एकड़ भूमि पर यातायात पार्क राजस्थान का प्रथम व देश के सर्वश्रेष्ठ यातायात पार्कों में से एक है पार्क में बालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात प्रशिक्षण दीर्घा का निर्माण किया गया है। पार्क में स्थान–स्थान पर सड़क संकेत चिन्ह लगाये गये हैं अस्पताल, स्कूल, डाकघर, हवाई अड्डा के मॉडल भी यहाँ बताये गये हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए वनस्पति उद्यान, पक्षी विहार और रंग बिरंगे झूले हैं। रात्रि के समय प्रकाश की प्रभावी व्यवस्था है पार्क में बने फ्लाई आवर का अपना अलग आकर्षण है।

6 क्षार बाग –

किशोर सागर तालाब व छत्र विलास बाग के निकट स्थित यह स्थल कोटा के हाड़ा शासकों का परम्परागत शमशान घाट है। दिवंगत शासकों की स्मृति में उनके पोत्रों द्वारा ये छतरियाँ बनवायी गई है। बाग में अनेक छतरियाँ राजपूत स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। छतरियों पर पशु पक्षी एवं देवी देवताओं की कलात्मक आकृतियाँ बनी हुई है। छतरियों के चारों ओर फव्वारे एवं विद्युत सज्जा है।

7 मथुराधीश जी का मंदिर –

पाटनपोल में स्थित यह मंदिर हिन्दु वैष्णव सम्प्रदाय का है। अतः उसी रीति के अनुसार उत्सवों का आयोजन होता रहता है। जिसमें कृष्ण

जन्माष्टमी पर नंद महोत्सव दीपावली पर अन्नकूट उत्सव तथा होली उत्सव प्रमुख है।

8 कन्सुआ का शिवमंदिर –

कोटा शहर से करीब 6 कि.मी. दूर डी.सी.एम. मार्ग पर 8 वीं शताब्दी का बना यह प्रसिद्ध मन्दिर है। मंदिर के परिक्रमा पथ में बांयी ओर की दिवार पर तत्कालीन कूटिया लिपि में लिखा आठवीं शताब्दी का शिलालेख है। यह शिलालेख शिवगण मोर्य का है जिसमे इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। महाकवि जय शंकर प्रसाद ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में प्राक्कथन में इस स्थान को कव्वाश्रन की संज्ञा देकर आम लोगों की धारणाओं को पुष्ट किया है कि यह कण्वऋषि का आश्रम स्थल था। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का चर्तुमुख शिवलिंग है और मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के 20–25 फिट भीतर शिवलिंग पर सीधी पड़ती है। और भैरव की आदमकद मूर्ति विराजमान है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध शिवलिंग वही है जो हजार मुखी है। यह 3 फिट ऊँचा व एक फिट चौड़ा है।

9 बुढादीत का सूर्य मंदिर –

यह माना जाता है कि गाँव का सही नाम ब्रंहदाद्वितिय है यानि बुढा सूर्य जो कालांतर में बुढातीत हो गया। कोटा इटावा मार्ग पर दिगोद तहसील मुख्यालय से 14 किलो.मी. दूर दक्षिण में बुढाडीत गाँव में तालाब के पश्चिमी किनारे पर पूर्वाभिमुख शिखर बंद सूर्य मंदिर स्थित है। मंदिर में गर्भगृह और महामण्डप है। मण्डप का आधुनिकीकरण 18 वीं सदी में करवाया गया है। मंदिर आज भी अपने मूल रुप में विद्यमान है। इस मंदिर का निर्माण नवी शताब्दी में होना माना जाता है।[12]

10 देश का एक मात्र विभिषण मंदिर –

भाई से बात करने के कारण विभिषण के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि घर का भेदी लंका ढहाये लेकिन कोटा जिले के कैथून कस्बे में

विभिषण को न सिर्फ राम भक्त मानकर पूजा जाता है बल्कि उनका मंदिर भी स्थित है। जिसे देश में अपनी तरह का एक मात्र मंदिर माना जाता है। कोटा में अन्य दर्शनीय स्थलों में जगमंदिर, भीमचेरी घण्टाघर, लक्खी बुर्ज और उसके पीछे नागा जी का बाग, छोटी व बड़ी समात, छत्रविलास उद्यान, अधरशिला, कोटा बैराज, गढ़पैलेस, अभेड़ा महल, राजकीय संग्राहलय, राव माधोसिंह संग्राहलय, उम्मेद भवन क्लब, महात्मा गाँधी भवन, रंगबाड़ी, खड़े गणेश जी और गणेश उद्यान, धाभाईयों के मन्दिर एवं नीलकंठ महादेव का मंदिर भी प्रमुख हैं इसके साथ ही कोटा से 25 कि.मी. दूर चार चौमा ग्राम के समीप प्राचीन शिव मंदिर है जिसे गुप्त कालीन अथवा चौथी–पाँचवीं शताब्दी का बताया जाता है कोटा राज्य के इतिहासकार डॉ॰ मथुरालाल शर्मा ने चार चौमा के शिव मंदिर को कोटा राज्य का सबसे प्राचीन देवालय बताया है। मंदिर के चतुरमुखी शिव प्रतिमा बहुत आकर्षक है। वेदी से चोटी तक प्रतिमा की ऊँचाई 3 फिट है कण्ठ से ऊपर के चारों मुख काले हैं और चमकीले हैं चारों मुखों का केश विन्यास भी दर्शनीय है।[13]

राजस्थान के कोटा जिले के भौगोलिक ऐतिहासिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि आम नागरिक अन्य देशवासियों की तरह ही राजनीतिक रुप से जागरुक है और व्यक्तिगत नागरिक व सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान करते हैं। तथा सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन व उत्थान में रुचि रखते है।

भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान के 33 जिलों में से कोटा एक जिला है और इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख हिस्सा है। प्रशासनिक दृष्टि से एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्रियाशीलता और संस्थागत दृष्टि से कोटा जिला मुख्यालय है। चूँकि कोटा इस जिले में एक प्रमुख शहर भी है अतः वही शहर शहरी और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की क्रियाशीलता का प्रमुख केन्द्र है।

कोटा जिला मुख्यालय के साथ–साथ संभागीय कार्यालय भी है। अर्थात यह राजस्थान के 7 संभागों में से एक प्रमुख संभाग है। इसके चारों तरफ पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण में बाराँ चित्तौड़गढ़ झालावाड़ और बूँदी जिले स्थित है।[14]

ऐतिहासिक दृष्टि से यह अंगेजी शासन काल में एक देशी रियासत रहा है और उस दौरान इस रजवाड़े की जो राजनीतिक व्यवस्थाऐं सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा धार्मिक निष्ठाऐं और सामाजिक मान्यताऐं प्रचलित थी। उनमें नया परिवर्तन आ गया है क्योंकि स्वराजशाही की विदाई के साथ ही पूरे भारत की तरह यह प्रदेश भी नये युग में प्रवेश कर गया है। जहाँ रुढ़िवाद से छुटकारा पाने की निरंतर कोशिश जारी है। आम आदमी के अधिकार कर्त्तव्य निर्धारित किये गये है। उसमे मतदान का अधिकार भी स्वीकार किया गया है और इस दृष्टि से सभी व्यक्ति समान माने गये है।

अतः स्वतंत्रता समानता और न्याय को पुष्ट करने की दिशा में यहाँ भी निरंतर प्रयास चलते रहे है। हर व्यक्ति के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हर नागरिक अपनी समझ और जागरुकता के आधार पर इस दिशा में सचेत है कि शासन को व्यक्ति की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए और इसी को आधार मानकर हर व्यक्ति मतदान करता है और अपनी पसंद की सरकार चाहता है।

अतः यही कह सकते है कि कोटा जिले का मतदाता भी सचेत है। राजनीति में सहभागिता चाहता है। अपनी–अपनी निष्ठाओं और मान्यताओं के आधार पर अपने समुदाय और जाति का कल्याण चाहता है और उसके अनुसार ही मतदान करता है। कोटा जिले में प्रारम्भ से ही भारतीय जनसंघ और काँग्रेस का प्रभाव रहा अब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रुप में विकसित हो गई है और काँग्रेस अपनी राष्ट्रीय विरासत को मद्देनजर रखते हुए यही तर्क देती है कि काँग्रेस के साथ रहने में ही हर व्यक्ति और परिवार का भविष्य निहित है। इसलिए इन दो दलों में ही निरंतर कड़ी प्रतिस्पर्द्धा जारी है। इसलिए दोनों ही दल सार्वजनिक जीवन में जो भी होता है उसका श्रेय लेना चाहते है। जैसे अभी–अभी नगरीय बसों के संचालन के समय बार–बार दोहराया गया कि अब हमारा अगला सपना या कदम मेट्रो ट्रेन चलाना कोटा को स्मार्ट सिटी बनाना और नया हवाई अड्डा बनवाने का है आने वाले समय में अपनी स्थिति और पसंद के हिसाब से मतदाता मतदान करेंगे और दल उनके सपनों को साकार करने का साधन बनेंगे।

****

संदर्भ सूची

1. गुप्ता डॉ. मोहन लाल "कोटा संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन" राजस्थानी ग्रंथागार जयपुर 2009 पृ.स. 29
2. वही, पृ.स. 35 –39
3. वही, पृ.स. 29 –30

4 नाथूरामका लक्ष्मीनारायण "राजस्थान की अर्थव्यवस्था" कॉलेज बुक हाऊस जयपुर 2011 पृ.स. 302–305

5 पत्रिका इयर बुक 2016 जयपुर, पृ.स. 726

6 वही, पृ.स. 728

7 नीरज डॉ. जयसिंह "राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा", राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 2017 पृ.स. 222

8 गुप्ता डॉ. मोहन लाल "कोटा संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन" राजस्थानी ग्रंथागार जयपुर 2009 पृ.स. 60

9 पत्रिका इयर बुक 2016 जयपुर, पृ.स. 729

10 पत्रिका इयरबुक "जनगणना सांख्यिकी 2011" जयपुर 2017 पृ.स. 788

11 वही, पृ.स. 791

12 वही, पृ.स. 792

13 शर्मा डॉ. मथुरालाल तुजुक ए जहाँगीरी राधा पब्लिकेशंस नई दिल्ली 2009 पृ.स. 302

14 पत्रिका इयरबुक जयपुर 2017 पृ.स. 788

****

अध्याय पंचम

कोटा विधानसभा चुनाव 2003
एवं
मतदाताओं का मतदान व्यवहार

अध्याय पंचम

कोटा व राजस्थान मानव जाति के इतिहास में ऐसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते है जिन्होंने प्रत्येक अत्याचार का सामना किया है तथा अनेक कठिनाईयों एवं बर्बरता को झेला है व सहनशील मानव प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा अनेक आपदाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए त्याग व बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया है किया है।

कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ''एनाल्स एन्ड एंटीक्रिटिज ऑफ राजस्थान'' में लिखा है कि राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जिसकी अपनी कोई थर्मोपोली न हो और ऐसा कोई नगर नहीं जिसने अपना लियोनिडास पैदा नहीं किया हो।[1]

जैसा की पूर्व के शोध अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है राजस्थान के शासक राजपूत थे जिन्हें मुगल तवारिखों ने बहुवचन में राजपूता लिखा और इसी आधार पर अंग्रेजों ने इस प्रदेश को राजपूताना नाम से पुकारा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19 वीं शताब्दी में जार्ज थॉमस के द्वारा किया गया। इतिहासकार कर्नल टॉड ने इस राज्य का नामकरण रायथन किया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान अतः यह माना जाता है कि राजस्थान शब्द रायथन का ही परिवर्तित रूप है।

आजादी से पूर्व राजस्थान देसी रियासतों व ठिकानों में बंटा हुआ था। इन रियासतों का अनेक चरणों में एकीकरण किया जाकर 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ राजस्थान के निर्माण के समय ही जो जिले बनाये गये उन प्रारम्भिक जिलों में ही कोटा जिले का नाम सम्मिलित था।

26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता द्वारा बनाया गया संविधान (हम भारत के लोग.....) राजस्थान और कोटा पर भी लागू हुआ परन्तु यहाँ मार्च 1952 से पहले तक विधानसभा का गठन न हो सका क्योंकि राजशाही की पृष्ठभूमि वाले इस राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। विशाल असंगठित अभाव ग्रस्त अतीत से बँधे प्रदेश और जिले के लिए आधुनिक सर्वांगीण सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था संगठित करना दूसरी बड़ी चुनौती थी। परन्तु सौभाग्य से 1952 से राज्य

में और कोटा में लोकतंत्रात्मक शासन का अभिषेक हुआ तथा मार्च 1952 राज्य विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए तब से लेकर वर्तमान तक यह लोकतांत्रिक व्यवस्था निरन्तर पल्लवित व पुष्पित हो रहा है। अब तक 12 विधानसभा चुनावों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि शासन शासकों की इच्छा से चलाया जा सकता है थोपा नहीं जा सकता।

सन् 1952 से लेकर अब तक राज्य में विधानसभा के 12 चुनाव हो चुके हैं और कोटा में भी वही स्थिति है। प्रत्येक चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है हाँलाकि प्रदेश और जिला अशिक्षा अभाव व अज्ञान से प्रभावित रहा है परन्तु राजस्थान में बढ़ता मतदान प्रतिशत इस बात का साक्षी है कि प्रदेश की जनता अभाव को झेलते हुए भी लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा रखती है।

इस क्रम में एक छोटी तालिका प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें 1952 से 2003 तक हुए चुनावों में मतदान प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या – 5.1

प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 तक राज्य में हुए मतदान प्रतिशत की स्थिति

क्रम सं.	चुनाव वर्ष	विधानसभा	मतदान प्रतिशत
1.	1952	प्रथम	37.42
2.	1957	दूसरी	40.29
3.	1962	तीसरी	52.66
4.	1967	चौथी	58.22
5.	1972	पाँचवीं	58.13
6.	1977	छठी	52.29
7.	1980	सातवीं	52.29
8.	1985	आठवीं	55.14
9.	1990	नवीं	57.26

10.	1993	दसवीं	60.59
11.	1998	11 वीं	63.39
12.	2003	12 वीं	67.02

उपरोक्त तालिका के अनुसार अबतक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 12 वीं विधानसभा में 67.02 प्रतिशत रहा है।

विधानसभा चुनाव 2003 में कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधियों का विधानसभा क्षेत्रानुसार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं	विधानसभा क्षेत्र	प्रत्यायशी	पार्टी
1	कोटा	ओम बिडला	भाजपा
2	लाड़पुरा	भवानी सिंह राजावत	भाजपा
3	दीगोद	भरत सिंह	काँग्रेस
4	पीपल्दा	प्रभु लाल वर्मा	भाजपा
5	रामगंजमण्डी	प्रहलाद गुंजल	भाजपा

उल्लेखनीय है कि कोटा जिले की विभिन्न विधानसभाओं में से काँग्रेस के प्रतिनिधि केवल दीगोद विधानसभा से ही चुनाव जीत पाये।

इसके साथ ही जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधान जैसे इटावा, सुल्तानपुर, लाड़पुरा, खैराबाद, सांगोद आदि सभी महत्त्वपूर्ण पदों व स्थानों पर भाजपा को ही विजय प्राप्त हुई।

सम्पूर्ण राजस्थान में विधानसभा चुनावों में 67.02 प्रतिशत मतदान रहा जो अब तक का सर्वाधिक था इसमें 3 करोड़ 39 लाख 28 हजार मतदाता पंजीकृत थे 200 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1541 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया काँग्रेस ने 200 तथा भाजपा + जनता दल ने 197 + 3 उम्मीदवार खड़े किये तथा पर्याप्त संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में थे तथा इन दलों के बागी उम्मीदवारों की भी

लम्बी सूची थी। इन चुनावों के दौरान विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं ने एक्जिट पॉल कर जनमानस को उद्वेलित करने का प्रयास भी किया परन्तु एक्जिट पाल के सारे नतीजे गलत साबित हुए और प्रदेश में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता मिली। पूर्व सत्तारूढ़ कॉंग्रेस को मात्र 56 स्थानों पर ही संतोष करना पड़ा। तीसरी शक्ति की सारी आशाओं पर पानी फिर गया उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली।[2]

12 वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम 2003 के परिणामों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या – 5.2

12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 के चुनाव परिणामों की स्थिति

क्रम सं.	दल	प्राप्त सीटें
1.	भाजपा	120
2.	कॉंग्रेस	56
3.	बसपा	02
4.	इनेलो	04
5.	ज द यू	02
6.	माकपा	01
7.	लोजपा	01
8.	सामाजिक न्याय मंच	01
9.	निर्दलीय	13
	योग	200

12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 में प्रमुख मुद्दे –

12 वीं. विधानसभा चुनाव में काँग्रेस ने विकास और उसके द्वारा किये गये कार्यों तथा अपनी पॉच वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन से वोट माँगा वही भाजपा ने परिवर्तन के नाम पर जनता से मत एवं समर्थन माँगा।

इस विधानसभायी चुनाव में जमकर हाईटेक प्रचार साधनों का उपयोग हुआ। काँग्रेस ने विकास, अकाल प्रबन्धन, सुशासन, कुशल वित्तीय प्रबन्धन, गरीबी उन्मूलन, पंचायती राज, सुदृढ़ीकरण, पेयजल सुधार तथा सुनियोजित नगरीय विकास इत्यादि उपलब्धियों पर आगामी 5 वर्ष के लिए वोट माँगे। काँग्रेस का प्रमुख नारा था – कुशल नेतृत्व प्रबन्ध एवं क्रियान्वयन।

काँग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा प्रायः सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन्हीं उपलब्धियों का गुणगान किया गया। अतः कोटा भी इससे अछूता नहीं रहा।

भाजपा ने राज्य में पाँच वर्षों के काँग्रेस शासन को भूख और भ्रष्टाचार का राज बताते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र से प्राप्त आर्थिक सहायता तथा अनाज का सही तरह से उपयोग नहीं किया काँग्रेस सरकार निरन्तर कर्ज लेती रही और राज्य पर 53 हजार करोड़ रूपये का कर्ज बढ़ा दिया। किसानों और कर्मचारियों का निवाला छीनने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिजली की समस्या, बाजरे की खरीद तथा बेरोजगारी पर काँग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे ने करीब–करीब पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से काँग्रेस की त्रुटियों को उजागर किया तथा अपनी सरकार आने पर जनता की आशाओं को पूर्ण करने का संदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी ने वसुन्धरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा।

हार–जीत के कारण –

12 वीं विधानसभा में अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में जिसमें कोटा भी सम्मिलित है कॉंग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस दृष्टि से हार के कारणों का उल्लेख करें तो निम्न कारण चिन्हित किये जा सकते हैं –

1 बेरोजगारी की ओर ध्यान नहीं दिया जाना।

2 बाजरे की खरीद में ढुल–मुल नीति।

3 बिजली में बढ़ती दरें एवं वितरण में कोताही।

4 डिजायर बिजनेस को गोरख धन्धा बनाना।

5 दल में बागियों की बगावत।

6 पैरा टीचर मूवमेन्ट।

7 विकास कार्यो में गुणात्मकता का अभाव।

8 कर्मचारियों की हड़ताल से उपजी नाराजगी।

9 तबादले बने उद्योग।

10 अकाल प्रबन्धन में मची आपाधापी।

11 विधायकों के जन सम्पर्क में कमी।

12 राजपूत महाजन ब्राह्मण आदि जातियों की आरक्षण की माँग पर ढुलमुल नीति।

13 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चुनने में देरी।

इन कारणों से जहाँ 11 वीं विधानसभा में कॉंग्रेस को सदन में 153 सीटों पर जीत हॉसिल हुई थी वही 12 वीं विधानसभा में 56 सीटों पर जीत हॉसिल हो सकी। भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटों पर विजय प्राप्त हुई।

यदि भाजपा की जीत के कारणों का उल्लेख करें तो माना जा सकता है कि भाजपा की जीत के निम्न कारण रहे –

1 राज्य सरकार विरोधी जनादेश का फायदा।

2 वसुन्धरा राजे की परिवर्तन यात्रा का लाभ होना तथा भावी नेतृत्व का जमीन से जुड़ाव माना जाना।

3 कुशल प्रचार प्रबन्धन तथा काँग्रेस की गलतियों को जनता के सम्मुख रखना।

4 दल के राष्ट्रीय नेताओं ने राज्य में प्रचार की भरपूर कवायद की।

5 महिलाओं का रूझान भाजपा के पक्ष में।

6 कर्मचारियों तथा पैरा टीचर्स की सहानुभूति भाजपा के पक्ष में।

7 काँग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंध लगाना तथा उन्हें अपने पक्ष में करना।

8 संघ परिवार का राज्य में बड़ा आधार है जो भाजपा के पक्ष में है।

9 वसुन्धरा राजे का नयी होने का फायदा भी उसे मिला।

10 उम्मीदवार चयन में चुस्त कार्यवाही।

11 भाजपा ने अतिशीघ्र और सही समय पर स्थानीय मुद्दों को हवा दी अतः उसके पक्ष में वातावरण बन गया और यह स्थिति कोटा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखी गई।

12 वसुन्धरा राजे ने जातिगत कार्ड खोला जाट, गुर्जर, राजपूतों को संबंधी बताया (राजपूत की बेटी, जाट की बहु, गुर्जर की समधन)।

चुनावी माहौल में यह कयास लगाया जाता था कि श्री भैरूसिंह शेखावत जैसा भाजपा का कोई और कद्दावर नेता नहीं है। प्रदेश भाजपा दल में वसुंधराराजे को राज्य के बाहर की भी कहा जा रहा था प्रदेश के विशिष्ठ भाजपा नेता प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए अपना–अपना दाव लगा रहे थे। अतः इस तरह के विश्लेषण भी हो रहे थे कि 12 वीं विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तीसरी शक्ति जो मंत्री पदों की

आस लगाए बैठी थी परन्तु जब 4 दिसम्बर 2003 को चुनाव परिणाम घोषित हुए तो तीसरी शक्ति की मंशा पर तुषारापात हो गया।

राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा को 1980 से 2003 तक के चुनाव में मिली सीटें व मत प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका संख्या – 5.3

राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा को 1980 से 2003 तक प्राप्त सीटें व मत प्रतिशत की स्थिति –

क्रम सं.	वर्ष	सीटें	मत प्रतिशत
1.	1980	32	18.60
2.	1985	39	21.16
3.	1990	85	25.25
4.	1993	96	38.60
5.	1998	33	33.31
6.	2003	120	39.20

12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 में कोटा तथा राजस्थान के संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्य निम्नानुसार हैं –

1 12 वीं विधानसभायी चुनाव में 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों (35705 मतदान केन्द्रों) पर हाइटेक प्रक्रिया से चुनाव सम्पन्न करवाया गया 50000 इलेक्ट्रोनिक मशीनों का उपयोग किया गया। चुनाव में लगे कर्मचारी के लिए पोस्टल बेलेट पत्र का प्रयोग किया गया।

2 अब तक हुए 11 विधानसभा चुनावों में इतने अधिक राजनीतिक दलों ने भाग्य नहीं आजमाया। 12 वीं विधानसभा में 35 राजनीतिक दलों ने भाग्य आजमाया।

3 12 वीं विधानसभायी चुनावों में 556 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया जो 11 वीं विधानसभा से 49 कम थे लेकिन 556 में से 13 उम्मीदवार विधानसभा तक पहुँच सके यही माना गया कि इनकी सफलता अच्छी रही।

4 काँग्रेस और भाजपा ने अशोक गहलोत और वसुन्धरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा।

5 तीसरी शक्ति ने सेंधमारी का प्रयास किया लेकिन तीसरी शक्ति कोई विशेष सफलता हाँसिल नहीं कर सकी।

6 12 वीं विधानसभा में काँग्रेस ने 18, भाजपा ने 22 इनेलो ने 6 तथा बसपा ने 8 महिला उम्मीदवार खड़ी कीं जिनमें से 12 महिलाएं ही चुनाव जीत सकीं।

7 इस चुनाव में सैनिकों को प्रोक्सी मतदान का अधिकार दिया गया उस समय 60779 सैनिक मतदाता रहे जिसमें सर्वाधिक झुन्झुनु जिले में तथा उसके बाद अलवर तथा जोधपुर जिले में है।

8 काँग्रेस ने 129 पूर्व विधायकों को पुनः चुनाव में उतारा जिनमें केवल 33 ही विधानसभा पहुँचे। भाजपा ने 30 पूर्व विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा उनमें से 12 पुनः चुन लिये गये।

9 12 वीं विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.02 प्रतिशत रहा जो पूर्व के चुनावों से सर्वाधिक था।

10 12 वीं विधानसभायी चुनाव में भाजपा की जीत को प्रतिबद्ध मतदाताओं ने आसान बनाया साथ ही किसी विशेष पार्टी के प्रति अप्रतिबद्ध मतदाताओं ने थोक में भाजपा के पक्ष में मतदान किया।

11 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 24 सीटों में से 15 सीटें भाजपा को मिली 14 प्रतिशत दलित वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा की मदद की।

12 चुनाव मतदान दलों का गठन दो मतदानकर्मी गृह जिले से तथा 2 दूसरे जिले से मिलाकर किया गया।

13 मतदाता के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता परिचय पत्र दिखाना या 15 अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाने पर ही मतदान करने की स्वीकृति दी गई।

14 इस चुनाव में काँग्रेस को 35.64 प्रतिशत तथा भाजपा को 39.30 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए वोटों का अन्तर 3.56 प्रतिशत रहा।

15 राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

16 भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सभी क्षेत्रों में बढ़त मिली मगर बड़ा फायदा पश्चिम–मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ।

17 12 वीं विधानसभा के चुनावों में पारम्परिक मतदाताओं ने अपनी दलीय निष्ठाओं में जबरदस्त परिवर्तन किया।

राजस्थान में प्रथम से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनावों में दलीय सफलताओं के तुलनात्मक समीक्षा निम्न तालिका के माध्यम से की जा सकती है –

तालिका संख्या – 5.4

राज्य में दलीय सफलताओं की तुलनात्मक समीक्षा तालिका[3]

राज्य में दलीय सफलताओं की तुलनात्मक समीक्षा तालिका							
क्रम. सं.	कुल स्थान	विधानसभा	काँग्रेस को प्राप्त स्थान	मत प्रतिशत	जनसंघ/ भाजपा को प्राप्त स्थान	मत प्रतिशत	सरकार
1	160	पहली	82	39.71%	11	6.35%	काँग्रेस
2	176	दूसरी	119	45.13%	6	5.55%	काँग्रेस

3	176	तीसरी	88	39.98%	15	8.68%	काँग्रेस
4	184	चौथी	89	41.41%	22	11.70%	काँग्रेस
5	200	पाँचवीं	145	51.14%	8	12.20%	काँग्रेस
6	200	छठी	41	31.41%	150	50.41%	भाजपा
7	200	7 वीं	133	42.69%	32	18.60%	काँग्रेस
8	200	8 वीं	114	46.69%	38	21.16%	काँग्रेस
9	200	9 वीं	51	38.45%	85	29.41%	भाजपा
10	200	10 वीं	-	-	-	-	भाजपा
11	200	11 वीं	153	44.90%	33	33.20%	काँग्रेस
12	200	12 वीं	56	35.60%	120	39.20%	भाजपा
13	200	13 वीं	97	38.20%	78	37.40%	काँग्रेस
14	200	14 वीं	21	12.20%	163	47.14%	भाजपा

स्त्रोत : सेंटर फॉर डवलपिंग सोसायटी (CSDS) एवं द हिंदू समाचार पत्र।

चूँकि 11 वीं विधानसभा में काँग्रेस ने विजय प्राप्त की थी और 12 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अतः दोनों का एक संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण भी निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है –

तालिका संख्या – 5.5

11 वीं व 12 वीं विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक समीक्षा तालिका[4]

क्रम.सं.	मुख्य तथ्य	11 वीं विधानसभा	12 वीं विधानसभा
1	मतदाता संख्या	2 करोड़ 97 लाख 51 हजार	3 करोड़ 39 लाख 28 हजार
2	कुल उम्मीदवार	1768	1541
3	मतदान केन्द्र	40832	35705
4	पुनर्मतदान केन्द्र	44	41
5	मतदान प्रतिशत	63.69	67.02
6	कुल सीटें	200	200
7	पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी	78140	74000
8	महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा	69	54
9	महिलाऐं चुनाव में जीती	14	12
10	निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हुए	605	556
11	निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जीते	07	13
12	कुल मतदान खर्च	25 करोड़	लगभग 25 करोड़
13	मतदान केन्द्र परिव्यय	6123 रुपये	6600 रुपये
14	प्रति मतदान व्यय	8.30 रुपये	9.20 रुपये

15	मतदान का माध्यम	मतपत्र	EVM
16	मतदान दलों का गठन	गृह जिले में कार्यरत कर्मचारी	गृह जिला अन्य जिलों के कर्मचारी
17	मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना	विधायक दल ने चुना (काँग्रेस) भैरोसिंह शेखावत (भाजपा)	अशोक गहलोत (काँग्रेस) वसुंधरा राजे (भाजपा)
18	चुनावी मुद्दे–	11वीं विधानसभा प्याज बिजली की दरें व मंहगाई	12 वीं विधानसभा बेरोजगारी बिजली बाजरा एवं अकाल प्रबंधन
19	पार्टी	11वीं विधानसभा	12 वीं विधानसभा
20	काँग्रेस	153 सीट (44.9%)	56 सीट (35.6%)
21	भाजपा	33 सीट (33.2%)	120 सीट (39.2%)
22	जदयू	03 सीट (1.95%)	2 सीट (0.9%)
23	बसपा	03 सीट (2.25%)	2 सीट (3.9%)
24	माकपा	02 सीट (0.8%)	1 सीट (0.8%)
25	राजद	1 सीट (अनिश्चित)	कोई सीट नहीं
26	सामाजिक न्याय मंच	कोई सीट नहीं	1 सीट (2.6%)
27	भारतीय राष्ट्रीय	कोई सीट नहीं	4 सीट (2.5%)
28	लोक दल	–	–
29	लोक जन शक्ति	कोई सीट नहीं	1 सीट(अनिश्चित)
30	निर्दलीय	7 सीटें (14.4%)	13 सीटें (11.5%)

स्रोत : कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कोटा एवं राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

वसुन्धरा राजे सरकार का गठन चुनौतियाँ एवं कार्य नि"पादन :

1 परिवर्तन यात्रा से प्रारम्भ –

तत्कालीन प्रदेश भजपा अध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने 105 दिन में लगभग 13 हजार कि॰मी॰ की निरन्तर यात्रा कर 831 सभाएँ की तथा 185 निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन की हवा बनाने का प्रयास किया। सत्तारूढ़ प्रदेश काँग्रेस सरकार की त्रुटियों को जनता के समक्ष रखा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई अकाल सहायता की जानकारी जन–जन तक पहुँचाई जिसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा की जीत को आसान बनाया। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान स्थान–स्थान पर स्थानीय वेशभूषा अपनाकर राजे ने अपनत्व का परिचय दिया और मत्स्य क्षेत्र (अलवर, भरतपुर व धौलपुर) में तो घर की बहु का नारा भी बुलन्द किया गया।

2 महिला नेतृत्व –

प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में वसुन्धरा राजे ने 8 दिसम्बर 2003 को शपथ ग्रहण की। 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा में कोई महिला नहीं पहुँची थी बाद में उप चुनाव में दो महिलाएँ विधानसभा में पहुँची वही 12 वीं विधानसभा में चुनाव में राज्य का नेतृत्व महिला को करने का अवसर उपलब्ध हुआ और 12 वीं विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह चुनी गई।

3 राजे मंत्रिमण्डल –

वसुन्धरा राजे ने अपने मंत्रिमण्डल को अत्यन्त लघु आकार में रखते हुए कम ही मंत्रियों से मंत्रिमण्डल का गठन किया। जैसे गुलाब चन्द कटारिया, घनश्यायम तिवारी, साँवरमल जाट, मदन दिलावर, नरपत सिंह राजवी, डॉ॰ किरोड़ी मल मीणा, कनकमल कटारा, मो0 युनुस खान, प्रभुलाल सैनी आदि विशेष थे। बाद में संविधान में संशोधन हो जाने से

मंत्रिमण्डल के लिए यह निश्चित कर दिया गया कि मंत्रिमण्डल की सदस्य संख्या विधानसभा का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

अतः मंत्रिमण्डल का भावी समय में विस्तार भी सीमित ही रहा फिर भी कालूलाल गुर्जर, लक्ष्मीनाराण, राजेन्द्र सिंह राठौड़, राम नारायण डूड़ी, डॉ॰ दिगम्बर सिंह, प्रताप सिंह सिंघवी, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी, चुन्नीलाल धाकड़, ऊषा पूनिया, भवानी जोशी, सुरेन्द्रपाल सिंह, टी.टी. अमरा राय चौधरी, वीरेन्द्र कुमार मीणा, बाबू लाल वर्मा, गजेन्द्र सिंह, खेमा राम मेघवाल, भवानी सिंह राजावत और ओम बिरला आदि सभी को किसी न किसी रूप में स्थान दिया गया। उस समय तो यही कहा गया कि वसुन्धरा राजे का जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव पूर्व के सभी सर्वेक्षणों को उसने झुठला दिया है नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कॉंग्रेस पर उससे आधी आयु से भी छोटी पार्टी की यह ऐतिहासिक विजय स्वयं जनता को भी चकित करने वाली थी।[5]

क्योंकि किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि भाजपा की ऐसी जीत हो जायेगी और कॉंग्रेस 153 से घटकर केवल 56 सीटों पर आकर ठहर जायेगी।

1 दिसम्बर 2003 को मतदान के दिन भी ऐसा स्पष्ट माहौल दिखाई नहीं देता था। भाजपा महिलाओं, राज्य कर्मचारियों तथा जातियों के दम पर सवार होकर जयपुर के जनपथ पर स्थित विधानसभा तथा राजस्थान सचिवालय में पहुँच गई थीं।[6]

4 चुनौतियाँ –

वसुन्धरा राजे के समक्ष कुछ चुनौतियाँ बहुत बड़ी मानी गई। राज्य पर 53000 करोड़ रुपये का कर्ज था। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी जरुरतें मुँह बांये खड़ी थी। बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रबंध करना था। राज्य कर्मचारियों को नई सरकार से अनेक आशाऐं

थी। 2004 में ही लोकसभा, सहकारिता एवं स्थानीय निकायों के चुनावों से जूझना था। वहीं मंत्रिमण्डल की संख्या सीमित रखते हुए भी सभी को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती थी हालांकि 14 वीं लोकसभा चुनावों में प्रदेश में भाजपा को 21 सीटों पर जीत हाँसिल हुई जो भाजपा दल के लिए रिकार्ड रहा परन्तु केन्द्र में भाजपा सरकार नहीं बन पाई इसलिए केन्द्र राज्य सम्बंधों में तनाव आना भी स्वाभाविक था। इसके साथ ही वसुन्धरा राजे सरकार को आर्थिक कार्यक्रमों में अनेक चुनौतियौ का मुकाबला करना पड़ा साथ ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन, गुर्जर – मीणा संघर्ष तथा अन्य विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी।

फिर भी चूँकि भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था दल में अधिक बिखराव नहीं था। अतः सरकार ने भले ही उत्कृष्ट नतीजे न दिये हो परन्तु अपना कार्यकाल अवश्य पूरा कर दिया। ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखने वाले नागरिकों का यही कहना था कि चूँकि मेड़म का ईश्वर में अटूट विश्वास है। वे एक वीरांगना एवं साहसी है हर मुश्किल में निर्भीक दिखने वाली है। अतः समय के साथ शायद वह जनाकांक्षाओं को पूरा कर पायेंगी भविष्य में अति उत्कृष्ट ढ़ंग से तो नहीं परन्तु मध्यम दृष्टि से अपना कार्य निष्पादन कर 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया।[7]

dkVk fo/kkulHkk pquko 2003 esa ernku O;ogkj dk fo'ys"k.k %

उल्लेखनीय है कि चुनाव आँकड़ों के अनुसार विधानसभा क्षेत्र कोटा की स्थिति को स्पष्ट करें तो यह विवरण सामने आता है कि 2003 में मतदान केन्द्रों की संख्या 234 थी और मुख्य रूप से ओम बिरला, शांति कुमार धारीवाल, अतुल श्रीवास्तव, बसंत बचेला, विजय कुमार चतुर्वेदी त्रिभुवनेश्वर आदि उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।

चूँकि 2003 में कोटा विधानसभा कोटा के लिऐ एक ही विधानसभा क्षेत्र था और इसमें विशेष प्रतियोगिता ओम बिरला (बीजेपी) व शांति धारीवाल (काँग्रेस) के मध्य रही और मतगणना के अंतिम समय तक यह स्थिति बनी रही अंत में श्री ओम बिरला ने 86900 मत प्राप्त किये और शांति धारीवाल ने 77000 मत प्राप्त किये, ओम बिरला को

297 मत डाक द्वारा भी प्राप्त हुऐ और इस प्रकार उनको कुल मत 87197 प्राप्त हुए, शांति धारीवाल को डाक से प्राप्त होने वाले मतों की संख्या 96 थी। अतः इनको 77096 कुल मत प्राप्त हुये, अन्य उम्मीदवारों की कोई उल्लेखनीय स्थिति नहीं रही अतः स्पष्ट है कि 2003 में जब कोटा में विधानसभा क्षैत्र दो नहीं बल्कि एक ही था तब ओम बिरला ने 10101 मतों से विजय प्राप्त की। कोटा जिले के अन्य क्षैत्रों जैसे रामगंजमंडी, पीपल्दा व दीगोद आदि स्थानों से बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहा।

कॉंग्रेस ने विकास को अपना मुद्दा बनाया था परन्तु यह मुद्दा अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया और कोटा जिले की सीटों से कॉंग्रेस को मुँह की खानी पड़ी। पूरे राजस्थान में बीजेपी को 120 सीटें प्राप्त हुई। पूरे राजस्थान की तरह कोटा में भी कॉंग्रेस की हार के कारण—अनेक विषयों के प्रति उसकी ढुल—मुल नीति, दल में बागियों की बगावत, अकाल प्रबन्धन में मची आपाधापी, कर्मचारियों की नाराजगी, विधायकों के जनसम्पर्क में कमी, स्वर्ण जातियों के आरक्षण की मांग पर ढुलमुल नीति और उम्मीदवारों के चुनाव या चयन में ढिलाई आदि प्रमुख कारण रहे।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम बिरला की वसुन्धरा राजे से निकटता लाभदायक रही और यही माना गया कि इस भावी नेता का जमीन से जुड़ाव है एक तरफ वसुन्धरा राजे सिंधिया और दूसरी तरफ ओम बिरला दोनों ही इस चुनाव के लिऐ नये उम्मीदवार थे। अतः दोनों को ही नये होने का लाभ मिला और इन्होंने अपने प्रयासों में चटकी एवं चुस्ती दिखाई यह भी माना गया है कि भाजपा ने सही समय पर स्थानीय मुद्दों को हवा दी ओर ऐसा करना उसके लिऐ लाभदायी साबित हुआ। ऐसे विश्लेषण भी होते रहे हैं कि बारहवीं विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और किसी तीसरी शक्ति को लाभ मिलेगा जो मंत्रिपद तक की आस लगाये बैठी थी परन्तु, जब 4 दिसम्बर 2003 को चुनाव परिणाम घोषित हुऐ तो तीसरी शक्ति की मंशा पर तो तुषाराघात हो गया।

तालिका संख्या – 5.6

कोटा विधानसभा चुनाव 2003 की तुलनात्मक समीक्षा तालिका[9]

विधानसभा क्षेत्र कोटा के निर्वाचन 2003 से सम्बन्धित विवरणिका										
मतदान केन्द्र की क्रम.सं.	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या						वैद्य मतों का योग	प्रति–पक्षित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
	ओम बिरला	शान्ति कुमार धारीवाल	अतुल श्रीवास्तव	बसंत वलेचा	विजय कुमार चतुर्वेदी	त्रिभुव नेष्वर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	258	595	5	1	12	4	875	0	875	0
2	156	434	5	2	2	9	608	0	608	0
3	221	512	7	8	4	16	768	0	768	0
4	107	363	12	2	7	6	457	0	497	0
5	156	771	15	1	5	12	950	0	950	0
6	166	351	5	2	6	6	536	0	536	0
7	275	211	5	2	2	8	503	0	503	0
8	483	310	2	1	4	8	808	0	808	0
9	343	320	4	2	4	7	680	0	680	0
10	434	340	4	1	1	6	786	0	786	0
11	260	311	5	1	3	2	582	0	582	0
12	552	370	5	1	2	11	941	0	941	0
13	429	502	8	3	5	10	957	0	957	0
14	510	407	2	3	3	3	928	0	928	0
15	491	307	3	3	**2**	3	809	0	809	0
16	125	170	1	0	2	2	300	0	300	0
17	428	307	2	2	5	7	751	0	751	0
18	344	293	3	0	2	0	642	0	642	0
19	248	279	5	1	7	5	545	0	545	0
20	456	339	1	0	4	8	808	0	808	0
21	533	421	15	3	9	7	988	0	988	0
22	283	367	7	6	6	6	675	0	675	0

23	450	381	3	1	1	7	843	0	843	0
24	240	314	16	3	1	15	589	0	589	0
25	330	162	3	0	3	2	501	0	501	0
26	491	356	7	4	1	6	865	0	865	0
27	414	197	4	2	3	5	625	0	625	0
28	495	366	8	2	2	12	885	0	885	0
29	287	342	3	3	8	8	651	0	651	0
30	297	406	7	2	3	7	722	0	722	0
31	296	267	4	1	2	2	572	0	572	0
32	318	331	8	1	3	7	668	0	688	0
32-A	309	224	2	3	3	8	549	0	549	0
33	273	143	0	0	0	2	418	0	418	0
34	513	325	3	2	1	9	853	0	853	0
35	157	172	1	1	0	3	334	0	334	0
36	275	321	0	2	4	4	606	0	606	0
37	201	277	2	0	4	4	486	0	486	0
38	174	277	3	0	1	5	460	0	460	0
39	419	441	5	1	17	9	892	0	892	0
40	308	625	15	1	6	2	957	0	957	0
41	81	272	1	0	0	1	355	0	355	0
42	426	467	8	3	3	15	922	0	922	0
43	510	224	2	0	1	5	742	0	742	0
44	364	221	1	2	0	4	592	0	592	0
45	241	198	4	0	0	3	446	0	446	0
46	502	490	4	5	5	8	1014	0	1014	0
47	370	471	6	3	11	18	879	0	879	0
48	509	365	1	2	0	1	878	0	878	0
49	123	492	6	2	2	5	630	0	630	0
50	266	329	3	0	4	7	609	0	609	0
51	110	603	6	5	5	6	735	0	735	0
52	396	383	5	4	6	7	801	0	801	0

53	295	534	10	2	4	14	859	0	859	0
54	428	278	1	0	1	1	709	0	709	0
55	556	264	14	1	6	8	849	0	849	0
56	413	140	1	0	3	7	564	0	564	0
57	414	406	6	2	3	4	835	0	835	0
58	450	544	2	3	5	8	1012	0	1012	0
59	243	335	3	1	5	8	595	0	595	0
60	416	334	4	2	4	6	766	0	766	0
61	423	295	0	0	4	3	725	0	725	0
62	391	187	1	0	2	4	585	0	585	0
63	418	369	1	0	3	0	791	0	791	0
64	369	447	8	2	8	10	844	0	844	0
65	487	364	3	2	11	3	870	0	870	0
66	341	260	3	0	2	4	610	0	610	0
67	399	431	3	2	5	12	852	0	852	0
68	409	271	10	3	3	8	704	0	704	0
69	95	491	4	1	3	1	595	0	595	0
70	103	475	2	2	1	5	588	0	588	0
71	133	342	2	0	19	10	506	0	506	0
72	81	856	12	3	11	9	972	0	972	0
73	70	661	8	1	10	14	764	0	764	0
74	113	263	2	0	1	3	382	0	382	0
75	488	195	0	3	1	4	691	0	691	0
76	98	585	12	2	3	6	706	0	706	0
77	36	461	7	0	2	3	509	0	509	0
78	62	479	2	1	4	5	553	0	553	0
79	144	477	8	1	2	7	609	0	609	0
80	506	404	5	1	5	12	933	0	933	0
81	498	227	0	0	2	5	732	0	732	0
82	221	365	5	1	3	11	606	0	606	0
83	51	440	11	2	1	5	510	0	510	0

84	56	647	9	2	11	7	732	0	732	0
85	436	427	3	2	8	11	887	0	887	0
86	278	647	9	0	7	3	944	0	944	0
87	294	283	5	0	0	6	588	0	588	0
88	384	127	3	1	2	10	527	0	527	0
89	484	161	1	1	4	3	654	0	654	0
90	585	262	3	2	2	6	860	0	860	0
91	597	267	4	2	4	16	890	0	890	0
92	609	275	6	5	14	16	925	0	925	0
93	221	376	2	5	3	1	608	0	608	0
94	182	583	5	1	4	4	779	0	779	0
95	263	336	4	5	9	13	630	0	630	0
96	203	274	2	3	1	1	484	0	484	0
97	336	280	1	0	4	5	626	0	626	0
98	360	480	4	4	5	8	861	0	861	0
99	313	164	4	0	0	5	486	0	486	0
100	464	377	8	4	2	13	868	0	868	0
101	503	517	4	7	10	7	1048	0	1048	0
102	551	319	13	2	5	10	900	0	900	0
103	537	213	2	2	13	14	781	0	781	0
104	539	248	5	1	4	6	803	0	803	0
105	279	628	11	5	2	16	941	0	941	0
106	498	354	5	2	4	6	869	0	869	0
107	503	221	2	0	3	13	742	0	742	0
108	405	207	0	0	1	5	618	0	618	0
109	555	260	4	3	1	3	826	0	826	0
110	354	464	1	0	0	3	822	0	822	0
111	405	433	0	1	11	1	841	0	841	0
112	630	329	6	0	2	4	971	0	971	0
113	415	254	3	2	2	5	681	0	681	0
114	340	331	1	1	0	4	677	0	677	0
115	504	320	6	1	1	6	838	0	838	0

116	456	295	17	1	2	7	778	0	778	0
117	403	242	3	0	0	5	653	0	653	0
118	405	280	2	2	3	5	697	0	697	0
119	210	143	1	1	0	2	357	0	357	0
120	334	156	7	1	9	16	523	0	523	0
121	274	323	8	4	15	38	662	0	662	0
122	332	121	0	0	2	1	456	0	456	0
123	42	829	8	4	12	17	912	0	912	0
124	449	252	4	3	1	13	722	0	722	0
125	436	342	7	1	4	5	795	0	795	0
126	195	568	7	3	2	8	783	0	783	0
127	191	710	7	2	6	7	923	0	923	0
128	644	306	6	0	4	8	968	0	968	0
129	199	241	1	2	2	0	445	0	445	0
130	29	419	2	0	0	1	451	0	451	0
131	316	358	3	0	0	1	678	0	678	0
132	313	199	3	0	1	2	518	0	518	0
133	551	374	10	1	2	8	946	0	946	0
134	411	241	7	1	0	1	661	0	661	0
135	438	275	3	0	3	4	723	0	723	0
136	59	562	1	0	9	1	632	0	632	0
137	112	369	1	1	6	4	493	0	493	0
138	494	396	15	4	8	16	933	0	933	0
139	194	115	1	1	3	3	317	0	317	0
140	597	328	5	2	3	12	947	0	947	0
141	595	377	10	6	6	8	1002	0	1002	0
142	355	179	4	0	0	1	539	0	539	0
143	376	247	3	1	1	6	634	0	634	0
144	640	336	4	1	2	6	989	0	989	0
145	584	418	3	1	2	4	1012	0	1012	0
146	636	364	6	1	5	2	1014	0	1014	0
147	556	309	9	2	2	3	881	0	881	0

148	443	384	3	1	6	1	838	0	838	0
149	418	273	2	2	2	5	702	0	702	0
150	337	256	2	0	1	0	596	0	596	0
151	371	266	1	2	1	2	643	0	643	0
152	393	276	3	0	0	2	674	0	674	0
153	228	294	7	1	1	16	547	0	547	0
154	255	256	5	1	0	3	520	0	520	0
155	294	281	2	1	2	2	582	0	582	0
156	378	298	6	0	1	5	688	0	688	0
157	316	247	1	0	0	3	567	0	567	0
158	385	300	2	1	1	1	690	0	690	0
159	324	241	2	0	1	2	570	0	570	0
160	435	260	5	1	7	24	732	0	732	0
161	256	333	7	3	6	15	620	0	620	0
162	95	211	1	2	2	5	316	0	316	0
163	630	291	3	1	2	9	936	0	936	0
164	540	313	15	7	25	17	915	0	915	0
165	337	143	2	1	0	5	488	0	488	0
166	569	224	2	1	0	3	799	0	799	0
167	562	216	1	2	2	4	787	0	787	0
168	719	299	1	3	5	4	1031	0	1031	0
169	395	206	0	0	4	4	609	0	609	0
170	473	402	9	2	6	15	907	0	907	0
171	287	210	6	1	6	3	513	0	513	0
172	551	343	11	2	1	11	919	0	919	0
173	146	201	4	1	2	3	357	0	357	0
174	576	290	0	1	2	4	873	0	873	0
175	378	448	7	5	7	27	872	0	872	0
176	413	249	3	4	1	2	672	0	672	0
177	290	160	2	0	1	4	457	0	457	0
178	425	360	5	1	6	19	816	0	816	0
179	472	295	2	3	3	9	784	0	784	0

180	549	358	2	6	4	27	946	0	946	0
181	279	201	6	2	5	13	506	0	506	0
182	402	234	2	0	2	13	6653	0	6653	0
183	398	276	3	1	0	10	688	0	688	0
184	332	120	0	0	1	3	456	0	456	0
185	577	304	8	3	3	19	914	0	914	0
186	491	258	1	0	3	5	758	0	758	0
187	528	306	6	0	0	10	904	0	904	0
188	303	353	10	4	9	25	704	0	704	0
189	379	250	6	4	3	7	649	0	649	0
190	477	299	1	1	1	0	779	0	779	0
191	466	305	1	2	2	3	779	0	779	0
192	452	347	8	5	2	4	818	0	818	0
193	295	210	5	1	1	2	514	0	514	0
194	353	249	2	0	3	1	608	0	608	0
195	377	310	3	1	3	4	698	0	698	0
196	157	163	2	1	0	1	324	0	324	0
197	362	167	5	3	1	2	540	0	540	0
198	474	235	2	0	1	0	712	0	712	0
199	347	211	1	3	2	6	570	0	570	0
200	463	285	0	1	2	0	751	0	751	0
201	484	294	4	0	1	6	789	0	789	0
202	487	193	3	3	1	3	690	0	690	0
203	399	221	0	2	5	5	632	0	632	0
204	315	102	2	0	2	3	424	0	424	0
205	474	267	1	2	7	5	756	0	756	0
206	338	446	13	5	6	8	816	0	816	0
207	550	245	9	7	2	12	825	0	825	0
208	304	196	3	0	0	10	513	0	513	0
209	375	187	1	1	1	1	566		566	0
210	316	306	6	3	3	5	639	0	639	0
211	315	332	5	2	1	8	663	0	663	0

212	485	306	7	0	2	2	802		802	0
212-A	423	331	1	3	1	5	764	0	764	0
213	439	239	6	0	4	18	706	0	706	0
214	249	247	10	0	3	8	517	0	517	0
215	346	169	2	2	3	4	526	0	526	0
216	390	235	4	1	0	3	633	0	633	0
217	610	378	7	0	3	4	102	0	102	0
218	409	217	0	2	2	3	633	0	633	0
219	189	155	2	0	0	1	347	0	347	0
220	437	217	2	1	4	2	663	0	663	0
221	394	345	2	1	7	6	755	0	755	0
222	522	356	1	0	4	5	888	0	888	0
223	555	295	1	0	0	4	855	0	855	0
224	527	313	3	1	3	3	850	0	850	0
225	502	322	3	2	2	5	836	0	836	0
226	510	350	2	0	4	7	873	0	873	0
227	183	200	2	1	0	2	388	0	388	0
228	406	267	5	0	4	2	684	0	684	0
229	369	251	4	0	2	5	631	0	631	0
230	513	345	7	3	5	17	690	0	690	0
231	396	218	1	1	0	6	622	0	622	0
232	278	346	6	4	5	12	651	0	651	0
233	355	660	6	5	9	26	1061	0	1061	0
234	185	306	5	0	2	6	504	0	504	0
234 ,	232	248	5	5	4	14	508	0	508	0

मतदान केन्द्र की क्रम.सं.	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या						वैद्य मतों का योग	प्रतिपेक्षित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
	ओम बिरला	शान्ति कुमार धारीवाल	अतुल श्रीवास्तव	बसंत वलेचा	विजय कुमार चतुर्वेदी	त्रिभुवनेश्वर				
मतदान केन्द्रों में रिकार्ड किये गये मतों की संख्यां.	86900	77000	1052	394	832	1608	167786	0	167786	
डाक मतपचों पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्यां (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की इशा में भरा जाये)	297	96	1	0	0	0	394	5	399	
दिये गये मत	87197	77096	1053	394	832	1608	168180	5	168180	

स्रोत : कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा से प्राप्त सांख्यिकी।

कोटा विधानसभा सीट के लिऐ 234 मतदान केन्द्र निर्धारित थे किन्तु विधानसभा चुनाव में कोटा में काँग्रेस ने जो उम्मीदें लगाई थी वे सफल नहीं हुई भाजपा के अतिरिक्त जिन विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपना भाग्य दाव पर लगाया था उनको निराश ही होना पड़ा। काँग्रेसी मानते थे कि भैरोसिंह शेखावत के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब प्रभावशाली नेता की कमी है अतः इसकी हार निश्चित है परन्तु इसके विपरीत वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में कोटा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वातावरण बना बल्कि यह कह सकते हैं कि चुनाव में सभी क्षैत्रों में बढ़त मिली पर बड़ा फायदा पश्चिम–मध्य और दक्षिण क्षैत्रों में हुआ तथा दक्षिण क्षैत्रों में कोटा भी एक है।

एक बड़ा उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि कोटा में विधानसभा चुनाव में पारम्परिक मतदाताओं ने अपनी दलीय निष्ठाओं में जबरदस्त परिवर्तन किया जिसका परिणाम काँग्रेस में सदे हुऐ उम्मीदवार शांति धारीवाल को भी हार का सामना के रूप में देखना पड़ा।

कोटा जिले अन्य क्षेत्रों जैसे लाड़पुरा, पीपल्दा व रामगंजमण्डी आदि सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा ही विजयी रही काँग्रेस का केवल एक उम्मीदवार जीता और वह थे दीगोद विधानसभा क्षैत्र श्री भरत सिंह।[8]

कोटा विधानसभा क्षेत्र चुनाव 2003 के विषय में अंतिम परिणाम पत्र की एक व्यापक सूची निम्नानुसार संलग्न है –

उल्लेखनीय है कि 2003 में राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कोटा में सिर्फ कोटा विधानसभा क्षैत्र ही था यह दो भागों में (उत्तर–दक्षिण) में विभाजित नहीं था चूँकि 2008 में स्थिति बदल गई थी इसी लिऐ दोनों सालों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और 2003 के आँकड़ों को अलग से चिन्हित किया गया राजनीतिक पर्यावरण की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास यही रहता आया था कि काँग्रेस को बढ़त मिलती थी परन्तु 1991 के बाद स्थिति बदल गई क्योंकि 1980 के बाद बीजेपी ने निरन्तर अपनी स्थिति सुदृढ़ की यह केन्द्र और प्रदेशों में अपनी साख और लोकप्रियता बढ़ाती जा रही थी इसलिऐ 1991 से 1998 तक राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार रही और यह स्थिति स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिली।[10]

कोटा विधानसभा में 2003 के चुनाव परिणामों से स्पष्ट होता है कि यहाँ इस दौरान काँग्रेस 5 में से केवल एक स्थान पर ही विजय हाँसिल कर पाई 2003 में पूरे राजस्थान की तरह कोटा में भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत रहा 2008 में कोटा में कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर क्षैत्र बनने पर स्थिति में जो परिवर्तन आया वह इसी शोध प्रबन्ध के 2008 वाले विवरण में देखा जा सकता हैं कि मुख्य रूप से दो दलों के प्रति स्पर्धा रही और लोकतंत्र का यह प्रतिस्पर्धी रूप सराहनीय ही माना जायेगा।

****

संदर्भ सूची

1- कर्नल टॉड उद्धत ''भारत में राज्य राजनीति'' उम्मेद सिंह इन्दा, आर बी एस॰ ए॰ पब्लिशर्स जयपुर 2005 पृ॰स॰ 115

2- राजस्थान पत्रिका चुनाव चर्चा जनादेश 2003, 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2003 तक प्रकाशित।

3- सेंटर फॉर डवलपिंग सोसायटी (CSDS) एवं द हिंदू समाचार पत्र नई दिल्ली।

4- कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा एवं राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।[4]

5- भण्डारी विजय ''राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भँवर में'' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृ॰स॰ 396

6- वही, पृ॰स॰ 396

7- आज तक के संपादक प्रभु चावला से सीधी बात कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षात्कार में वसुंधरा राजे की उद्‌घोषणा।

8- पत्रिका इयर बुक जयपुर 2016 पृ॰स॰ 726

9- कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कोटा से प्राप्त सांख्यिकी।

10- पत्रिका इयर बुक जयपुर 2017 पूर्वोक्त पृ॰ स॰ 791

****

अध्याय षष्ठम्

कोटा विधानसभा चुनाव 2008
एवं
मतदाताओं का मतदान व्यवहार

अध्याय षष्ठम्

प्रजातंत्र में निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इससे भी अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन का महत्व सर्व विदित है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार चुनाव व्यक्ति को अपने महत्व तथा अपनी भावुकता को सम्पूर्ण राष्ट्रों के प्रतीकों से जोड़ने में सहायक है। चुनावों का भय राजनीतिक निर्णय लेने वालों को निर्वाचक समूह की मांगों के प्रति सचेत रखता है।[1]

जहाँ तक राजस्थान और कोटा का संबन्ध है 1 नवम्बर 1956 से राजस्थान राज्य अन्य राज्यों के समकक्ष हो गया आज का राजस्थान 33 जिलों और सात सम्भागों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है। राजस्थान निर्माण के समय 26 जिले थे बाद में जो जिले बने वे है धौलपुर (1982) बारां (1991) दोसा (1991) राजसमंद (1991) हनुमानगढ़ (1991) करौली (1999) प्रतापगढ़ (2008)।

राजस्थान में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके है 13 वीं विधानसभा के आम चुनावों के लिए 10 नवम्बर 2008 को अधिसूचना जारी की गई थी इस अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 नवम्बर तथा नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर थी तथा मतदान 1 दिसम्बर को सम्पन्न हुआ व 8 दिसम्बर 2008 को मतगणना हुई व परिणाम आया।

यदि 13 वीं विधानसभा का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन करें तो यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विश्व की श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है। राजस्थान में इसी प्रणाली के आधार पर प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए तथा 2007–2008 में वर्तमान निर्वाचित क्षैत्रों के परीसीमन के पश्चात् प्रथम बार 4 दिसम्बर 2008 को एक ही चरण में राजस्थान विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए। 1952 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या लगभग 75.2 लाख थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 5.65 करोड़ हो गई और इस जनसंख्या में से 36179118 के लगभग मतदाता है। 13 वीं विधान सभा में 2,40,19,992 मतदाताओं (66.39 प्रतिशत) ने मतदान में भाग लिया। मतदान प्रतिशत पहले की अपेक्षा सर्वाधिक ही था। महिलाओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने में भी जागरुकता आई है। एक ओर जहाँ गत चुनावों की अपेक्षा महिलाओं के मतदान

प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पुरुषों के मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। 12 वीं विधान सभा में 64.21 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था जो कि 13 वीं राजस्थान विधानसभा में बढकर 65.39 प्रतिशत हो गया जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.91 प्रतिशत से घटकर 67.3 प्रतिशत तक ही रह गया, 4 दिसम्बर 2008 को हुए मतदान में गत चुनाव की भाँति सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग हुआ तथा कुल 42797 मशीनें उपयोग में लायी गई। नाम वापस लेने की तिथि के पश्चात् राज्य भर में कुल 2194 प्रत्याशी चुनाव मैदान में ड़टे रहे।[2]

चुनाव आचार संहिता :

राजस्थान विधानसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के मार्ग दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के निम्न प्रावधान लागू किये गये –

1 कोई भी दल या अभ्यार्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो विभिन्न जातियों, धर्मो या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाये या घृणा की भावना पैदा करे।

2 जब दलों की आलोचना की जाये तब उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम पूर्ववत और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जिनका सम्बन्ध अन्य क्रिया कलाप से न हो या तोड़ मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो।

3 मत प्राप्त करने के लिए जाति और साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रुप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

4 सभी दलों के अभ्यार्थियों को ऐसे सभी कार्यो से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन आते है। जैसे कि– मतदताओं का प्रतिरुपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, प्रचार की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक

सभाएँ करना और मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहाँ से वापस लाना।

5 दलों और अभ्यार्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करे चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों और विचारों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन, आयोजन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।

6 किसी राजनीतिक दल या अभ्यार्थी को ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टाँकने, सूचनाऐं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिये।

7 दलों और अभ्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में बाधा उत्पन्न न करें और भी कोई मौखिक या लिखित गड़बड़ी न करें जहाँ दूसरे दलों की सभाऐं हो रही हैं वहाँ अपना जुलूस ले जाने से बचना चाहिए।

चुनावी सभाऐं करने से सम्बन्धित नियम –

1 दल या अभ्यार्थी के प्रस्तावित सभा और स्थान व समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपर्युक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने तथा शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इन्तजाम कर सकें।

2 यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहाँ सभा की जानी है उस स्थान के लिए निर्बधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है यदि ऐसा है तो आवश्यक समय पर आवेदन करके छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

3 सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञाप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

4 सभा के आयोजकों के लिए आवश्यक है कि वे विघ्न डालने वालों या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सहायता प्राप्त करे वे स्वयं कोई कार्यवाही न करें।

जुलूस निकालने सम्बन्धित नियम –

1. पहले ही यह तय कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय किस स्थान से किस मार्ग से होकर निकलेगा और कहाँ समाप्त होगा।

2 आवश्यक प्रबन्धन के लिए पुलिस व प्रशासन को सूचना दें।

3 कोई आवश्यक छूट लेनी हो तो लें।

4 जुलूस का आयोजन इस ढंग से करें कि यातायात में रूकावट पैदा न हो।

5 जहाँ तक संभव हो जुलूस का आगे बढ़ना सड़क के बायीं तरफ ही रखा जाये।

6 जहाँ तक संभव हो यह प्रयास किया जाये कि जुलूस निकालने वालों में आपस में टकराव नहीं हो तथा यातायात में बाधा न पहुँचे।

7 जुलूस में शामिल लोगों में अवांछनीय तत्व नहीं होने चाहिए और ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके।

8 राजनीतिक दलों और उनके नेताओं और अभ्यार्थियों आदि को दूसरे नेताओं के पुतले लेकर चलने उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने या इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के कुछ आरोप लगाये गये जैसे –

1 काँग्रेस के कुछ नेताओं पर धन के दुरूपयोग का आरोप लगा।

2 श्रीमती वसुन्धरा राजे पर सभाओं में रूपये बाँटने का आरोप लगा।

3 काँग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा द्वारा सत्ता के दुरूपयोग का आरोप लगाया और यह भी कहा कि वे अनावश्यक रूप से अधिकारियों के माध्यम से काँग्रेस की प्रचार सामग्री हटवा रहे हैं।[3]

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2008 में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया जैसे सोनिया गाँधी, राजनाथ सिंह, मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी, राजीव प्रताप रूढ़ी आदि प्रमुख रहे। इन नेताओं ने अपने आक्रमक भाषणों में आदर्श आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई।

मतदाता के लिए आवश्यक दस्तावेज –

यह मुख्य रूप से फोटो युक्त पहचान–पत्र है जो निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया जाता है। यदि यह नहीं है तो पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पेनकार्ड) यदि कर्मचारी किसी सेवा में है तो फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, डाकघर आदि द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, किसान पासबुक और खोले गये खाते की तिथि, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत प्रपत्र, फोटोयुक्त राशनकार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज,जो सैनिक, नागरिक, विधवा, वृद्धावस्था या किसी अन्य सेवा से सेवानिवृत व्यक्ति, स्वतंत्रता सैनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र पूर्व में जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र नरेगा योजना का राजस्थान के अधीन जोब कार्ड व फोटोयुक्त अधिवास प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के होने के बावजूद भी यदि संबंधित व्यक्ति का नाम व पता मतदाता सूची में नहीं है तो उसे मतदान नहीं करने दिया जा सकता है।[4]

मतदान नहीं करने का प्रावधान भी है इससे सम्बन्धित नियम 49–0 है इसके तहत मतदाता को यह अधिकार दिया गया है कि वह मतदान न करने के अपने निर्णय/अधिकार को रिकॉर्ड करवाये। मतदान के दिन वह अपनी पहचान प्रकट कर सकता है फिर उसकी अंगुली पर काली स्याही का निशान लगाया जायेगा और वह मतदाता सूची में अपने हस्ताक्षर भी करेगा।[5]

उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि के बाद कुल उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार रही [6] –

क्रम.सं.	उम्मीदवार	संख्या
01	राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार	686
02	राज्य की क्षैत्रिय पार्टियों के उम्मीदवार	0
03	अन्य राज्यों के क्षैत्रिय दलों के उम्मीदवार	129
04	अन्य पंजीकृत दलों के उम्मीदवार	356
05	निर्दलीय उम्मीदवार	1023
06	कुल उम्मीदवार	2914

13 वीं. विधानसभा में आरक्षण व्यवस्था इस प्रकार थी[7] –

क्रम.सं.	राज्य	कुल सदस्य.	अनु.जाति	अनु.जन.जाति
01	राजस्थान	200	34	25

चुनाव प्रचार एवं घोषणा पत्र –

हर आम चुनाव की तरह इस बार भी जैसे–जैसे चुनाव की दिनांक नजदीक आयी उसी के साथ नवम्बर दिसम्बर के ठण्डे महिनों में राजनीतिक गर्माहट का आभास होना शुरु हो गया। राजनीति के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं रखी। विपक्षी दल काँग्रेस ने सत्ता दल भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये

तो भाजपा ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यो का राग अलापा अन्य राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने प्रचार में कोई कमी नहीं रखी। कॉंग्रेस, भाजपा और कुछ अन्य दलों का चुनावी अभियान निम्नानुसार रहा –

कॉंग्रेस का प्रचार अभियान –

राजे सिंधिया पर आरोप लगाये –

भाजपा ने पॉंच साल, खूब कमाया माल, गली–गली गुण्डे दफ्तर–दफ्तर दलाल।

विदा करो मेड़म मोदी और कमठान, तय करो अब नहीं लुटेगा राजस्थान।

सत्ता केन्द्र जयपुर जमीन और जमीर के सौदों की मण्डी बन गया,

शासन का केन्द्र सचिवालय दलालों से भर गया।

क्या मोदी क्या पटोदिया और क्या कमठान,

भाजपा के पॉंच सालों में खूब राजस्थान।

लोक लाज और मर्यादाएँ हुई तार–तार, बीजेपी सरकार में पॉंच ''म'' रहे मूल आधार मोदी, मुद्रा, मदिरा, और मौज मस्ती, नैतिकता इस राज में खूब बिकी सस्ती।

रानी के विकास रथ के नौ घोड़े ललित मोदी और धीरेन्द्र कमठान ने स्टडियम पर किया कब्जा और चलाई अपनी दुकान।

दिगम्बर सिंह और राजेन्द्र राठौड़ विधानसभा में गुंजता रहा इनके कारनामों का शोर।

प्रताप सिंह सिंघवी और अजयपाल जमीने बेच बेच कर हुए निहाल।

सत्यनारायण गुप्ता और सुरेश पाटोदिया खाते रहे सेवा का मेवा।

जगदीश चन्द्र कातिल, जेडीए में चला 90 बी का दगंल।

पॉच सालों तक भ्रष्टाचार के घोड़े सरपट दौड़ते रहे,

राजे के मन्दिर में चढ़ावे वाले मालामाल हो गये।

नोटों की अटेचियॉ ठिकानों तक में पहुँचती रही,

हाऊसिंग बोर्ड के पास ही यूनिक बिल्डर्स पनपते रहे।

सरहद और आमेर की हवेलियाँ धमकाकर बिकवाई गई,

मंत्री अय्याशी में मशगूल रहे और भ्रूण हत्या के अपराधी अभयदान पाते रहे।

इतना कुछ होने के बाद भी क्या चुप रहेंगे आप तय करो फिर से काबिज न हो घोटालों के सरताज।

आइये परिवर्तन की इस लड़ाई में हम तुम मिलकर चले साथ आओ एक दूसरे से मिलाये हाथ और परिवर्तन की इस घड़ी में मिलकर कदम बढ़ायें।

भाजपा भगाओ राजस्थान बचाओ का नारा भी दिया गया।

कॉंग्रेस ने भाजपा शासन में हुए निम्न गोलीकांडों को भी खूब प्रचारित किया –

1	11 अप्रेल, 2004	–	मण्डावा (झुझुंनू) गोली काण्ड।
2	30 जून, 2004	–	कोटड़ा (उदयपुर) गोली काण्ड।
3	29 जुलाई, 2004	–	सराड़ा (उदयपुर) गोली काण्ड।
4	7 अक्टूबर, 2004	–	कुहाड़वास (झुंझुनू) गोली काण्ड।
5	27 अक्टूबर, 2004	–	रावला (श्रीगंगानगर) गोली काण्ड।
6	8 अप्रेल, 2004	–	माण्डल (भीलवाड़ा) गोली काण्ड।
7	6 जून, 2005	–	कंचनपुर (धौलपुर) गोली काण्ड।
8	13 जून, 2005	–	सोहेला (टोंक) गोली काण्ड।
9	1 जुलाई, 2005	–	डग (झालावाड़) गोली काण्ड।

10	20 सितम्बर, 2006	–	भरतपुर–मथुरा सड़क मार्ग गोली काण्ड।
11	10 अक्टूबर, 2006	–	घड़साना में किया गया गोली काण्ड।
12	8 फरवरी, 2007	–	उदयपुर के रिषभदेव मन्दिर गोली काण्ड।
13	29 मई, 2007	–	पाटोली (दौसा) गोली काण्ड।
14	29 मई, 2007	–	बुन्दी में किया गया गोली काण्ड।
15	30 मई, 2007	–	बयाना (भरतपुर) गोली काण्ड।
16	30 मई, 2007	–	कोटपूतली (जयपुर) गोली काण्ड।
17	30 मई, 2007	–	बौंली (सवाई–माधोपुर) गोली काण्ड।
18	30 मई, 2007	–	दौसा (जयपुर) गोली काण्ड।
19	23 दिसम्बर, 2007	–	कपासन (चित्तौड़गढ़) गोली काण्ड।
20	23 मई, 2008	–	बयाना (भरतपुर) गोली काण्ड।
21	24 मई, 2008	–	सिकंदरा (दौसा) गोली काण्ड।

काँग्रेस ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़ते अपराधों को चुनावी मुद्दा बनाया और यह स्पष्ट किया कि राजस्थान का क्या कसूर था कि वह खतरे में जीता रहा। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के लिए भरतपुर अवैध हथियारों की बड़ी मण्डी बन गया। बहुचर्चित गंगानगर हथियार लाईसेंस मामले के संदर्भ में विधानसभा में गृहमंत्री कटारिया ने भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार और अपराधियों को लाईसेंस देना स्वीकारा।[8]

Ih-vkbZ-Mh-की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रग तस्करों ने जयपुर की जमीनों में भारी निवेश किया और 29 तस्कर देखते ही देखते कंगाल से करोड़पति हो गये।[9]

एक अन्य न्यूज में बताया गया कि 50,000 अपराधी राजस्थान से लापता हैं जिनके ऊपर लूट, हत्या और डकैती के मुकदमें चल रहे हैं। राजस्थान पुलिस उनको पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है परन्तु उनका फोटो तक उनके पास नहीं है।[10]

दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि प्रत्येक दिन हजार बच्चों की तस्करी गुजरात में कपास के डोड़ी बाँधने के लिए हो रही है सरकार की ओर से रोकथाम के प्रयास नगण्य हैं।[11]

इस सन्दर्भ में काँग्रेस का चुनावी नारा यही था कि राज बदलकर दम लेगा अब नहीं झुकेगा राजस्थान।

काँग्रेस ने भाजपा द्वारा किये गये कर्मचारियों के साथ धोके को भी चुनावी मुद्दा बनाया जैसे –

1 क्या स्थगित सुविधाओं के नियमित आदेश जारी हुए हैं?

2 क्या चयनित वेतनमान एवं वेतन विसंगतियों को दूर किया गया?

3 क्या समर्पित अवकाश के स्थगित आदेशों को नियमित किया गया?

4 क्या फेस्टिवल एडवांस आदेशों को नियमित किया गया?

5 क्या 64 दिन की हड़ताल के वेतन को उपार्जित अवकाश में तबदील किया गया?

6 क्या 11 प्रतिशत मँहगाई भत्ते की एरियर राशि का नगद भुगतान या GPF में जमा कराया गया?

7 क्या नये भर्ती नियमों को लागू कर नवनियुक्त कर्मचारियों का शोषण नहीं किया गया?

8 क्या RPF में बार–बार बढ़ौतरी कर कटौती नहीं बढ़ाई गई?

9 क्या ग्रामीण सेवा केडर बनाकर कर्मचारियों को बाँटने का प्रयास नहीं किया गया?

10 क्या सरकारी विद्यालयों, विभागों, मन्दिरों की सम्पत्तियों को पूँजीपतियों के हवाले कर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात के प्रयास नहीं किये गये?

11 क्या 1998 में मंत्रालयिक/अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारियों से सरकार द्वारा किये गये समझौतों को लागू किया गया?

12 क्या वेतन प्रकरण में यतीन्द्र सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया?

13 क्या पाँचवें वेतन आयोग में केन्द्र के शिक्षकों को दिया गया संशोधित चयनित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया?

14 क्या पंचायती राज, बोर्ड, निगम तथा स्वायत्तशासी एवं अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय लिये गये?

15 क्या राज्य कर्मचारियों व राज्य सरकार के बीच हुए लिखित समझौते को नहीं तोड़ा गया?

16 क्या पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों, लोकजुम्बिश, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों, समेकित वेतन कर्मियों को नियमित करने के आदेश प्रसारित किये गये?

17 क्या राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरणों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर नहीं लगे हैं?

18 क्या पूरे पाँच साल में सरकार ने कर्मचारी संगठनों से संवाद जारी रखा?

19 क्या राज्य सरकार ने वेतनमान 1 से 6 तक के पदों पर स्थायी रूप से लगी भर्ती की पाबंदी को हटाया?

20 क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को प्रतिवर्ष नियुक्ति दी गई?

विधानसभा चुनाव से पूर्व वसुन्धरा राजे ने कर्मचारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने वाली बातें कहीं जो चुनावी मुद्दा बन गईं जैसे –

1 वसुंधरा ने कहा कि आज कर्मचारी लोभी हो गया है जो ऐसी सुविधाऐं चाहता है जो कि संभव नहीं है।[12]

2 माधव गौ विज्ञान अनुसंधान, नो गाँवा (भीलवाड़ा) के वार्षिकोत्सव में बोलते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में वोटों के लिए झूठ बोल रहे मुझे मेरे सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं है।[13]

3 कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अहंकार पूर्ण शब्दों में कहा कि मैं मांगने पर कुछ नहीं देने वाली।

4 छठे वेतन आयोग से पहले भी कर्मचारी विरोधी फैसलों से लगभग 4500 करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान पहुँचाया।

5 छठे वेतन आयोग को लागू न करने से प्रत्येक कर्मचारी के पूरे 2 वर्ष के ऐरियर के 15 हजार रूपये से ड़ेढलाख रूपये तक की राशि के हिसाब से सरकार ने कर्मचारियों को कुल 8 हजार 444 करोड़ रूपये का नुकसान पहुँचाया।

भाजपा सरकार के समय शराब की दुकानों की संख्या में वृद्धि का मुद्दा –

काँग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे शराब के दाम घटा रहे हैं और दूध के दाम आसमान पर जा रहे हैं यह आम आदमी के लिए अनुपयोगी है। मँहगाई के लिए भाजपा जिम्मेदार है क्योंकि उसके 5 वर्षों के शासन में चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। भाजपा का आतंकवाद पर नरम रूख क्यों, यह दोहरा चरित्र नुकसानदायक है। भाजपा ने अंदरूनी आक्रोश से तंग आकर भाजपा के योद्धा थोड़ा भी काँग्रेस को पसंद करने लगे हैं। भाजपा के लिए अब भ्रष्ट शब्द भी छोटा पड़ जायेगा।

उपरोक्त सभी बातों एवं मुद्दों को काँग्रेस ने भाजपा के विरूद्ध चुनाव प्रचार अभियान में शामिल किया।

भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान –

भाजपा ने भी काँग्रेस के विरूद्ध चुनाव प्रचार अभियान युद्ध स्तर पर चलाया। भाजपा ने पिछली काँग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की काफी आलोचना की व विज्ञापन प्रकाशित करवाए तथा निम्न प्रमुख मुद्दों को उठाया –

(1) **भाजपा ने काँग्रेस पर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन के निम्न आरोप लगाये–**

1. क्या आपके द्वारा छीना गया 5 वर्ष का बोनस भूल जायें ?

2. क्या आपके शासनकाल में रोकी गई 5 वर्ष की सरेण्डर लीव भूल जायें ?

3. हड़ताल अवधि में आपके द्वारा काटा गया 64 दिन का वेतन भूल जायें ?

4. आपके द्वारा थोपे गए झूठे मुकदमों की प्रताड़ना व बर्खास्तगी के अपमानित दिन भूल जायें ?

5. जिन कर्मचारी/अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत कर दिया उन्हें भूल जायें ?

6. जिन पैराटीचर्स शिक्षाकर्मी एवं अन्य का मात्र 1200 रूपये प्रतिमाह पारिश्रमिक देकर शोषण किया था क्या उसको भूल जायें ?

7. भाजपा ने केन्द्र की काँग्रेस सरकार पर दो मुद्दों मंहगाई और आतंकवाद पर काबू पाने में पूरी तरह असफल रहने का मुद्दा उठाया।

8. भाजपा ने 'भामाशाह नारी समृद्धि योजना का प्रचार किया। इस योजना में आपके नजदीक के किसी भी बैंक में एक बचत खाता खुलवाकर इसमें 1500 रूपये की राशि एकमुश्त जमा कराई जायेगी। यह इसलिए किया जाता है कि आप अपने परिवार और बच्चों की जरूरत पूरी कर सकें। इस योजना के तहत हमने आप और आपके परिवार के किन्हीं 5 सदस्यों के लिये 30 हजार रूपये सालाना का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भी करवाया है।

9. भाजपा ने गुर्जरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी कई प्रयास किए। कर्नल किरोड़ी मल बैसला ने भी भाजपा के पक्ष मे जनता से अपील की।

(2) कर्नल किरोड़ी मल बैंसला ने भाजपा के समर्थन में गुर्जरों से निम्न अपील की –

गुर्जर समाज पिछले लगभग 30 वर्षों से राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए अपनी माँग उठाता रहा है। इस संबंध में विभिन्न पत्रावलियाँ राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच अनिर्णायक स्थिति में चलती रही हैं। इस न्याय की माँग को आगे बढ़ाते हुए हमने तीन जन आन्दोलन किए जिनको विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने न्यायसंगत ठहराया।

29 मई, 2008 के पीलूपुरा आन्दोलन के बाद राजस्थान सरकार से हमारा तर्कसंगत समझौता हुआ। इस समझौते की अनुपालना में राज्य सरकार ने विधानसभा से बिल पारित कर महामहीम के समक्ष हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है तथा केन्द्र सरकार को आरक्षण से सम्बन्धित सिफारिश पत्र भी भेज दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी गुर्जर हितों के साथ अपने आपको सम्मत किया है जबकि अन्य किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है तथा मौन साध रखा है। हमारा यह मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल भाजपा के अलावा हमारे इस सामाजिक न्याय के मुद्दे का समर्थन नहीं कर रहा है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए गुर्जर समाज तथा अन्य सभी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर समर्थन करें।

(3) Hkktik us vius ikp o"kZ dk;Zdky dh miyfC/k;ksa dk fuEu C;kjk iLrqr fd;k &

1. महिला कर्मचारियों के लिए करवाचौथ की छुट्टी लागू की गई।
2. मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 180 दिन किया गया।
3. लाखों कर्मचारी व शिक्षकों की भर्तियाँ की गईं।
4. भाजपा ने केन्द्र की काँग्रेस सरकार के साथ महाराष्ट्र काँग्रेस सरकार

की मुम्बई हमले के घटनाक्रम पर आलोचना की।

5. भाजपा ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए कॉंग्रेस सरकार की ढीलमुल नीति का मुखौटा दिखाया।

6. भाजपा ने 20 लाख रोजगारों की घोषणा भी की।

7. सूरसागर (जोधपुर) से भाजपा प्रत्याशी सूर्यकांत व्यास ने प्रचार का नया तरीका निकाला है। उनके साथ पॉच–छः बॉडी बिल्डर चलते हैं, लोग इनके मसल्स छू–छूकर देखते हैं।

(4) वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को चुनाव प्रचार में निम्न प्रकार से भुनाया –

अक्सर अपने जज्बात् और गुस्से का इजहार करने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुर्जर आन्दोलन शुरू होने के बाद से ही शान्त थी। आन्दोलन में 47 लोगों की जाने गई और राजस्थान के शान्तिप्रिय राज्य की छवि को धक्का लगा है। उन्हें पता था कि अपनी पार्टी भाजपा में ही उनके प्रतिद्वंदियों के अलावा कॉंग्रेस या फिर मतदाता उन्हें नहीं बख्शेंगे। जल्द ही उन्हें अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे आन्दोलनकारियों की ताकत का अहसास हुआ और उन्होंने सही दिशा में ध्यान केन्द्रित किया। उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया, आखिर में उन्हें विशेष आरक्षण मंजूर करने के लिए मना लिया। वैसे इससे पहले भी वे ऐसी पेशकश कर चुकी थी लेकिन तब जनजाति के दर्जे के शोर शराबे में उसे ठुकरा दिया गया था। गुर्जर चाहते थे कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुर्जरों को जनजाति का दर्जा देने संबंधी सिफाारिश साफ शब्दों में केन्द्र से करे।

गुर्जरों को अन्य पिछड़ा वर्गों जैसा लाभ देने वाला पॉच फीसदी आरक्षण दिया गया लेकिन यह राजस्थान में ही लागू हुआ। जनजाति दर्जे के लिए जिस सिफारिश पत्र पर सहमति हुई है उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। गुर्जरों के लिए प्रदेश में आर्थिक पैकेज भी मिल चुका है। इस तरह राजस्थान में

उन्हें काफी कुछ हाँसिल हो गया लेकिन यह लाभ केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण जैसा नहीं है।

प्रदेश को करीब 1000 करोड़ रूपये का कारोबार का नुकसान तो हुआ ही साथ ही राज्य की छवि ज्यादा खराब हुई है। वसुंधरा राजे ने बड़ी जद्दो जहद के बाद राज्य की पहचान एक शांतिपूर्ण पर्यटक प्रदेश और निवेश के माफूल ठिकाने के रूप में बनाई थी।

बैंसला ने वैसे आन्दोलन के दौरान देशभर के लोगों को हुई तकलीफ के लिए माफी माँगते वक्त एक बड़ा तर्कसंगत मुद्दा उठाया कि पुलिस के पास इस बात का कोई तयशुदा मापदण्ड नहीं है कि कब और कैसे गोलीबारी की जाय। उन्होंने सुझाया कि पुलिस अपने आपको दुरूस्त करे।

वसुंधरा राजे ने गुर्जर नेताओं से वार्ता से पहले ये काम शुरू कर दिया उन्होंने राज्य पुलिस प्रमुख ए॰एस॰ गिल को हटा दिया। क्योंकि उनके चार साल के कार्यकाल में 23 दफा गोली बारी हुई थी।

राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान निम्न साधन या तरीके अपनाये जाते हैं –

1. नुक्कड़ सभाएँ, जातिगत सम्मेलनों से प्रचार करना।
2. एसएमएस के जरिये प्रचार करना।
3. जादू दिखाकर लोग जुटाना।
4. विकास कार्य कर चिट्ठी भेजना।
5. ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित करना।
6. गाँव में चौपाल लगाकर समर्थन करना।
7. पार्टी बैनर की पोशाक एवं टोपी से प्रचार करना।
8. ऊँट–घोड़ों पर झंडे–बैनर से प्रचार करना।
9. गीत–भजन गाते हुए प्रचार करना।

10. ढोल–ढमाकों के साथ पैदल भीड़।

11. चुनाव चिन्ह लगी टोपियाँ बांटना।

12. छोटी–बड़ी रेलियों से प्रचार करना।

चुनाव प्रचार के नये तरीके –

1. बड़े कटआउटों पर रोक लगी तो ऊँचे कद के लोग साथ लेकर प्रचार शुरू।

2. बॉडी बिल्डर के साथ चलकर प्रचार करना।

3. पतंगों के ऊपर चुनाव चिन्ह दर्शाकर प्रचार करना।

4. एफएम रेडियो पर प्रचार करना।

5. मोबाईल एसएमएस एमएमएस से प्रचार करना आदि।

6. समाचा पत्रों एवं टी॰वी॰ चैनलों पर विज्ञापन देना।

7. नये नये स्लोगन एवं नारे तैयार करना।

p|uko ?kk"k.kk i= 2008 &

दोनों प्रमुख दलों व अन्य दलों ने भी ढेरों लोक लुभावन वादे किये यहाँ तक कि कई वादे तो दोनों दलों में एक जैसे दिखाई दिये समय के लिहाज से देखा जाये तो दोनों की प्रमुख पार्टियों ने इस दस्तावेज को जारी करने में काफी देर की साथ ही घोषणा पत्रों में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने और मादक पदार्थों की रोकथाम करने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को अछूता ही रखा जबकि ये मुद्दे राज्य की महत्त्वपूर्ण जरूरत भी है और इनके लिए जनता की आवाज भी उठती रहती है। अतः इनको चिन्हित करना महत्त्वपूर्ण था।

13 oh fo/kkulHkk esa dkaxzsl ikVhZ dk ?kks"k.kk i= &

क्रम.सं.	विषय	क्षेत्र	महत्त्वपूर्ण घोषणा पत्र
01	बिजली	विद्युत क्षमता	5 वर्ष से विद्युत क्षमता 10000 मेघावाट तक बढ़ाना।
	घरेलु बिजली	शहरों की तर्ज पर	गाँवों में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास।
		निजी सहभागिता	सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता से विद्युत उत्पादन बढ़ायेंगे।
02	शिक्षा	साक्षरता	5 वर्ष में पूरे राज्य को साक्षर करना।
		सहयोग	स्नातकोत्तर स्तर तक सभी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा।
		निजि सहभागिता	संभागीय स्तर पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज।
03	पेयजल व सिंचाई	फ्लोराईड	फ्लोराईड की मुक्ति के लिए उपयुक्त योजनाऐं।
		जल संग्रहण	जल संरक्षण नीतियों में नदियों, तालाब व एनिकटों का रख–रखाव।
		नर्मदा	नर्मदा के पानी से जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई।
04	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सेवाओं का विस्तार	जिला चिकित्सालयों के सुदृढ़ी–करण व विशेषज्ञों की उपलब्धता।
		आम जनता	अनाथ बच्चों को स्पेशल श्रेणी की निशुल्क चिकित्सा।

		प्रजनन एवं शिशु मृत्युदर	प्रजनन एवं शिशु मृत्युदर पर रोक लगाने का उपयुक्त कदम।
05	रोजगार एवं उद्योग	रोजगार उद्योग नीति नये क्षैत्र	10 लाख युवाओं को नोकरियाँ। उद्योगपतियों की सलाह से नई उद्योग–निवेश नीति बनाना। नये औद्योगिक क्षैत्रों का विकास करना।
06	कृषि एवं पशुपालन	बिजली भार कोल्ड स्टोर दुग्ध उत्पादन	8 घंटे प्रतिदिन सस्ती दरों पर निरंतर एवं नियमित बिजली। स्थापना के लिए निजी क्षैत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना। दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जायेगा।
07	सड़क व परिवहन	गाँव–ढ़ाणी हाईवे परिवहन सेवा	250 के आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण, फ्लाईऑवर व ऑवर ब्रिज बनवाना। ग्राम पंचायत तक परिवहन सेवाओं का विस्तार।
08	महिला एवं कर्मचारी	वेतन आयोग अतिरिक्त लाभ महिला स्वास्थ्य	छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को केन्द्र के समान लागू करना। दिवाली पूर्व बोनस, उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान। प्रथम प्रसव पर सरकार 5 किलो देसी घी देगी।

09	वन, पर्यावरण व खनिज	रिफाईनरी पट्टे वृक्षारोपण	पेट्रोलियम रिफाईनरी की स्थापना एवं खनिज दोहन। छः माह में वनवासियों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टे। प्रदेश में अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।
10	पंचायती राज व नगरीय विकास	अधिकार आवास सुनियोजित शहर	स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों का हस्तानान्तरण। 99-B की समीक्षा तथा हर वर्ष 25 हजार मकान। शहरी निकायों में मास्टर प्लान बड़े शहरों के पास रिंग रोड़ व हाइवे।

13 oh fo/kku lHkk e Hkktik dk ?kk"k.kk i= &

1 मँहगाई से राहत के लिए की गई ?kk"k.kkऐं –

(i) 25 लाख परिवारों को 2 रूपये प्रति किलो गेहूँ देने की घोषणा की।

(ii) 25 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को 5 रूपये प्रति किलो गेहूँ देने की घोषणा की।

2 लड़कियों के विकास के लिए की गई ?kk"k.kkऐं –

(i) भारतीय जनता पार्टी ने लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए 'लाडली लक्ष्मी योजना' के तहत लड़की को 21 वीं वर्ष में 54,000 रूपये देने की घोषणा।

3 सामाजिक कल्याण के लिए ?kk"k.kkऐं –

(i) वृद्धों को प्रतिमाह 500 रूपये पेंशन देने की योजना लागू करने का आश्वासन दिया गया।

(ii) निवृतमान सैनिकों के लिए निगम का गठन और भूमि आवंटन विवादों का तुरन्त निपटारा।

(iii) नाई, चर्मकार, धोबी, कुम्हार, दस्तकारों को आरक्षित दरों पर भूमि आवंटित कराना।

(iv) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहली बार 14 प्रतिशत आरक्षण दिलाना एवं गुर्जर, बंजारा, रेबारी, गडरिया लुहार, रायका समाज को 5 प्रतिशत विशेष दर्जे में आरक्षण देना।

(v) असंगठित मजदूरों को विश्वकर्मा योजना का लाभ देने की घोषणा।

4 fdlku [k'kgkyh d fy, dh xbZ ?kk"k.kkऐं –

(i) सभी किसानों का लगान माफ करना।

(ii) किसानों को बिजली आधी दर पर उपलब्ध करवाना।

(iii) सहकारी संस्था प्राप्त कृषि ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज।

5 कर्मचारियों के लिए की गई ?kk"k.kkऐं –

(i) भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा तथा भविष्य में कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई योजनाऐं लागू की जायेगी।

6 रोजगारें के लिए की गई ?kk"k.kkऐं –

(i) 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने की घोषणा की गई।

जागो पार्टी का ?kk"k.kk पत्र –

1 आरक्षण को समाप्त किया जायेगा और अंग्रेजी शिक्षा से सभी को काम दिलवाना।

2 आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को मृत्यु दण्ड दिया जायेगा और जहाँ तक संभव हो इसका निर्णय 3 महिनों में ही दिया जायेगा।

3 निजिकरण द्वारा सभी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी।

4 हर मतदाता को 600 रूपये प्रतिमाह मिलेगा एवं सब्सिडियाँ बंद की जायेगी।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (CPIM) का घोषणा पत्र –

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी की केन्द्रिय समिति के सदस्य श्रीलता स्वामीनाथन ने पार्टी का घोषणा पत्र निम्नानुसार जारी किया –

(i) भाजपा काँग्रेस के समान ही जन विरोधी और गरीब विरोधी है।

(ii) भाकपा (माले) जन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करेगी।

(iii) पार्टी रोजगार के अधिकार के साथ अशिक्षित बेरोजगारों को 3000 तथा शिक्षित बेरोजगारों को 5000 रूपये मासिक भत्ता देने का वादा करती है।

(iv) नरेगा कार्यक्रम को सही तरीके से लागू करने और 100 कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 कार्य दिवस करन तथा बी.पी.एल. वर्ग के साथ भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी रोकी जायेगी।

(v) किसान व मजदूरों के पक्ष में निरन्तर काम करने की घोषणा की।

(vi) पार्टी ने गरीबों की दावेदारी लाल लहर के साथ, नये राजस्थान का निर्माण भाकपा (माले) के साथ का नारा भी बुलंद किया।

विधानसभा चुनावों के दौरान वादे व घोषणाऐं की जाती रही हैं उनसे राज्य में मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती गई है। कई देशों में मतदान को अधिकार नहीं दायित्व माना गया है जैसे बेल्जियम, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, लक्जमबर्ग, स्वीटजरलेण्ड, तथा सिंगापुर परन्तु भारत में मतदान की अनिवार्यता तो लागू नहीं की परन्तु इस दिशा में मतदाताओं का रूझान बढ़ा है और 1952 में जहाँ मतदान प्रतिशत केवल 36.69 प्रतिशत था वही 2003 में यह 67.18 प्रतिशत हो गया।

यदि 1980 से 2003 का आँकड़ा भी लें तो एक छोटी सारिणी जो पुरूष और महिला मतदान प्रतिशत को प्रकट करती है निम्नानुसार दर्शायी जा सकती है –

तालिका संख्या – 6.1

राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1980 से 2003 तक पुरूष महिला मतदान प्रतिशत की स्थिति[14]

वर्ष	पुरूष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
2003	69.91	64.21
1998	67.45	58.88
1993	65.34	55.28
1990	62.00	51.54
1985	60.91	48.40
1980	55.65	45.96

13 वीं विधानसभा में कुल मतदाता 36268878 थे इनमें पुरूष मतदाता 1.90 करोड़ थे तथा महिला मतदाता 1.72 करोड़ थी मतदान केन्द्र 42589 थे मतदान हुआ 66.44 % अतः स्पष्ट है कि 13 वीं विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहा। इसके बाद जिलेवार और जातिवार जो प्रत्याशी विजयी हुये उनके आधार पर विधानसभा का गठन हुआ और सरकार बनी। अर्थात् मंत्रिमण्डल का निर्माण हुआ।

13 वीं विधानसभा में चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न रहे –

1 राज्य में अशांति व गोली काण्ड –

भाजपा सरकार के पॉच वर्षों के दौरान लगभग 22 गोली काण्ड हुए जिनमें लगभग 91 मौतें भी हुईं। इससे भाजपा की छवि धूमिल हुई और किसानों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा।

2 जातिवाद का प्रभाव –

स्पष्ट है कि जाति का प्रभाव केन्द्र में कम व राज्य विधानसभाओं में ज्यादा देखने को मिलता रहा इसी लिए हेरल्ड़ गोल्ड़ ने यह स्वीकार किया है कि जाति राजनीति का आधार होने के बजाय उसको प्रभावित करने वाला तत्व है निर्णय प्रक्रिया, मतदान व्यवहार एवं मंत्रिमण्डल निर्माण में जातियता का सिद्धान्त प्रमुख भूमिका निभाता है इसके साथ ही जातिगत दबाव समूह बने हुए हैं अतः यह विचार व्यक्त किया जाने लगा है कि भारत के बहुत बड़े भाग में आने वाले अनेक वर्षों तक राज्य की राजनीति जातियों की राजनीति बनी रहेगी।

3 बागी प्रत्याशियों का प्रभाव –

इन बागी प्रत्याशियों ने भाजपा के बड़े नेताओं को हराने का प्रयास किया और आस–पास के नेताओं को भी।

4 टिकटों के वितरण का प्रभाव –

टिकटों का वितरण समय पर नहीं हुआ तथा सही रूप में नहीं हुआ इस कारण ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतर गये जो अधिक लोकप्रिय नहीं थे।

5 पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव का प्रभाव –

इस मनमुटाव से गुटबंदियाँ बन गईं और यह मनमुटाव वसुन्धरा राजे से नाराजगी और परिणामों को प्रभावित करने वाला कारण बन गया।

6 गुर्जर आन्दोलन का प्रभाव –

लगभग 2 वर्ष तक चले इस आन्दोलन ने भाजपा की छवि को धूमिल किया यह एक तरह से राष्ट्रीय आन्दोलन जैसा बन गया। सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान हुआ, प्रशासनिक कार्यों में भी बाधाएँ आईं अतः केवल भाजपा को ही नहीं किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

7 निर्दलियों की जोड़तोड़ ने भी इस चुनाव को प्रभावित किया।

8 भाजपा कार्यकाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का भी इस चुनाव पर प्रभाव पड़ा।

9 नहरी पानी आन्दोलन का चुनाव पर प्रभाव – यह विशेषकर इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पानी से संबंधित था और यह मुद्दा निरन्तर छाया रहा।

10 भाजपा मंत्री पर वेश्यावृति के आरोप का प्रभाव –

इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के विधानसभा के सत्र में कोई कार्यवाही नहीं चली और कार्यवाही को 3 दिन में अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा।

11 विशेष आर्थिक जोन का चुनाव पर पड़ा प्रभाव –

स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा था कि – "जमीन किसकी जोते जिसकी" वसुन्धरा राजे ने विकास और रोजगार के नाम पर किसानों की बेशकीमती उपजाऊ भूमि को अवाप्त कर उसकी बली चढ़ा दी।"[15]

12 भाजपा सरकार के समय हुये कर्मचारियों के रिकार्ड तबादलों का प्रभाव – ऐसे में इन कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।[16]

13 प्राकृतिक प्रकोप का चुनाव पर प्रभाव –

2006 में आई बाढ़ के कारण अनेक जिलों में नुकसान हुआ अनेंक गाँवों में फरवरी, 2007 तक पानी भरा रहा और इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका।[17]

पानी के किनारे जो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग बसते थे नालों द्वारा पानी निकाले जाने पर उनकी कृषि भूमि प्रभावित होने का भय था।[18]

पाली जिले के लूनी नदी में एक कार में बैठे पॉच व्यक्ति सबके सामने देखते देखते ही डूब गये हेलीकाप्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई जबकि वहाँ से 60 कि॰मी॰ दूर सेना का मुख्यालय है।[19]

इस प्रकार के जो भी तमाशे बने उससे भाजपा की छवि धूमिल ही होती गई।[20]

इन सभी कारणों ने 13 वीं विधानसभा चुनावों को काफी हद तक प्रभावित किया।[21]

उक्त सभी स्थितियों के बावजूद विधानसभा गठित हुई जिसमें प्रायः मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका रहती है। मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई –

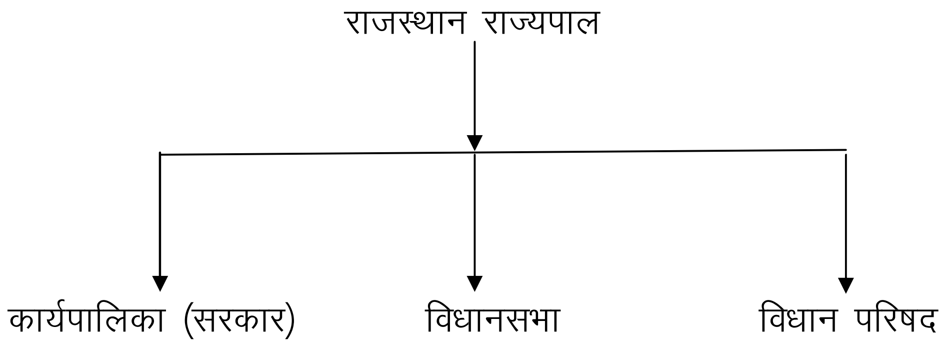

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ स्वीकार की गई हैं जैसे – केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है 200 सदस्य विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ था इसमें वसुंधरा राजे को अपदस्थ कर कॉंग्रेस ने 5 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की सबसे पहले 13 दिसम्बर, 2008 को अशोक गहलोत ने अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ

ग्रहण की बाद में 19 दिसम्बर को 11 केबिनेट व 2 राज्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल एस॰के॰ सिंह ने दिलवाई यहाँ तक अशोक गहलोत ने अधिकतम मंत्रालय अपने पास ही रख लिये थे नवगठित मंत्रिमंडल में हेमाराम चौधरी, महिपाल मदेरणा, शांति धारीवाल, हरजीराम बुरड़क, प्रसादी लाल मीणा, बृज किशोर शर्मा, मा. भँवर लाल, भरत सिंह, श्रीमती बीनाकाक, ऐतमादुद्दीन अहमद ऊर्फ दुरू मियॉ, महेन्द्र जीत सिंह मालवीय। राज्यमंत्रियों में श्रीमती गोलमा देवी, रामकिशेर सैनी आदि को उत्तरदायित्व सौंपा गया संसदीय सचिवों में ब्रह्मदेव कुमावत (मुख्य सचेतक) रघुवीर मीणा (उप मुख्य सचेतक) भाजपा विधायक दल एवं प्रतिपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे बनी।

मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी, 2009 को अपने मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार किया जिसमें डॉ॰ जितेन्द्र सिंह व राजेन्द्र पारीक को शपथ दिलाई उधर राज्य मंत्री के रूप में बाबू लाल नागर, अशोक बैरवा, प्रमोद जैन भाया, मांगी लाल गरासिया, गुरमीत सिंह कुन्नर को शामिल किया।

दिपेन्द्र सिंह शेखावत को 13 वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया तथा इस विधानसभा का पहला सत्र 1 जनवरी, 2009 को शुरू हुआ इस प्रकार 13 वीं विधानसभा का गठन हुआ।

इस 13 वीं विधानसभा के दौरान, लोकायत, नोखा, फतेहपुर, खण्डेला, कोटपूतली, सिविल लाइंस जयपुर, मण्डावर, डीग–कुम्हेर, बाड़ी (धौलपुर), टोडाभीम, करोली, बांदीकुई, महुआ, दौसा, गंगापुर, सवाई माधोपुर, पुस्कर, बिलाड़ा, सांचोर, माण्डलगढ, कोटा दक्षिण, बांरा, अटरू, खानपुर आदि के कुछ निर्वाचन केन्द्रों पर पुनर्मतदान भी हुआ था यह भी सहजता से हो गया और विधानसभा तथा सरकार ने जनवरी 2009 से विधिवत अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

यह भी उल्लेखनीय है कि कॉंग्रेस ने भाजपा व अन्य दलों को इन निम्न सीटों पर भी पराजित किया जो उन्होंने 12 वीं विधानसभा चुनाव में जीती थीं –

आहोर, केशवरायपाटन, हिन्डोन, पंचपदरा, जालोर, पीपल्दा, सिकराय, चोहटन, रानीवाड़ा, छबड़ा, सा.मा. खेरवाड़ा, पिण्डवाड़ा–आबू, डग, निवाई, उदयपुर (ग्रामीण),

सूरतगढ़, मनोहरथाना, टोंक, मावली, रायसिंह नगर, किशनगढ़, बल्लभनगर, सांगरिया, केकड़ी, सलूम्बर, चुरू, डीडवाना, सागवाड़ा, सुजानगढ़, जायल, चोरासी, झुंझुनु, मकराना, बाँसवाड़ा, लक्षमणगढ़, नांवा, कपासन, सीकर, सुमेरपुर, बेगूं, श्रीमाधोपुर, फलोदी, चित्तौड़गढ़, चौमू, औसिया, निम्बाहेड़ा, हवामहल, लूणी, कुम्भलगढ़, मुण्डावर, शिव, माण्डल, कॉमा, बाड़मेर, शाहपुरा, राजाखेड़ा आदि सीटें भाजपा से छीनीं।

इसके साथ ही बागीदोरा सीट जनता दल यू से पीलीबंगा, श्रीमाधोपुर व किशनगढ़ सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों से छीनीं, मेवाड़–बागड़ में 16 तथा हाडोती से 6 सीटों पर कॉंग्रेस ने विजय प्राप्त की –

भाजपा ने निम्नलिखित सीटों पर अन्य दलों पर विजय प्राप्त की – सार्दुल शहर, हिण्डोली, तारानगर, बुन्दी, सरदारशहर बानसूर, रामगढ़, कठुमर, नगर, बैर, धौलपुर, मेड़ता, डेगाना, भोपालगढ़, सिवाण, भीनमाल, सिरोही, नाथद्वारा, नोहर, करोली, आसींद व थानागाजी आदि।

तुलनात्मक वक्तव्य देने की दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि दोनों ही दलों के मध्य पुरूषों, स्त्रियों आदि के विजय की दृष्टि से अति गम्भीर प्रतियोगिता रही फिर भी विधानसभा में उसके माध्यम से बनी सरकार ने निर्दलियों के सहयोग से अपना बहुमत बनाये रखा और अपने इस कार्यकाल में विकास एंव जनसुविधायें प्रदान करने की कोशिश की।

कोटा विधानसभा चुनाव 2008 में मतदान व्यवहार का विश्लेषण –

सन् 2008 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कोटा 2003 में एक ही विधानसभा क्षेत्र था जो कि अब 2008 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन के बाद दो निर्वाचन क्षेत्रों कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण विभाजित हो गया था और इन दोनों क्षैत्रों के लिऐ पृथक–पृथक निर्वाचन हुआ वैसे सम्पूर्ण कोटा जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या केवल दो नहीं है बल्कि 6 है परन्तु प्रस्तुत शोध केवल कोटा शहर के इन दो निर्वाचन क्षेत्रों के अध्ययन से ही संबंधित किया गया है। जिले के 6 निर्वाचन क्षेत्र निम्न हैं–

विधानसभा चुनाव 2008 में कोटा जिले की सभी 6 विधानसभाओं से निर्वाचित उम्मीदवार–

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचित सदस्य	दल
1.	पीपल्दा	प्रेम चन्द नागर	कॉंग्रेस
2.	सांगोद	भरत सिंह	कॉंग्रेस
3.	रामगंजमण्डी	चन्द्रकान्ता मेघवाल	बीजेपी
4.	लाड़पुरा	भवानीसिंह राजावत	बीजेपी
5.	कोटा उत्तर	शांति कुमार धारीवाल	कॉंग्रेस
6.	कोटा दक्षिण	ओम बिरला	बीजेपी

अतः स्पष्ट है कि कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में एक एक स्थान कॉंग्रेस और बीजेपी द्वारा विजय किया गया इसी प्रकार सम्पूर्ण कोटा जिले की अन्य विधानसभा सीटों पर भी इसी प्रकार का परिणाम रहा अर्थात् बाकी अन्य स्थानों पर दो में बीजेपी और शेष दो में कॉंग्रेस ने ही विजय प्राप्त की इससे स्पष्ट होता है कि 2008 में कॉंग्रेस ने कोटा जिले में अपनी स्थिति सुधारी तो अवश्य परन्तु इतनी नहीं कि अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी भाजपा का पूर्ण सफाया ही कर दिया हो। अतः यह स्पष्ट है कि कोटा में जो स्थिति रही वहीं कोटा जिले के अन्य विधानसभा क्षैत्रों में भी परिलक्षित हुई और दोनों दलों की स्थिति 50–50 प्रतिशत रही।

अतः कोटा के परिणामों से ही स्पष्ट हो गया था कि 2003 में भाजपा ने जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था वह कॉंग्रेस के लिऐ संभव नहीं हो पाया और जयपुर में जो राजस्थान सरकार बनी उसमें कॉंग्रेस का स्पष्ट बहुमत नहीं था वास्तविकता यह थी कि कॉंग्रेस ने बसपा व निर्दलीय विधायकों के सहयोग से बहुमत साबित किया तथा सरकार पॉंच वर्ष तक टिकी रही हम निश्चय पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि कोटा की जो स्थिति थी वही पूरे राजस्थान में प्रदर्शित हुई। इस क्रम में हमने अपने शोध प्रबंध में अपने आप को कोटा उत्तर व दक्षिण तक सीमित रहते हुये ऑंकड़े प्रस्तुत करते हुऐ स्पष्ट किया है कि यहाँ कि क्या स्थिति थी।

dkVk mÙkj fo/kkulHkk {ks= dk pquko ifj.kke dk fo'ys"k.k &

यदि कोटा उत्तर की स्थिति को लिया जाये तो इसमें जो प्रमुख उम्मीदवार थे उनमें श्री शांति कुमार धारीवाल, श्रीमती सुमन श्रृंगी, अब्दुल वहीद, अशफाक हुसैन, डॉ॰ आज़म बेग, जमुना प्रसाद, डॉ॰ राम गोपाल, राम प्रसाद महावर, हबीबुल्लाह खान, हाजी शेख मोहम्मद नईम, श्रवण कुमार और मोहम्मद इरशाद थे जिसमें विजय के लिऐ कड़ी प्रतिद्वंद्विता शांति कुमार धारीवाल (काँग्रेस) और श्रीमती सुमन श्रृंगी (बीजेपी) के मध्य रही, शांति कुमार धारीवाल को 68560 मत प्राप्त हुये तथा श्रीमती सुमन श्रृंगी वो 46829 मत प्राप्त हुये इस प्रकार 21731 मतों से शांति कुमार धारीवाल विजयी रहे।

इस चुनाव की सम्पूर्ण जानकारी कोटा विधानसभा चुनाव 2008 के परिणाम–पत्र से सम्बन्धित विवरणिका में निम्नानुसार संलग्न है –तालिका संख्या – 6.2

कोटा उत्तर विधानसभा चुनाव 2008 की तुलनात्मक समीक्षा[22]

विधानसभा कोटा–उत्तर न–1 से निर्वाचन सम्बन्धी एक विवरणिका – 2008

मतदान केन्द्र संख्या	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या													प्रतिपेक्षित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
	मोहम्मद ईरशाद	शान्ति कुमार धारीवाल	सुमन श्रृंगी	अब्दुल वहीद	अशफाक हुसैन	डॉ.आजम बेग	जमुना प्रसाद	डॉ. राम गोपाल	राम प्रसाद महावर	हबीबुल्ला खां	हाजी शेख मोहमद नईम	श्रवण कुमार	वैध मतों का योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	14	463	236	4	7	3	0	1	6	15	12	41	802	0	802	0
2	7	336	265	5	3	0	0	1	1	5	6	10	639	0	639	0
3	18	499	471	11	1	2	3	2	4	12	14	12	1049	0	1049	0
4	7	220	265	7	0	0	1	0	1	4	6	15	526	0	526	0
4 क	12	358	237	6	2	3	0	0	3	13	12	11	657	0	657	0
5	15	215	181	1	1	1	1	2	1	2	2	6	428	0	428	0

5 क	6	142	129	1	0	0	0	0	1	3	0	7	289	0	289	0
6	7	296	251	6	1	1	1	1	1	10	12	14	601	0	601	0
7	8	291	157	2	0	0	0	1	1	0	7	6	473	0	473	0
8	3	204	164	2	2	0	1	0	0	3	5	3	387	0	387	0
8 क	8	321	112	2	0	2	0	0	1	6	9	11	472	0	472	0
9	9	241	221	3	0	0	0	2	2	3	3	16	500	0	500	0
10	19	511	251	6	0	2	0	3	3	11	19	34	859	0	859	0
11	5	203	329	6	1	0	1	1	1	11	5	13	576	0	576	0
11 क	1	279	144	2	0	0	0	1	1	2	4	4	438	0	438	0
12	4	202	271	1	1	1	1	0	0	1	2	2	486	0	486	0
12 क	4	243	302	4	1	1	1	0	0	6	4	10	576	0	576	0
13	9	383	435	6	3	5	0	2	1	0	7	4	855	0	855	0
14	7	422	418	3	2	2	2	0	0	8	2	16	882	0	882	0
15	6	568	103	2	**1**	57	0	1	0	1	4	9	752	0	752	0
16	5	314	353	2	1	2	0	2	1	7	3	15	705	0	705	0
17	3	320	366	3	1	0	0	1	1	0	2	2	699	0	699	0
18	8	218	257	2	0	0	1	0	0	4	3	10	503	0	503	0
19	0	164	205	0	0	0	1	0	0	0	0	1	371	0	371	0
20	6	375	293	2	0	8	0	2	1	3	8	23	721	0	721	0
21	9	262	254	7	0	0	0	1	0	5	2	9	549	0	549	0
22	2	291	391	1	0	1	1	0	0	1	0	1	689	0	689	0
23	5	159	306	0	0	0	1	0	0	0	1	10	482	0	482	0
23 क	4	282	396	2	1	0	2	0	1	1	2	7	698	0	698	0
24	2	116	184	3	1	0	0	0	2	0	1	6	315	0	315	0
24 क	4	312	247	0	0	1	1	2	1	1	1	4	574	0	574	0
25	0	131	140	2	0	0	2	0	0	0	1	1	277	0	277	0
25 क	4	261	280	2	2	3	0	0	0	0	5	2	559	0	559	0
26	14	476	325	13	1	0	2	3	0	4	13	24	875	0	875	0
27	5	269	313	4	0	0	0	0	1	2	7	7	608	0	608	0
28	10	485	344	7	1	1	0	0	1	6	6	10	871	0	871	0
29	13	255	264	2	1	1	1	1	0	0	3	3	544	0	544	0
29 क	10	207	220	1	1	0	1	0	0	0	0	7	447	0	447	0
30	8	400	427	8	1	0	0	0	1	3	10	4	862	0	862	0
31	5	401	423	4	0	1	0	0	0	2	1	1	838	0	838	0
32	5	331	434	1	0	2	3	0	5	1	1	4	787	0	787	0
33	4	395	367	2	1	1	5	0	0	0	0	2	777	0	777	0

34	3	297	375	0	1	0	2	0	1	0	0	2	681	0	681	0
35	13	331	302	3	3	0	0	0	4	0	1	2	661	0	661	0
36	11	351	365	1	1	1	0	1	1	0	0	8	740	0	740	0
37	18	280	263	2	3	8	0	0	3	1	4	12	594	0	594	0
38	0	231	301	1	1	0	3	0	0	1	1	4	543	0	543	0
39	23	317	191	3	3	1	3	1	0	0	3	6	551	0	551	0
40	13	233	257	1	6	4	0	0	2	4	4	10	534	0	534	0
41	13	270	189	2	11	29	0	1	1	1	1	8	526	0	526	0
42	14	407	60	1	4	9	0	0	1	1	6	7	510	0	510	0
43	21	361	128	3	5	2	0	0	2	1	3	5	531	0	531	0
44	24	495	113	1	2	2	1	3	3	1	3	8	656	0	656	0
45	35	645	163	4	6	13	1	5	3	5	5	5	890	0	890	0
46	31	351	84	2	0	6	0	0	0	2	6	6	488	0	488	0
47	47	462	47	2	2	7	0	1	0	4	11	7	590	0	590	0
48	20	325	64	3	5	2	1	0	0	1	24	12	457	0	457	0
49	8	363	112	0	2	3	1	1	1	0	5	3	499	0	499	0
50	5	189	159	0	0	1	2	0	2	1	5	3	367	0	367	0
51	11	280	254	2	2	0	0	0	1	1	2	2	555	0	555	0
52	18	309	219	1	3	0	0	5	5	8	9	25	602	0	602	0
53	12	241	232	3	1	1	5	1	0	2	1	9	508	0	508	0
53 क	9	250	267	4	3	1	2	1	1	0	1	6	545	0	545	0
54	26	561	155	5	5	1	1	4	1	2	9	22	792	0	792	0
55	17	457	138	3	2	0	0	1	1	1	4	21	645	0	645	0
56	20	416	228	2	3	3	0	0	1	4	3	3	683	0	683	0
57	16	341	157	2	5	0	2	1	4	2	10	6	546	0	546	0
58	37	391	223	1	2	0	1	0	0	0	7	9	671	0	671	0
59	38	475	326	7	0	2	1	1	3	4	3	17	877	0	877	0
60	5	489	252	3	5	58	1	1	1	5	9	7	836	0	836	0
61	2	292	213	2	11	1	3	0	2	2	6	5	539	0	539	0
62	3	283	188	1	2	1	1	0	0	1	3	9	492	0	492	0
63	21	304	147	4	2	3	2	0	1	2	7	2	459	0	459	0
64	11	201	187	5	4	6	3	1	0	0	1	0	419	0	419	0
65	7	186	140	1	5	0	0	0	0	0	2	0	341	0	341	0
66	13	237	102	0	4	1	0	1	2	1	1	1	363	0	363	0
67	4	267	111	1	18	1	1	0	0	3	4	1	411	0	411	0
68	7	261	145	0	7	0	6	0	1	0	3	1	431	0	431	0

69	8	145	152	2	0	3	7	0	0	0	0	0	317	0	317	0
70	13	170	151	0	9	0	2	0	3	3	1	4	356	0	356	0
71	16	305	139	5	2	0	2	0	0	2	5	7	483	0	483	0
72	25	221	92	1	4	11	0	1	0	0	0	2	357	0	357	0
73	4	293	116	3	2	1	2	1	0	0	4	7	433	0	433	0
74	12	357	221	3	3	1	2	0	1	3	8	10	621	0	621	0
75	3	350	90	0	4	0	0	0	0	2	3	2	454	0	454	0
76	11	345	237	3	4	1	2	0	0	0	3	7	613	0	613	0
77	2	177	80	1	0	0	3	0	0	0	1	0	264	0	264	0
78	1	362	299	2	1	0	4	2	2	1	1	5	680	0	680	0
79	4	378	163	0	0	0	1	0	0	1	5	3	555	0	555	0
80	1	396	312	1	0	0	2	1	1	0	1	3	718	0	718	0
81	11	296	217	2	0	1	4	0	3	1	5	5	545	0	545	0
82	1	222	218	0	0	1	3	0	0	0	0	0	445	0	445	0
83	8	271	241	2	3	0	5	0	0	1	1	9	541	0	541	0
84	4	233	283	2	1	1	1	0	0	0	1	1	257	0	257	0
85	14	300	146	0	4	1	5	1	0	1	6	10	488	0	488	0
86	5	298	247	0	1	3	4	1	1	0	1	2	563	0	563	0
87	7	197	306	1	0	1	3	0	1	0	0	0	516	0	516	0
88	9	258	278	1	0	0	0	0	0	2	2	4	554	0	554	0
89	2	292	317	3	1	0	2	2	0	3	4	6	632	0	632	0
90	3	278	399	3	0	1	3	3	0	3	0	4	637	0	637	0
91	4	337	235	2	0	1	0	0	4	5	3	5	596	0	596	0
92	6	179	261	3	0	0	3	0	0	3	1	1	457	0	457	0
93	28	404	228	1	1	1	2	0	2	5	10	9	691	0	691	0
94	11	278	294	3	0	3	2	0	3	0	5	1	600	0	600	0
95	7	307	133	3	2	2	0	0	1	5	8	5	473	0	473	0
96	15	319	291	4	11	1	2	0	1	1	1	3	649	0	649	0
97	10	311	269	3	0	0	1	0	5	4	3	5	611	0	611	0
98	20	485	357	2	1	0	1	1	4	9	3	6	889	0	889	0
99	4	177	252	2	0	0	3	0	1	0	1	1	441	0	441	0
100	4	182	222	1	0	4	0	0	1	1	2	2	419	0	419	0
101	18	275	202	2	1	1	0	0	9	2	5	12	527	0	527	0
102	4	214	172	4	1	0	0	0	0	3	3	6	407	0	407	0
103	10	433	163	2	14	30	0	0	0	2	2	6	662	0	662	0
104	7	510	490	6	3	12	3	1	1	6	3	5	104	0	1047	0

													7			
105	13	577	179	4	1	12	2	1	2	4	11	11	817	0	817	0
106	27	384	363	2	2	4	14	2	0	6	7	5	816	0	816	0
107	18	203	157	5	1	0	1	0	0	2	6	4	397	0	397	0
107 क	19	302	253	1	1	4	6	0	0	1	2	3	592	0	592	0
108	16	336	270	4	1	0	1	1	1	5	7	13	655	0	655	0
109	3	266	202	0	2	0	1	0	0	0	0	1	475	0	475	0
110	15	370	169	4	3	0	0	0	0	1	4	3	569	0	569	0
111	19	514	388	9	6	7	4	2	1	1	9	9	993	0	993	0
112	5	260	131	5	0	0	0	1	0	1	3	8	414	0	414	0
113	11	439	179	7	1	2	1	1	2	5	6	8	662	0	662	0
114	4	238	75	1	1	15	0	0	0	0	4	4	342	0	342	0
115	18	474	313	5	2	9	1	0	0	5	7	3	837	0	837	0
116	6	293	415	4	3	0	1	1	0	0	2	3	728	0	728	0
117	1	2128	304	1	0	0	1	0	6	1	0	1	533	0	533	0
118	7	262	231	4	2	0	0	0	2	2	2	3	515	0	515	0
119	23	328	158	2	1	2	0	0	0	1	4	7	526	0	526	0
120	19	318	213	4	0	2	1	0	0	0	5	3	565	0	565	0
121	13	562	45	0	3	63	0	1	0	1	10	10	708	0	708	0
122	12	370	180	4	19	44	2	0	1	0	7	4	634	0	634	0
123	13	674	29	0	13	81	1	1	1	3	5	6	827	0	827	0
124	20	533	233	2	5	59	0	2	4	4	14	8	884	0	884	0
125	7	463	452	3	0	33	0	0	1	0	2	8	969	0	969	0
126	13	342	439	7	3	22	0	2	13	2	10	19	872	0	872	0
127	1	174	343	0	0	8	1	0	2	1	0	3	533	0	533	0
128	21	445	297	2	4	39	3	0	5	4	6	10	836	0	836	0
129	4	343	413	2	0	35	2	0	0	1	1	4	805	0	805	0
130	4	202	187	0	0	0	1	2	65	2	0	5	468	0	468	0
131	9	356	212	1	7	2	0	0	11	1	3	2	804	0	804	0
132	2	362	239	0	1	5	1	0	7	1	3	5	626	0	626	0
133	1	2129	157	1	0	2	0	1	0	0	0	2	383	0	383	0
134	3	239	255	0	0	0	0	0	3	1	1	12	514	0	514	0
135	13	289	183	5	0	3	1	0	2	0	8	11	515	0	515	0
135 क	6	223	139	1	2	9	3	0	0	0	3	4	390	0	390	0
136	3	249	237	0	0	4	4	1	2	0	2	2	504	0	504	0
137	4	277	190	2	1	12	0	1	0	3	2	0	492	0	492	0

138	4	385	302	0	3	0	0	0	1	3	0	2	700	0	700	0
139	4	267	239	2	0	0	1	0	0	2	1	8	524	0	524	0
140	1	307	231	2	0	0	1	0	0	1	1	3	547	0	547	0
141	9	402	223	3	0	0	0	1	0	6	17	15	676	0	676	0
142	16	532	63	2	12	8	0	1	1	2	4	3	644	0	644	0
143	25	472	52	1	17	28	1	0	0	1	4	9	610	0	610	0
144	8	314	85	1	10	55	1	1	1	1	3	2	482	0	482	0
145	22	773	47	3	32	85	3	2	1	6	16	18	1008	0	1008	0
146	10	609	53	5	47	75	1	0	0	0	9	14	823	0	823	0
147	23	739	58	1	14	38	2	1	1	1	9	4	891	0	891	0
148	16	514	27	0	7	37	0	0	0	4	6	10	621	0	621	0
149	58	534	25	3	25	33	2	0	0	3	3	12	698	0	698	0
150	19	541	75	2	8	14	2	0	0	3	19	8	691	0	691	0
151	4	437	124	2	26	21	0	0	1	1	2	4	622	0	622	0
152	11	536	29	4	10	17	0	0	0	0	6	3	616	0	616	0
153	16	666	24	2	83	24	0	2	3	6	13	10	849	0	849	0
154	6	466	332	1	40	3	2	0	1	2	6	6	865	0	865	0
155	8	580	201	2	4	2	2	1	1	1	0	2	804	0	804	0
156	8	320	264	2	2	1	1	1	1	2	4	5	611	0	611	0
157	0	250	260	3	6	1	2	0	2	0	3	5	532	0	532	0
158	5	259	394	4	3	0	4	0	1	1	4	3	678	0	678	0
159	20	455	99	0	12	4	0	0	0	2	4	9	605	0	605	0
160	6	145	196	1	1	0	0	0	1	3	0	1	354	0	354	0
161	6	315	91	0	1	8	0	0	0	0	5	5	431	0	431	0
162	12	252	349	3	2	1	1	0	0	4	3	4	631	0	631	0
163	1	182	213	2	2	4	1	0	0	0	0	2	407	0	407	0
164	4	260	237	6	9	16	0	0	0	2	0	0	534	0	534	0
165	6	305	365	2	3	0	4	1	2	2	0	0	690	0	690	0
166	13	381	147	0	21	5	1	1	3	1	5	4	582	0	582	0
167	27	549	70	1	95	29	3	0	6	1	4	4	789	0	789	0
168	14	363	167	2	5	16	3	0	1	1	10	12	594	0	594	0
169	2	53	43	0	1	1	0	0	0	1	1	0	102	0	102	0
170	4	211	351	3	7	1	2	1	4	6	7	1	598	0	598	0
171	0	263	185	0	8	6	1	1	0	2	0	3	469	0	469	0
172	4	310	136	5	11	9	1	1	0	2	4	1	484	0	484	0

173	7	242	250	2	3	1	1	2	1	2	3	5	515	0	515	0
174	8	336	150	2	3	2	0	0	0	2	2	4	509	0	509	0
175	11	607	391	7	0	3	3	1	1	2	0	8	1034	0	1034	0
176	5	260	309	3	0	0	2	1	0	7	5	7	599	0	599	0
177	5	317	205	2	0	0	0	0	0	0	1	5	535	0	535	0
178	7	398	310	0	1	1	2	0	3	1	2	4	729	0	729	0
179	1	311	311	0	1	1	1	5	0	0	1	0	632	0	632	0
180	13	276	139	3	1	3	1	1	0	1	4	2	444	0	444	0
181	11	443	195	1	2	0	0	0	0	0	5	8	665	0	665	0
182	8	425	429	2	0	2	2	0	1	3	0	7	879	0	879	0
183	11	270	137	1	0	0	1	0	1	2	4	8	435	0	435	0
184	1	237	231	1	2	0	0	2	1	1	1	6	483	0	483	0
185	1	169	147	0	8	14	0	0	0	0	0	0	339	0	339	0
185 क	2	243	194	0	12	7	1	2	0	1	1	2	465	0	465	0
186	4	239	140	0	0	6	0	0	1	2	2	3	397	0	397	0
186 क	2	312	231	1	1	16	0	0	3	1	1	4	572	0	572	0
187	2	287	329	0	0	20	1	0	3	0	0	3	645	0	645	0
188	11	255	409	8	3	2	2	1	0	3	5	10	709	0	709	0
189	10	429	223	1	0	14	1	0	1	3	7	5	694	0	694	0
190	11	204	334	3	1	0	0	0	1	0	1	5	560	0	560	0
191	8	228	420	7	1	1	5	0	4	17	6	15	712	0	712	0
192	1	39	96	0	0	1	0	1	0	0	0	0	138	0	138	0
193	10	343	319	8	11	84	2	7	2	5	3	5	799	0	799	0

स्रोत : जिला निर्वाचन कार्यालय कोटा से प्राप्त सांख्यिकी 2008।

कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम का विश्लेषण –

जहाँ तक कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का सवाल है यहाँ भी कोटा उत्तर की तरह अनेक प्रत्याशी मैदान में थे जैसे – ओम बिड़ला, डॉ॰ एस. भारद्वाज, रामकिशन वर्मा, हरिलाल, केवल किशन, विनय शर्मा, अब्दुल सत्तार, अवधेश कुमार दास, अहमद खान, चतुर्भुज महावर, महेन्द्र कुमार, राजेश गुप्ता, विनोद नायक, सुरेन्द्र सिंह एवं हबीबुल्ला खां। परन्तु इन उम्मीदवारों में मुख्य मुकाबला ओम बिड़ला (भाजपा) एवं राम किशन वर्मा (कॉंग्रेस) के मध्य ही रहा और अंततः राम किशन वर्मा को मिले 50129 मतों के बदले ओम बिड़ला (भाजपा) ने 74381 मत प्राप्त किये इस प्रकार ओम बिड़ला (भाजपा) ने 24252 मतों से राम किशन वर्मा (कॉंग्रेस) को पराजित कर विजय प्राप्त की और यह स्थान भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम बिड़ला ने 2003 में शांति कुमार धारीवाल को भी परास्त किया था।

इस क्रम में अंतिम परिणाम पत्र के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की जो दशा है उसके आँकड़ों की एक व्यापक सूची निम्नानुसार देखी जा सकती है –

तालिका संख्या – 6.2

कोटा दक्षिण विधानसभा चुनाव 2008 की तुलनात्मक समीक्षा[23]

विधानसभा कोटा–दक्षिण न–2 से निर्वाचन सम्बन्धी एक विवरणिका – 2008																
मतदान केन्द्र संख्या	अभ्यर्थियों के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या															वैद्य मतों का योग
	ओम बिरला	डॉ.एस. भारद्वाज	राम किशन	हरिलाल	केवल किशन	विनय शर्मा	अब्दुल सत्तार	अवधेश कुमार दास	अहमद खान	चतुर्भज महावर	महेन्द्र कुमार	राजेश गुप्ता	विनोद नायक	सुरेन्द्र सिंह	हबीबुल ला खां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	319	3	123	2	1	16	1	39	0	0	1	0	1	0	6	512
2	281	1	97	0	0	4	0	14	0	0	0	0	0	0	2	399
3	346	1	169	5	0	4	0	7	1	0	0	1	1	1	12	548
4	262	2	131	3	0	0	2	8	0	1	0	0	2	1	5	417
5	277	4	164	3	1	4	3	18	0	0	1	1	2	0	6	484
6	333	7	265	5	0	5	4	20	0	0	0	2	7	3	13	664
7	414	6	206	4	2	3	2	16	0	0	1	0	1	1	9	665
8	170	1	297	6	1	2	0	9	0	2	0	0	2	0	2	492

9	344	4	215	4	0	2	1	18	0	0	0	2	2	2	9	603
10	223	6	275	0	3	0	0	6	0	0	0	3	3	2	6	527
11	280	3	213	4	0	9	0	25	1	0	0	0	3	1	5	544
12	432	3	280	7	1	3	1	44	0	0	1	1	2	3	5	783
13	418	2	250	7	1	4	0	62	1	2	1	11	1	3	6	759
14	477	4	221	4	0	5	0	75	0	1	2	0	1	0	5	795
15	476	5	198	5	1	14	2	16	1	0	0	1	1	0	3	723
16	349	1	1998	5	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	3	575
17	222	2	126	3	0	6	0	22	3	0	0	0	0	0	1	385
18	421	0	188	2	0	8	0	31	0	1	11	0	1	0	6	659
19	344	4	203	3	1	11	2	24	0	2	0	0	0	0	2	596
20	192	28	537	8	2	1	3	4	0	1	0	1	5	2	4	788
21	271	26	317	9	3	0	1	4	0	0	1	1	5	8	20	666
22	368	2	120	4	0	9	0	16	0	0	0	2	2	1	2	526
23	236	12	236	2	2	1	0	1	1	0	2	0	5	0	9	507
24	474	13	178	3	0	4	0	10	1	1	1	1	2	3	17	708
25	379	3	135	4	1	2	0	2	1	0	1	0	1	1	10	540
26	362	1	230	4	0	5	1	5	2	2	22	0	2	2	12	630
27	207	1	117	1	0	10	0	10	0	1	0	0	0	0	1	348
28	349	1	105	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	3	6	470
29	32	11	380	6	1	0	1	2	2	0	1	1	8	6	5	456
30	90	5	617	16	4	0	0	0	1	1	3	4	15	5	20	781
31	419	1	281	3	1	14	0	30	0	20	0	0	0	3	3	694
32	161	6	504	10	0	3	0	17	1	1	0	1	5	2	13	724
33	176	19	559	13	2	0	0	0	0	0	3	1	12	4	13	802
34	290	5	103	4	0	4	0	32	0	0	0	1	1	0	7	447
35	328	2	165	6	2	6	0	43	0	0	0	1	3	2	5	563
36	178	4	252	3	0	0	0	24	3	0	0	0	2	2	3	471
37	103	3	317	6	0	5	0	0	0	0	0	1	1	1	31	468
38	439	1	333	4	0	12	1	9	0	0	0	1	0	0	22	822
39	337	0	148	4	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	1	516
40	527	2	204	3	11	17	0	89	0	1	0	1	0	0	2	847
41	429	1	148	2	0	30	0	36	0	0	0	0	0		2	648
42	494	2	184	6	18	0	32	1	0	0	0	0	0	0	0	738
43	93	24	434	2	1	1	0	2	0	0	1	1	3	7	48	617
44	156	9	368	5	0	1	0	8	0	0	0	0	2	1	13	563

45	202	5	104	11	4	0	0	1	2	0	1	2	4	0	22	385
46	186	3	149	4	0	1	0	1	1	0	0	0	3	2	12	362
47	176	5	246	7	1	0	0	7	2	0	1	6	9	6	25	491
48	139	3	192	5	1	1	0	0	0	0	0	4	10	4	17	376
49	375	5	241	9	1	2	0	10	0	3	1	0	5	1	11	664
50	193	6	104	1	1	2	2	7	0	0	0	0	0	1	5	322
51	353	1	201	1	1	15	0	31	0	0	0	1	0	2	2	608
52	332	0	156	5	0	9	0	18	0	0	0	1	0	0	1	522
53	307	0	121	1	1	8	0	28	1	1	0	1	1	0	0	470
53क	332	1	145	5	0	6	1	33	1	0	1	0	0	4	4	533
54	228	1	198	6	0	19	0	11	1	3	1	1	0	0	4	473
55	369	2	2214	6	2	14	1	29	2	1	0	0	0	0	0	640
56	426	12	302	16	1	3	0	5	0	0	1	1	5	0	13	785
57	447	11	283	8	3	4	1	13	3	0	0	1	0	2	17	793
58	381	8	434	14	1	1	3	7	3	2	0	2	1	4	11	872
59	226	5	225	7	0	6	1	12	3	1	0	0	2	0	5	493
60	83	10	435	10	1	3	0	1	6	0	1	3	2	2	10	567
61	63	6	326	8	0	0	1	7	9	0	1	3	0	1	6	431
62	110	5	362	13	0	3	1	5	1	1	0	0	9	5	10	525
63	482	5	340	6	0	2	0	2	0	1	1	4	3	4	11	861
64	92	4	645	8	2	2	0	0	1	0	1	0	3	3	2	763
65	217	13	315	12	1	1	4	1	3	2	2	3	6	5	19	212
66	92	5	212	10	0	0	2	0	1	0	0	2	2	1	6	333
67	203	9	164	3	1	5	2	10	3	0	1	2	0	0	3	406
67 क	308	7	183	4	2	2	4	9	1	1	0	0	0	0	7	528
68	268	3	390	4	0	4	3	2	8	1	0	0	1	4	5	693
69	277	12	381	5	0	2	0	115	1	0	0	1	2	2	3	701
70	333	7	393	5	0	3	0	4	2	0	0	0	0	1	7	755
71	87	0	466	6	0	3	3	0	14	0	0	0	2	0	2	583
72	280	3	213	2	0	13	0	16	0	0	0	0	0	1	1	529
73	284	1	132	1	0	6	0	5	0	0	0	1	0	1	1	432
74	393	2	195	2	2	7	1	8	0	0	0	0	1	1	0	612
75	348	3	291	11	0	11	1	5	3	2	0	2	0	0	5	682
76	214	1	98	1	0	11	0	125	1	0	0	0	0	0	1	339
77	225	0	134	2	0	6	0	7	0	0	0	1	0	0	1	376
78	336	4	161	4	0	13	0	10	0	0	0	0	0	0	1	529

79	298	8	194	17	1	1	2	6	2	1	1	1	3	4	12	551
80	164	19	214	15	2	0	1	4	2	1	2	4	7	3	16	454
81	134	2	175	5	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	325
82	344	0	213	1	1	7	1	24	2	0	0	0	1	1	4	599
83	332	6	227	2	0	3	1	6	1	1	0	0	0	0	3	582
84	341	0	150	1	0	3	0	11	0	0	0	0	0	1	2	509
85	350	5	170	9	1	7	1	12	0	2	1	2	0	1	2	563
86	374	4	215	0	0	7	0	10	1	0	0	0	2	0	5	618
87	312	2	206	4	0	15	0	16	0	0	0	0	1	0	1	557
88	475	1	206	1	0	30	1	23	0	0	0	1	0	0	2	740
89	426	3	207	4	1	30	1	16	2	0	0	0	0	0	0	690
90	311	4	240	4	0	5	0	6	0	1	1	5	18	7	30	632
91	319	1	185	5	0	14	0	16	0	0	0	0	0	0	3	543
92	373	3	241	4	1	38	0	25	0	3	1	0	0	0	3	693
93	382	2	147	3	0	29	0	17	3	1	0	0	0	0	0	584
94	471	3	276	2	0	30	0	15	1	1	0	2	0	2	5	808
95	419	1	195	4	1	19	0	25	1	0	0	0	1	0	1	667
95 क	198	1	94	1	0	4	0	13	0	0	0	2	0	0	1	314
96	530	7	245	5	0	11	1	34	0	0	0	0	1	5	5	844
97	577	2	254	9	0	24	4	51	0	1	0	0	0	1	2	925
98	278	2	142	3	1	6	0	19	1	0	0	0	0	1	1	454
98 क	277	2	99	3	0	10	0	12	1	0	0	0	0	0	0	404
99	224	2	177	6	0	1	1	8	0	0	0	3	4	2	15	443
100	422	9	281	4	0	2	3	7	0	3	2	2	4	3	12	724
101	228	212	282	12	1	0	0	6	1	2	1	1	9	7	23	594
102	161	19	197	6	0	1	1	1	1	1	0	2	11	5	16	422
103	204	23	307	11	0	0	0	3	1	2	0	0	9	0	19	579
104	317	0	85	2	0	6	1	37	1	2	0	0	1	1	2	455
105	425	2	147	4	1	16	1	43	1	0	0	1	2	0	4	647
106	231	5	178	11	4	1	1	0	3	0	0	0	22	4	16	476
107	379	1	115	1	0	2	0	15	0	0	0	0	2	2	3	520
108	426	0	109	4	0	5	0	32	0	0	0	0	0	1	6	583
109	673	7	224	9	1	5	0	69	1	1	0	0	0	3	9	1002
110	588	3	246	5	0	17	1	87	0	0	1	1	0	2	9	960
111	411	4	163	2	0	3	0	52	1	0	0	0	1	0	0	637
112	348	7	129	3	0	5	0	45	0	0	0	0	1	0	0	538

113	489	2	189	7	0	13	0	16	0	0	0	0	0	2	1	719
114	447	3	347	10	1	4	1	22	1	2	2	0	6	1	15	860
115	280	7	293	8	0	3	0	7	0	0	1	2	3	0	16	622
116	525	4	241	6	0	19	0	30	1	1	1	0	5	0	4	836
117	367	7	261	8	3	14	0	31	0	0	1	0	1	2	8	704
118	263	3	341	12	2	2	0	18	2	0	1	2	6	5	9	666
119	274	2	189	10	1	3	0	17	0	1	0	1	3	2	11	513
120	230	5	148	3	0	0	1	6	0	0	0	0	1	0	9	404
121	431	3	147	3	1	15	0	21	0	0	1	0	2	0	9	633
122	269	0	150	4	0	7	1	20	1	0	0	0	1	2	3	458
123	278	10	204	8	1	1	0	14	0	0	1	0	2	2	5	526
124	245	3	182	7	0	2	1	6	1	0	1	0	5	2	10	465
125	396	9	217	5	0	3	0	17	2	0	1	0	6	3	10	669
126	386	5	181	4	1	9	0	36	0	0	0	0	1	1	3	627
127	394	3	233	5	1	10	0	18	0	0	1	0	0	1	5	671
128	365	7	250	14	2	1	3	9	0	1	0	1	3	4	6	666
129	236	16	398	10	0	3	2	12	0	1	0	0	2	9	2	691
130	405	6	140	3	1	2	0	71	1	1	1	0	2	2	12	647
131	196	4	208	5	2	6	1	5	0	0	1	1	6	1	3	439
132	509	1	211	4	1	15	1	40	1	0	0	1	1	1	3	789
133	590	9	219	3	0	29	0	24	1	1	0	0	2	1	2	881
134	473	3	267	6	0	21	0	49	0	0	0	0	0	0	1	720
135	398	5	113	4	0	2	1	18	2	0	0	1	1	0	5	550
136	312	5	169	1	0	6	0	38	0	0	1	0	3	1	1	537
137	297	6	120	0	1	3	0	21	0	0	1	0	3	0	2	454
138	293	31	372	10	0	2	1	10	2	1	0	3	5	3	20	753
139	263	13	326	6	3	2	0	14	0	0	0	1	0	1	3	632
140	333	4	164	3	1	9	0	32	0	0	1	0	1	0	1	549
141	321	3	115	3	0	3	0	25	0	0	0	0	0	0	2	472
142	399	4	172	1	0	19	2	37	0	0	0	0	0	6	3	643
143	424	4	159	6	0	14	0	31	0	1	0	0	0	0	2	641
144	361	7	271	8	2	12	2	34	2	2	2	6	3	2	16	730
145	342	5	348	12	3	7	1	20	0	2	1	3	7	3	5	759
146	437	7	294	7	1	22	0	43	0	1	0	0	2	0	6	820
147	485	8	268	3	1	19	0	33	0	1	0	0	1	3	3	825
148	418	3	211	5	1	17	0	47	0	0	0	0	0	4	8	714

149	457	7	362	10	0	11	0	34	0	0	1	5	7	5	9	808
150	344	6	332	3	2	6	5	16	0	0	0	1	4	2	6	627
151	386	5	145	1	0	11	0	27	0	1	0	0	0	1	5	582
151 क	255	0	138	6	0	5	2	27	0	0	0	0	0	1	3	437
152	308	5	258	9	4	6	2	21	0	0	0	2	4	1	7	627
152 क	216	6	155	5	0	1	0	12	0	0	1	2	1	1	7	407
153	457	5	461	7	0	2	0	9	0	1	0	0	8	4	16	970
154	376	4	146	4	3	9	0	55	0	0	0	0	1	1	3	602
154 क	240	3	127	2	0	3	1	9	1	1	2	2	0	1	6	398
155	407	12	377	15	2	7	2	19	0	2	0	1	5	6	14	869
156	248	61	343	11	1	1	1	10	2	3	2	4	6	2	18	713
157	372	8	140	3	0	14	0	16	0	0	1	0	0	1	3	558
158	264	7	163	1	1	14	1	22	0	0	0	0	0	1	3	477
159	499	7	374	9	1	7	1	14	2	9	0	6	5	3	26	663
160	553	11	267	10	1	11	1	31	0	1	0	1	3	3	8	901
161	369	7	225	9	0	8	0	10	0	4	0	1	1	2	17	653
162	296	6	210	7	0	0	1	11	1	1	0	0	1	5	7	546
163	337	19	290	10	0	3	2	30	3	1	1	3	6	5	8	718
164	424	9	216	6	1	2	0	30	1	1	1	0	2	2	19	704
165	560	6	199	6	0	3	0	17	0	2	1	1	3	1	6	805
166	346	2	133	3	0	3	0	31	1	0	2	2	0	2	3	528
167	306	8	186	9	0	1	1	23	1	0	1	1	2	2	13	554
168	305	23	175	3	0	6	0	38	0	3	0	1	2	4	5	565
169	527	15	321	14	1	2	3	41	1	2	0	2	3	5	19	556
170	352	3	166	1	0	2	1	21	1	2	1	1	1	4	5	561
170 क	318	1	170	3	1	1	0	12	0	0	1	1	2	1	6	517
171	394	78	266	8	0	6	1	29	4	3	0	2	0	7	13	518
172	417	6	247	5	0	8	0	57	0	5	0	0	0	0	1	746
173	278	4	216	2	0	11	0	18	1	0	2		4	1	14	551
174	6015	1	298	0	1	37	0	28	0	0	1	0	0	0	6	987
175	489	1	195	1	1	15	2	18	0	1	0	0	1	0	5	729
176	419	4	228	7	3	21	0	38	0	0	0	0	2	1	5	728
177	294	2	169	10	0	20	0	13	0	7	1	0	1	2	1	520
178	374	1	184	4	1	3	0	18	1	0	0	1	0	2	1	590
179	384	1	233	4	0	13	1	20	1	1	1	0	1	0	7	667
180	361	6	158	2	0	8	0	15	1	0	1	0	0	1	2	555

181	395	1	136	2	0	16	0	29	0	0	1	0	1	0	0	581
182	499	7	196	7	0	9	0	42	0	2	0	1	1	5	2	771
183	229	8	104	1	0	6	0	21	0	1	0	0	0	0	0	370
184	423	1	178	4	0	20	0	37	0	1	0	0	2	1	1	668
185	367	4	230	2	0	11	0	28	1	1	0	0	2	1	3	650
186	592	1	252	4	0	14	1	33	0	0	1	0	2	2	4	906
187	524	4	182	5	0	37	0	40	2	0	0	0	1	0	3	798
188	561	1	221	4	0	15	0	30	0	1	0	1	0	1	2	837
189	452	2	244	9	1	15	2	49	0	1	0	0	0	0	4	779
190	496	1	235	3	0	17	0	73	0	1	0	0	1	3	5	835
191	448	4	182	3	0	14	2	41	0	1	0	0	0	0	3	695
192	404	1	197	1	0	4	1	32	0	2	0	0	0	8	1	648
193	340	4	114	6	0	6	0	19	0	1	1	0	0	2	2	494
194	282	1	194	2	0	23	0	25	1	0	0	0	1	2	3	534
195	434	5	174	1	1	5	0	23	0	1	2	0	2	6	5	659
196	424	3	212	6	0	16	0	19	2	0	2	0	0	2	2	688
197	280	7	155	2	4	16	0	27	0	3	1	0	0	0	2	497
198	102	4	139	2	1	3	1	8	0	1	0	0	0	0	0	261
199	514	3	225	8	0	20	0	29	0	0	0	3	1	1	5	809
200	332	4	220	3	1	2	1	4	0	0	0	3	4	1	12	587
201	350	3	210	5	0	3	0	18	1	0	1	1	1	2	5	600
202	502	6	228	7	3	5	1	59	0	1	1	0	2	3	18	836
203	346	9	203	3	0	1	1	33	0	0	1	1	3	1	11	613
203 क	266	7	178	7	1	1	0	17	3	3	1	3	4	2	11	504
204	235	4	394	11	1	2	1	9	0	1	0	3	9	5	21	694
205	264	6	288	8	1	3	2	52	2	0	1	1	11	3	28	669
206	230	8	333	13	3	0	0	10	2	3	0	1	7	0	19	629
207	279	5	435	14	1	1	0	14	2	2	1	1	3	5	17	780
208	149	3	370	6	2	0	2	7	1	0	1	0	3	2	10	556
209	314	4	265	10	2	6	0	9	0	3	0	3	4	4	11	635
210	205	7	120	4	1	0	1	2	1	0	0	0	4	1	5	351
210 क	112	2	119	4	2	0	0	3	1	2	0	1	1	2	7	256
211	265	5	182	11	1	1	2	1	0	0	0	4	6	2	25	505

lkr % ftyk fuokpu dk;ky; dkVk l ikIr lkf[;dh 2008

चूँकि यह अध्याय कोटा विधानसभा चुनाव 2008 में मतदाताओं के मतदान व्यवहार से संबंधित है इसका आवश्यक विवरण प्रस्तुत अध्याय में दे दिया गया है अध्याय सारांश की दृष्टि से यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है जनता अपने मत संबंधी अधिकार के प्रयोग द्वारा संविधान के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल बना सकती है और उसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण भी रख सकती है।

इसका तात्पर्य यह है कि चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव हों या प्रदेश विधानसभा के या देश की लोकसभा के जनता ही सर्वोपरि एवं सम्प्रभु के रूप में होती है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भाग्य मुख्य रूप से सरकार निर्माण में जनता की सहभागिता पर निर्भर करता है देश की संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में जनता की जितनी सहभागिता होगी उतना ही अधिक प्रजातंत्र पुष्ट और स्वस्थ होगा।

इसलिऐ यह कहा जा सकता है कि 2008 के चुनावों में पुरानी खामियों को दूर किया और एक नया माहौल बनाया तब से कोटा में निरंतर यह दिखाई देता है कि जब भी चुनावों की घोषणा होती है जन साधारण की सुप्त राजनैतिक चेतना जाग उठती है और हर मतदाता के हृदय में उत्साह की लहर बहने लगती है लोकतंत्र में प्रायः तीन बातें महत्त्वपूर्ण होती हैं जागरूक विधायिका, जनमत एवं जागरूक निर्वाचक गण, प्रायः चुनाव के समय ये अधिक सक्रिय होता है तथा इस पर विचार करने लगता है कि किसको वोट देना उनके हित में होगा।

किन्तु चुनाव अभियान समाप्त हो जाने पर निर्वाचक मण्डल उदासीन हो जाता है परन्तु उसकी उदासीनता और लापरवाही उचित नहीं है कोटा की जनता ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के माध्यम से मतदान का सही उपयोग करने में सफलता प्राप्त की है। मतदान का विवेक सम्मत उपयोग होने लगा है मतदाताओं में जागरूकता आयी है हाँलाकि यहाँ का मतदाता जाति, धर्म, भाषा, साम्प्रदायिकता, क्षैत्रियता से प्रभावित रहा फिर भी अपने मत का प्रयोग बड़े विवेक से करने लगा है। जिस प्रकार 2008 के चुनावों से पहले मतदाताओं का व्यवहार अलग–अलग निर्वाचन में अलग–अलग रहा उसी प्रकार इस चुनाव में भी कोटा की जनता ने अपने भिन्न मतदान व्यवहार का प्रदर्शन किया।

****

संदर्भ सूची

1. सिल्स एडवर्ड ''पॉलिटिकल डवलपमेंट इन दी न्यू स्टेटस'' ग्रावन हेरा मोटो पब्लिकेशन 1969, पृ॰स॰ 38
2. राजस्थान निर्वाचन आयोग, जयपुर 2008
3. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन आगरा, नवम्बर 2008
4. राजस्थान राजपत्र अधिसूचना 2008
5. सूचना केन्द्र कोटा 2008
6. इलेक्शन कमिशन ऑफ राजस्थान 2008
7. इलेक्शन कमिशन ऑफ राजस्थान 2008 एवं दैनिक भास्कर, जयपुर 3 दिसम्बर 2008
8. राजस्थान पत्रिका कोटा 14 मार्च 2008
9. दैनिक भास्कर कोटा 18 जून 2006
10. डेली न्यूज कोटा 18 जून 2006
11. दैनिक भास्कर कोटा 27 जुलाई, 2006
12. वसुधरा राजे का उद्बोधन जयपुर 27 अक्टूबर, 2007
13. वसुधरा राजे का उद्बोधन भीलवाड़ा, फरवरी, 2008
14. राजस्थान निर्वाचन आयोग जयपुर 2008
15. भण्डारी विजय ''राजस्थान की राजनीति : सामन्तवाद से जातिवाद के भँवर मे' वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2007 पृ॰सं॰ 410–422
16. इण्डिया टूडे नई दिल्ली नवम्बर, 2007

17. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन आगरा, दिसम्बर 2008

18. राजस्थान क्रोनोलॉजी जयपुर, दिसम्बर, 2009

19. दैनिक भास्कर कोटा दिसम्बर, 2009

20. राजस्थान पत्रिका कोटा दिसम्बर, 2009

21. धाबाई रजनी ''90 के दशक के पश्चात मतदान व्यवहार'' विकास पब्लिकेशन जयपुर 2007 पृ०सं० 105–106

22. जिला निर्वाचन कार्यालय कोटा से प्राप्त सांख्यिकी 2008

23. वही

****

अध्याय सप्तम्

कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन, मतदान व्यवहार, रूझान व दलीय स्वरूप

अध्याय सप्तम्

जैसा कि पूर्व में किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि 13 वीं विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा 10 नवम्बर, 2008 को की गई थी तथा 04 दिसम्बर, 2008 को सम्पूर्ण राजस्थान में 200 सदस्यों वाली विधानसभा के लिऐ मतदान किया गया, जिसमें कुल मतदाता 3 करोड़ 62 लाख 68 हजार 878 थे पुरूष मतदाता 1 करोड़ 90 लाख थे महिला मतदाता 1 करोड़ 72 लाख थी। मतदान केन्द्र 42589 थे और मतदान प्रतिशत 66.44 रहा था।

इस दृष्टि से यदि 12वीं विधानसभा और 13 वीं विधानसभा की तुलना करें तो 13 वीं विधानसभा चुनाव में 12वीं विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुआ। 13 वीं विधानसभा के समय चुनाव की स्थिति जटिल थी जहाँ 12 वीं विधानसभा में काँग्रेस विरोधी लहर चल रही थी वही 13 वीं विधानसभा में स्थिति लगभग विपरीत थी।

अतः चुनाव की स्थिति मतदाता व्यवहार और उभरते हुऐ दलीय रूख को ध्यान में रखते हुऐ एक तुलनात्मक सारणी प्रस्तुत की गई है जो निम्नानुसार है –

तालिका संख्या – 7.1

12 वीं एवं 13 वीं विधानसभा की तुलनात्मक समीक्षा[1]

क्र.सं.	स्थिति	12 वीं विधानसभा	13 वीं विधानसभा
1.	चुनाव की घोषणा	1 दिसम्बर, 2003	4 दिसम्बर, 2003
2.	चुनाव परिणाम की घोषणा	4 दिसम्बर, 2003	8 दिसम्बर, 2003
3.	कुल मतदाताओं की संख्या	33928675	36219481
4.	कुल पुरूष मतदाता	17712085	19037649
5.	कुल महिला मतदाता	16216590	17231229
6.	कुल मतदान केन्द्र	35705	42589
7.	कुल विधानसभा सीटें	200	200
8.	भाजपा द्वारा चुनाव लड़ा गया	197	193
9.	काँग्रेस द्वारा चुनाव लड़ा गया	200	200

10.	भाजपा को प्राप्त मतों का प्रतिशत	39.20	34
11.	काँग्रेस को प्राप्त मतों का प्रतिशत	35.65	36
12.	भाजपा द्वारा जीती गईं सीटें	120	78
13.	काँग्रेस द्वारा जीती गईं सीटें	56	96
14.	सामान्य की कुल सीटें	143	141
15.	अनु.जन.जाति.के लिए आरक्षित	24	25
16.	अनु.जाति.के लिए आरक्षित	33	34
17.	कुल उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा।	1521	2194
18.	कुल मतदान का प्रतिशत	67.81	66.44
19.	विजयी महिला उम्मीदवार	12	28

स्त्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

उपरोक्त तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण के बाद इसी क्रम में यदि 12 वीं विधानसभा और 13 वीं विधानसभा में दलीय स्थिति को स्पष्ट करें तो एक छोटी तालिका निम्नानुसार देखी जा सकती है –

तालिका संख्या – 7.2

12 वीं एवं 13 वीं विधानसभा की दलीय स्थिति[2]

क्रम सं.	दल का नाम	12 वीं विधानसभा		13 वीं विधानसभा	
		उम्मीदवार	निर्वाचित	उम्मीदवार	निर्वाचित
1.	भाजपा	197	120	193	78
2.	काँग्रेस	200	56	200	96
3.	बसपा	124	02	119	06
4.	सी.पी.आई.	15	0	21	0
5.	सी.पी.आई.एम.	18	02	34	03
6.	एन.सी.पी.	58	0	39	0
7.	अन्य पंजीकृत दल	273	08	484	03

8.	निर्दलीय	556	13	1023	14
	कुल योग	**1521**	**200**	**2194**	**200**

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

13 वीं विधानसभा में भरतपुर एवं बीकानेर संभाग को छोड़कर वसुंधरा राजे सरकार को शेष 5 संभागों में हार का मुँह देखना पड़ा सिर्फ भरतपुर संभाग में भाजपा ने पिछली बार की तुलना में 4 सीटें अधिक प्राप्त की इसके अलावा आश्चर्यजनक रूप से अलवर जिले की सीटें अलवर शहर रामगढ़ थानागाजी कठुमर बानसूर आदि सीटों पर भाजपा की जीत प्रमुख मानी गई इन सीटों पर काँग्रेस की हार का कारण उसकी संगठनात्मक कमजोरी माना गया कुछ पर्यवेक्षकों का मत है कि राज्य में काँग्रेस की वापसी दर असल वसुंधरा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का प्रतिफल कहा जा सकता है। राज्य की जनता ने विकल्पहीनता के कारण काँग्रेस को वोट दिये।

13 वीं विधानसभा के लिऐ 4 दिसम्बर, 2008 को चुनाव हुऐ इन चुनावों में प्रत्येक जिले में मतदाताओं की संख्या एवं उनमें से पुरूष व महिला मतदान की संख्या इसके अतिरिक्त प्रथम जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ इसकी समस्त जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम से इन्टरनेट पर उपलब्ध करायी गई थी। सब दृष्टियों से उसे सत्यापित कर ही उसे ग्रहण किया गया।

तालिका संख्या – 7.3
13 वीं विधानसभा चुनाव की जिलेवार स्थिति[3]

क्रम. सं.	राज्य / जिला	मतदाताओं की संख्या			कुल मतों की संख्या			मतों का प्रतिशत		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	722772	683691	1406463	475335	433001	908336	65.77	63.33	64.58
2	अलवर	943327	835490	1778817	668224	568367	1236591	70.84	68.03	69.52
3	बाँसवाड़ा	458925	445334	904259	319360	315467	634827	69.59	70.84	70.20
4	बाराँ	345671	314570	660241	252519	205259	4577778	73.05	65.25	69.33
5	बाड़मेर	675024	593630	1268654	450150	404480	854630	66.69	68.14	67.37
6	भरतपुर	669970	572131	1242101	446777	356228	803005	66.69	62.26	64.65

7	भीलवाड़ा	646567	616146	1262713	453883	423284	877167	70.20	68.70	69.47
8	बीकानेर	632892	555189	1188081	429720	342863	772583	67.90	61.76	65.03
9	बूँदी	312164	285232	595416	217554	172882	390436	69.69	61.03	65.57
10	चित्तौड़गढ़	504310	488708	993018	381719	335311	717030	75.69	68.61	72.21
11	चुरू	583404	533221	1116625	393120	385409	778529	67.38	72.28	69.72
12	दौसा	432552	379583	812105	308462	256535	564997	71.32	67.52	69.57
13	धौलपुर	293482	244248	537730	215430	166879	382309	73.40	68.32	71.10
14	डूँगरपुर	363368	354982	718360	2122377	235618	447995	58.45	66.37	62.36
15	गंगानगर	567778	493908	1061686	435709	369602	805311	76.74	74.83	75.85
16	हनुमानगढ़	514326	448907	963233	410497	349937	760434	79.81	77.95	78.95
17	जयपुर	1890993	1644080	3535073	1231516	1023434	2254950	65.13	62.25	63.79
18	जैसलमेर	156633	1338593	295226	116416	102222	218638	74.32	73.76	74.06
19	जालोर	499704	454480	954184	322264	288043	610307	64.49	63.96	63.96
20	झालावाड़	394883	369841	764724	302552	239145	541697	76.62	70.84	70.84
21	झुंझुनू	630311	572737	1203048	393583	387379	780962	62.44	64.92	64.92
22	जोधपुर	1025711	921769	1947480	636965	530089	1167054	62.10	59.93	59.93
23	करौली	390239	331207	721446	485905	221462	507367	73.26	70.33	70.33
24	कोटा	577737	517731	1095486	374824	304926	679750	64.88	62.05	62.05
25	नागौर	962837	894190	1857027	620120	586900	1207020	64.41	65.00	65.00
26	पाली	646448	606934	1253382	369640	354417	724057	57.18	57.77	57.77
27	राजसमन्द	339176	382191	667367	230091	226678	456769	67.84	68.44	68.44
28	सवाई–माधोपुर	377444	322769	7002123	239554	184311	423865	63.47	60.53	60.53
29	सीकर	772966	698637	1471603	487766	488886	976652	63.10	66.37	66.37
30	सिरोही	276380	251077	527457	168488	152233	320721	60.96	60.81	60.81
31	टोंक	400233	373788	774021	267846	230551	498397	66.92	64.39	64.39
32	उदयपुर	789951	749743	1539694	520860	478151	999011	665.94	64.88	64.88
33	प्रतापगढ़	184248	177951	362199	135878	124939	260817	73.75	72.01	72.01
	कुल	**18982426**	**18452688**	**42481042**	**14885104**	**11244888**	**28139992**	**2850.02**	**2193.46**	**2215.56**

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

तालिका संख्या – 7.4

13 वीं विधानसभा चुनाव परिणाम एवं दलीय स्थिति[5]

क्रम.सं.	दल का नाम	उम्मीदवार	निर्वाचित
1.	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	200	96
2.	भारतीय जनता पार्टी	193	78
3.	बहुजन समाज पार्टी	119	06
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	34	03
5.	राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP)	39	0
6.	भारतीय समाजवादी दल	21	0
7.	समाजवादी पार्टी	64	01
8.	जनता दल (यू)	04	01
9.	शिवसेना	24	0
10.	राष्ट्रीय लोकदल	17	0
11.	भारतीय साम्यवादी दल (माले)	09	0
12.	जनता दल सेक्यूलर	05	0
13.	इन्डियन नेशनल लोकदल	04	0
14.	ऑल इन्डिया फोरवर्ड ब्लॉक	02	0
15.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	20	01
16.	लोक जनशक्ति पार्टी	87	0
17.	भारतीय बहुजन पार्टी	57	0
18.	राजस्थान विकास पार्टी	30	0
19.	जागो पार्टी	25	0
20.	अखिल भारतीय हिन्दु महासभा	16	0
21.	इन्डियन जस्टिस पार्टी	10	0
22.	भारतीय राष्ट्रवादी समता पार्टी	08	0
23.	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर)	07	0
24.	भारतीय विकास पार्टी	05	0

25.	नेशनल लोक हिन्द पार्टी	04	0
26.	समता पार्टी	04	0
27.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी	03	0
28.	डेमोक्रेटिक भारतीय समाजवादी पार्टी	03	0
29.	राष्ट्रीय समानता दल	03	0
30.	अम्बेडकर समाज पार्टी	02	0
31.	इन्डियन पीपुल्स क्रॉग्रेस	02	0
32.	दलित क्राँतिदल	02	0
33.	भारतीय विकास पार्टी	02	0
34.	भारतीय बेकवर्ड पार्टी	01	0
35.	धर्मनिरपेक्ष दल	01	0
36.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इंडिया	01	0
37.	लोकपत्र पार्टी	01	0
38.	राजस्थान देव सेना दल	01	0
39.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	01	0
40.	राष्ट्रीय स्वर्ण दल	01	0
41.	राष्ट्रीय गरीब दल	01	0
42.	नेशनल पीपुल्स फ्रंट	01	0
44.	जनता पार्टी	01	0
45.	बुद्धिजीवी पार्टी	01	0
46.	निर्दलीय	1023	14
	कुल :	2194	200

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

उल्लेखनीय है कि चुनाव के दोरान ये सभी आँकड़े आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये थे अतः इनका स्रोत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर विधानसभा चुनाव 2008 है।

यदि मतदान का उभरता स्वरूप और रूझान देखा जावे तो काँग्रेस, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय लोकदल आदि पार्टियों का ही वर्चस्व रहा है। अन्यों में कम्युनिष्ट पार्टी, जनता दल, बसपा, सपा आदि दलों की स्थिति नगण्य रही इसका अर्थ सीधे ही यह निकलता है कि लम्बे समय से स्थापित राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ ही कोटा के जनमानस में अपना स्थान बना पाईं जहाँ तक जनता पार्टी का प्रश्न है यह दल राज्य तथा कोटा जिले में मात्र एक बार सन् 1977 में कुछ अन्य क्षेत्रों की तरह चुनाव जीत पाया था चूँकि यह बदलाव पूरे राष्ट्रीय स्तर पर था जो श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा देश में लगाये गये आपातकाल के प्रति विरोध के फलस्वरूप था कुछ पहल स्वतंत्र पार्टी ने भी की परन्तु यह सामंती परम्परा का पर्याय थी और उसी की छाया थोड़ी बहुत दिखाई दी गाँवों में कभी–कभी कहीं–कहीं दबाव और प्रभाव की सीमाऐं लांघ दी जाती हैं फिर भी राजनीतिक जागृति से प्राप्त बल के कारण लोग अनुचित दबाव में दल के प्रत्याशी को राम राम करके भी वोट अपनी मर्जी से ही डालते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि सामंती प्रभाव मतदान के संदर्भ में कम होता जा रहा है जनसंघ धीरे–धीरे लुप्त प्रायः हो गई और उसका स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। यदि दलीय स्थिति को देखें तो जिले में अधिकतर चुनावों के परिपेक्ष्य में कभी काँग्रेस और कभी भाजपा का प्रभुत्व रहा और ये दोनों ही एक दूसरे की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी के रूप में रही है। कोटा के सभी विधानसभा क्षैत्रों जैसे पीपल्दा, सांगोद, कोटा–उत्तर, कोटा–दक्षिण, लाड़पुरा और रामगंजमंडी में ऐसी ही स्थिति चिह्नित की जा सकती है। परन्तु पूरे कोटा जिले में भाजपा अधिक प्रभावी रही है। स्थानीय स्वशासन की शहरी संस्थाओं की भी यही स्थिति रही है जिले की पंचायती राज की संस्थाओं में जहाँ का मुख्यालय कोटा नगर ही रहा है। जिला परिषद् का मुख्यालय भी यही है। अतः इसमें राजनीतिक दृष्टि से गहमा गहमी कुछ अधिक रहती है जिला प्रमुख के चुनाव को दलीय स्थिति अधिक प्रभावित करती है यही देखने में आया है कि ग्रामीण क्षैत्रों में काँग्रेस की पकड मजबूत होने के कारण पंचायत समितियों के प्रधानों में अधिकतर काँग्रेस के प्रधान होने से जिला प्रमुख भी यहाँ अधिकतर काँग्रेस पार्टी से ही रहे हैं केवल 2 या 3 बार भाजपा उम्मीदवार जिला प्रमुख बन सके हाँलाकि भाजपा अपने उम्मीदवार को जिला प्रमुख बनाने के लिऐ बहुत जोर लगाती है परन्तु सफलता मिलना इतना आसान नहीं है। 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के बाद

स्थितियों में थोड़ा और परिवर्तन आया है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पंचायती चुनावों में किसी एक पार्टी का अखण्ड साम्राज्य रहा है।

संक्षेप में यह माना जा सकता है कि कोटा जिले में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाऐं और पंचायती राज की संस्थाओं में दो दलों की भूमिका ही प्रमुख रही है निर्दलीय और इक्के दुक्के छोटे दल भी कभी कभी स्थानीय स्तर पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीते हैं। इनमें अधिकतर वो लोग रहे हैं जिन्हें कॉंग्रेस अथवा भाजपा से चुनाव के टिकट नहीं मिले तो वे अपने स्तर पर चुनाव में खड़े हो गये और कहीं कहीं चुनाव में जीत भी गये। यदि दलीय स्थिति में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाये तो निम्न बिन्दुओं का सहारा लिया जा सकता है –

1. बागी दलीय कार्यकर्ता व दल की छवि –

जब भी प्रभावशाली व्यक्ति को टिकिट नहीं मिलता तो वह बागी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो जाता है अथवा स्वयं के प्रभाव को काम में लेते हुऐ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरूद्ध प्रचार करने लग जाता है। अतः यह पार्टी का विरोध कम और पार्टी के प्रत्याशी का विरोध अधिक हो जाता है। कई लोग गाँव या क्षेत्र में अनेक कारणों से अपना प्रभाव बना लेते हैं उनके पक्ष में पर्याप्त कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं और उनको समर्थन देने वाले लोग भी, ऐसी स्थिति में वे स्थानीय तौर पर अपने क्षेत्र में चुनाव में सफलता पा जाते हैं या अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के वोट तोड़कर जीत का प्रतिशत कम कर देते हैं इसी प्रकार निर्दलीय व्यक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र का बखान कर बड़े दलों के प्रत्याशीयों से वोटों की सौदेबाजी कर लेते हैं और इस प्रकार उनके उपायों से कई बार चुनाव परिणामों का परिदृश्य बदल जाता है।

2. ट्रेड यूनियन एवं विभिन्न संगठनों का प्रभाव –

कोटा, सांगोद, रामगंजमंडी, पीपल्दा आदि महत्त्वपूर्ण क्षैत्र इस जिले में हैं इसमें ठेकेदारों, मजदूरों, पार्टियों, रोड़वेज कर्मियों, रिक्षा चालकों या अन्य किसी यूनियनों द्वारा भी चुनाव को प्रभावित किया जाता है।

3. दल के चोटी के (बड़े) नेताओं की सभाओं का प्रभाव –

प्रायः दलों में सोनिया गाँधी, लालकृष्ण अडवानी, नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत आदि बड़े नेता इस तरह से प्रचार करते हैं कि जिससे चुनावों में मतदान का माहौल बन जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कई बार अप्रत्याशित उम्मीदवार की विजय हो जाती है।

4. प्रत्याशी की छवि –

यह भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है समर्थक अनन्य रूप से उससे जुड़े रहते हैं और उसकी सेवाओं को याद रखते हैं। जनहितकारी कार्य और आन्दोलन का नेतृत्व आदि ऐसे कार्य हैं जिससे व्यक्ति की लोकप्रिय छवि का निर्माण होता है।

5. प्रत्याशी की योग्यता एवं पारिवारिक परिवेश –

यह निर्विवाद है कि प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता, पैसा, सम्पत्ति, व्यापार और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी प्रत्याशी की छवि बनाते हैं और ये सब चीजें अनेक बार व्यक्ति के अवगुणों को भी ढ़क लेती हैं। कोटा में भी ऐसी स्थितियाँ रही हैं इन स्थितियों से व्यक्ति क्षमतावान हो जाता है और लोकप्रिय भी और यह स्थिति सभी जगह काम आती है आरक्षण से जिस समुदाय में क्षमता आयी है उनके नेतृत्व में भी परिवर्तन आ गया उनको राजनीति में काम करने का अवसर भी मिल गया तथा हो सकता है अभी उनको समानता के स्तर पर आने में और समय लगे परन्तु राजनीति की समझ और क्षमता का रास्ता प्रशस्त हो गया है।

6. चुनाव प्रचार–प्रसार –

चुनाव प्रचार कीं सर्वाधिक चहल–पहल चुनाव के दिनों में ही रहती है इस समय ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने चुनाव कार्यालय स्थापित करते हैं फिर कार्यकताओं की गहमा–गहमी कार्य निर्देश और प्रचार सामग्री के वितरण की योजनाऐं बनती हैं तथा एक प्रकार का चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है ये सभी कार्य काफी खर्चीले होते हैं जिनका खर्च पार्टी और प्रत्याशी दोनों ही वहन करते हैं।

चुनाव आयोग चुनावों के कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार आदि को मर्यादित रखने के निर्देश समय–समय पर देता रहता है तथा आयोग द्वारा खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी जाती है। पिछले वर्षों में अनुचित रूप से किये जाने वाले प्रचार को आयोग ने रोका है अतः राजनीतिक दल अब खर्च में कुछ हाथ खींचकर चलने का प्रयत्न करते हैं और यहाँ तक कि चुनावी सभा तक के लिऐ एक स्थान पर लायी गयी मालाऐं भी दूसरी सभा में काम में लेने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु फिर भी जहाँ खर्च का आंकलन संभव नहीं हो सकता वहाँ राजनीतिक दल दिल खोलकर खर्च करते हैं जैसे चुनाव के पहले दिन शराब का वितरण, रोकड़ पैसा वितरण, वाहन से मतदाताओं को लाना, प्रचार में प्रयुक्त वाहन आदि का खर्च लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाता विगत कुछ चुनावों में प्रत्याशी को फलों मिठाईयों आदि से तोलने की प्रथा भी चल निकली है इन सभाओं में दोनों ही पक्षों का सुनने लोग जाते हैं तथा तोली गई सामग्री को बाँटकर खा लेते हैं। यह सामग्री वास्तव में चुनाव कार्यालय से चुनाव खर्च पर ही आती है।

चुनाव के लिऐ पर्चा भरने में भारी धूम धड़ाका और दिखावा करने की प्रवृति अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है इस खर्च को चुनावी खर्च में नहीं जोड़े जाने के कारण इसे कोई देखता भी नहीं है पर्चा भरने में भीड़, गाजा – बाजा, वाहनों का जुगाड़ करने का खर्च भी कई बार बहुत भारी होता है

क्योंकि इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों के लिऐ तथा स्थानीय प्रभावशाली लोगों के लिऐ भोज तक का आयोजन भी होता है।

7. **पार्टी कार्यालय –**

साधारणतः जिला मुख्यालय पर दलों का निजि कार्यालय या भवन होता है। कई दलों का कार्यालय किराये के भवन में भी चलता है चुनावी अस्थायी कार्यालयों के लिऐ भी अलग से डेरे तम्बू व भवनों का प्रबन्ध किया जाता है नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक कार्यालय अलग से खुलता है बड़े वार्डों में दो कार्यालय भी हो सकते हैं। पंचायती चुनावों में भी वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य आदि के लिऐ भी प्रत्येक स्तर पर अस्थायी रूप से चुनाव कार्यालय खोले जाते हैं, जहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कार्यालयों के लिऐ सम्बन्धित पार्टियाँ पैसा देती हैं परन्तु स्थानीय स्तर के चुनावों में इन कार्यालयों का खर्चा प्रत्याशियों को ही वहन करना पड़ता है।

8. **चुनावी खर्च –**

पूर्ण रूप से सत्यापित करना तो मुश्किल रहता है परन्तु यह कहा जाता है कि प्रत्येक प्रत्याशी को काफी पैसे दिये जाते हैं और कई प्रत्याशी पार्टी को भी पैसे देते हैं इसमें भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हैं यद्दपि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा लोकसभा के लिऐ 25 लाख व विधानसभा के लिऐ 10 लाख निर्धारित कर रखी है तथापि खर्च के हिसाब में हेराफेरी द्वारा खर्च को कम दिखाकर इस सीमा में रखने का प्रयत्न सभी प्रत्याशी करते हैं कोटा में लोगों का ऐसा अनुमान है कि कोटा–दक्षिण व कोटा–उत्तर के प्रत्याशी ऐसा व्यवहार करते हैं वाहनों के प्रयोग और कार्यकर्ताओं को सुविधाऐं प्रदान की गई उनके आधार पर यह अनुमान सही होने का भ्रम सामान्य आदमी को अवश्य हो जाता है कि मत प्राप्ति के लिऐ पैसे का लेनदेन हुआ है।

लोकतंत्र में चुनाव अधिकाधिक खर्चिले होते जा रहे हैं यदि सरकार मिली जुली बन जाती है तो सरकार की अस्थिरता बनी रहती है और इससे दुबारा चुनाव होने की संभावना भी बनी रहती है इससे सामान्य नागरिकों पर व्यय भार बढ़ता जा रहा है।

आँकड़ों के आधार पर 1957 में प्रति मतदाता खर्च 5 पैसे था और कुल खर्च 51 लाख 36 हजार हुआ था वही आगे के वर्षों में यह बढ़ता गया और करोड़ों में हो गया चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास भी किया गया जिससे कुछ नियंत्रण अवश्य स्थापित हुआ है। राजस्थान में और निर्विवाद रूप से कोटा में भी देखने में आया है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायती राज चुनावों में दलों और प्रत्याशियों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रहती है प्रायः काँग्रेस और भाजपा अपना वर्चस्व कायम रखने के लिऐ संघर्षरत रहते हैं।

इस संबंध में जो सूचनाऐं मिलती हैं वे राजस्थान पत्रिका और दूसरे दैनिक समाचार पत्र और उनके विभिन्न संस्मरण तथा टिप्पणियाँ, जिला सांख्यिकी कार्यालय, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और सामान्य मतदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार, दलों के स्थायी और अस्थायी चुनाव कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय कोटा और राजस्थान की विभिन्न संस्थाओं के कार्यालयों व दलीय कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर उक्त तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः स्पष्ट है कि चुनाव, मतदान व्यवहार और इनसे उभरती प्रवृतियाँ प्रायः निम्न स्थितियों से प्रभावित रहती हैं –

1. दल और दल से बगावत करने वाले कार्यकर्ता।

2. विभिन्न क्षैत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न संगठन और यूनियन आदि।

3. दल के प्रभावशाली नेताओं की स्थिति, व्यवहार और लोकप्रियता।

4. अच्छे या बुरे के रूप में उनकी पहचान तथा उनके पक्ष या विपक्ष में बनता रूझान।

5. राजनीति में परिवार के प्रत्याशी की चली आ रही परम्पराऐं और उस समय परिवार की जो स्थिति है उस परिवेश का योगदान।

6. राजनीति में सहभागिता बढ़ाने की प्रवृति।

7. उत्सुकतावश ही पार्टी के क्रिया–कलापों में भाग लेना।

8. राजनीति में अपनी समझ और सहभागिता बढ़ाने की प्रवृति।

9. उम्मीदवार व लोगों में बढ़ता शक्ति संबंध एवं विश्वास।

10. सम्पन्न और ज्ञानवान होने की प्रवृति।

11. अपनी पहचान बनाना।

13 वीं विधानसभा चुनावों के परिणामों से संबंधित कुछ fo'k"k तथ्य –

1. बड़े विस्मय की बात है कि राजस्थान में काँग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सी॰पी॰ जोशी मात्र 1 वोट से भाजपा प्रत्याशी कल्याण सिंह से हार गये थे, इतने कम अंतर से हारने वालों में यह सम्पूर्ण भारत का पहला मामला दिखाई देता है।

2. इन चुनावों में बागीदौर (बाँसवाड़ा) सीट से काँग्रेस के महेन्द्र जीत सिंह सर्वाधिक मतों से जीत हाँसिल करने वाले उम्मीदवार बने उन्होंने 44689 मतों से जीत हाँसिल की।

3. 13 वीं विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 66.44 प्रतिशत मतदान हुआ। हनुमान गढ़ जिले में सर्वाधिक 78.27 प्रतिशत मतदान हुआ। यहाँ महिलाओं

ने भी 78 प्रतिशत मत डाले जो राज्य में सर्वाधिक रहा राज्य में न्यूनतम मतदान 57.77 प्रतिशत पाली जिले में हुआ।

4. 13 वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केवल एक मत से जीता।

5. 13 वीं विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल 6 सीटें मिली जबकी 12 वीं विधानसभा में उसे 2 सीटें ही प्राप्त हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कॉंग्रेस में मिल गये जो भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा।

6. कॉंग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री (1998–2003) अशोक गहलोत सरदारपुरा (जोधपुर) से कॉंग्रेसी प्रत्याशी के रुप में 14440 मतों से विजयी रहे।

7. भाजपा सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से भाजपा प्रत्याशी के रुप में लगभग 32000 मतों से विजयी घोषित हुई।

8. 13 वीं विधानसभा चुनाव में 28 महिला उम्मीदवार विजयी हुई। इससे पूर्व 12 वीं विधानसभा चुनाव में केवल 12 महिला उम्मीदवार ही विजयी रही थी।

9. 13 वीं विधानसभा में जयपुर जिले की कोटपुतली विधानसभा क्षैत्र से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरुप ने न्यूनतम 22328 वोट हॉंसिल किये।

10. 13 वीं विधानसभा चुनाव में चित्तौडगढ़ जिले निम्बाहेडा विधानसभा क्षैत्र से कॉंग्रेसी के प्रत्याशी उदयलाल अंजना ने सर्वाधिक 95622 मत हॉंसिल किये।

इस प्रकार अपनी अलग विशेषताओं, अलग मतदान रुझान, अलग दलीय प्रवृतियों के साथ इस विधानसभा का गठन हुआ और 2008 से 2013 तक इसके द्वारा अपना कार्यकाल पूरा किया गया।

कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन –

2003 व 2008 में हुए 12 वीं व 13 वीं राज्य विधानसभा के चुनाव परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट होता है कि –

1. 2003 के निर्वाचन में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण का अंतर नहीं था और कोटा शहर एक ही विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम कोटा विधानसभा क्षेत्र था, परन्तु 2008 में यह दो भागों में बँट गया कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण अर्थात् विधानसभा क्षेत्र एक के स्थान पर दो हो गये।

2. 2003 में दल और उम्मीदवार की दृष्टि से मुख्य प्रतिस्पर्धा ओम बिड़ला (भाजपा) व शांति कुमार धारीवाल (काँग्रेस) के मध्य थी जिसमें ओम बिड़ला विजयी रहे 2008 में इन दोनों के मध्य नहीं अपितु पूरे कोटा में काँग्रेस और भाजपा के मध्य मुख्य प्रतिस्पर्धा थी जिसमें कोटा दक्षिण में ओम बिड़ला (भाजपा) ने राम किशन वर्मा (काँग्रेस) को हराया और कोटा उत्तर में शांति कुमार धारीवाल (काँग्रेस) ने श्रीमती सुमन श्रृंगी (भाजपा) को हराया।

3. 2003 में दल और उम्मीदवारों के चयन और प्रचार में इतनी तीव्रता नहीं थी जितनी 2008 के चुनावों में।

4. 2003 के चुनाव की तुलना में कोटा का क्षेत्र व्यापक हो गया और इतने राजनीतिक दलों ने अपना भाग्य अजमाया जितना पहले नहीं हुआ था।

5. 2003 की तुलना में 2008 में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी।

6. 2003 की तुलना में 2008 में तीसरी शक्ति को उभारने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन कोटा और राजस्थान में तीसरी शक्ति को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई।

7. 2003 में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक मतदान किया और भाजपा को 200 में से 120 स्थान प्राप्त हुए जबकि 2008 में काँग्रेस जीती तो अवश्य परन्तु उसका प्रदर्शन 2003 में भाजपा के प्रदर्शन के समतुल्य नहीं रहा, यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण कोटा जिले में और

कोटा में कॉंग्रेस और भाजपा ने बराबर बराबर स्थान जीते परन्तु यह कहना मुश्किल है कि सम्पूर्ण राजस्थान में कॉंग्रेस का पलड़ा बहुत भारी रहा क्योंकि कॉंग्रेस ने 200 में से 97 स्थान प्राप्त किये थे जो भाजपा के 2003 में प्राप्त 120 स्थानों की तुलना में कम थे।

8. 2003 में हुऐ चुनावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर अकेले स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था दूसरी तरफ 2008 में भाजपा की तुलना में कॉंग्रेस द्वारा अधिक स्थान जीते जाने के बावजूद भी 2003 में जो भाजपा की स्थिति थी वह कॉंग्रेस की नहीं बन पायी।

9. 2003 में पहले के मतदाताओं की पारम्परिक निष्ठाओं में जबरदस्त परिवर्तन हुआ और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2008 में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के कार्यों के प्रति असन्तुष्टी के कारण कॉंग्रेस की विजयी हुई फिर भी कॉंग्रेस को अन्य दलों से सहारा लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पराजय के बावजूद 78 स्थानों पर अपनी विजय दर्ज की जबकि 2003 में कॉंग्रेस को केवल 56 सीटें ही मिली थीं। अतः 2003 में कॉंग्रेस की स्थिति की तुलना में बीजेपी की स्थिति सुदृढ़ दिखाई दी।

10. 2003 के चुनावों से यह स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में भाजपा को राजस्थान के सभी क्षेत्रों में बढ़त मिली थी यहाँ तक कि पश्चिमी मध्य और दक्षिणी क्षैत्रों में तो बहुत ही बढ़त मिली परन्तु 2008 में ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर पायी।

11. 2003 के चुनावों में वसुंधरा राजे को युवा नेतृत्व की श्रेणी में माना गया था जिसका लाभ कोटा के भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला को भी मिला परन्तु 2008 के चुनाव में कोटा में शांति कुमार धारीवाल और ओम बिड़ला का सीधा मुकाबला नहीं रहा क्योंकि दोनों के विधानसभा क्षैत्र अलग हो गये थे दोनों दिग्गज अपने क्षैत्रों में चुनाव जीते परन्तु राम किशन (कॉंग्रेस) और शांति कुमार धारीवाल के मुकाबले सुमन श्रृंगी (भाजपा) आदि की जीत का अंतर देखा जाये तो ओम बिड़ला ने शांति कुमार धारीवाल के मुकाबले कॉंग्रेस प्रत्याशी को अधिक मतों से पराजित किया।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कोटा दक्षिण से जीतने के बाद ओम बिड़ला की लोकप्रियता और बढ़ी और वह 2013 में भी इस क्षेत्र से ही चुनाव जीते व बाद में यह पद छोड़कर 2014 में कोटा–बुँन्दी लोकसभा क्षैत्र से लोकसभा सांसद के चुनाव में भी विजयी प्राप्त की तथा बाद में उनके एवज में भाजपा के प्रत्याशी बने संदीप शर्मा और काँग्रेस के प्रत्याशी शिवकांत नंदवाना के मुकाबले ओम बिड़ला द्वारा समर्थित भाजपा उम्मीदवार संदीप शर्मा ने करीबन 25000 मतों के अंतर से काँग्रेस प्रत्याशी को हराया। प्रायः कोटा के राजनीतिज्ञों को यह कहते सुना गया है कि कोटा–दक्षिण में ओम बिरला के कारण भाजपा की स्थिति अधिक सुदृढ़ है।

12. 2003 में मतदान केन्द्रों की जो संख्या थी उसके मुकाबले 2008 में यह संख्या बढ़ गई क्योंकि कोटा दक्षिण में मतदान केन्द्रों की संख्या 211 हो गई और कोटा उत्तर में यह संख्या 193 रही पूर्व में भी संकेत दिया जा चुका है कि दोनों चुनावों में 2003 की तुलना में 2008 में मतदाता एवं मतदान केन्द्रों का विस्तार हो गया।

13. 1998 में काँग्रेस की जीत से यह अंदाज लगाया जा रहा था कि अब बीजेपी में बड़ा कद्दावर नेता या नेतृत्व नहीं रहा जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2003 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि वे भी छोटे कद की नेता नहीं हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, शांति कुमार धारीवाल और काँग्रेस के अन्य बड़े नेता ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं कर पाये कि वह बहुत बड़े नेता है। बल्कि यह दिखाई पड़ता है कि 2008 के बाद उनकी स्थिति में और गिरावट आती गई और 2013 में उनका जो प्रदर्शन रहा वह तो काँग्रेस के लिऐ निश्चित रूप से शोचनीय है क्योंकि काँग्रेस के बड़े नेता ऐसे कमजोर समझे जाने वाले प्रत्याशियों से हार गये जिसकी उम्मीद नहीं थी।

वर्तमान परिदृष्य में कोटा और राजस्थाान की राजनीति के संबंध में यही कहा जा सकता है कि केन्द्र की तरह राजस्थान और कोटा में काँग्रेस की दयनीय स्थिति दिखाई देती है अतः सचेत रहकर ही वे 2018 के चुनाव में बहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आपको

सशक्त मान रही है। परन्तु भारतीय जनता पार्टी का यह मूल्यांकन तो 2018 के चुनावों के बाद ही हो सकेगा। अभी काँग्रेस अल्पमत में है निराश की स्थिति में भी है। उभरने के उत्साही प्रयास जारी है। यह अच्छा ही होगा कि उसकी स्थिति सुधरे तभी राजस्थान और कोटा की राजनीति प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के अनुकूल रह पायेगी और जन प्रतिनिधि जनकल्याण का अधिक ध्यान रखते हुऐ अपने उत्तरदायित्व का ठीक से वहन कर सकेगें।

यदि बारहवीं विधानसभा 2003 और तेरहवीं विधानसभा 2008 का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें तो उसके लिऐ हमारे पास अनेक आधार हैं जैसे मतदाताओं की संख्या, कुल उम्मीदवार, मतदान केन्द्र, पुनः मतदान केन्द्रों का प्रतिशत, कुल सीटें जिन पर चुनाव हुऐ पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की क्या भूमिका रही, महिलाओं की स्थिति का आंकलन, निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रयास, मतदान खर्च लगभग 25–30 करोड़, प्रत्येक मतदान केन्द्र का परिव्यय, प्रति मतदाता खर्चा, मतदान का माध्यम, दोनों बार इन चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का ही प्रयोग हुआ।

यदि मतदान दलों के गठन पर विचार किया जावे तो इनमें जिले और जिले से बाहर के कर्मचारी लिऐ गये थे। यदि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने को लेकर विश्लेषण करे तो काँग्रेस के अशोक गहलोत और भाजपा की वसुंधरा राजे प्रमुख थे। चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, बिजली, बाजरा एवं अकाल प्रबंधन तथा हड़तालों से ठप्प हुआ प्रशासन कार्य आदि लिया गया। परन्तु 2008 में 2003 के विपरीत काँग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ और अंततः वह सरकार बनाने में सफल रही सार्वजनिक जीवन जनकल्याण, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी समस्याऐं नई बनने वाली सरकार के सम्मुख थी जिनका 2003 और 2008 में बनने वाली सरकारों ने सुलझाने का प्रयास किया।

परन्तु वास्तविकता यह है कि काँग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ निरन्तर गिरता गया और 2013 आते आते ऐसा कहा जाने लगा कि काँग्रेस हार रही है इस कालांश में काँग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की केन्द्रीय सरकार की लोकप्रियता में भी कमी आयी उस दौरान जो घोटाले हुऐ उनको लेकर सक्रिय हुऐ

अरविन्द केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव के आन्दोलनों ने आग में घी का काम किया और इस गठबंधन सरकार को और कमजोर कर दिया।

दूसरी ओर काँग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने भी अपने आप को ताकतवर बनाया और उसके पक्ष में कुछ ऐसी लहर सी बन गई कि प्रदेश और देश दोनों ही जगह काँग्रेस का सफाया हो गया। कोटा में दिग्गज काँग्रेसी होने के बाावजूद भी वे अपनी सीट नहीं बचा पाये।

वर्तमान परिदृश्य यही है कि एक तरफ बीजेपी की सरकार अपनी उपलब्धियों और जन–समर्थन का बखान करते नहीं थकती और 2018 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों में कोटा क्षेत्र से सफलता प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हैं। दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक क्षैत्र में अपराध वृद्धि, सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुलना, किसान आन्दोलन, बेरोजगारी आदि समस्याऐं बढ़ रही हैं 21 वीं सदी में राजस्थान और कोटा में चुनावों में हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए काँग्रेसी यही उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि उनको अवसर अवश्य मिलेगा।

शोधार्थी का मत है कि यदि ऐसा होता है तो वह लोकतंत्र की व्यवस्था और विकास में उचित होगा, मतदाता हर प्रकार से लोकतंत्र को बचाऐ रखने के लिऐ और किसी भी दल को अधिमापक होने का अवसर न देने के लिऐ दृढ़ संकल्प दिखाई देता है इस तरह से जागरूक मतदाता लोकतंत्र को बचाने और उसका विकास करने में प्राण वायु का कार्य करता है। अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि राजस्थान प्रदेश में चाहे वह कोटा हो यो सम्पूर्ण राजस्थान लोकतंत्र का भविष्य सुनिश्चित है।

****

संदर्भ सूची

1. राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर से प्राप्त सांख्यिकी।

2. वही

3. वही

4. वही

5. वही

****

अध्याय अष्ठम्

समग्र मूल्यांकन

अध्याय अष्ठम

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन मुख्य रूप से लोकतंत्र से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि लोकमत और मतदान व्यवहार एक तरह से लोकतंत्र के आधार है और उन्ही के आधार पर लोकतंत्र में प्रायः विधानमण्डलों का गठन होता है वर्तमान में लोकतंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मान लिया गया है और प्रायः सभी देश अपने आपको लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। जनता की इच्छा की सर्वोच्चता, प्रतिनिधि सरकार, विपक्ष, समयबद्ध चुनाव, वयस्क मताधिकार, उत्तरदायी संवैधानिक सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका, राजनीतिक दलों की उपस्थिति, स्वतंत्रता एवं अधिकार लोकतंत्र को अत्यंत लोकप्रिय एवं स्वस्थ शासन प्रणाली मानने में प्रबल रूप से मददगार साबित होते हैं।

अब यह तथ्य निर्विवाद ही है कि भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्रों में इसे सबसे स्थिर लोकतंत्रों में भी सम्मिलित किया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के अन्तर्गत इसे स्वीकार भी किया है अतः यह समसामयिक इतिहास की एक सच्चाई है। यह बात तब और प्रबल लगती है जब हम अपने पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र की त्रासद स्थिति को देखते हैं किन्तु फिर भी हमारे सामने प्रश्न है कि क्या हमारा लोकतंत्र सभी बुराईयों से परे एक आदर्श लोकतंत्र है ? दर असल यदि आज हम देखें तो भारत में कोई भी प्रणाली चुनाव पर आधारित या अन्य पूर्णरूप से आदर्शात्मक लोकतंत्र की छवि प्रस्तुत नहीं करती। अतः हमारी राजनीति हमारे विधानमण्डलों का गठन विशेष तौर पर हमारी निर्वाचन प्रणाली इसका अपवाद नहीं है।

चूँकि यह प्रश्न अब विधानमण्डल के गठन पर आ गया है और चूँकि सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता की आम राय को लोकमत कहते हैं और उसको अभिव्यक्त करने का उपाय मतदान व्यवहार ही है अतः इस क्रम में लोकतंत्रीय प्रणाली में जो विकृतियाँ आई हैं उनको समझने के लिऐ 4 बिन्दुओं को भी समझना आवश्यक है –

1. **भावना** – भावना यदि विशुद्ध ओर पवित्र हो तो हमें बल प्रदान करने वाली होती है क्योंकि उसी से आंग्ल भाषा का Thirst For Democracy वाक्य

सार्थक होता है और अन्ततः यह भावना प्रबल होती है कि जिये तो लोकतंत्र के लिए और मरे तो लोकतंत्र के लिऐ यदि इस भावना को कुंठित या दूषित कर दिया गया तो लोकतंत्र भी दूषित हो जायेगा अतः हमारी भावना लोकतंत्र के प्रति परिष्कृत और पवित्र होनी चाहिए।

2. **संचालन** – लोकतंत्र में एक महत्त्वपूर्ण पहलू उसकी संस्थाओं का संचालन है और यह संचालन पक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के पास रहता है अर्थात् लोकतंत्र का संचालन राजनीतिक दल करते हैं इसीलिए अनेक बार यह कहा जाता है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र न होकर दलीय तंत्र है और यह माना हुआ तथ्य है कि दलों में अनेक दोष स्वीकारे गये हैं उन्हीं दोषों के कारण इस संचालन पक्ष की क्रियाओं से भी लोकतंत्र दूषित हो जाता है। अतः संचालन पक्ष के अवगुणों से भी निजात पाने की आवश्यकता है ताकि वे रास्ते में ही न भटकते रहे बल्कि ठीक से मंजिल पर पहुँचे ताकि मंजिल को उनके सद्प्रयासों, सद्गुणों और सत्कर्मों का लाभ मिल सके इसी कारण दलों की कार्य प्रणाली में निरंतर सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं।

3. **प्रशिक्षण** – साधारण शब्दों में प्रशिक्षित होकर दल संस्कारी बनते हैं तो यह कहा जाता है कि सीखे हुए व्यवहार का नाम ही संस्कार या संस्कृति है अतः यह सीखना आवश्यक है कि लोकतंत्र के लिऐ हमारा स्वभाव क्या हो, विरोधी मतों के प्रति हमारी प्रतिक्रया या अनुक्रिया क्या हो। यह सब आमजन को और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में भाग लेने वालों को तथा उन सबको सीखने की आवश्यकता है जो लोकतंत्र में सक्रिय रहने और सार्वजनिक पदों को धारण करने की मंशा रखते हैं।

4. **सहयोग** – प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की दृष्टि से यह पक्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में सभी मतदाता सहयोग पक्ष में ही आते हैं क्योंकि वे योग्य उम्मीदवारों का चयन करने में और अयोग्यों को सत्ता से बाहर रखने में सहयोग करते हैं, बीच में चाहे जो कुछ भी हो परन्तु अंतिम रूप से इन

मतदाताओं के कारण ही निर्वाचित संस्थाऐं आकार लेती हैं और उनकी भावनाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं।

परन्तु सहयोग पक्ष का संपन्न और समझदार होना आवश्यक है अन्यथा वे किसी भी प्रलोभन में आ सकते हैं या नासमझी कर सकते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ के लोकतंत्र प्रेमियों को यह अवश्य देखना चाहिऐ कि हमारे सहयोग पक्ष की स्थिति क्या है यदि वह समझदार नहीं है तो लोकतंत्र पर मूर्खों के शासन का आरोप लगेगा यदि वह सम्पन्न नहीं हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम नहीं हैं तो भी हमारे लोकतंत्र पर मूर्खों के शासन का आरोप लगेगा और हमारे लोकतंत्र की वही पहचान बन जायेगी।

आज भारतीय प्रजातंत्र की हालत बड़ी भयावह है लोक विचार विमर्श का स्तर निम्न कोटि का है, संसदीय गरिमा में गिरावट आती जा रही है चुनाव राजनीतिक दलों की नूरा–कुश्ती तक सीमित हैं, मुद्दों के अभाव में आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है।

राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाय। इससे दलीय विखण्डन रूकेगा। राजनीतिज्ञ अधिक उत्तरदायित्व महसूस करेंगे तथा लोक विचार–विमर्श का स्तर ऊँचा उठेगा।

लोक लुभावन जुम्बलेबाज राजनीति की बजाय मुद्दा युक्त अथवा स्पष्ट नीति वाली राजनीति होनी चाहिए। जिससे व्यक्ति समाज एवं देश का भला हो सके। राजनैतिक नेतृत्व को सरलता और सादगी से अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक योजनाओं को देश के समक्ष रखना चाहिए जिससे देश का जनमत अपनी स्पष्ट राय बना सके ना कि ''सनसनी जनक राजनीति'' यह क्षणिक लाभ तो दे सकती है पर स्थायी सोच एवं जनमत तैयार नहीं कर सकती है। इसलिए भारतीय राजनीति में गठबंधन की बेमेल सरकारें जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रही है।

मल्टिंग पॉट – जिसमें विविध जातीय संस्कृतियाँ अमेरिकी धारा में विसर्जित हो जाती है। इसके विरूद्ध बहुसंस्कृतियाँ 'सलाद पॉट' की अवधारणा प्रतिपादित करती है

जिसमें एक राष्ट्र की सीमाओं में रहते हुए भी संस्कृतियाँ अपनी अलग–अलग पहचान नहीं खोती है।

भारतीय राजनीति बहुसंस्कृतिवादी है सभी जातियाँ राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय जातिगत, क्षेत्रगत, धर्मगत या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर ही मतदान करती है। पिछले 70 दशक में बहुत ही कम अवसर आये हैं जब मतदान किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर हुआ है।

अतः एक पी.एच.डी.शोधार्थी के रूप में मैंने निरन्तर महसूस किया कि लोकमत, मतदान और मतदान व्यवहार को ठीक से परख कर ही लोकतंत्र की भावी संभावनाऐं बताई जा सकती हैं इसी कारण मैंने इस विषय का चयन किया और राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार का कोटा के विशेष संदर्भ में अध्ययन करके प्रस्तुत शोध तैयार किया।

वास्तव में कोटा में मतदान व्यवहार सामान्य रूप से राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय चुनाव व्यवहार से भिन्न नहीं रहा है राजस्थान में चुनावों और मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तनशीलता को समय समय पर राज्य और राष्ट्र की सामयिक आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है एक निश्चित समय और कुछ अवसरों पर राजस्थान के चुनाव परिणाम स्थानीय परिस्थितियों और मुद्दों से भी प्रभावित होते हुऐ भी थोड़े भिन्न रहे हैं। कोटा जिले के विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार के प्रस्तुत अध्ययन में निम्न निष्कर्ष उभरे हैं –

मतदान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सामंती प्रभाव का उल्लेख इस शोध ग्रंथ में अनेंक बार आया है अतः यह समझना आवश्यक है कि सामन्त कौन है इसका संक्षिप्त विवेचन वर्तमान संदर्भ में समीचीन होगा, राजस्थान राज्य का निर्माण भूतपूर्व रियासतों के विलय से हुआ था इन रियासतों में अनेक छोटे छोटे ठिकाने थे जो जमीदारों के अधीन थे इन ठिकानों से हासिल व महसूल एकत्रित कर जागीरदार अपने राजा को वार्षिक दर से दिया करते थे इन ठिकानों की स्थिति इनके आकार के हिसाब से होती थी छोटा ठिकाना कम से कम 5 गाँवों का हुआ करता था इससे बड़े ठिकाने 12 गाँव के तथा इससे बड़े भी हो सकते थे इन रियासतों के राज्य में विलय के साथ ही

इन्हें प्रिवियर्स नाम से वार्षिक भत्ता भी देय था जो बाद में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बंद कर दिया था जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के पश्चात् इन ठिकानों का अस्तित्व समाप्त हो गया था किन्तु उनका प्रभाव सामान्य जनजीवन पर वर्तमान तक भी बना हुआ है।

अतः कई स्थानों पर इन ठाकुरों/सामन्तों का प्रभाव काफी समय तक बना रहा और अभी भी आम नागरिकों में कहीं कहीं इनके प्रति लगाव ओर सम्मान दिखाई देता है जो लोकतंत्रीय मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं।

आदिकालों से ही राजस्थान में सामंतवादी प्रथा रही है विशेषकर कोटा और इसका राजनीतिक इतिहास सामंती प्रभाव की पृष्ठभूमि में ही लिखा गया है। यहाँ राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी सामन्तवाद का बोलबाला रहा है। कोटा जिले में कई ऐसे ठिकाने रहे हैं जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति को लम्बा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी दलितों एवं आदिवासियों के उत्पीड़न से सम्बन्धित कई मामले न्यायालय में वर्षों से विचाराधीन हैं। परन्तु पीड़ितों को न्याय प्राप्ति की गति अत्यंत धीमी रही है। इसके पीछे भी कहीं न कहीं सामन्तवादी प्रभाव हावी रहा है जिसने मतदान व्यवहार को भी पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया है।

राजनीतिक रूप में सामंती नेतृत्व विशेष रूप से कोटा जिले में लोकसभा चुनावों ओर विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में 1952 से अब तक रहा है हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कुल मिलाकर जिला मुख्यालय की राजनीति सदैव से सामंती प्रभाव में रही है।

मतदान के निर्धारित दिन से पूर्व मतदाताओं को रिझानें के असंवैधानिक प्रयास लगभग सभी दल करते देखे और सुने जाते हैं इनमें नकद राशि एवं शराब का खुलकर वितरण किया जाता रहा है। हॉलाकि, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण कठिनाई से ही उपलब्ध होते हैं विभिन्न मोहल्लों, वार्डों आदि में 15 से 50 हजार तक की शराब बाँटी जाती है औसतन हर वार्ड में 30 हजार तक की शराब बाँटी जाती है स्पष्ट है कि कुछ मतदाता शराब से खुश होते हैं तो कुछ मतदाता नकद रूपयों से। ये रूपये कभी मंदिर निर्माण के लिऐ तो कभी जाति पंचायत के मुखिया को जातिय वोट दिलवाने के लिऐ दिये जाते हैं।

इन सबके अतिरिक्त मतदान बूथ पर पहुँचाने के लिऐ यातायात के साधनों के लालच में आकर भी मत दे देते हैं अर्थात् जो दल उनको बूथ तक लाने ले जाने की व्यवस्था करता है वे उसी के पक्ष में मत देते हैं। मतदाताओं का यह तरीका लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए कितना ही घातक क्यों न हो मतदाता इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं।

चुनाव के समय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव से पहले या बाद में भोज आदि का आयोजन करके भी मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है कोटा विधानसभा क्षैत्र से जीतने और जीतने के लिऐ लालायित प्रत्याशियों के द्वारा पूर्व में ऐसे आयोजनों और भोज की व्यवस्था की जाती रही है।

अतः एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिऐ धन बल का सहारा लेकर कई स्थानों पर आम जनता को तत्काल पानी के हेंडपम्पों का निजि खर्च से प्रबन्ध करता है तथा कार्यकर्ताओं को जीत हो जाने पर कोई छोटा बड़ा वाहन देने का वचन भी दे देता है इन सभी प्रयासों से मतदाताओं के बदलते व्यवहार को अब तक के सभी चुनावों में देखा जाता रहा है।

अनेक बार जिले का राजनीतिक नेतृत्व बाहरी प्रत्याशियों के हाथ में भी आ जाता है। इस कारण उस स्थान का आम मतदाता स्वयं को उपेक्षित और प्रतिनिधि तक पहुँचने से वंचित समझता है इसी कारण बाहरी प्रत्याशियों के विरूद्ध विद्रेह के स्वर समय समय पर उठते रहते हैं मतदाताओं की इस भावना को समझते हुऐ दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल काँग्रेस और भाजपा स्थानीय प्रत्याशी ही खड़े करने का प्रयास करते रहे हैं इस स्थिति को लोकसभा के चुनाव में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

स्थानीय स्वशासन में जन सहभागिता को बढ़ाने एवं उपेक्षित व वंचित वर्ग को शासन में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिऐ 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन किये गये जिसमें महिलाओं के लिऐ एक तिहाई तथा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये गये इन प्रावधानों से महिलाओं और वंचित जातियों की राजनीतिक भागीदारी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे सफलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अतः आरक्षण से आम मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव देखा

गया है क्योंकि वंचित वर्ग के प्रत्याशी के लिऐ उसी वर्ग के लोगों में अधिक उत्साह रहता है परन्तु मतदान प्रतिशत में गिरावट नहीं होने से अन्य मतदाताओं की रूचि भी चुनाव में दल के प्रत्याशी के रूप में बनी रहती है और वे मतदान में भाग लेकर अपनी पसंद के दलीय प्रतिनिधि को जिताने के प्रयास करते हैं।

जिले में मतदाताओं का चुनावी व्यवहार जाति, जाति पंचायत एवं जातिय संगठनों से प्रभावित होता है यह प्रभाव स्थानीय निकायों के चुनावों में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आम मतदाता अपने मत उस दलीय व्यक्ति विशेष को नहीं दे पाते हैं जिसके पक्ष में मतदान करना सम्पूर्ण राष्ट्र व समाज के लिऐ उचित है। वरन् मतदाता अपने सिद्धान्तों एवं अपने अन्तर्मन की आवाज़ के विरूद्ध जातीय पंचायत के निर्णय के अनुसार किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय कर लेते हैं।

कोटा में अनेक जातियाँ हैं जो राजनीति को सक्रिय रूप से प्रभावित करती हैं इनमें कोटा विधानसभा क्षेत्र में राजपूत, बाह्मण, जैन, धाकड़, नागर, मुस्लिम, गुर्जर, यादव, अनुसूचित जाति, जनजाति, भोई, भील, बंजारा आदि, अनेक प्रभावी जातियाँ हैं जिनके समर्थन के बिना चुनाव जीतना किसी भी दलीय प्रत्याशी के लिऐ संभव नहीं है चुनावों में जाति का प्रभाव इतना महत्त्वपूर्ण रहा है कि कुछ जातियाँ जातिय आरक्षण को मुख्य मुद्दा बनाकर राजनीतिक दलों पर दबाव डालने का कार्य भी करती हैं जैसे सन् 2003 के विधानसभा चुनाव और सन् 2004 के लोकसभा चुनावों में राजपूत और बाह्मण आरक्षण मंच चर्चित रहे।

प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि का मतदान व्यवहार में काफी प्रभाव रहता है जो कभी कभी जातिवाद, पार्टी और अन्य प्रमुख मुद्दों को भी पीछे छोड़ जाता है। व्यक्तिगत प्रभाव विधानसभा क्षेत्र विशेष या जिले के मतदान व्यवहार में कई चुनाव क्षैत्रों में देखने को मिला है। यही कारण है कि प्रमुख पार्टी के बागी उम्मीदवार भी अपनी स्वयं की छवि के कारण चुनाव में जीत जाते हैं। कोटा में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है ओर कई प्रत्याशियों ने तो ऐसी छवि बना ली है कि वे लगातार विधानसभा चुनावों में जीतते आ रहे हैं यह उनकी व्यक्तिगत छवि का ही परिणाम है।

कोटा जिला पूर्व में औद्योगिक नगरी की पहचान बना चुका है और अभी भी इसमें सीमेंट, मार्बल, इमारती पत्थर, खाद्य व बिजली उद्योग मुख्य रूप से चलते हैं। इन सभी में बड़ी संख्या में श्रमिकों का नियोजन है जो लगभग सभी श्रम संगठनों से सम्बद्ध है हालांकि कुछ उद्योग बंद भी हो गये हैं उद्योगों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षैत्रों में रोड़वेज, सिंचाई, व वन विभाग प्रमुख हैं जिनके श्रम संगठन चुनावों को प्रभावित करते हैं इन श्रम संगठनों की राजनीतिक दलों से सम्बद्धता सर्व विदित है जैसे इंटक एन.एस.यू.आई. यूथ काँग्रेस समर्थित संघ है जैसे –ए.बी.वी.पी., आर.एस.एस.,भामस, आदि भाजपा समर्थित संघ हैं तथा सीटू कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध है इन संगठनों से जुड़े व्यक्ति अपनी समर्थित पार्टी के पक्ष में खुले रूप से प्रचार प्रसार करते हैं जिनसे मतदाता प्रभावित होते हैं।

वर्तमान में शिक्षा नगरी के रूप में भी कोटा ने पहचान बनाई है। उद्योग व्यवसाय और शिक्षाविद् किसी न किसी रूप में मतदाताओं को अवश्य प्रभावित करते हैं।यहाँ तक कि ये व्यक्ति आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सम्पन्न होते हैं और इस कारण चुनावों में प्रत्याशी की सहायता कर अपने हित के कार्य करवाने के लिऐ दबाव भी डालते हैं।

राजस्थान के कुछ अन्य जिले ऐसे हैं जिनमें हर बार एक ही प्रत्याशी को निर्वाचित करने अथवा उसे एक बार से अधिक जिताने की परम्परा लगभग कम है परन्तु कोटा जिले में यहाँ तक कि कोटा विधानसभा क्षैत्र में प्रत्याशी का एक से अधिक बार जीतने के उदाहरण हैं। यह उदाहरण 20 वीं एवं 21 वीं दोनों ही सदियों में चिह्नित किये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा प्रायः तभी होता है जब जनता की जागरूकता और जन आकांक्षाओं पर प्रत्याशी खरा उतर सके, वादे पूरे न कर पाने के कारण प्रत्याशी की लोकप्रियता अगले चुनाव में कम हो जाती है और मतदाताओं का समर्थन नये प्रत्याशी के पक्ष में चला जाता है कोटा में शांति धारीवाल और ओम बिडला के मध्य तथा प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के मध्य यह स्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है। लाड़पुरा व रामगंजमंडी से भी भवानी सिंह राजावत और चन्द्रकान्ता मेघवाल एक से अधिक बार लगातार जीते हैं इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि मतदाता गत्यात्मकता में अधिक विश्वास रखता है।

ऐसा माना जाता है कि अशिक्षित मतदाताओं में जागरूकता की कमी होती है जिसको ध्यान में रखते हुऐ प्रत्याशियों के प्रचारकों द्वारा 1952 के प्रथम चुनाव से लेकर

अब तक प्रचार के नये नये अनुचित तरीकों का आविष्कार कर मतदाताओं को भ्रमित भी किया जाता रहा है ग्रामीण मतदाताओं को यह मिथ्या प्रचार सर्वाधिक प्रभावित करता है इसका सीधा उदाहरण चुनाव में इलेक्ट्रानिक मशीन के पहली बार प्रयोग के समय देखा गया क्योंकि मशीन के बटन दबाने की गलत सूचना प्रचारित की गई कि यदि वे मशीन का पहला बटन दबा देगें तो मशीन चालू हो जायेगी ओर इसके बाद वे अपनी पसन्द के उम्मीदवार के लिऐ बटन दबा सकते हैं यह प्रचार उन क्षैत्रों में किया गया जहाँ पहले स्थान पर प्रत्याशी विशेष का नाम था इसी प्रकार किसी बटन विशेष के लिऐ करंट आने का भय भी दिखलाया गया जिससे वे इच्छित बटन न दबा सकें।

अशिक्षा के कारण बेलिट पेपर पर गलत निशान लगाने से खारिज मतों की संख्या बहुत होती थी जो EVM के प्रयोग से न्यूनतम हो गई गत चुनावों में इस मशीन से खारिज मतों की संख्या कोटा–उत्तर, कोटा–दक्षिण, लाड़पुरा, रामगंज मण्डी, सांगोद एवं पीपल्दा विधानसभा क्षैत्रों में (सभी में) कम ही रही पुनर्मतदान की समस्या भी कम हुई इस मशीन की उपयोगिता को ग्रामीण क्षैत्रों में स्वीकार किया गया और चुनावों में इसके प्रयोग से समय की बचत के कारण मतदान में भी रूचि बढ़ी। परन्तु अभी अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब अरूणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखण्ड आदि में EVM को लेकर शंकाऐं बढ़ गई हैं और इसके विषय में वास्तविक स्थिति को जानने के लिऐ सभी इच्छुक हैं।

सामान्य रूप से मंहगाई पर पर नियंत्रण न होने मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति से हर क्षैत्र में खर्च की सीमाऐं बढ़ी हैं चुनावी खर्च भी मंहगाई की इस मार से अछूता नहीं रहा है सरकारी खर्च में वृद्धि व निर्धारित समय से पूर्व होने वाले चुनाव भी सरकारी राजस्व घाटे को बढ़ाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। सन 1957 के चुनावों में चुनावी खर्च 5 पैसे प्रति मतदाता था जो 1998 तक आते आते 6.55 रूपये और 2003 में 7.4 रूपये तथा 2008 में 8.10 रूपये प्रति मतदाता हो गया अर्थात् यह वृद्धि 142 गुना तक बढ़ गई है साधनों के अभाव वाले देश में चुनावों पर इस प्रकार बढ़ता खर्च अन्ततोगत्वा जनता को ही वहन करना पड़ता है।

इस प्रकार प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में भी असीमित वृद्धि हुई है प्रथम चुनाव में प्रत्याशियों का चुनावी खर्च 1000–1500 तक ही सीमित था क्योंकि प्रचारक और

प्रत्याशियों में निष्ठा थी अब यह खर्च लाखों तक पहुँच गया है। यदि प्रत्याशी खर्च का सही ब्यौरा दें तो और भी अधिक व्यय प्रकट होगा अब तो चुनाव आयोग में भी विधायक ने लिऐ दस लाख व सांसद के लिऐ पच्चीस लाख रूपये खर्च की सीमा अंकित की है यह सीमा भी बहुत अधिक है और इससे चुनाव में धन बल के महत्त्व को स्वीकृति मिलती है।

अतः सामान्य साधनों वाला व्यक्ति इस दृष्टि से चुनाव में खड़े होने का विचार ही नहीं भर सकता, वास्तविक खर्च का आंकलन कर पाना भी चुनाव आयोग के लिऐ संभव नहीं रहता इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में चुनाव चाहे वे स्थानीय और प्रादेशिक हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के धन बल और बाहुबल के पर्याय बन चुके हैं। यद्यपि चुनाव आयोग इन प्रवृतियों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करता रहा है।

कोटा जिले में औसतन मतदान 1952 के चुनाव को छोड़कर परवर्ती चुनावों में 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच रहा है। स्थानीय चुनावों में यह 80 प्रतिशत तक भी चला गया। इसका कारण यह है कि स्थानीय निकायो में प्रत्याशी मतदाताओं के सीधे सम्पर्क में रहते है और उनमें उनकी रुचि भी रहती है। फिर भी हम स्वीकार कर सकते है कि समग्र रुप से जिले का मतदान राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लगभग बराबर रहा है। 2008 तक आते–आते यह 66.18 प्रतिशत स्वीकार हुआ है। प्रतिशत की दृष्टि से इसे औसत मतदान ही कहा जा सकता है।

केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिऐ प्रयुक्त मतदाता सूचियों में हेर फेर के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि कई बार इन सूचियों में अनेक मतदाताओं के नाम ही नहीं होते जिससे उनके समर्थक प्रत्याशी उनके मत से वंचित भी रह जाते हैं। चूँकि मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता यह स्थिति चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव नीति को प्रभावित करती है। कोटा के लिऐ यह कहा जाता है कि कोटा दक्षिण के क्षैत्र में पर्याप्त संख्या में बोगस मत हैं जिनका उपयोग कोई दूसरा ही करता है न कि स्वयं अधिकृत मतदाता। इस प्रकार की हेराफेरी मतदान में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से की जाती है। किन्तु इससे हानि की संभावनाऐं भी उतनी

ही रहती हैं। अतः इस प्रकार के अनैतिक कार्य का कोई विशेष लाभ किसी को भी नहीं मिल पाता परन्तु यह प्रयास निरन्तर होता रहता है।

संचार क्रांति ने चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित किया है चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के सार्वजनिक प्रकाशन पार्टी विशेष के पक्ष में मतदाताओं के बीच वैचारिक लहर में परिविर्तन करने व माहौल को गर्माने में सहायक सिद्ध हुऐ हैं परन्तु यह सर्वेक्षण कोटा की चुनावी राजनीति में शत प्रतिशत खरे नहीं उतरे हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिनमें राजस्थान में काँग्रेस सरकार के लिऐ ओर केन्द्र में बीजेपी समर्थित सरकार के लिऐ अनुमान घोषित किये गऐ थे परन्तु दोनों ही अनुमान गलत साबित हुऐ इन चुनावों के लिऐ इण्डिया टूडे, स्थानीय समाचार पत्र STN टी०वी० चैनल के द्वारा चुनाव सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किये गये थे इनमें जिसको विजयी बताया गया वह अविजयी रहा और जिसको हारने वाला बताया गया था उनके पक्ष में परिणाम निकल आये इनसे इन सर्वेक्षणों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है अतः कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इनसे मतदाता हताश और भ्रमित न हों।

वैश्विक औद्योगिकी की चमक ने चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है संचार क्रांति से जहाँ स्थानीय टी०वी० प्रसारण का खुलकर प्रयोग हुआ वहीं टेलीफोन और मोबाईल का प्रयोग भी विचित्र तरीके से किया गया इंटरनेट और अन्य संचार माध्यम प्रचार के सूत्र के रूप में काम में लिये गये टेलीफोनों पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिऐ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी व वसुन्धरा राजे के टेप किये गये संदेश सुनाये गये जिसमें वोट देने की प्रत्यक्ष रूप से अपील की गई थी। बाद में स्थानीय उम्मीदवार विशेषकर ओम बिडला के संदेश भी मोबाईल पर आते रहे इससे मतदाता के ध्यान में यही आया कि उससे व्यक्तिगत रूप से अपील की जा रही है। अतः वे उनके पक्ष में वोट देने को प्रेरित हुऐ उस समय के बाद निरन्तर इस प्रकार की रणनीति बढ़ी है सेलफोन के प्रयोग से दूरस्त क्षैत्रों में लोगों से सम्पर्क करके चुनावों के नतीजे जानने और मतदाताओं को मोबाईल से बात करने में राजनीति दलों और उनके प्रचारकों को काफी सहायता मिली।

राज्य की राजनीति के समान ही कोटा में भी मुख्य रूप से राजनीति दो दलों भारतीय जनता पाटी व काँग्रेस पार्टी में केन्द्रित हो गई है। अन्य दलों का अस्तित्व नहीं के बराबर है निर्दलियों की संख्या चुनाव दर कम होती जा रही है विरोधी मतों को काटने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किऐ जाते थे वह प्रवृति भी कम होती जा रही है। कोटा इससे अछूता नहीं है अतः विधानसभा चुनावों, पंचायती राज व नगरीय चुनावों में यही स्थिति देखी जा सकती है जहाँ प्रमुख दो पार्टियों – भाजपा व काँग्रेस के अतिरिक्त अन्य दल प्रभावहीन हैं।

धर्म का भी राजनीति एवं मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर सभी राजनीतिक दलों, नेताओं व उनके कार्यकर्त्ताओं के द्वारा धार्मिक आयोजन करवाए जाते हैं। धार्मिक सभाओं में भाग लेना, धार्मिक मेलों में भाग लेना, धार्मिक स्थलों के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए पैसे देना आदि कार्य किए जाते हैं। जिससे धर्म विशेष के लोगों का इनके प्रति झुकाव हो जाता है। जो कि मतदान के समय इनके व्यवहार को प्रभावित करता है।

नेतृत्व से भी मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। अर्थात् यदि प्रत्याशी बड़े कद का नेता है तथा उसमें नेतृत्व क्षमता अधिक है तो वह अपने विलक्षण नेतृत्व के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करके जीतने में सफल हो जाता है। कोटा में शांति धारीवाल, ओम बिरला, प्रलाद गुंजल की नेतृत्व क्षमता को सर्वविदित माना जाता है।

भूमाफियाओं के द्वारा भी राजनीति व चुनाव को प्रभावित किया जाता है। तथा यह स्थिति राज्य एवं स्थानीय स्तर के सभी चुनावों में देखी जा सकती है। ये अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रचार में जमकर पैसा खर्च करते हैं। कार्यालय खोलने से लेकर खाना खिलाने शराब व पैसा बाँटने तक का काम भूमाफिया करते हैं। ताकि चुनाव जीतने के बाद इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सके। इससे मतदान व्यवहार प्रभावित होता है परन्तु लोकतंत्र के लिए यह प्रवृति हानिकारक है। कोटा में भी सभी चुनावों में यह खूब होता आया है।

संक्षेप में मतदाता वर्ग में जागरूकता का ग्राफ ऊँचा होता जा रहा है परन्तु चुनावों में (कोटा में भी) बहुबल एवं धनबल, फर्जी मतदान, जातिवाद, धर्म, स्वार्थपूर्ण मुद्दे, अनुचित आरक्षण व रियायतों की मांग, अपराधीकरण, अशिक्षा से अनुचित लाभ लेना, मतदाता की

उदासीनता, असीमित चुनावी खर्च आदि के निरन्तर बढ़ते प्रयोग से लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा कलुसित होती प्रतीत हो रही है। आम चुनावों को व्यापार के रूप में देखा जाने लगा है जहाँ प्रत्याशी पहले तो असीमित धन राशी वोटों को खरीदने के लिऐ खर्च करता है और यदि वह चुनाव जीत जाता है तो अपने चुनावी खर्च से कई गुना राशी अनैतिक एवं गैर कानूनी रूप से अर्जित करने में व्यस्त हो जाता है तथा जनता से किये गये तमाम वादे चुनावी वादे मात्र रह जाते हैं और चैनलों द्वारा उद्घाटित तरह तरह के आपरेशन सामने आते हैं तो सामान्य जन स्तब्ध रह जाता है।

इन बुराईयों को किसी भी बाहरी दबाव अथवा कानून से रोका जाना संभव नहीं हो पाया है इसके लिऐ मतदाताओं में चेतना एवं जागरूकता का इस स्तर तक विकास करना आवश्यक है कि ये अच्छे और बुरे में भेद कर सके, बुराईयों को राष्ट्र हिताहित की दृष्टि से देख सकें और उन्हें स्व–प्रेरणा से समाप्त कर सकें, ऐसे नैतिक स्तर का विकास केवल सतत प्रयत्नों से ही संभव है माना जाता है कि धन और स्वार्थ सभी बुराईयों की जड़ है। अतः इन पर अंकुश लगाना और उस पर अमल करवाना बहुत आवश्यक है इसके लिऐ चुनाव आयोग काफी प्रयत्न करता रहा है फिर भी यह प्रयास कम है मतदाताओं को मतदान के लिऐ यातायात सुविधाऐं सरकारी प्रबन्ध से हो, चुनाव खर्च निश्चित सीमा में सरकार द्वारा वहन किया जाये व उस पर पूर्ण अंकुश हो, अपराधी तत्वों को चुनाव से यथा संभव दूर रखा जाये मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध होते हुऐ भी इनका खुलकर प्रयोग होता है और इसकी जानकारी भी सभी को होती है। अतः इस पर कठोरता से नियंत्रण आवश्यक है। पैसे के आदान प्रदान पर पूरी नज़र रखी जाये तथा लोक लुभावन घोषणाओं को गैर कानूनी करार दिया जाये।

यद्यपि कोटा जिस भारत देश में है उस देश में मतदाताओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। परन्तु इसमें प्रतिनिधि का अवांछित पाये जाने पर वापस बुलाने का प्रावधान नहीं रखा गया था किन्तु वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक आपराधीकरण और व्यवसायीकरण के कारण इस बिन्दु पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। जिससे जन प्रतिनिधियों पर मनमानी करने व जनहित विरोधी कार्य करने पर अंकुश लगाया जा सके इस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान ओर उस पर अमल एक कठिन कार्य है किन्तु कुछ परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है।

मतदान व्यवहार पर यह शोध स्पष्ट करता है कि स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इसे नैतिक मूल्यों पर आधारित करना सामान्य जनता, मतदाताओं तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का कर्त्तव्य बन जाता है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना और लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था हो वर्तमान स्थिति में भारी बदलाव और लोकतंत्र के उच्च आदर्शों जैसे Fellow Feeling, Brotherhood, Freedom, equality, Justice आदि उच्च आदर्शों की सख्त आवश्यकता है तभी हम अपने लोकतंत्र के साथ मजबूती से गर्व के साथ खड़े हो सकेगें।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ को पूर्वाग्रहों एवं पूर्वमान्यताओं से ग्रसित हुऐ बिना निष्पक्ष, बौद्धिक, लौकिक और मानवतावादी दृष्टि से अध्ययन मनन करने पर इसमें विश्लेषित मतदान व्यवहार का अध्ययन निश्चित ही सार्थक, समसामयिक, प्रासंगिक और रूचिकर होगा, इसी कामना के साथ समाप्त करता हूँ कि हमारा लोकतंत्र चिरायु हो।

****

शोध संक्षिप्तीकरण

‘kk/k संक्षिप्तिकरण (lejh½

आधुनिक लोकतंत्र की गत्यात्मकता व निरंतरता चुनावों पर निर्भर करती है। निर्वाचन रूसों के द्वारा परिभाषित सामान्य इच्छा का परिमापक है। राजनीतिक इच्छा का एक मात्र साकार रूप मतदाता होता है सामान्य इच्छा सभी मतदाताओं की स्वतंत्र व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है।

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शों को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है उन्हें यथार्थता के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का होता है जो निर्वाचन के फलस्वरूप पदासीन होती है।

भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें संघात्मक गणतंत्र में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार को स्थापित करने की पहली शर्त होती है। लोकतंत्र में जनता अपने मत के माध्यम से जो इच्छा प्रकट करती है उसके इस राजनीतिक व्यवहार को ही साधारण अर्थों मे मतदान व्यवहार कहा जाता है।

प्रस्तुत शोध राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार से संबंधित है। अतः इसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मतदान व्यवहार क्या है? इसके अध्ययन की प्रकृति क्या है? इस शोध प्रबंध का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? इस शोध से संबंधित किस प्रकार का साहित्य उपलब्ध है? क्यों इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन नहीं हुए हैं या नये अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? इसकी शोध पद्धति क्या है? इसमें किन विभिन्न परिकल्पनाओं को परखने का प्रयास किया गया है? इसमें किन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास किया गया है? आदि।

उक्त क्रम में लोकतंत्र में यदि मतदान व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करें तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्रों के पर्याप्त विस्तृत होने के कारण जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग लेना संभव न होने के कारण चुनाव और मतदान व्यवहार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है और ज्यों ज्यों भारत में लोकतंत्र लोक लुभावन नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणाओं से लोकप्रिय हुआ है

उसके साथ ही निर्वाचन और मतदान व्यवहार का अध्ययन भी व्यापक समर्थन प्राप्त करने में लगा है अतः एक तरह से इसको समझना लोकतंत्र के आधार को समझना है।

साधारणतः इसका अभिप्रायः यही है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं और कौनसे तत्व उसे इस संबंध मे निरुत्साहित करते हैं।

द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव से पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी। इस शोध प्रबंध में मतदान व्यवहार का अध्ययन 2003 और 2008 के चुनाव के बाद ही किया गया है।

20 वीं सदी की यह एक विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका में दो विश्वयुद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्धों के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया।

भारत में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनों को अपनाया गया। अभी हाल ही के वर्षों में भारत में इस विषय पर प्रचुर मात्रा में साहित्य प्रकाशित हुआ है जो आनुभाविक ओर वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित है।

वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों की जटिल भूमिका को निर्वाचकों के मतदान व्यवहार के आधार पर ही स्पष्ट करना संभव है इस कारण मतदान आचरण का अध्ययन न केवल भारत मे बल्कि सभी देशो में स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकप्रिय होने लगा हैं इसी लिए जिला स्तर पर यह अध्ययन किया गया है।

इस प्रस्तावित शोध कार्य का शीर्षक – राजस्थान विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार (कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 के तुलनात्मक अध्ययन) है। जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक अत्यंत ही प्रासंगिक, सर्व

जनकल्याणकारी, उपादेय, सार्वभौमिक, सार्वजनिक स्वरूप वाला एवं रूचि के अनुरूप अभीष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला विषय है यह कार्य भूमिका में शोध लक्ष्य निर्धारण एवं शोध सार संक्षिप्तिकरणोंपरान्त मौलिक विषय के आठ अध्यायों में प्रस्तावित है –

प्रथम अध्याय – परिचयात्मक, है इसमें विषय का पूर्ण परिचय एवं भूमिका को स्पष्ट किया गया है तथा इसमें लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया एवं मतदान व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए मतदान व्यवहार के उद्देश्यों एवं अन्य देशों में किये गये अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है।

इसके अन्तर्गत मतदान व्यवहार के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को बताया गया है साथ ही मतदान के अध्ययन की भिन्नताओं को स्पष्ट किया गया है। इसमें देश, राज्य एवं स्थानीय स्तर तथा कोटा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों यथा जातिवाद, आर्थिक स्थिति, सत्तारूढ़ दल के आचरण एवं क्रियाकलापों, नेतृत्व राजनीतिक स्थिरता व अस्थिरता, युद्ध की सफलता–असफलताओं, क्षेत्रवाद, राजनीतिक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम एवं नीतियों, भाषावाद, सामंती व्यवस्था, राजनीतिक दलों के अतीत के क्रियाकलाप, आर्थिक साधन एवं स्थित तथा राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्याशी चयन एवं लहर का मतदान व्यवहार पर पढ़ने वाले प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया गया है।

इसमें शोध के उद्देश्यों, अध्ययन की प्रकृति एवं प्राकल्पनाओं को बताया गया है तथा अध्ययन की उपयोगिता/औचित्य एवं महत्त्व का लोकतंत्र के निरंतर विकास एवं सुदृढीकरण के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

इसमें शोध पद्धति और प्रविधि के रूप में आधुनिक शोध विधि विज्ञान की सर्वे अनुसंधान विधि, पर्यवेक्षण, वर्णमापन, स्वीकृति या अस्वीकृति, आगमनात्मक, समीकरण व्याख्या, तार्किक अध्ययन, निगमनात्मक युक्तिकरण अध्ययन एवं परीक्षण आदि की व्याख्या की गई है।

इसके अन्र्तगत उपलब्ध शोध साहित्य की विषयानुसार संक्षिप्त सीमीक्षा की गई है तथा विषय का परिचय देने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय – लोकतंत्र में निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार एवं आचार संहिता, में भारत में निर्वाचन व्यवस्था के विकास एवं वर्तमान स्वरूप का विवेचन किया है।

इसमें भारत एवं विश्व में प्रचलित निर्वाचन प्रणालियों यथा बहुमत प्रणालियाँ, पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ आदि को समझाने का प्रयास किया है।

निर्वाचन के उद्देश्यों, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों, मूल्यों एवं मान्यताओं को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

निर्वाचन की स्वतंत्रता तथा भारतीय एवं राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन उनकी कार्य प्रणालियाँ, कार्य एवं संवैधानिक व्यवस्था का विश्लेषण किया है।

वैध एवं निष्पक्ष सरकार, सम्प्रभुता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में निर्वाचन व्यवस्था को स्पष्ट किया है।

भारत में निर्वाचन व्यवस्था के विकास एवं भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना को स्पष्ट किया गया है।

निर्वाचन आयोग एवं सरकारों के द्वारा किये गये चुनाव सुधार कार्यों एवं निर्वाचन व्यवस्था की कमियों एवं उन्हें दूर करने के प्रयासों का वर्णन किया गया है।

चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों केन्द्रीय एवं राज्य चुनाव आयुक्तों के कार्य एवं भूमिका तथा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

तृतीय अध्याय – राजस्थान में लोकतांत्रिक राजनीति का एक ऐतिहासिक परिचय, के अन्तर्गत राजपूताना में स्वतंत्रता से पहले की रियासतों एवं ठिकानों की स्थिति का वर्णन किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान में रियासतों के एकीकरण तथा सात चरणों में हुए राजस्थान के निर्माण का विवेचन किया गया है।

राजस्थान में हुए प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 तथा प्रथम बार गठित लोकतांत्रिक एवं निर्वाचित सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

भारत में स्थापित लोकतंत्र की व्यवस्था में राजस्थान में प्रथम राज्यपाल गुरूमुख निहाल सिंह से लेकर वर्तमान राज्यपाल कल्याण सिंह के कार्यकालों का वर्णन किया गया है।

राजस्थान में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पं. हीरालाल शास्त्री बने जबकि प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 के पश्चात् प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने इनसे लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे तक की नियुक्ति एवं सरकारों के गठन तथा कार्यकालों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

इस पूरे समय में 1949 से लेकर वर्तमान तक राजस्थान की राजनीति में जो प्रवृतियाँ उभरी यथा राजनीतिक अस्थिरता, एक दलीय प्रभुत्व, विपक्ष एवं संविदा सरकारों का गठन, गुटबंदी से ग्रसित पुनः कांग्रेसवाद, त्रिशंकु बहुमत का भाजपावाद एवं स्पष्ट बहुमत का काल आदि का चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण किया गया है।

1952 से लेकर अब तक राजस्थान में 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की राजनीति ने अनेक आयामों को छुआ है तथा राजनीतिक विकास यात्रा में अनेक प्रवृतियाँ सामने आयी हैं जैसे – जाति प्रधान राजनीति, बहुदलीय राजनीति में द्विदलीय व्यवस्था, गुटबंदी का बढ़ता विस्तारवाद, क्षेत्रियता की धारणा से प्रभावित राजनीति, दल बदल एवं जोड़–तोड़ की राजनीति, निर्दलियों की निर्णायक स्थिति, राज्य राजनीति में प्रदेशोत्तर बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप, सशक्त प्रतिपक्ष एवं विपक्षी सरकारें, सामंती तत्वों की प्रभावी भूमिका, अभाव के बावजूद बढ़ती राजनीतिक सहभागिता, प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किये गये प्रयास इत्यादि का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

इसमें राजस्थान में हुए प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर वर्तमान 14 वी विधानसभा चुनाव 2013 तक कुल विधानसभा सीटों, दलों, प्रत्येक विधानसभा चुनाव में दलों को प्राप्त

स्थानों, मत प्रतिशत एवं किस दल की सरकार बनी का वर्णन तालिका के माध्यम से किया गया है।

प्रथम विधानसभा आम चुनाव 1952 से लेकर 14 वीं विधानसभा चुनाव तक प्रत्येक चुनाव में हुए मतदान प्रतिशत का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है। चुनाव में जनता की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है जहाँ प्रथम आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत 37.42 था वहीं 14 वीं विधानसभा 2013 में सर्वाधिक 68.34 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

इसमें प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से लेकर 12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 तक निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या एवं उनमें से विजयी प्रत्याशियों की संख्या का विवेचन किया गया है।

राज्य में प्रथम विधानसभा से लेकर वर्तमान 14 वीं विधानसभा तक विजयी महिला उम्मीदवारों की संख्या का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – कोटा जिले का परिचय–ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मतदान व्यवहार का अध्ययन कोटा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 का तुलनात्मक अध्ययन के विशेष सन्दर्भ में किया गया है। अतः इस स्थान एवं जिले का परिचय देना अनिवार्य है।

कोटा नगर की नींव 1371 ई॰ में कोटिया भील नामक व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी तथा कोटा बून्दी जिले का एक परगना था। सन् 1625 ई॰ में बुन्दी से अलग एक पृथक रियासत बना, तब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कोटा रियासत के शासकों के कार्यकालों एवं उनके समय घटित विशेष घटनाओं एवं ऐतिहासिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

सामाजिक दृष्टि से रियासती काल से लेकर वर्तमान तक कोटा की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, साक्षरता, स्त्री–पुरूष लिंगानुपात तथा स्त्री–पुरूष मतदाताओं की संख्या एवं इन सबका विविध चुनावों तथा मुख्यतः 2003 व

2008 के विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार पर पढ़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है।

भौगोलिक दृष्टि से कोटा राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी भाग में स्थित है इसके पश्चिम में चित्तौड़गढ़, दक्षिण में झालावाड़ व मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, पूर्व में बारां जिला व पश्चिम में बुन्दी जिला स्थित है जिले की जलवायु सघन एवं सुस्त है तथा इस जिले में कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं इनमें चम्बल, कालीसिंध, पार्वती व परवन प्रमुख हैं।

जिले का क्षेत्रफल 5217 वर्ग कि.मी. है इसमें शहरी 310 व ग्रामीण क्षेत्रफल 4907 वर्ग कि.मी. है जिले मे जवाहर सागर, कोटा डेम, कोटा बैराज, सावन भादों एवं अलनियाँ आदि प्रमुख बांध बनाये गये हैं।

इसमें जिले में स्थित वन क्षेत्रों, अभ्यारण्यों, झीलों, नदियों, सहायक नदियों एवं फसलों आदि का वर्णन किया गया है।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से जिले के उपखंडों, तहसीलों, जिला परिषद्, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, विधानसभा क्षेत्रों एवं लोकसभा क्षेत्र आदि की संख्या एवं स्थिति को बताया गया है तथा साथ ही इनके चुनावों, वर्तमान पदाधिारियों, उनके निर्वाचन, कार्यकाल एवं दलीय स्थिति का वर्णन किया गया है।

सांस्कृतिक दृष्टि से कोटा जिले की संस्कृति, धार्मिक स्थलों, मेलों, तीज त्योहारों, पर्वों, आयोजनों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करते हुए इनका मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर पढ़ने वाले प्रभावों को समझाया गया है।

आर्थिक दृष्टि से कोटा एक पूर्ण सिंचित उपजाऊ भूमि वाला जिला है यहाँ धनियाँ, सोयाबीन, लहसुन, सरसों, गेहूँ, संतरा, चावल आदि मतत्त्वपूर्ण फसलों का उत्पादन होता है। पूर्ण सिंचित नहरी क्षेत्र होने के कारण फसलें अच्छी होती हैं साथ ही यहाँ कई औद्योगिक इकाईयाँ भी हैं जिनमें पत्थर, सीमेंट, खाद्य एवं कोटा डोरिया आदि प्रमुख हैं तथा कोटा में संचालित प्रमुख कोचिंग संस्थानों ने भी कोटा की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है तथा इन सबका मतदान व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको स्पष्ट किया गया है।

निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर जिले की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

पंचम अध्याय – कोटा विधानसभा चुनाव 2003 एवं मतदाताओं का मतदान व्यवहार, में 2003 में हुए 12 वीं विधानसभा चुनाव में कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्रों तथा मुख्यतः कोटा विधानसभा सीट का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

इसमें कोटा जिले की पाँचों विधानसभा सींटों पर हुए चुनाव, मतदान प्रतिशत, उम्मीदवारों की दलीय स्थिति एवं निर्वाचित उम्मीदवारों का वर्णन किया गया है।

राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव 1952 से लेकर 12 वी विधानसभा चुनावों 2003 तक प्रत्येक विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का विश्लेषण किया गया है।

12 वीं विधानसभा चुनाव 2003 में प्रमुख मुद्दों, हार जीत के कारणों, स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, उम्मीदवारों की स्थिति, दलीय समीकरणों, जातीय प्रभावों, क्षेत्रीय विशेषताओं तथा निर्वाचित उम्मीदवारों की स्थिति आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इस चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामान्य एवं विशेष कारकों तथा कोटा व राजस्थान के सन्दर्भ में विशिष्ट तथ्यों एवं सरकार बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों का विश्लेषण किया है।

कोटा विधानसभा चुनाव 2003 में मतदाताओं की संख्या, महिला पुरूष मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या, दलीय स्थिति, प्राप्त मतों की संख्या तथा दलीय सफलताओं की तुलनात्मक समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सांख्यिीकी के आधार पर की गई है। यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है कि इस चुनाव में मतदाताओं का मतदान व्यवहार किस किस प्रकार से व कारकों से प्रभावित हुआ।

इसमें श्रीमती वसुन्धरा राजे की परिवर्तन यात्रा से लेकर सरकार के गठन एवं उसके समक्ष भावी चुनौतियों का भी संक्षिप्त विवेचन किया है।

“k”Be v/;k; – कोटा विधानसभा चुनाव 2008 एवं मतदाताओं का मतदान व्यवहार, में 2008 में हुए 13 वीं विधानसभा चुनाव में कोटा जिले के विधानसभा चुनाव का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इसमें चुनाव घोषणा, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन, चुनाव आचार संहिता, नामांकन प्रक्रिया, मतदाता पहचान पत्र एवं उम्मीदवारों की कुल संख्या का अध्ययन किया गया है।

प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार एवं घोषणा पत्रों का वर्णन किया गया है तथा काँग्रेस पार्टी व भाजपा के द्वारा इस चुनाव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, उद्योग, सड़कें एवं कर्मचारियों आदि से संबंधित की गई घोषणाओं का विवेचन किया गया है तथा साथ ही इन घोषणाओं का मतदान व्यवहार कर कितना प्रभाव पड़ा इसको स्पष्ट किया गया है।

इस चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे – राज्य में अशांति व गोलीकांड, जातिवाद, बागी प्रत्याशियों, टिकिट वितरण, पार्टी के शीर्ष नेताओं के आपसी मनमुटाव, गुर्जर आंदोलन, जोड–तोड़, विशेष आर्थिक जोन, प्राकृतिक प्रकोप, कर्मचारियों के तबादलों तथा इनका इस चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा और विशेषतः कोटा के मतदाताओं को किन कारकों व मुद्दों ने प्रभावित किया का विवेचन किया गया है।

13 वी विधानसभा चुनाव 2008 में कोटा दो विधानसभा क्षेत्रों, कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में विभाजित हो गया था। अतः इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या, दलीय उम्मीदवारों की स्थिति, मतदान प्रतिशत, चुनाव परिणाम एवं मतों की संख्या आदि का जिला निर्वाचन अधिकारी कोटा के कार्यालय से प्राप्त साख्यिीकी के आधार पर तालिका के माध्यम से विस्तृत विवेचन किया गया है।

निश्चित रूप से चुनाव में मतदान व्यवहार का अध्ययन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है एवं गतिशीलता प्रदान करता है यह लोकतंत्र की प्राणवायु है।

lIre v/;k; – कोटा विधानसभा चुनाव 2003 एवं 2008 का तुलनात्मक अध्ययन, है इसमें 12 वीं एवं 13 वीं विधानसभा चुनाव में कोटा विधानसभा के संदर्भ में मतदान व्यवहार, रूझान एवं दलीय स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

इसमें उक्त दोनों चुनाव की चुनाव घोषणा से लेकर परिणामों तक सभी तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है साथ ही इन चुनाव में मतदान व्यवहार की स्थिति में परिवर्तन के मुख्य कारकों व प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

इसमें निर्वाचकों की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या, दलीय स्थिति, चुनाव क्षेत्रों, विजयी उम्मीदवारों, महिला उम्मीदवारों एवं इन सबके संदर्भ में मतदान व्यवहार की स्थिति का वर्णन किया गया है।

बागी दलीय कार्यकर्ता व दल की छवि, ट्रेड यूनियनों एवं संगठनों का प्रभाव, दल के बड़े नेताओं का प्रभाव, प्रत्याशी की छवि, योग्यता एवं पारिवारिक परिवेश का प्रभाव, चुनाव प्रचार, पार्टी कार्यालय एवं चुनावी खर्च आदि का मतदान व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

कोटा विधनसभा चुनाव 2003 व 2008 के चुनाव परिणामों की बिन्दुवार समीक्षा की गई है तथा इन चुनाव में कोटा सहित राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके मूल में जो कारण रहे जिन्होंने मतदान व्यवहार को सर्वाधिक प्रभावित किया उनका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

अष्ठम v/;k; – समग्र elY;kdu, से संबंधित है इसमें शोध कार्य का उपसंहार किया गया है तथा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में जो विकृतियाँ आई हैं उनको समझने व दूर करने के लिये लोकतंत्र की भावना को समझना आवश्यक है लोकतंत्र के प्रति हमारी भावना परिष्कृत एवं पवित्र होनी चाहिए।

इसका संचालन सद्प्रयासों एवं सद्गुणों पर आधारित होना चाहिए इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्य प्रणाली एवं व्यवहार में सुधार करना चाहिये क्योंकि ये लोकतंत्र के संचालन पक्ष से जुड़े होते हैं।

लोकतंत्र में प्रशिक्षण पक्ष भी प्रभावी होना चाहिए राजनीतिक दल, सक्रिय कार्यकर्ता, आम जनता एवं सार्वजनिक पद धारण करने वाले सभी लोगों को लोकतंत्रीय कार्य प्रणाली, आचार विचार एवं व्यवहार में प्रशिक्षित होना चाहिए।

लोकतंत्र में सहयोग पक्ष भी प्रभावी एवं जागरूक होना चाहिए शोध प्रबंध की दृष्टि से यह पक्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में सभी मतदाता सहयोग पक्ष में ही आते हैं क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों का चयन करने एवं अयोग्यों को सत्ता से बाहर रखने में सहयोग करते हैं। तथा अंतिम रूप से इन मतदाताओं के कारण ही निर्वाचित संस्थाएँ आकार लेती हैं और उनकी भावनाओं के अनुसार काम करने लिए प्रतिबद्ध होती हैं। अतः सहयोग पक्ष का सम्पन्न एवं समझदार होना आवश्यक है।

भारतीय प्रजातंत्र की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है। लोक विचार विमर्श का स्तर निम्न कोटि का है। संसदीय गरिमा में गिरावट आ रही है मुद्दों के अभाव में आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र का अभाव है अतः यह मत प्रतिपादित किया गया है कि मुद्दायुक्त अथवा स्पष्ट नीति वाली राजनीति होनी चाहिए जिससे व्यक्ति, समाज और देश का भला हो सके।

राजनीतिक नेतृत्व को सरलता और सादगी से अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य योजनाओं को देश के समक्ष रखना चाहिए जिससे देश का जनमत अपनी स्पष्ट राय बना सके।

मतदान व्यवहार पर यह शोध स्पष्ट करता है कि स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतंत्र को नैतिक मूल्यों पर आधारित करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना और लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था विकसित हो सके और हम अपने लोकतंत्र के साथ मजबूती से गर्व के साथ खड़े हो सकें।

इस प्रस्तावित शोधकार्य का प्रणयन सम्माननीय शोध पर्यवेक्षक डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राजस्थान) की कृपा से प्राप्त आशीष है। क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन में विषय की पुस्तकों का अध्ययन व अनुशीलन किया गया तथा उनके

प्रबल प्रेरणायुक्त आशीर्वाद के फलस्वरूप ही इस कार्य को गति मिली उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना एक शोधार्थी के नाते मेरा परम् कर्तव्य एवं धर्म है। इसी क्रम में अनेक विषय विद्धानों द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन, समर्थन एवं उत्साहवर्धन सदैव अपेक्षित रहेगा।

शोध पर्यवेक्षक

डॉ॰फूलसिंह गुर्जर
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

शोधार्थी

गुलाम रसूल खान

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

(*Bibliography*)

प्राथमिक स्रोत (*Primary Sources*)

1. फडिया बी॰एल॰ एवं जैन पुखराज, “भारतीय शासन एवं राजनीति” साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010

2. गेना सी॰बी॰, “तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाऐं” विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा॰लि॰, नई दिल्ली, 1977

3. वर्मा एस॰एल॰, “राजनीति विज्ञान में अनुसंधान” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2005

4. दुबे अभय कुमार, “लोकतंत्र के सात अध्याय” विकासशील समाज अध्ययन पीठ वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2005

5. दुबे अभय कुमार, “राजनीति की किताब” वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2005

6. तिवारी रजनी, “भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र” अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली 2003

7. रिचर्ड ऐल्कॉल, “Introduction to Political Enquiry” मैक्मिलन लंदन 1980 (उद्धत – एस॰एल॰ वर्मा “राजनीति विज्ञान में अनुसंधानँ” राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2005)

8. जैन बी॰एम॰, “रिसर्च मैथडोलॉजी” रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2010

9. फडिया बी॰एल॰, “शोध पद्धतियाँ” साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2010

10. राणा एम॰एस॰, “इण्डिया वोटस् लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999–2000 (All Analysis Election data and party manifesto)” बी॰आर॰पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000

11. राय रामाश्रय और पॉल वेलास, “इण्डियन पॉलिटिक्स 1998 इलेक्शंस रीजनलीज्म हिन्दुत्व एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स” सेंज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1999

12. आहुजा एम॰एल॰, “इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया 1952–1998” मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1998

13. राय मीनू, “इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इन इण्डिया” दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली, 1999

14. शर्मा अशोक, “भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन” अनुसंधान व विषद् अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984

15. कश्यप सुभाष, “भारत में निर्वाचन : समस्याऐं और सुधार रिसर्च” नई दिल्ली, 197

16. कोठारी रजनी, “पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्सन स्टडीज” रिसर्च, बोम्बे, 196

17. जैन धर्म चन्द, “भारतीय लोकतंत्र” प्रिंसवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 2000

18. सिंह प्रभा प्रसाद, “Politics & Voilence in India” अमर प्रकाशन, दिल्ली, 1989

19. फिशमेन पीटर सी, “The theory of Social Choice” प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिका, 1976

20. पनगडिया बी॰एल॰, “स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया” नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 1988

21. इन्जिनियर ए॰ए॰, “*Communalism of Politics &* 10th Lok Sabha elections” जनता पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993

22. सिंह निशांत, “महिला राजनीति और आरक्षण” राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008

23. कुमार संजय एवं रॉय प्रवीन, "Measuring Voting Behaviour in India" सेंज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2013

24. पलशिकर सुहास, कुमार संजय एवं लोधा संजय, "*Electrol Politics in India : The Resurgence of the Bharatiya Janta Party*" टेलर एण्ड फ्रैन्सिस पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017

25. कोचर के॰एल॰, "रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान" प्रिंसवेल पब्लिशर्स, जयपुर, 1990

26. हाड़ा राजेन्द्र लाल, "देसी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास" नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 1988

27. इन्दा उम्मेदसिंह, "भारत में राज्य राजनीति" आर॰बी॰एस॰ए॰ पब्लिशर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2005

28. भण्डारी विजय, "राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में" वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007

29. सिंघवीं डॉ॰ लक्ष्मी मल, "भारत के निर्वाचन और सुधार" रिसर्च पब्लिकेशन, दिल्ली, 1972

30. शिल्स एडवर्ड, "पॉलिटिकल डवलपमेन्ट इन दि न्यू स्टेटस" ग्रॉबन हेग मोंटो, 1969

31. सिन्थलर वार्ड जे.ए. , "अरस्तू दी पॉलिटिक्स" बुक III चेप्टर 1–11 Edit 1962

32. शर्मा डॉ॰ पी॰डी॰,"प्रजातंत्र चुनौतियाँ और उत्तर", कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1996

33. जैन एम॰पी॰, “राजनीति सिद्धान्त” सम्पादित, ज्ञान सिंह सन्धु, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 2000

34. मेकेन्जी डब्लू॰जे॰एम॰,“फ्री इलेक्शन ऐलीमेन्ट्री” जोर्ज ऐलन एण्ड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1958

35. जूनियर वी ओ के, “ए थ्योरी ऑफ क्रिटिकल इलेक्शन एण्ड पॉलिटिकल डवलपमेंट” विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1976

36. गेना सी॰बी॰, “तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ” विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1978

37. कोरी व अब्राहम, “ऐलीमैन्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेट” III न्यूयोरम आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका, 1950

38. शर्मा अशोक, “भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन” अनुसंधान व विशद अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1984

39. चतुर्वेदी आर जी, “स्टेट एण्ड राइट्स ऑफ मेन” मैट्रोलिटन बुक कम्पनी, दिल्ली, 1971

40. माहेश्वरी श्रीराम, “द जनरल इलेक्शन इन इण्डिया” चैतन्य प्रकाशन, इलाहाबाद, 1963

41. कौशिक सुशीला,“भारतीय शासन एवं राजनीति” हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1974

42. बी शिवराय, “दि फ्रेमिंग ऑफ इण्डियाज कॉस्टीटयूशन ए स्टडी” विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1968

43. जैन पुखराज एवं फड़िया बी एल, ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2015

44. नाथूरामका लक्ष्मीनारायण, ''राजस्थान की अर्थव्यवस्था'' कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर, 2011

45. नीरज डॉ॰ जयसिंह, ''राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा'' राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2017

46. गुप्ता डॉ॰ मोहन लाल, ''कोटा संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन'' राजस्थानी ग्रंथागार, जयपुर, 2009

सहायक स्रोत (*Secondary Sources*)

1- शर्मा डॉ॰ मथुरालाल, ''तुजुक ए जहाँगीरी'' राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2009

2- गौतम डॉ॰ वीर, ''भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं चिंतन'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013

3- सिंह डॉ॰ बालेन्द्र, ''भारतीय राजव्यवस्था में साझा सरकारें चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ'' आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशर्स, जयपुर, 2012

4- यादव डॉ॰ डी. एस., ''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था'' आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012

5- कुमार पवन, ''भारतीय राजनीतिक दशा'' वंदना पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011

6- डॉ॰ विप्लव एवं नरेश, ''आधुनिक सरकारों के सिद्धान्त एवं व्यवहार'' रुही पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 2011

7- चंद्र विपिन, “आधुनिक भारत में विचारधारा और राजनीति” अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रा. लि., नई दिल्ली, 2011

8- गौतम डॉ॰ वीर, “भारत में राज्यों की राजनीति” ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009

9- जैन पुखराज, “संसदीय व्यवस्था : पुनः विचार की आवश्यकता” साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा 1996

10- भार्गव डॉ॰ प्रभा, “चुनाव घोषणा पत्र : सिद्धान्त एवं स्थिति” राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2012

11- टेलर मीनाक्षी, “भारत में संसदीय शासन के औचित्य का परीक्षण” जयपुर पब्लिकेशन, जयपुर, 1999

12- सैनी कैलाश चन्द, “संविधान सभा सचिवालय प्रशासन” राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2004

13- सैनी आर.डी., “घोषणा पत्र की कसौटी पर सरकार” वाणी पुरम संस्थान, जयपुर, 2003

14- स्नेहलता, “गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका” रॉयल पब्लिकेशन्स, जोधपुर, 2011

15- चतुर्वेदी डॉ॰ अरूण व मीणा सोहन लाल, “राजनीति के विविध आयाम” प्रिंसवेल पब्लिकेशंस, जयपुर, 1996

16- दुबे अवध नारायण, “ग्रामीण प्रशासन और राजनीति” निर्मल प्रकाशन, वाराणसी, 1993

17- गहलोत एन.एस., “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : दशा एवं दिशा” नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2004

18- गोस्वामी भाल चंद, “प्रखर” विवेक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 2000

19- कश्यप सुभाष, “दल बदल और राज्यों की राजनीति” मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1970

20- कश्यप सुभाष, “भारत में निर्वाचन : समस्या और सुधार” नई दिल्ली रिसर्च 1972

21- राय एम.पी., “भारतीय सरकार एवं राजनीति” कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 1983

22- शर्मा जय प्रकाश, “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था” राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2000

23- सिंघवी लक्ष्मी मल, “भारत में निर्वाचन और सुधार” रिसर्च दिल्ली, 1972

24- जेनब बानू, “राजनीतिक पहचान का संकट और जनजाति”: कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003

25- राम, बापट और पुष्पा सुरेन्द्र, “क्रिटिकल ईश्यूज इन इण्डियन सोसायटी” : “*Election Commission of India*” अर्थवार्म बुक्स, मद्रास, 1994

26- अग्रवाल रामानन्द, “हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तथा संवैधानिक विकास” मेट्रो पोलिटिन बुक कम्पनी, दिल्ली 1974

27- अग्रवाल पी.के. एवं भट्ट, आर.के., “ग्लोबाईजेशन : इण्डिया एण्ड द वर्ड” कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग प्रा.लि., नई दिल्ली, 2011

28- अस्थाना पुष्पा, “पार्टी सिस्टम इन इण्डिया डवलपमेन्ट एण्ड डिके” क्रिटेरियन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1988

29- अग्रवाल आर.एन, "भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा संवैधानिक विकास" मेट्रो पोलिटिन बुक कम्पनी, दिल्ली 1969

30- छाबड़ा एच.के., "स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया : ए स्टेडी ऑफ सेन्टर स्टेट रिलेशंस" सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली 1977

31- चौबे कमल नयन, "जातियों का राजनीतिकरण" वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2008

32- दुबे अभय कुमार, "बीच बहस में सेकुलरवाद" वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005

33- दुबे अभय कुमार, "भारत में राजनीति कल और आज" वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005

34- देसाई ए.आर.,"प्रजेन्ट स्ट्रगल्स इन इण्डिया" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1979

35- देसाई ए.आर., "भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि" मेकमिलन कम्पनी, नई दिल्ली, 1976

36- दुर्वजर मारिस, "पॉलिटिकल पार्टीज एण्ड देअर ऑर्गेनाईजेशन एण्ड एक्टिविटीज इन मार्डन स्टेट्स" हार्पर एण्ड रॉ पब्लिकेशन, लंदन, 1959

37- दुबे अभय कुमार, "भारत का भूमण्डलीकरण" वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2005

38- हसन जोया, "पॉलिटिक्स एण्ड द स्टेट्स इन इण्डिया" सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000

39- जौहरी जे.सी.,“भारतीय शासन और राजनीति” विशाल पब्लिकेशन्स, अड्डा होशियारपुर, जालंधर, पंजाब, 1998

40- जाविद आलम, अनुवादित–अभय कुमार दुबे, “लोकतंत्र के तलबनगर” वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007

41- कोहली अतुल कुमार, “इण्डियन डेमोक्रेसी” प्रिंसटन पब्लिकेशंस, अमेरिका , 1988

42- कश्यप, सुभाष एवं गुप्ता, विश्व प्रकाश “भारतीय राजनीति सिद्धान्त, समस्याऐं और सुधार” राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006

43- कोठारी रजनी, “पॉलिटिक्स इन इण्डिया” ऑरियन्ट लॉंगमेन, हैदराबाद, 1970

44- कोठारी रजनी, “ट्रांसफारमेसन एण्ड सर्वाइवल इन सर्च ऑफ ह्यूमन ऑर्डर” अजंता, नई दिल्ली, 1988

45- खिललानी सुनील, “भारतनामा” राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988

46- मेहता भानु प्रताप, “बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी” पेग्विन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003

47- मेहता वी.आर.,“ऑइडियोलॉजी मार्डनाइजेशन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया” पेग्विन प्रकाशन, नई दिल्ली, 1983

48- नारायण इकबाल, “भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान” शिव लाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर, 2005

49- नारायण इकबाल, “भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संविधान” शिव लाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर, 1981

50- पालेकर डॉ॰ एस.ए.,“इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन :गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स” एडीबी पब्लिकेशन, जयपुर, 2004

51- सईद एस.एम., “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था”, भारतीय बुक सेन्टर लखनऊ, 2006

52- सिन्हा सच्चिदानंद, “लोकतंत्र की चुनौतियाँ”, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2005

53- सेन श्रीधर डी.के., “हिस्ट्र ऑफ द इण्डियन स्टेट्स : देअर स्टेटस राइट्स एण्ड ऑब्लीगेशन” संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985

54- वर्मा श्रीराम, “राजनीति विज्ञान के मूल आधार” कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर, 1998

Other Periodical & Journals

1. Agrawal & Agarwal, “Lok Sabha and Vidhan Sabhah Elections 1989-1990” Concept Publishing, New Delhi, 1990

2. Ahuja, M.L., “Electoral Politics and General Elections in India”, Mittal Publications, New Delhi, 1998

3. Arora N.D., “The Lok Sabha Elections in India” : A Study in Statistics, Pragati Prakashan, Delhi, 1977

4. Bhatia R.P.,”Elections in India 1950-72” S.Chand, New Delhi, 1973

5. Bhambari, C.P.,“Political Process in India 1947-1991” Vikas Publishing House (P) Ltd. Delhi, 1991

6. Bhargava B.S. , “Panchayat Raj System and Political Parties” Ashish Publishing House, New Delhi, 1979

7. Iqbal Narain & Others,“Rural Elite and Elections for an Indian State : A Study of Panchayati Raj Leadership in the context of Rajasthan Election Politics” National Publication House, New Delhi, 1976

8. Kamal K.L. “Party Politics in an Indian State, A Study of the Main Political Parties in Rajasthan”, S.Chand & Co., New Delhi, 1967

9. Kamal K.L., “Reflections on India Politics”, RBSA Publishers, Jaipur, 1995

10. Kayshyap, Subhash, “Election and Electoral Reforms in India”, Institute of Constitutional Parliamentary Studies, New Delhi, 1990

11. Kothari, Rajni, “Caste in India Politics” O’ Longman’s Delhi,1990

12. Mathur P.C., “Social Bases of Indian Politics” Alekh Publishers, Jaipur 1992

13. Maheshwari S.R. ,“The General Election in India” Chaitanya Publishing House, Allahabad, 1963.

14. Mishra S.N., “ Party Politics and Electoral Choice in an Indian State” Ajanta Publications, Delhi 1989.

15. Pangaria B.L., “State Poliltical in India”, National Publishers, Jaipur 1988.

16. Prasad R.C.,“The Mature Electorate” Air Publishers, New Delhi 1975

17. Gehlot N.S.,“Reflection on the 1^{2th} Assembly Elections in Rajasthan : The Indian General Political Science”, Vol. 64 No.3-4, July-Dec.2003

18. Saxena Renu, “The Role of Opposition in India politics” Anmol Publiations, Delhi 1986

19. Sadasivan S.Y., “Party & Democracy in India” Tata Mcgrew-Hill Publishing Co.Ltd., New Delhi 1977

20. Rana M.M., “India Votes : Lok Sabha and Vidhan Sabha’s Elections 2001” Sarup & Sons, New Delhi 2006.

21. Jha,P., “Political Representation in India”, Meenakshi Prakashan, Meerut 1976.

22. Kamal K.L. and Ralph C. Meyer, “Democratic Politics in India”, Vikas Pub.0lishing House, Pvt.Ltd., New Delhi, 1977

23. Kamal K.L., “Party Politics in an Indian” S.Chand and Co.,New Delhi, 1970

24. Kamal K.L. “Party Politics in an Indian State: Study of Man Political parties in Rajasthan”, Jaipur Prakashan Jaipur, 1967

25. Kayshyap Subhash, “Parliament of India : Myth and Realilty” National Publishing House, Delhi 1988

26. Darda, R.S., “From Feudalism to Democracy” S.Chand and Co.Pvt.Ltd., New Delhi, 1971

27. Swarnkar, R.C.,”Political Elite” Rawat Publication, Jaipur 1988

28. Narayan Iqbal, “Election Studies in India : An Evaluation”, Allied Publication Pvt.Ltd, New Delhi

29. Narayan Iqbal, “State Politicsin India”, Meenakshi Prakashan, Meerut 1967.

JOURNALS :

1. ज्ञान विमर्श, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2. शोधार्थी, विकासशील समाज अध्ययनपीठ (सी.एस.डी.एस.) का प्रकाशन नई दिल्ली

3. Indian Journal of Political Science.

4. Government and Opposition

5. Modern Asian Studies

6. Political Science Review

7. Indian Social Science Review

8. Journal of Indian School of Political Economy

9. BJP Today New Delhi

10. Congress Sandesh, New Delhi

11. Indian Today, New Delhi

12. Mainstream,New Delhi

13. Manthan, New Delhi

14. Outlook, New Delhi

15. Politics India, New Delhi

16. Poplitical Quartely, New Delhi

17. Indian Journal of Social Sciences New Delhi

18. Hindustan Times, New Delhi

19. National Herald , New Delhi

20. Nav Bharat Times, New Delhi

21. The Indian Express, Chandigarh

समाचार पत्र एवं ईयर बुक :

1. द हिंदू समाचार पत्र, दिल्ली
2. जनसत्ता, नई दिल्ली
3. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, कोटा
4. दैनिक भास्कर, जयपुर, कोटा
5. दैनिक नवज्योति,जयपुर, कोटा
6. पंजाब केसरी, कोटा
7. चम्बल समाचार पत्र, कोटा
8. क्रॉनोलोजी, जयपुर
9. पत्रिका ईयर बुक, जयपुर
10. मनोरमा ईयर बुक, नई दिल्ली

****

<u>राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान व्यवहार</u>
(कोटा जिले के संदर्भ में)

<u>साक्षात्कार अनुसूची</u>

शोध पर्यवेक्षक
डॉ॰ फूलसिंह गुर्जर
ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

शोधार्थी
गुलाम रसूल खान

उत्तरदाता क्र.सं.—————— स्थान ——————————

1. उत्तरदाता का नाम ——————————— आयु ——————— जाति————————

शिक्षा ——————————————————————व्यवसाय ————————————————

वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित मासिक आय ——————————————रू.

परिवार का स्वरूप : एकल/संयुक्त

2. <u>राजनीतिक जानकारी</u> –

क्या आपको चुनाव के बारे में जानकारी है ? (हाँ/नही)

क्या आप जानते हैं कि मतदान आपका अधिकार है ? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो क्या आप नियमित रूप से सभी स्तरों पर मतदान करते हैं ? (हाँ/नहीं)

निम्न में से किस स्तर पर आप प्राथमिकता से मतदान करते हैं ?
(लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका/पंचायत/सभी स्तरों पर)

अपने मत का प्रयोग करते समय किस आधार को अधिक महत्त्व देते हैं ?
(राजनीतिक दल/व्यक्तिगत छवि/जाति/विकास कार्य/किसी दबाव को/कह नहीं सकते)

आपने कितनी बार मत का प्रयोग किया ? ——————————

3. <u>मतदान के मुद्दों का आधार</u> –

मतदान में किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देते हैं ?
(राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय/व्यक्तिगत)

क्या आप चुनाव में आरक्षण को उचित मानते हैं ? (हाँ/नही)

यदि हाँ तो किसे ? (महिला/जातिगत)

क्या आप आरक्षण के आधार पर अपने मतदान में परिवर्तन करते हैं ?
(हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो किस आधार पर –
(दल / व्यक्तिगत छवि / योग्यता / विकास कार्य / अन्य)

4. क्या आप मतदान परिवर्तन किसी प्रलोभन से प्रभावित होकर करते हैं ? (हाँ / नहीं)

यदि हाँ तो किस प्रकार से : ––––––––––––––––––––––––––

5. क्या आप अपने क्षेत्र के विजयी उम्मीदवार / पार्टी को जानते हैं ? (हाँ / नहीं)
यदि हाँ तो किस स्तर के विजयी उम्मीदवार को जानते हैं –––––––

6. क्या वर्तमान में विजयी उम्मीदवार / पार्टी आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है ? (हाँ / नहीं)
यदि नही तो क्या आने वाले चुनाव में उस व्यक्ति / पार्टी के पक्ष में पुनः इम्तदान करेंगे ? (हाँ / नहीं)

7. क्या अपके पूर्व के व वर्तमान चुनाव के मतदान में अंतर आया है ? (हाँ / नहीं)
यदि नहीं तो किस कारण से ?
(पार्टी / प्रत्यk'kh@विकास / अन्य)

8. आप चुनाव में किस प्रकार भाग लेते हैं ? (प्रत्यक्ष रुप से / अप्रत्यक्ष रुप से)

9. क्या आपकी भागीदारी से अन्य मतदाता प्रभावित होते हैं ? (हाँ / नहीं)

10. आपको चुनाव के प्रति जानकारी किस माध्यम से प्राप्त होती है ?
(टी.वी. / समाचार पत्र / चौपाल / सभाएँ / रेडियो / अन्य)

11. आप क्षेत्रीय समस्याओं के समाधाान के लिए क्या करते हैं ?(ज्ञापन / धरना / आंदोलन)

12. क्या प्रतिनिधि नियमित रूप से आपके क्षेत्र में आते हैं ? (हाँ / नहीं)
यदि हाँ तो कब ?
(चुनाव के समय / समय समय पर / बुलाने पर / विशेष समस्याओं के समाधान के लिए)

13. क्या आप मुक्त बाजार व्यवस्था के बारे में जानते हैं ? (हाँ / नहीं)
यदि हाँ तो इसे राष्ट्रहित में मानते हैं ? (हाँ / नहीं)
यदि नही ंतो क्या आपने कभी प्रतिनिधियों से विरोध प्रकट किया ? (हाँ / नहीं)
यदि हाँ तो इसकी चमक दमक ने आपके मतदान को कहाँ तक प्रभावित किया ? (पूर्ण / आंशिक रुप से / बिल्कुल नहीं)

14. क्या वर्तमान चुनाव प्रणाली से आप सहमत हैं ? (हाँ / नहीं)
यदि नही ंतो क्यों ?

(कम अंतर के मतों से भी प्रत्याशी जीत जाता है/उसेपूर्ण जन समर्थन प्राप्त नहीं होता/अल्प संख्यक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है/विजित प्रत्याशी समग्र प्रतिनिधित्व नहीं करता है)

15. यदि निर्वाचित प्रतिनिधि जनविरोधी कार्य करता है या जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो क्या आप उसे वापस बुलाए जाने के संवैधानिक प्रावधान किए जाने के पक्ष में हैं ? (हाँ/नहीं)

<u>जनप्रतिनिधियों से पूछे गए अतिरिक्त प्रश्न</u>

1. चुनाव जीतने पर आपने कौन–कौन से जनहित के कार्य किए ?
   1. ———————————————
   2. ———————————————
   3. ———————————————

2. उपरोक्त कार्यों से जन अपेक्षाएं किस सीमा तक पूरी हुई ? (जो वादा किया था पूरा किया/वादा पूरा नही हो सका/लोग प्रसन्न हुए/लोकप्रियता बढ़ी/लोकप्रियता घटी/पार्टी में प्रशंसा हुई)

3. अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने विकास के लिए कौन–कौन से कार्य किए ?
   1. ——————————
   2. ——————————
   3. ——————————

4. विधानसभा में समाज के निम्न वर्ग के हितों की अभिवृद्धि के लिए आपकी भूमिका क्या रही ?
5. क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए आप कितना समय देते हैं ?
6. क्षेत्र और राज्य के सामान्य हितों को केन्द्र सरकार के सामने रखवाने में आपका क्या योगदान रहा ?
7. चुनाव में हारने के पश्चात् आपकी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका क्या रही ?
8. इस समय वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। क्या इसे आप समग्र राष्ट्रहित में समझते हैं ?
9. वर्तमान राजनीति एवं चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए आप कौन–कौन से सुझाव देगें ?
10. कोटा जिले के समग्र विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं ?

ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344

RNI : UPBIL/2016/67980
UGC Listed Journal

Vol. 2* Issue.10* January- 2018
Monthly / Bilingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking
An Analisation

Impact Factor
GIF = 0.543
IIJIF = 6.134

Indexed-with Google scholar

Impact Factor
SJIF =4.473

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-10* January- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक – एक समसामयिक अवलोकन

गुलाम रसूल खान
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा ,राजस्थान

सारांश

लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए स्थापित शासन प्रक्रिया है इसमें लोकतंत्र को गतिशील एव सशक्त बनाने मे समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया का होना तथा इसमें मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता होना बहुत ही अनिवार्य है परन्तु लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान या मतदाताओं के मतदान व्यवहार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के कारक शामिल होते हैं महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त प्रभावशाली, स्वच्छ व पारदर्शी बनाने एवं मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कारकों जो कि लोकतंत्र को कमजोर करते हैं उसकी भावना को दूषित करते हैं व अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव में बाधा बनते है उनको दूर करना अनिवार्य है जैसे – जातिवाद, गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अपराधीकरण एवं कमजोर नेतृत्व क्षमता आदि जिससे कि हमारा लोकतंत्र सशक्त, गत्यात्मक एवं विकासोन्मुख बन सके।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, मतदान व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, प्रतिनिधित्व, जातिवाद, गरीबी,निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अपराधीकरण आर्थिक साधन प्रबुद्ध वर्ग।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को स्वरूप देने में व गत्यात्मक बनाने में आम चुनावों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में से समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया को निकाल दिया जाये तो सारी व्यवस्था निर्जीव बनकर रह जायेगी क्योंकि भारतीय मतदाताओं की सांसों में प्रजातंत्र का वास है वह थोड़ी सी भी तानाशाही सहन नहीं कर सकते और तुरन्त आगामी चुनावों में इसके विरोध की अभिव्यक्ति कर देते हैं मतदाताओं का यह व्यवहार उनकी राजनीतिक परिपक्वता का द्योतक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शों को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है उन्हें यथार्थ के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का होता है जो निर्वाचन के फलस्वरूप पदासीन होती है भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें संघात्मक गणतंत्र में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार को स्थापित करने की पहली शर्त होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया है –

1. लोकतंत्र के विविध आयामों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
2. लोकतंत्र को निकट से प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
3. चुनाव प्रक्रिया में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय एव क्षेत्रीय स्तर पर लोकतंत्रए चुनाव एवं मतदान व्यवहार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

फडिया बी॰एल॰ एवं जैन पुखराज (2010) ने अपनी पुस्तक, भारतीय शासन एवं राजनीति में भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया है।

दुबे अभय कुमार (2005) ने अपनी पुस्तक, लोकतंत्र के सात अध्याय में लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया है एवं सुझाव भी दिये हैं।

दुबे अभय कुमार (2005) ने अपनी पुस्तक राजनीति की किताब में लोकतंत्र समस्या एवं समाधान का विश्लेषण किया है।

एम॰एस॰ राणा (2000) ने अपनी पुस्तक, इण्डिया वोटस् लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999–2000 में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया है।

अशोक शर्मा (1984) ने अपनी पुस्तक, भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन में लोकतंत्र की चुनौतियों एवं समाधान का अध्ययन किया है।

पत्रिका ईयर बुक (2017), राजस्थान पत्रिका कार्यालय जयपुर में लोकतंत्र चुनाव जनप्रतिनिधियों के दायित्वों एवं मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विवेचन किया।

शोध सीमा

शोध कार्य करते समय शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने कार्य की सीमाओं का ध्यान रखे व इसे इस प्रकार से समायोजित करे कि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके। अतः प्रस्तुत शोधकार्य को समय की सीमाओंको ध्यान में रखते हुए केवल लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों एवं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों तक ही सीमित रखा गया है ताकि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके।

शोध पद्यति

किसी भी शोधकार्य के लिए उपर्युक्त शोधविधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है उपर्युक्त शोधविधि का चयन करके ही शोधार्थी अपने शोधकार्य को यथेष्ट परिणाम तक पहुँचा सकता है। इसलिए इस प्रस्तुत शोध में शोधसर्वे एवं अनुसंधान विधि के साथ साथ तुलनात्मक सर्वेक्षणात्मक पर्यवेक्षणात्मक वैज्ञानिक पद्यति का प्रयोग हुआ है। तथा मतदाताओं के मतदान व्ययवहार का अध्ययन करने के लिए रेण्डम सेम्पलिंग प्रणाली, प्रश्नावली एवं अनुसूची का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किये गए हैं।

वास्तव में मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वो से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वो से प्रभावित होती है। स्वभाविक रुप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाईयाँ भी आती है जैसे –

1. एक क्षेत्र के चुनावी मुद्दे एवं मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के चुनावी मुद्दों एवं मतदान व्यवहार से भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नही होता विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृतियों के लम्बे समय तक अवलोकन के आधार पर ही इस संबंध में किन्ही परिणामों पर पहुँचने की आशा की जा सकती है।
2. भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित शीर्षकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता अतः यह कठिनाई आती है कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाये और किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाये।
3. इस संबंध में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है उनमें से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते है वे भी जान बूझकर ठीक–ठीक उत्तर नहीं देते। उनके मन में सदैव ही यह आशंका रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधि है या किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर से उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।
4. कई बार भाषा की और दूसरी कठिनाईयाँ भी सामने आती है जिनको पूर्ण रुप से दूर किया जाना संभव नहीं है। यह तभी दूर हो सकती है जबकि अध्ययनकर्ता लम्बे समय किये गये अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले और उस क्षेत्र की राजनीति संस्कृतिए आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो।

इसी कारण जैसा कि डॉ॰ एस॰ एल॰ वर्मा ने माना है कि शोध समस्या या विषय का निर्धारण प्रकल्पना तथा अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया है वह आसान नहीं है तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार और निश्चित परिणाम तक पहुँचाना आसान नहीं है। वैसे तो विचारधारा और राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता प्राप्ति की लालसा आदि महत्त्वपूर्ण है परन्तु भारत के संबंध में जातिवाद, आर्थिक स्थिति, नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र या प्रदेश में सुदृढ सरकार की आकांशा, दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियां, क्षैत्रवादी निष्ठाऐं, भाषायी स्थिति, प्रशासनिक सफलता–असफलता, युद्ध में सफलता–असफलता, सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव, किसी आन्दोलन विशेष में दलों की भूमिका आर्थिक साधन, ज्ञानए जानकारी, राजनीतिक समझ तथा कोई लहर विशेष भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व रहे हैं।

सम्पूर्ण भारत के सदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष भी प्रमुख हो जाता है जैसे सोनिया गाँधी और उसके विदेशी मूल का मुद्दा तथा बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में गठबंधन के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की लालसा आदि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और मतदान का प्रतिशत कम या अधिक हो जाता है।

अनेक बार मतदान व्यवहार इस बात से भी निश्चित होता है की कोई दल कितना बढ़ा है क्षैत्रिय दलों की क्या स्थिति है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों का मतदाताओं द्वारा मूल्यांकन करना इसी कारण 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी परन्तु केन्द्र में 2004 में काँग्रेस की सरकार बनी अर्थात् राज्य (क्षैत्र) में भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र में काँग्रेस नीति गठबंधन को सफलता मिली।

अतः स्पष्ट है कि मतदान के समय भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होने के कारण यह भी समझना आवश्यक है कि भारत का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह देखना पड़ता है कि किस प्रकार मताधिकार प्राप्त नागरिक अपने शासको के चयन हेतु निर्णय लेते है और

निश्चित प्रक्रिया और विधि द्वारा अपने उम्मीदवार की पसंद स्पष्ट करते है इसलिए राजनीति में चुनाव विशेषकर लोकतंत्र में उसकी आत्मा का काम करते है और मतदाता के लिऐ भूमि तैयार करते है जहाँ वह मतदान द्वारा सरकार रुपी पौधे का रोपण कर सके अतः जहाँ लोकतंत्र है वहाँ निर्वाचन अनिवार्य है और उसी से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं व निम्न वर्गो तक किस प्रकार राजनीतिक समझ पहुँचती है तथा उनके मतदान व्यवहार और सहभागिता में प्रतिशत कम या अधिक होता रहता है इसलिए राजनीतिक दलों का और निर्वाचनों का भी विधिवत स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि दल ही वर्तमान में लोकतंत्र की जीवन डोर है इसी कारण अनेक बार लोकतंत्र को दलीय तंत्र भी कहा जाता है अतः निर्वाचन और मतदान व्यवहार का वास्तविक अध्ययन होना चाहिए इसीलिए सर्व प्रथम यही स्पष्ट किया गया है कि मतदान व्यवहार का आशय क्या है और इसमें जो भी दुविधाऐं है उनको कैसे दूर किया जा सकता है।

मतदान व्यवहार पर अनेक देशों की राजनीति में ना ना प्रकार के अध्ययन किये गये है प्रो॰ एलन बॉल ने इस व्यवहार और तत् सम्बंधी अध्ययनों के अधिकार पर मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का आंकलन प्रस्तुत किया है उनके मत को मतदान व्यवहार के संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे–राजनीतिक पद्धति में चुनावों की जटिल तथा संश्लिष्ठ भूमिका को निर्वाचन समूहों के मतदान आचरण के परीक्षण से समझा जाता है।

शास्त्रीय उदारवादी दृष्टि से देखा जाये तो बुद्धि से काम लेने वाले किसी निर्वाचक को आर्थिक हितों की दृष्टि से तथा जिसे वह राष्ट्रीय हित मानता है उसके आधार पर अथवा अपने विश्वास के अनुसार अपने राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए तथा उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियोगी कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करना पड़ता है इसके विपरीत मुख्य रुप से ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गये शोध कार्य से यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि निर्वाचक के मत प्रयोग पर नीति सम्बंधी मुद्दो का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतदाता दल निष्ठाए अपने परिवार से विरासत में पाते है निष्ठाऐ सामाजिक वर्ग जैसे घटकों से निर्धारित होती है इससे संदेह होता है कि क्या निर्वाचकों में परम्परागत परिभाषिक शब्दावली के अनुसार वामपंथी एवं दक्षिण पंथी दलों के बीच भेद स्पष्ट करने की समझ होती है।

ब्रिटेन में किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि निर्वाचकों में किसी दल की नितियों के बारे में ज्ञान और उनको स्वीकृति देने का स्तर निम्न कोटी का होता है सर्वेक्षण करने वाले विद्वानों ने मूल्यांकन किया है कि निर्वाचक समूहो में से केवल 10 प्रतिशत ने ही नीति सम्बंधी मुद्दों के आधार पर मतदान किया। दल निष्ठा के संदर्भ में मतदान आचरण की अधिक सफलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह निष्ठा सामाजिक वर्ग और धर्म आदि कई घटकों से निर्धारित होती है सामाजिक वर्ग चुनाव सम्बंधी आचरण में एक स्पष्ट कारक होता है। इस सम्बंध में पीटर कुल्जर ने दृढ़तापूर्वक दावा किया है कि ब्रिटिश दलीय राजनीति का आधार वर्ग है बाकी सब मात्र दिखावा है अमेरिकी चुनाव में पश्चिमी यूरोप की तुलना में सामाजिक का महत्व कम है। तो कम आमदनी वाले लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की प्रवृति होती है।

यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक वर्ग को परिभाषित करने में कठिनाई आती है। व्यवसाय (धंधा) आमदनी और शिक्षा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण मापदण्ड होता है। लेकिन निर्वाचकों की चुनावी प्राथमिकता और वर्ग को एक विश्वसनीय पथ प्रदर्शक मानने के लिए हमें बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनों को दृष्टि में रखना चाहिए साथ ही मतदान के वर्ग प्रति रुप में होने वाली भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए ब्रिटेन में मतदान आचरण में सामाजिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो भी अनुदारवादी दल के चुनावी समर्थन का आधा भाग मजदूर वर्ग के मतदाताओं (मजदूर वर्ग के कुल निर्वाचक समूह का एक तिहाई) से प्राप्त होता है।

निर्वाचन की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी निम्न होती है वह निर्वाचन उतना ही उन दलों की ओर झुकता है जो क्रॉंति और परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबंध होते है। अतः यह तथ्य उदारवादी प्रजातंत्रों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले मतदाताओं Social Democratic तथा कम्युनिष्ट पार्टी जैसे अपेक्षाकृत साधनहीन व केन्द्र से लाये दलों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।

कुछ राजनीति पद्धतियों में धार्मिक सह सम्बंध तथा प्रजाति जैसी बातें मतदान आचरण के अधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक के रूप में होती है जैसे उत्तरी–आयरलेण्ड़ में यूनियनिष्ट पार्टी सामाजिक वर्गों की और ध्यान दिये बिना ही प्रोटेस्ट मतों का भारी बहुमत जीत लेती है। अमेरिक सहजातिय अल्प संख्यकों में डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन देने की प्रवृति है और कनाड़ाए बेल्जियम तथा दक्षिण अफ्रिका में मतदान अधिकांशतः धार्मिक सहजातिय विभाजनों पर आधारित होता हैं।

मतदान प्रतिरूपों में लिंगभेद (सेक्स) की तरह उम्र को प्रभावित करने वाले कार उम्र के अंकन में कठिनाई पैदा करते हैं सिर्फ यह बात ही नहीं है कि ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं में अनुदारवादी दलों को अपना मत देने की प्रवृति होती है यह भी सत्य है कि उम्र उस ऐतिहासिक अवधि को प्रतिबिम्बित करती है जिसमें उस निर्वाचक की मतदान करने की आदतें बन रही होती है यह भी एक तथ्य है कि उम्र का किसी दल के लिए उस निर्वाचक के लगाव की अपेक्षा कम असर पड़ता है और जैसे–जैसे यह उम्र बढ़ती जाती है यह लगाव और मजबूत होता जाता है।

विश्लेषण एवं परिणाम

इन महत्वपूर्ण कारकों के अतिरिक्त चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक सहायक और गोण कारक हो सकते है वास्तविकता यह है कि मतदान आचरण स्थिर नहीं होता यह समय परिस्थिति और मनोदशा के अनुसार बदलता रहता है।

भारत में लोकतंत्र एवं मतदान व मतदाताओं के व्यवहार को जो परिस्थितियाँ प्रभावित करती है उनको भी निम्नानुसार समझा जा सकता है –

1. भारत में जातिवाद का तथ्य सभी राज्यों में प्रभावी है परन्तु बिहार उत्तरप्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा केरल में इसका प्रभाव अधिक है मतदान व्यहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव उन जातियों में अधिक पाया जाता है जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुसंख्यक है और जो अपने मतों के बल पर अपनी जाति के उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है जनवरी 1980 के लोक सभा चुनाव में अनेक बड़े दलों द्वारा जातिय आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े किये गये 1984 एवं 1989 व 1991 के संसदीय चुनावो में भी यह प्रवृति देखने को मिली 1996 के चुनावो में तो यह स्थिति निर्णायक सी लगी और उसके बाद ऐसी ही प्रवृति अभी तक देखने में आती है।
2. लोगों की आर्थिक स्थिति मतदान को प्रभावित करती है प्रवृति यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उसके विरुद्ध जाता है जहा तक भारत का प्रश्न है अभी भी यह एक कृषि प्रधान देश है इसलिए शासक दल की चेष्ठा रहती है कि चुनाव अच्छी उपज के वर्ष में हो जनवरी 1980 के लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी की पराजय का मुख्य कारण यह था कि लोग आथिक कठिनाइयों से परेशान हो चुके थे और माराराजी देसाई तथा चौधरी चरण सिंह के समय देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई थी मतदाताओं को विश्वास था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी देश को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दुश्चक्र के भंवर से निकाल सकती है अतः 1980 के चुनावों में इंदिरा गाँधी को ही सफलता मिली दिसम्बर 1984 के चुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस (ई0) को इसलिए सत्तारुढ़ किया कि वे केन्द्र में शक्तिशाली और स्थिर सरकार के पक्ष में थे। 1989 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं देने का कारण आर्थिक परेशानियाँ थी। 1991 के चुनावों में आर्थिक मुद्दे तो नगण्य थे परन्तु स्थिति कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही और इसके बाद तो कांग्रेस कभी अपने बूते पर अपनी सरकार नहीं बना पायी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विविधता के पक्षधर गठबंधन सरकारों को ही महत्व देने लगे है जिसके अवशेष अभी भी मौजूद है।
3. सत्तारुढ दल के आचरण एवं क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है चुनावों के समय सत्तारुढ दल यदि जनहित के कार्यो में अधिक रुचि लेता है लोगो की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की उचित व्यवस्था करता है और शांति व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में ही होता है मार्च 1977 के लोक सभा चुनाव के समय सत्तारुढ़ कांग्रेस की अथवा कांग्रेस सरकार की आपातकालीन ज्यादतियों से लोग परेशान हो चुके थे अतः मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन के गलियारों से बाहर कर दिया। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों में शासक दल के क्रिया कलाप जनता को संतोष देने वाले नहीं थे अतः जनता पार्टी व लोक दल को सत्ता से हटना पड़ा 1989 में कांग्रेस की पराजय में बफोर्स तोप जैसे मुद्दों का हाथ रहाए 1991 के चुनावों में मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी सरकारों की असफलताओं से रुष्ठ होकर कांग्रेस (आई) को सत्तारुढ़ किया 1996 के चुनाव अधिक जटिल और बहुआयामी दिखाई दिये तथा उसके बाद का परिदृश्य और भी भिन्न दिखाई दिया।
4. मतदान को प्रभावित करने वाला एक प्रधान तत्व नैतृत्व है भारत में तो इस तत्व के आधार पर देश के अब तक के चुनावों की व्याख्या की जा सकती है प्रथम तीन आम चुनावों में (1952, 1957 व 1962) मुख्यतः पण्डित जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी को मत मिले, चौथे आम चुनावों में कांग्रेस की आंशिक पराजय इसलिए हुई कि काँग्रेस के पास पं॰ नेहरू जैसा कोई चमत्कारिक नेता नहीं था, 1971–72 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गाँधी के आकर्षक एवं विलक्षण तेतृत्व ने मतदान व्यवहार को काँग्रेस के पक्ष में किया तो 1977 में काँग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कुछ अरूचिकर कार्यों के कारण श्रीमती इंदिरा गाँधी के व्यक्तित्व की छवि धूमिल हो चुकी थी बाद के समय सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व आपसी लड़ाई का शिकार रहा और जनता में अपना आकर्षण खो बैठा इसी बीच राजनीतिक कौशल, साहस और अपनी विलक्षण राजनीति के बल पर श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारतीय जनता में अपनी खोई छवि को पुनः सुधार लिया और जनवरी 1980 में मुख्यतः श्रीमती इंदिरा गाँधी के कारण काँग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ। दिसम्बर 1984 के चुनाव में राजीव गाँधी के व्यक्तित्व से मतदाता प्रभावित रहे परन्तु 1989 में बफोर्स दलाली के मामले में राजीव गाँधी का व्यक्तित्व धुमिल हो गया तो काँग्रेस पराजित हो गई और वी॰पी॰ सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, मई 1991 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व या व्यक्तित्व का कहीं देशव्यापी प्रभाव दिखाई नहीं दिया हाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ संभलती हुई अवश्य दिखाई दी और इसकी संभलती हुई स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही फिर भी 1991 में काँग्रेस (आई) की विजय में राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई सहानुभूति लहर का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का 2014 के चुनाव में बी॰जे॰पी॰ को जीत दिलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
5. भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वे केन्द्र में ऐसी सरकार चाहते है जो स्थाई और सक्षम हो एक इकाई की भाँति काम कर सके। देश को राजनीतिक

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-10* January- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

स्थिरता प्रदान करते हुए उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर सके, 1977 के पूर्व तक के चुनावों में काँग्रेस के पक्ष में मतदान का यही एक प्रमुख कारण रहा कि मतदाताओं को विश्वास था कि देश में शासन संभालनें योग्य दल केवल काँग्रेस है और इस दल के पास सुयोग्य नेतृत्व है जबकि विपक्षी दल आपसी फूट के शिकार हैं और काँग्रेस की तुलना में उनके पास सुयोग्य नेतृत्व नहीं है। जब 1970 में कुछ प्रमुख विरोधी दल जनता पार्टी के रूप में संयुक्त हो गये तो मतदाताओं को आशा बंधी की काँग्रेस का शक्तिशाली विकल्प मौजूद है और उसे अवसर देना चाहिएए भारतीय जनता को कुछ ऐसा विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थाई और कुशल शासन दे सकती है। जनता पार्टी को सत्ता प्रदान की गई लेकिन जब जनता पार्टी की आपसी फूट, अक्षम नेतृत्व और वयोवृद्ध नेताओं के कारण यह पार्टी बिखर गई तो देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता छा गई तो मतदाताओं ने काँग्रेस को पुनः सत्ता में ला दिया, 1991 के लोकसभा चुनावों में सभी दलों के घोषणा–पत्रों में स्थायी सरकार का वादा किया गया मतदाताओं ने केन्द्र में स्थिर सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से ही काँग्रेस (आई) को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया संघवाद और राज्यों की अधिकार स्थिति को देखते हुए 1996 व उसके बाद के चुनावों में राजनीतिक स्थिरता पर पुनः प्रश्न चिह्न लग गया उसके बाद तो कुछ ऐसा ही कहा जाने लगा कि गठबंधन सरकारें भी स्थिर और स्थायी हो सकती है और देश का वास्तविक प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व भी कर सकती है, यह स्थिति 1999 से वर्तमान तक निरंतर देखी जा सकती है।

6. भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद मतदान को प्रभावित करता रहा है जैसे कई अवसरों पर पंजाब में अकाली दल ने, तमिलनाडू डी॰ एम॰ के॰ और AIDMK, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी और वर्तमान में तृणमूल काँग्रेस तथा महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदि क्षेत्रवाद के आधार पर सफलता प्राप्त करते रहे है दक्षिण और उत्तर के राज्यों में यह प्रवृति स्पष्ट देखी जा सकती है।
7. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग अधिक राजनीतिक दलों की विचार धाराए कार्यक्रमों व नीतियों से प्रभावित होता हे चुनाव से पूर्व विविध दलों के जो घोषणापत्र प्रकाशित होते है वे प्रायः जनसाधारण के समझने की वस्तु न होकर केवल पढ़े लिखे व प्रबुद्ध वर्ग के समझने की वस्तु होते है जैसे–विभिन्न दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित समाजवादी समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व समाज के प्रति आस्था, गाँधीवादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता, अर्थतंत्र व शासन का विकेन्द्रीकरण एवं अन्त्योदय जैसी शब्दावलियाँ या अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी संतान के सुरक्षित भविष्य के लिए .... दल को मत दीजिए, इस शब्दावली को प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समझ सकते है, इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि दलों की विचारधारा नीति व उनके कार्यक्रम अधिकतम प्रबुद्ध वर्ग के मतदान के व्यवहार को ही प्रभावित करते है तथा उनका प्रभाव जन साधरण के मतदान पर कोई खास नहीं पड़ता।
8. भारत में भाषा का तत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है जैसे 1967 व 1981 के चुनावों में डी एम के को जो भारी समर्थन मिला उसके मूल में हिन्दी विरोध का बड़ा हाथ था 1977 के लोक सभायी चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का एक मुख्य कारण यह रहा कि दक्षिण भारत के मतदाता जनता पार्टी की भाषा नीति के सम्बंध में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और उन्हें आशंका थी की कहीं उन पर हिन्दी थोपने का प्रयत्न नहीं किया जाये।
9. मतदान व्यवहार पर सामंतशाही व्यवस्था का अथवा राजा–महाराजा और जागीरदारों का प्रभाव लम्बे अरसे तक रहा किन्तु अब यह क्रमशः कम होता जा रहा है जैसे 1989 के लोकसभा चुनावों में जयपुर जैसे क्षेत्र से भूतपूर्व महाराजा भवानी सिंह काँग्रेस (आई) भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव से पराजित हो गये, 1991 के संसदीय चुनावों में भी यह प्रवृति दिखाई दी और उसके बाद की सच्चाई तो यह है कि यह प्रवृति लगभग समाप्त होती जा रही है।
10. विभिन्न राजनीतिक दलों के अतीत के क्रिया कलाप मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है जैसे काँग्रेस को पहले तीन आम चुनावों में अधिक मत प्राप्ति का एक मुख्य कारण यह रहा कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा भारतीय जनसंघ को मतदान में एक मुख्य बाधा इस बात से रही कि उसकी नीति अखण्ड़ भारत की थी।
11. आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है जनवरी 1980 के चुनावों में इंदिरा काँग्रेस को अधिक मतदान का एक कारण यह रहा कि यह दल विपक्ष की तुलना में अधिक साधन सम्पन्न था तथा सुगठित एवं व्यापक स्तर पर अपना चुनाव अभियान चला सकता था यहाँ यह टिप्पणी की जा सकती है कि कई बार आर्थिक साधन सम्पन्नता चुनावों को निर्णायक रुप से प्रभावित नहीं कर पाती, जैसे 1977 में हुआ तथा 1989 में भी काँग्रेस (आई) द्वारा चुनावों में भारी मात्रा में आर्थिक साधन झोंकने के बाद भी पराजय का सामना करना पड़ाए अतः यह माना जा सकता है कि आर्थिक साधनों के होते हुए भी स्थिति कभी भी बदल सकती है।
12. कौनसा राजनीतिक दल अथवा कौनसा प्रत्याक्षी चुनाव में विजयी होगा इसकी सम्भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1977 के चुनावों में काँग्रेस के विरुद्ध जनता लहर छा गई और जिसके पक्ष में चुनाव लहर चल रही हो उसको लोग मत देते हैं। ताकि उनका मत व्यर्थ न जाये। एक दल के पक्ष में लहर दूसरे दल के विरुद्ध एक प्रकार से झाड़ू लगा देती है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में किया। 1980 व 1984 में काँग्रेस लहर ने चुनावों में विपक्षी दलों का सफाया

कर दिया। 1989 में काँग्रेस (आई) के विरूद्ध चली जनता लहर ने उसे सत्ता से वंचित कर दिया। 1991 के चुनावों में दक्षिण भारत में काँग्रेस (आई) ने पक्ष में चलने वाली लहर ने इस दल को भारी विजय दिलाई लहर में जो मतदान होता है उसे विभिन्न पर्यवेक्षक पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं और समय के साथ यह स्थिति सभी दलों के लिए अनुपयोगी बन चुकी है।

13. सरकार के द्वारा लिए गए अभूतपूर्व निर्णय भी मतदाताओं को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा नोट बंदी व जी॰एस॰टी॰ के निर्णय ने प्रभावित किया है। राजनीतिक क्षेत्रों में यह भ्रामक धारणा भी रही है कि भारत की जनता अशिक्षा अधिक गरीबी जातिगत द्वेष धर्मान्धता आदि की शिकार है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग विवेक के साथ नहीं कर पाई है। परन्तु इस धारणा की विभिन्न चुनावों में हुए मतदान से पुष्टि नहीं होती है क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर जनता ने अनुशासनप्रियता प्रदर्शित की है और और अपने मताधिकार की कीमत भी समझी है।

निष्कर्ष

मतदान व्यवहार से पिछले 30 वर्षो में जो परिणाम सामने आये हैं उनमें त्रिशंकु संसदों का जन्म छोटे गुटों की सामूहिक शक्ति में भारी वृद्धि अल्पमतीय सरकार मिली–जुली सरकार और राजनीतिक अस्थिरता के दौर को देखना पड़ा है यह दौर विशेषकर 90 के दशक में देखा गया है और जो भी नेतृत्व रहा उसे किसी तरह सहमति के पुल बाँधने हेतु निरंतर जूझना पड़ा 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व को स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला सन 2004 में सोनिया गाँधी का विदेशी मूल का मुद्दा कोई खास नहीं रहा और काँग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी और धीरे–धीरे स्थिरता को बढ़ावा मिला इसीलिए सन् 2009 में 15 वीं लोकसभा के मतदान परिणामों के बाद यह कहा गया कि यह स्थिरता के लिए जनादेश है 16 वीं लोकसभा अप्रैल–मई 2014 में जनादेश जो नरेन्द्र मोदी के पक्ष में गया इसको सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हाशय पर पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूकने का कार्य किया जाये। यह भी देखने में आया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लुभावने नारे भी दिये जाते हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गाँधी की याद में राजीव गाँधी के साथ में का नारा दिया गया। वर्तमान सरकार का एक नारा तो प्रसिद्ध भी हुआ और हास्य का विषय भी हो गया जो है – अच्छे दिन आने वाले हैं। इस प्रकार भारत में मतदान व्यवहार पर सरसरी नज़र ड़ालने से यही स्पष्ट होता है कि यहाँ कुल मिलाकर मतदान व्यवहार के विषय में निश्चित प्रवृतियाँ खोजना एक व्यवहारिक स्थिति नहीं है। प्रतिवर्ष देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि संरक्षण का यह प्रश्न मतदान को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मतदान के सभी समीकरण कुछ वर्ष भी नहीं चल पाते और कोई भी दल अपने एकाधिकार का दावा भी नहीं कर सकता। पंचायती राज सामाजिक न्याय आर्थिक उदारीकरण की नीतियों में निर्वाचन राजनीति को झकझोरा है और ऐसी स्थिति में भारतियों का मतदान व्यवहार किसी एक ढर्रे या भविष्यवाणी के योग्य नहीं कहा जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *फड़िया बी॰एल॰ एवं जैन पुखराज, भारतीय शासन एवं राजनीतिए साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा 2010 पृ॰सं॰ 596*
2. *दुबे अभय कुमार, लोकतंत्र के सात अध्याय, विकासशील समाज अध्ययन पीठ वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2005, पृ॰सं॰ 82–88*
3. *दुबे अभय कुमार राजनीति की किताब 2005, वाणी प्रकाशनए दरियागंज, नई दिल्ली पृ॰सं॰ 92–93*
4. *एम॰ एस॰ राणा, इण्डिया वोटस् लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999–2000 ;*All Analysis Election data and party manifesto), *बी॰ आर॰ पब्लिकेशनए नई दिल्ली 2000*
5. *रामाश्रय राय और पॉल वेलास, इण्डियन पॉलिटिक्स 1998 इलेक्शंस, रीजनलीज्म, हिन्दुत्व एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स, सेंज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 1999*
6. *एम॰ एल॰ आहुजा, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया (1952–1998), मित्तल पब्लिकेशंस नई दिल्ली 1998*
7. *मीनू राय, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा॰ लि॰एनई दिल्ली 1999*
8. *अशोक शर्मा, भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन, अनुसंधान व विषद् अध्ययन संस्थानए जयपुर, 1984*
9. *सुभाष कश्यप, भारत में निर्वाचन : समस्याऐं और सुधार रिसर्च, नई दिल्ली, 1972*
10. *रजनी कोठारी, पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्सन स्टडीज बोम्बे, 1967*
11. *पत्रिका ईयर बुक (2017) राजस्थान पत्रिका जयपुर।*

ISSN : 2456-5474

RNI : UPBIL/2016/68367
Bi-lingual/Monthly

Vol.- 2* Issue – 11* December 2017

Innovation

The Research Concept

Peer Reviewed Multi-disciplinary
Bi-lingual International Journal

Social Research Foundation

S R F

Impact Factor
SJIF = 3.420
IIJF = 4.112

Innovation UGC approved listed

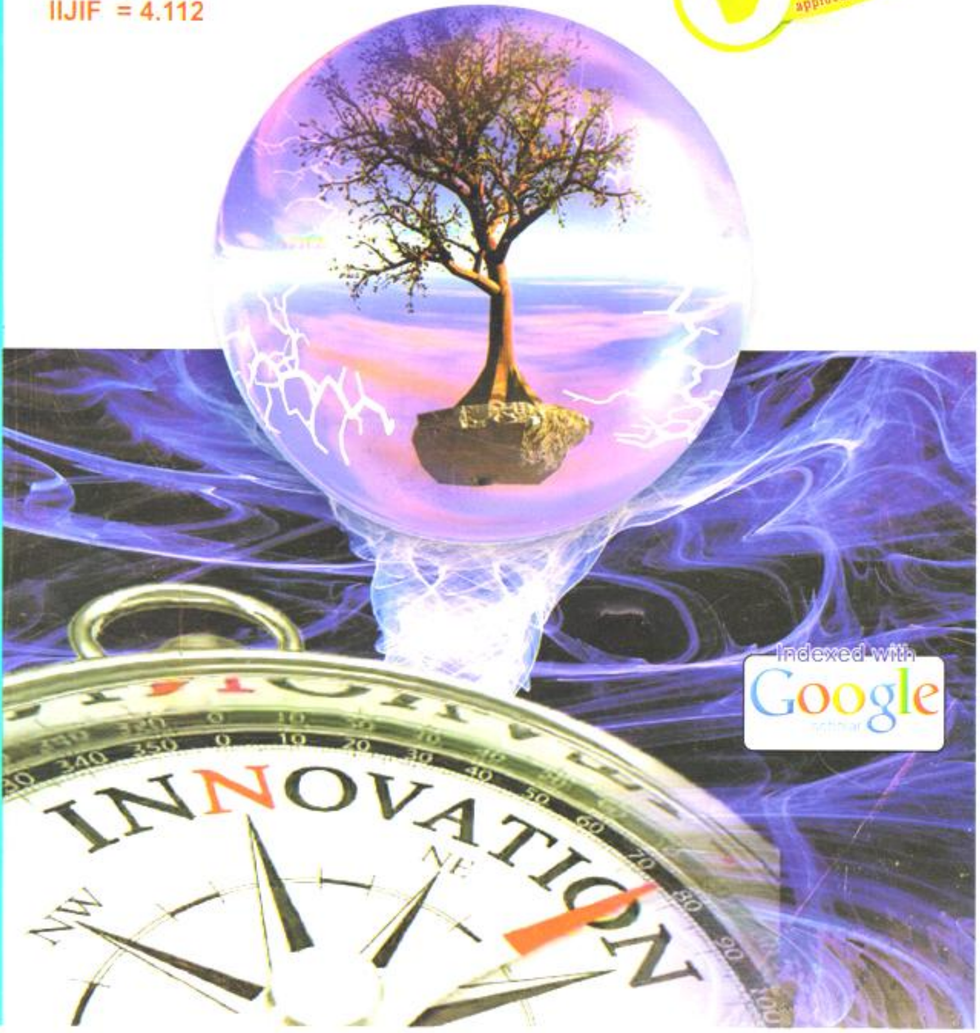

Indexed with Google

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December- 2017
Innovation The Research Concept

गाँधीजी के लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता–एक समसामयिक अध्ययन

सारांश

गाँधी जी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के विरोधी थे लोकतंत्र के आंतरिक संकटों को उन्होंने सभ्यता का संकट माना है तथा उनके निराकरण का एक मात्र विकल्प जनशक्ति पर आधारित सर्वोदयी समाज को बताया उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का संकट एक राजनीतिक संकट मात्र नहीं है बल्कि सभ्यता का सार्वदैशिक संकट था। गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही तथा कहा कि प्रत्येक गाँव एक सम्पूर्ण राज्य होना चाहिए, गाँधी जी ने लोक निर्माता व्यक्ति को प्राथमिक केन्द्र बिन्दु माना गाँधी जी का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अन्य अवधारणाओं की भाँति उनकी अध्यात्मिक आस्था से संबंध है गाँधी जी ने भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रथम स्तर पर कुछ बातों को महत्त्वपूर्ण माना है जैसे – सत्याग्रह, अहिंसा, ग्रामीण उद्योगों का विकास, प्रथमिक शिक्षा, छुआ–छूत निराकरण, साम्प्रदायिक एकता एवं श्रमिकों का अहिंसक संगठन आदि। गाँधी जी के लिए लोकतंत्र का अर्थ नीचे से नीचे और ऊँचे से ऊँचे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का समान अवसर प्राप्त होना है तथा व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार एवं कर्तव्यपालन का होना है। अतः वर्तमान में शस्त्रीकरण, वैज्ञानीकरण, एवं वैश्वीकरण के दौर में गाँधी जी का ग्राम आधारित लोकतंत्र मानवीय विकल्प है क्योंकि गाँधी जी का स्वराज्य अध्यात्मीकरण की वैचारिक आधारशिला पर आधारित है।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, उदारवाद, सत्याग्रह, सर्वोदय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्यपालन, छुआ–छूत निराकरण, पाश्चात्य सभ्यता, लोकशक्ति, शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति।

गुलाम रसूल खान
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा ,राजस्थान

प्रस्तावना

गाँधी जी ने अपने आदर्श समाज को सर्वोदय के रूप में देखा है गाँधी जी का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें न कोई गरीब होगा, न कोई भिखारी, न कोई ऊँचा और ना ही कोई नीचा होगा सब लोग अपने आप रोटी कमाने के लिए मेहनत करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, सब धर्मों का आदर करेंगे व छुआछूत का अंत करेंगे। गाँधी जी धर्म और राजनीति को जीवन में महत्त्वपूर्ण मानते थे उनका मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि धर्मविहीन राजनीति आत्मा का हनन करती है और इसी कारण गाँधी जी ने पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र का विरोध किया तथा सर्वोदय, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता, सत्याग्रह, धर्म एवं कर्तव्यपालन पर आधारित संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया तथा शोषण, हिंसा, छुआछूत, नक्सलवाद, जातिवाद, जातीय संघर्ष, आदि का विरोध किया तथा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा व आस्था को महत्त्वपूर्ण माना।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है–

1. गाँधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण करना।
2. वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करना।
3. गाँधी जी के लोकतांत्रिक विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।
4. गाँधी जी के विचारों के माध्यम से वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में सुधार करना।

साहित्यावलोकन

विद्वुत चक्रवर्ती (2006) ने अपनी पुस्तक सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधीश में गाँधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का विस्तृत विश्लेषण किया है।

डगलस ऐलन (2008) ने अपनी पुस्तक द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फॉर द 21 सेन्चुरी (21 वीं सदी के लिए महात्मा गाँधी का दर्शन परिचयात्मक अध्ययन में गाँधी जी के लोकतांत्रिक विचारों की 21 वीं शताब्दी में प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

नागर पुरूषोत्तम (2000) ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन में गाँधी जी के लोकतांत्रिक विचारों एवं भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं का विश्लेषण किया है।

रामजी सिंह (2008) ने अपनी पुस्तक श्गाँधी और मानवता का भविष्य में लोकतंत्र एवं मानवता की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डाला है।

डॉ0 कृष्ण कुमार रत्तू एवं डॉ0 कमला (2008) ने अपनी पुस्तक समग्र गाँधी दर्शन गाँधी चिन्तन ओर वर्तमान प्रसंग में लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का गाँधीवादी तरीके से समाधान का विश्लेषण किया है।

डॉ0 धर्मवीर चंदेल (2012) ने अपनी पुस्तक श्गाँधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष में गाँधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण किया है।

शोध सीमा

शोधकार्य करते समय शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने कार्य की सीमाओं का ध्यान रखे व इसे इस प्रकार से समायोजित करे कि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके। अतः प्रस्तुत शोधकार्य की समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए केवल गाँधी जी के लोकतंत्र संबंधी विचार एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण तक सीमित रखा गया है ताकि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके।

शोध पद्धति

किसी भी शोधकार्य के लिए उपयुक्त शोध विधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है उपयुक्त शोध विधि का चयन करके ही शोधार्थी अपने शोधकार्य को यथेष्ट परिणाम तक पहुँचा सकता है। इसलिए इस प्रस्तुत शोध में विश्लेषण एवं अवलोकन विधि का प्रयोग करके अपने परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

गाँधी जी के राजनीतिक विचारों, दर्शन एवं कार्यशैली का विस्तृत अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में मुख्यतः जिन 8 मुद्दों पर निरन्तर संघर्ष किया है वे हैं – नक्सलवाद, उपनिवेशवाद,जाति व्यवस्था, राजनीति सहभागिता, आर्थिक शोषण, स्त्रियों की दुर्दशा, धार्मिक एवं नस्लीय तथा अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए।

शायद इन्हीं कारणों से महात्मा गाँधी विरोध करने वाले दार्शनिक माने जाते हैं। परन्तु संघर्ष, विवाद, मतभेद, लड़ाई–झगड़े की स्थिति में जो समाधान के साधन गाँधीजी ने बताए हैं। उनको लेकर भी वर्तमान में राजनेता गाँधीजी की तरफ ही उन्मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। अतः गाँधीजी की उपादेयता और उपयोगिता तब तक समाप्त नहीं होती दिखाई नहीं दे रही। जब तक स्वयं इस प्रकार के विवाद और झगड़े ही समाप्त न हो जाए। क्योंकि पश्चिम की तर्ज पर हमने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया था ओर थोड़े समय बाद ही वह जनतंत्र न रहकर दलीय तन्त्र हो गया और दलों की जो बुराईयाँ होती हैं। वह भारत के राजनीतिक जीवन में घर कर गयी है। हमने लोकतंत्र के माध्यम से जो सुखी, शान्त, समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन का सपना देखा थाए वह गाँधीजी के सपनों का भारत नहीं बन पाया।

विश्लेषण एवं परिणाम

गाँधी के विचारों से स्पष्ट होता है कि गाँधीजी के राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा सर्वत्र विद्यमान हैं। लोकतंत्र में समाज के पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकारों तथा व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करने की मांग सतत् होती रही है। गाँधीजी ने भी लोकतंत्र में सामाजिक उत्थान के पक्ष को महत्त्व दिया है। ये अभिजात तन्त्रीय लोकतंत्र तथा पंचवर्षीय मतदान प्रणाली वाले औपचारिक लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। उनके लोकतंत्र में एक ओर समाज के दलित वर्गों द्वारा पूँजीपति, कुलीन वर्गों के नियन्त्रण के विरूद्ध राजनीतिक आन्दोलन की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरी ओर उनके आदर्श समाज की माँग भी है। जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। गाँधीजी के सर्वोदयी उदारवादी लोकतंत्र में दलविहीन राजनीति के दर्शन होते हैं। उनका यह मानना रहा है कि लोकतंत्र के स्वतंत्र व स्पष्ट विकास में राजनीतिक दलों ने अनेक बाधाएँ उत्पन्न की हैं। गाँधीजी सर्वोदय तथा अन्तोदय की दृष्टि से ऐसे समतावादी समाज के उत्पादक हैं। जिसमें नेता तथा जनता एक ही धरातल पर सादगी एवं संयम से जनसेवा का कार्य करते रहे। उन्होंने उद्योगवाद से रहित ऐसे समाज की नींव रखी है। जिसमें स्वावलम्बन द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हैं। हिंसाविहीन राजनीति का सूत्रपात कर गाँधीजी ने स्वतंत्रता, समानता तथा परोपकारिता के आदर्शों को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। वे राज्य के अवलम्बन से व्यक्ति को मुक्त कर जनजीवन में ऐसी जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं। जिससे बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह द्वारा लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए गाँधीजी ने राजनीति से गठबंधनों तथा जोड़–तोड़ की सौदेबाजी को समाप्त कर व्यक्ति निर्णयों को शुद्धता तथा विवेकयुक्त सत्यनिष्ठा को महत्त्व दिया हैं। गाँधीजी लोकतंत्र को मिलावट विहिन अहिंसा का शासन मानते है। लोकतंत्र अर्थात अहिंसा व्यक्ति की आत्मशुद्धि ओर नैतिक उत्थान को लिए हुए हैं। राजनीतिक स्वशासन, जिसमें पुरूष एवं स्त्रियों का स्वशासन अन्तर्निहित है। वे पश्चिमी देशों के लोकतंत्रीय उदाहरण से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि वहाँ शस्त्रों की होड़ साम्राज्यवाद, शोषण, पूँजीवाद, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा अच्छे नेतृत्व के अभाव ने सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को भुला दिया है। राज्य का आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप राज्य शक्ति के बढ़ते हुए दायरे का प्रतीक बन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निगलने के लिए मुँह बाये खड़ा है। ऐसे भयावह राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उचित नियंत्रण व संतुलन ढूँढ़ने की आवश्यकता ही गाँधीजी के लोकतांत्रिक मूल्यों की तलाश हैं। प्रभुत्व मतदाताओं द्वारा चुनी हुई संसद भी कुछ नहीं

कर पाती है। उसका स्वार्थ और दंभ उनके चिन्तन को संकीर्ण बना देता है। आज के निर्णय कल बदल दिए जाते हैं। संसद के सदस्य या तो ऊँघते व आराम करते हुए दिखाई देते हैं या फिर लड़ते–झगड़ते दिखाई देते हैं। दल के लिए बिना सोचे–समझे मतदान करते हैं ऐसे व्यक्ति को ना तो देश भक्त ही कहा जा सकता है और न ही ईमानदार एवं अन्तःकरण से प्रेरित ही कहा जा सकता है। मंत्रियों व प्रतिनिधियों के साथ ही गाँधीजी ने मतदाताओं को भी आड़े–हाथों लिया है। क्योंकि मतदाता प्रायः अस्थित चित्त के होते हैं। वे किसी भी ओछपूर्ण तथा दावत सत्कार करने वाले व्यक्ति का अनुगमन कर सकते हैं। यह सभी त्रुटियाँ पश्चिमी लोकतंत्र में है। अतः वहाँ की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ अलोकतांत्रिक बन गयी हैं। संसद दासता का प्रतीक राष्ट्र का खर्चीला खिलौना मात्र हैए जिसमें धन तथा समय दोनों का अपव्यय होता है। अतः पाश्चात्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को गाँधीजी ने अपूर्ण माना है। उनका आलोचना का मुख्य आधार पाश्चात्य लोकतंत्र में व्याप्त हिंसा तथा असत्य की स्थिति है। गाँधीजी ने अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित स्वराज्य की कल्पना में राज्य का स्वरूप सत्य तथा अहिंसा से ओतप्रोत लोकतांत्रिक राज्य का माना है। जिसमें वे भ्रष्टाचार व दम्भपूर्ण व्यवहार जो समूल नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने संख्या के स्थान पर सेवा तथा त्याग की भावना से युक्त समानता का आदर्श स्वीकार किया है और ऐसे लोकतांत्रिक को जबरन विकसित नहीं किया जा सकता है। इसी कारण लोकतांत्रिक की भावना बाहर से नहीं थोपी जा सकती है। इसे अन्दर से बाहर आना होता है। इसीलिए गाँधीजी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैंए परन्तु मतदाता के लिए अधिक शर्त की सेवा भी स्वीकार करते हैं। विकेन्द्रित सत्ता को सार्वभौमिक मताधिकार से युक्त अनुशासित एवं राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित कराना चाहते हैं।

उनकी स्वयं की मान्यता कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जनता की इच्छा से हटाए भी जा सके। लोकतांत्रिक राज्य को अनुशासित करने का है। जन प्रतिनिधियों की संख्या कम करना चाहते हैं। राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहते हैं। इसलिए गाँधीजी एक भिन्न–भिन्न प्रकार का लोकतन्त्र चाहते हैं और जितने गाँव की संख्या हैए उतनी ही यूनिटों में शक्ति को विकेन्द्रित करना चाहते हैं। ऐसा लोकतन्त्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होगा और वर्तमान में प्रचलित दोषों का मुकाबला करने में सक्षम साबित होगा।

गाँधीजी के अनुसार व्यक्तिगत स्वराज्य से तात्पर्य है – निःस्वार्थ, योग्य एवं निर्विकार होना। चयन के इच्छुक व्यक्ति को पदलोलुपता, आत्मप्रशंसा, विपक्ष को अपमानित करने तथा मतदाताओं का मनोवैज्ञानिक शोषण करने की वर्तमान बुराईयों से मुक्त होना चाहिए। प्रचार के कारण मत नहीं मिलने चाहिए। अपितु अर्पित सेवा के गुण हेतु मत प्राप्त होने चाहिए।

चूँकि गाँधीजी सत्याग्रही हैं। अतः सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति जो सेवा तथा मानव प्रेम के कारण पद ग्रहण करता है। उसे विभिन्न प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए।

गाँधीजी के अनुसार मतदाता के लिए सम्पति और शिक्षा की योग्यता प्रवर्चनापूर्ण है। शारीरिक श्रम की योग्यता ही सच्ची योग्यता का आधार है। क्योंकि शारीरिक श्रम शासन तथा राज्य की भलाई में कार्य करने के अवसर सदा के लिए प्रस्तुत करता है। श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में रोजी–रोटी के सिद्धान्त को क्रियान्वित करता है। रोजी–रोटी के आदर्श का बुद्धिमता एवं जागरूकतापूर्ण प्रयोग मतदाता को राजनीतिज्ञों के हाथ का मोहरा नहीं बनने देता एवं व्यक्ति में स्वावलम्बन आत्मविश्वास एवं अभय के गुणों की अभिवृद्धि होती है।

इस तरह निर्भय व्यक्ति ही लोकसेवा कर सकता है। इस प्रकार गाँधीजी का लोकतन्त्र एक ऐसा आदर्श लिए हुए हैए जिसमें व्यक्ति समुदाय, प्रकृति एवं परमात्मा सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है तथा गाँधीजी की अहिंसक राज्य एक तरह से आघ्यात्मिक प्रजातन्त्र पर आधारित है। परन्तु वर्तमान में इस आध्यात्मिक प्रजातन्त्र का कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता है।

लक्ष्य की दृष्टि से गाँधीजी ने अहिंसक प्रजातन्त्र का आदर्श सर्वोदय सबका कल्याण माना है। उनके अनुसार यह लोकतन्त्र बहुमत और अल्पमत के हितों को पृथक–पृथक नहीं मानेगा। अपितु ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा। जिसमें अल्पमत और बहुमत के हितों के मध्य कोई भेद नहीं रहेगा। इस व्यवस्था में शासन सबसे कमजोर व्यक्ति के हितों की सुरक्षा को भी सर्वोपरि महत्त्व देगा। कमजोर और दलित निम्न वर्गों का उत्थान इस शासन व्यवस्था का सर्वोपरि ध्येय होगा। ताकि सर्वांगीण विकास की व्यवस्था बनी रहे। इस लोकतन्त्र की प्रेरणा बन्धन के उपयोगितावादी आदर्श अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख से नहीं। अपितु समस्त मानवों का श्रेष्ठ कल्याण होगा। व्यक्तियों के सर्वकल्याण की परिधि में नैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक कल्याण शामिल होंगे।

गाँधीजी ने लोकतन्त्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ ही शासन के लोकतान्त्रिक होने का मापदण्ड नहीं होता। अपितु लोकतान्त्रिक भावना की अभिव्यक्ति तो उन आदर्शों में होती है। जिनके लिए शासन सक्रिय और प्रयत्नशील रहता है। अतः अहिंसक लोकतन्त्र बहुमत या अल्पमत शासन नहीं, अपितु न्याय का शासन होगा।

इस व्यवस्था में शासन द्वारा मनमाने निर्णय लेने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि न्याय और विधि के शासन का विचार शासन की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करेंगे और ये विधि निर्माण तथा कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के औचित्य के मापदण्ड माने जायेंगे।

वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य सभ्यता से अत्याधिक प्रभावित हैं परन्तु आधुनिक भारतीय सभ्यता का संकट यही है कि इसका गतित्व समाप्त हो चुका है। किन्तु नवीन सभ्यता शिशु का अब तक जन्म नहीं हो सका हैं। शायद यह इसकी प्रसव वेदना का काल है। ओसवाल्ड, स्पेगलर, डेनिलवस्की, अर्नल्ड टायनबी आदि के मतों को उर्द्धत करते हुए ए॰एल॰ क्रोवर ने आधुनिक सभ्यता का जन्म कुण्डली स्थित कालचक्र के अनुसार यह भविष्यवाणी कर दी है कि इस सभ्यता का अन्त 21वीं सदी के मध्य

सुनिश्चित है। जब किसी तत्वज्ञान या सामाजिक संरचना का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो जाता है तो वह जनता की आवश्यकताओं और आकाँक्षाओं से अनुबंध नहीं रखने के कारण सामाजिक क्रांति का उपकरण नहीं बन सकता। इसी वैश्विक संदर्भ में दादा धर्माधिकारी ने सर्वोदय के सांस्कृतिक आधार की प्रस्तुति में तीन बिन्दुओं को रखा है–

1. शास्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
2. यंत्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।
3. प्रचलित लोकतन्त्र का सांस्कृतिक मूल्य समाप्त हो गया है।

सर्वोदय का आधार एवं स्वरूप सांस्कृतिक है और हमारा संकट भी सांस्कृतिक है। अतः सर्व प्रथम हमें सांस्कृतिक मूल्यों के परीक्षण के लिए एक कसौटी तय करनी होगी। सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा को हम मूल्य कहते हैं। प्रमाणिकता उसका पहला लक्षण है और उसकी कसौटी है – अपने जैसा दूसरों को जानना, अर्थात् मैं अपने लिए जो करूँगा। वह दूसरों के लिए करूँगा और पहला कदम मैं उठाऊँगा। कोई दूसरा पहला कदम उठाएए इस बात का इन्तजार मैं नहीं करूँगा। इसी को हम,फल निरपेक्ष कर्त्तव्य, कह सकते हैं। जिसे कांट ने *Categorical Imperative* या गीता में अनासक्त कर्म की संज्ञा दी गई है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ऐसा कर्म भले ही दिखे। लेकिन स्वायत्त जीवन की फल निरपेक्षता इसलिए व्यर्थ नहीं जा सकती है। क्योंकि फल निरपेक्षता का अर्थ है कि फुटकर फलों की आशा छोड़कर अंतिम फल की आशा करना यानि व्यापक अभिलाषा का नाम ही निराभिलाषा है। जब स्वार्थ परार्थ से आगे बढ़ जाता है तो परमार्थ हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण का पर्याय बन जाता है। तो वह सर्वोदय कहलाता है। जो तात्कालिक और व्यक्तिगत सुख के लिए अपने चरम सुख के साथ समझौता कर लेता है। वह सुधारवादी हो सकता है क्रांतिकारी नहीं।

जीवन को समझने के लिए हमें जीवन मूल्यों को समझना होगा। दादा धर्माधिकारी ने जीवन मूल्य के पाँच लक्षण बताए हैं –

1. प्रमाणिकता
2. सार्वत्रिकता
3. निरपेक्षता
4. स्वतः प्रमाणयता
5. स्वभाव की अनुरूपता।

मूल्यों के परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन संभव है वृति में परिवर्तन होने पर ही मूल्यों की स्थापना होगी। सर्वोदय दर्शन का उद्देश्य सुस्पष्ट है। उस उद्देश्य के अनुरूप साधन की अवधारणा भी साफ है।

हम शुरूआत के तौर पर अहिंसक लोकशक्ति के संगठन के लिए शांति सेना या अहिंसा वाहिनी सेना का व्यापक संगठन करें। यह तो आवश्यक है। लेकिन इसमें भी अधिक जरूरी है कि शान्ति या अहिंसक क्रान्ति पर अमल करें। आज हमारा संस्कार ही हिंसक हो गया है। इसका परिष्कार कोई राजनेता या मठाधीश पण्डा या पुजारी नहीं कर सकता। वह तो सम्यक शिक्षा व्यवस्था से ही संभव है। आज की शिक्षा में न जीवन है न जीविका की गारन्टी। ऐसी स्थिति में इस शिक्षा से समाज का नेतृत्व पाने की आशा ही एक मृग मरिचिका है। आजादी के बाद अराजक पुलिस या अर्द्धसैनिक व्यवस्थापक लगभग 500 गुना खर्च बढ़ा है और उसी अनुपात में अपराध भी बढ़े हैं। स्पष्ट है कि यह तरीका निकम्मा और बेकार है। आतंकवाद का उत्तर गाँधी हैए जिसने चम्पारन में किसानों के लिए खेड़ा एवं बारडोली में अन्याय के खिलाफए दक्षिण अफ्रिका और भारत में रंगभेद और अस्पृश्यता के खिलाफ तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध युद्ध किया। गाँधीजी ने 1908 में लंदन में दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर ही 'हिन्द स्वराज्य' नामक एक छोटी सी किताब लिख डाली थी। उनकी दृष्टि में यह हिंसा को समर्थन कर देने वाली भारतीय विचारधारा के प्रतिवाद के रूप लिखा गया। आखरी समय में भी वे सम्प्रदायवाद से जूझते हुए मरे। आतंकवाद के लिए गाँधी की निष्ठा एवं उनका आत्मबलिदान चाहिए। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। शिक्षा में हमने शान्ति और अहिंसा के तत्व को शामिल नहीं किया है। शिक्षा मानव मन और मानव संस्कार को ठीक करते हैं। दुर्भाग्य है कि हम धनुर्वेद और सैनिक विज्ञान को शिक्षा शास्त्र में प्रतिष्ठित स्थान देते हैंए परन्तु शक्ति शोध अहिंसा विज्ञान को अनावश्यक और अनुपयोगी मानते हैं। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, महात्मा गाँधी और विनोबा के देश में 234 विश्वविद्यालय में से मात्र 10 विश्वविद्यालयों में गाँधी विचार और अहिंसा का छोटा–मोटा पाठ्यक्रम है। जबकि यूरोप और अमेरिका में लगभग 2000 शान्ति शोध के संस्थान है। आज देश में लगभग 10 हजार कॉलेज हैए पर प्रायः सभी जगहों पर प्रसार कार्य के रुप में सैनिक प्रशिक्षण (राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण, एन॰ सी॰ सी॰) हैए लेकिन शान्ति सेना का प्रशिक्षण बेकार समझा जाता है। आज तो विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसक उपद्रवों के शमन के लिए बन्दुकधारी स्थायी सुरक्षा सैनिक रखे जाते है। यदि हिंसा और आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कलहए शमन और शांति का भी प्रशिक्षण देना होगा। इसलिए अहिंसा का अध्ययन – शोध तथा प्रशिक्षण जरूरी है। हमने प्रशिक्षण एवं शांति प्रसार का कार्य केवल साधु संतों पर छोड़ दिया हैए जो प्रायः साम्प्रदायिकता, भेदभाव, अपने वर्चस्व को बनाये रखने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। विश्व धम्र ओर विश्व नैतिकता विश्व झाँकी का आधार है।

धर्मान्तरण के द्वारा सम्प्रदाय विस्तार भी धार्मिक साम्राज्यवाद का ही रूप है। भूमण्डलीकरण के नाम पर विकासशील देशों के शोषण वस्तुतः एक आक्रमणपूर्ण युद्ध है। इसी प्रकार पूँजीवादी या साम्यवादी, वैश्विक ईसाइयत या विश्व हिन्दुत्व या अखिल इस्लामियत की भावना और योजना विश्व शांति की बाधक है। वास्तव में यह 'अहिंसा परमो धर्मः' का आचरण करते है। परन्तु वास्तव में हिंसा परमो धर्म का आचरण करते हैं।

निष्कर्ष

गाँधी दर्शन और हमारा समाज इन दिनों विश्व को अहिंसा का नया सृजन फलक प्रदान कर रहा है। इसी कैनवास के जरिए हम विश्व को शांति के एक नये झरोखे द्वारा देख सकते हैं एवं गाँधी दर्शन की एक नई

व्याख्या से रूबरू हो सकते हैं। आतंक बिखराव और दहशत से जूझते हुए विश्व को इन दिनों गाँधी दर्शन और उनका अहिंसा का प्रयोग सूत्र ही एक मात्र चिराग है। जो इस विश्व को एक नया रास्ता दिखा सकता है। इस नयी सदी में गाँधी जी के दर्शन की नयी परिभाषा की जा सकती है। आज प्रश्न यह भी उठाया जा रहा है कि क्या गाँधी दर्शन इस नयी सदी के बदलते हुए परिदृश्य में भी इतनी ही प्रासंगिक हैए जितनी पहले थी।

आज के वैश्वीकरण के दौर में संसार के सामने जो विश्व स्तरीय चुनौतियाँ है। उन्हें देखते हुए गाँधी दर्शन आज भी उतना ही स्वीकार्य है। जितना पहले था। शायद उससे भी कहीं ज्यादा।

गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता को दर्शाते हुए लेखक जनार्दन द्विवेदी का मानना है कि 75 साल पहले आधुनिक विश्व के दो असाधारण पुरूषों ने अपने–अपने देश में जनक्रांति का नेतृत्व किया। दोनों ही के अपने अलग–अलग विचार थे। वे अपने देश व विश्व को एक नये रास्ते पर ले जाना चाहते थे। जहाँ सभी प्रकार के शोषण और दमन से मुक्ति हो, हालाँकि उनके लक्ष्य कमोबेश समान थे। लेकिन उन्हें प्राप्त करने का रास्ता और तरीका बिल्कुल भिन्न था। वे दोनों आत्म बलिदान और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वे महापुरूष थे –गाँधी और वी॰आई॰ लेनिन।

आज गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता शायद पहले से अधिक महसूस होने लगी है। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में गाँधी पहले से अधिक प्रासंगिक हो गये हैं। आज पूरा विश्व आतंकवाद, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, परमाणु शस्त्रों की होड़, नव उपनिवेशवाद, आर्थिक असमानता, गरीबी, भुखमरी, मानवाधिकार हनन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जैसी घोर समस्याओं से जूझ रहा है। इस स्थिति में गाँधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, धर्म एवं राजनीति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बन्धुत्व एवं लोकतंत्र पर दिए गए विचार एवं सुझाव विश्व की समस्याओं का एक मात्र समाधान प्रतीत होते हैं। अतः गाँधी दर्शन की प्रासंगिकता समसामयिक विश्व में और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *गाँधी एम.के. : हिन्दी स्वराज और इण्डियन होम रूल, नवजीवन प्रकाशन हाउस, अहमदाबाद, 1938*
2. *चक्रवर्ती, विद्रुत : सोशल एण्ड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ महात्मा गाँधी, लंदन रॉडलेज, 2006*
3. *डगलस ऐलन : 'द फिलॉस्फी ऑफ महात्मा गाँधी फॉर द 21 सेन्चुरी' (21 वीं सदी के लिए महात्मा गाँधी का दर्शन परिचयात्मक अध्ययन), आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008*
4. *नगर, पुरूषोत्तम – ''आधुनिक भारतीय सामाजिक व राजनीतिक चिन्तन'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000*
5. *सिंहए रामजी : 'गाँधी और मानवता का भविष्य', कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, 2008*
5. *रत्तू, डॉ॰ कृष्ण कुमार एवं डॉ॰ कमला : समग्र गाँधी दर्शन, गाँधी चिन्तन ओर वर्तमान*
6. *''प्रसंग'', आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2009*
7. *डॉ॰ धर्मवीर चंदेल, गाँधी चिंतन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2012*